


# वार्षिक रिपोर्ट

1958-59

शिक्षा मंत्रालय




सत्यमेव जयते

शिक्षा मंत्रालय

भारत सरकार

प्रकाशम संख्या 399

**प्रकाशन संख्या 399**



## शिक्षा मंत्रालय

### गतिविधि का सारांश

1958-59

शिक्षा मंत्रालय की 1958-59 की मुख्य वार्षिक रिपोर्ट में जहां 1958-59 के अप्रैल से दिसम्बर तक के कार्य का विवरण है, वहां इस सारांश में 1958-59 की अवधि में फरवरी, 1959 तक की प्रगति का उल्लेख करने का प्रयास किया गया है।

22 फरवरी, 1958, को माननीय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असामयिक देहावसान हो जाने पर शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय को दो भागों में बांट दिया गया और इन भागों का नाम क्रमशः शिक्षा मंत्रालय, और वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय रखा गया। ये मंत्रालय अप्रैल, 1958, से अलग-अलग काम करने लगे। शिक्षा मंत्रालय में वह सारा काम आया जो पुराने मंत्रालय के शिक्षा-विभाग में होता था। इसके अलावा शारीरिक शिक्षा, खेलकूद और युवक हित से सम्बन्धित काम भी इसी मंत्रालय को मिला। छात्रवृत्तियों की विविध योजनाएं उनके अपने-अपने विषयों के अनुसार दोनों मंत्रालयों में बांट दी गयीं।

दूसरी पंचवर्षीय आयोजना के अधीन जो शिक्षा-विकास कार्यक्रम बनाया गया है उसमें दूसरी बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था की गयी है कि हमारे सीमित साधनों को ध्यान में रखते हुए ग्यारह वर्ष तक की उम्र के अधिक-से-अधिक बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा सुलभ कर दी जाये। यद्यपि देश को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और हर दिशा में किफायत की आवश्यकता हुई, फिर भी दूसरी पंचवर्षीय आयोजना के तीसरे वर्ष, यानी 1958-59 में मंत्रालय के अंतर्गत सभी क्षेत्रों के क्रिया-कलापों में वृद्धि हुई।

दूसरी पंचवर्षीय आयोजना की योजनाओं को जल्दी और अधिक प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता की राशि देने का तरीका बदल दिया गया है। नये तरीके के अनुसार केन्द्रीय सहायता की कुल मंजूर राशि का 75 प्रतिशत अंश राज्य सरकारों को वित्त मंत्रालय की ओर से एक-मुह्त अर्थोपाय अग्रिम दान के रूप में बराबर की नौ मासिक किस्तों में दिया गया। बाकी बची हुई राशि फरवरी, 1959 में उन्हें दे देनी है, और इसे देते समय इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों में काम की कितनी प्रगति हुई है और शेष तीन महीनों में कितना खर्च

## प्रारम्भिक और बुनियादी शिक्षा

आयोजना कमीशन के शिक्षा विषयक मंडल ने यह सिफारिश की थी कि 1965-66 तक 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा देने की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिसकी सितम्बर, 1957, में शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन ने पुष्टि की। इसे कैबिनेट ने भी सामान्य रूप से स्वीकार कर लिया है। राज्य सरकारों के परामर्श से इस विषय में ब्योरे तैयार किये जा रहे हैं और इस उद्देश्य में सफलता पाने के लिए अनेक कदम उठाये गये हैं। अनिवार्य और निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा को शीघ्र लागू करने के लिए कार्यक्रम तैयार करने के उद्देश्य से जून, 1957, में अखिल भारतीय प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् की स्थापना की गयी। इस अवधि में उसकी दो बैठकें हो चुकी हैं। इस परिषद् की बहुत सी सिफारिशों को केन्द्रीय और राज्य सरकारें कार्यान्वित कर रही हैं, और साथ ही प्राथमिक शिक्षा के लिए एक कानून पास करने के लिए इस मंत्रालय ने नमूने के तौर पर एक मसौदा तैयार किया है। इसको शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जायेगा, ताकि राज्य सरकारें अपनी परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार इसमें आवश्यक परिवर्तन करके इसे अपना लें। इस मंत्रालय ने राज्य सरकारों तथा संघ प्रशासित क्षेत्रों के प्रशासनों को सलाह दी कि वे सामुदायिक विकास खंडों और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देने के लिए कुछ प्रायोगिक प्रायोजनाएँ बनाएँ। चार राज्य सरकारें और दिल्ली निगम प्रायोजनाएँ आरम्भ करने के लिए तैयार हो गये हैं। बाकी राज्यों/संघ-प्रशासित क्षेत्रों से भी इस सम्बन्ध में अनुरोध किया जा रहा है। देहाती क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा का प्रसार करने और शिक्षितों में बेकारी दूर करने के उद्देश्य से एक योजना आरम्भ की गयी, जिसके अनुसार दूसरी पंचवर्षीय आयोजना के शेष तीन वर्षों में 60 हजार अध्यापक और 1,200 निरीक्षक नियुक्त किये जायेंगे और अध्यापिकाओं के लिए 6,000 क्वार्टर बनवाये जायेंगे। योजना को सभी राज्य सरकारें केन्द्रीय सहायता से अमल में ला रही हैं। उन्हें हर वर्ष के लिए अध्यापकों के की संख्या आदि की सूचना दे दी गयी है।

प्रारम्भिक स्तर पर विज्ञान की पढ़ाई में सुधार करने के लिए शुरू में एक दो-साला प्रायोगिक प्रायोजना आरम्भ की जा रही है और इस सिलसिले में हर राज्य के लिए ऐसी एक प्रायोजना निश्चित की गई है। विज्ञान की पढ़ाई में आवश्यक सुधार करने के उद्देश्य से हर प्रायोजना के लिए एक विज्ञान परामर्शदाता नियुक्त किया जायेगा। इस योजना को 1959-60 से राज्य सरकारों के द्वारा कार्यान्वित कराने का विचार है। इसका सारा खर्च केन्द्रीय सरकार उठायेगी।

एक ओर, जहाँ शिक्षा की बुनियादी पद्धति (जिनमें उत्तर-बुनियादी स्कूल भी शामिल हैं) का प्रचार करने के लिए राज्य सरकारों और स्वैच्छिक संस्थाओं को जी खोल कर सहायता दी जाती है, वहाँ दूसरी ओर, प्रारम्भिक और बुनियादी स्कूलों को बुनियादी शिक्षा पद्धति के अनुकूल बनाने के लिए भी एक राष्ट्रीय

को मिटाना और प्राथमिक शिक्षा की विषय-वस्तु को समृद्ध करना। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जो सुधार किये जाएंगे उनके लिए न तो प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता है और न बहुत बड़ी रकम की। ग़ैर-बुनियादी स्कूलों को 'बदलने' के कार्यक्रम को गति देने और पर्यवेक्षकों को सिखलाई देने के लिए स्कूलों के ज़िला और मंडल निरीक्षकों की चार गोष्ठियाँ आयोजित की गयीं। ग़ैर बुनियादी स्कूलों को 'बदलने' की जो योजनाएं शिक्षा विकास कार्यक्रमों में शामिल हैं उनके लिए राज्य सरकारों को 60 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्राप्त हो सकती है।

फ़रवरी, 1956, में बुनियादी शिक्षा के राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना हुई थी। यह संस्थान अनुसंधान, प्रशिक्षण और साहित्य के प्रकाशन की अपनी विभिन्न योजनाओं को सफलता के साथ कार्यान्वित कर रहा है। 'बच्चों के लिए पुस्तकों की पुरस्कार-प्रतियोगिता,' 'बाल साहित्य के लेखकों को प्रशिक्षण देने के लिये साहित्य रचनालयों का संगठन;' 'बच्चों के लिये आदर्श पुस्तकें तैयार करना' आदि योजनाओं के अतिरिक्त संदर्शिकाओं, एकविषयी प्रबन्धों (मोनोग्राफ), सहायक पाठ्यपुस्तकों और स्रोत पुस्तकों के रूप में अध्यापकों और विद्यार्थियों के लिए बुनियादी शिक्षा पर उपयुक्त साहित्य तैयार करने का एक कार्यक्रम चालू किया गया है।

भारत सरकार ने 1957-58 में राज्य सरकारों की सहायता से भारत का शिक्षा सर्वेक्षण आरम्भ किया गया था। इसका उद्देश्य था हर एक बस्ती को अलग करके पहचानना और उनकी गणना करना और प्राथमिक, माध्यमिक और हाई स्कूल स्तर के वर्तमान स्कूल जिस क्षेत्र की आवश्यकताएँ पूरी करते हैं उनकी सीमाएँ निर्धारित करना और नये स्कूलों के लिये उपयुक्त स्थानों का सुझाव देना। क्षेत्रीय सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और अधिकतर राज्यों से ज़िलेवार और राज्यवार सारणियाँ और रिपोर्टें प्राप्त हो चुकी हैं। आशा है कि शीघ्र ही अखिल भारतीय सारणियाँ और रिपोर्टें तैयार हो जायेंगी।

महिलाओं और लड़कियों की समस्याओं पर विचार करने के लिये श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में मई, 1958, में महिला शिक्षा की राष्ट्रीय समिति का निर्माण किया गया था। समिति ने 5 जनवरी, 1959, को अपनी रिपोर्टें पेश कर दी है।

दूसरी पंचवर्षीय आयोजना के अन्तर्गत 1957-58 में लड़कियों की शिक्षा के प्रसार और अध्यापिकाओं की सिखलाई की योजना आरम्भ की गयी थी। 1958-59 में योजना की प्रगति सन्तोषजनक रही। सभी राज्य सरकारें और चारसंघ प्रशासित क्षेत्रों के प्रशासन 1958-59 में योजना को कार्यान्वित करेंगे। इस योजना के अधीन सिखलाई पाने वाली अध्यापिकाओं को वृत्तिकाएँ देने, लड़कियों को छात्रवृत्तियाँ देने, और महिला अध्यापिकाओं के लिए, विशेषकर देहातों में, बिना किराये के क्वार्टर बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता दी जाती है।

### माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकारों को 1958-59 में माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के लिये कूल केन्द्रीय सहायता 3.63 करोड़ रुपये हैं। इस योजना के अन्तर्गत

1954-55 से सितम्बर, 1958, के अन्त तक 1,110\* बहुधन्वी स्कूल खोले गये, जब कि दूसरी पंचवर्षीय आयोजना के अन्त तक 1,187 स्कूल खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। फरवरी, 1959, तक 1,250 उच्च माध्यमिक स्कूल खोले गये। माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली 24 स्वैच्छिक संस्थाओं को अपने क्रियाकलापों में सुधार और/या विस्तार करने के लिये 1958-59 में, फरवरी, 1959, के अन्त तक, कुल 9,81,855 रुपये मंजूर किये गये। माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित समस्याओं पर अनुसंधान करने के लिये 24 संस्थाओं/संगठनों को 28 फरवरी, 1959, तक कुल 1,57,412 रुपये अनुदान दिये गये।

माध्यमिक शिक्षा की अखिल भारतीय परिषद् का दफ्तर शिक्षा मंत्रालय से सम्बद्ध निदेशालय के रूप में पुनर्गठित किया जायेगा, और परिषद् एक सलाहकार निकाय बन जायेगी। इस अवधि में परिषद् के प्रमुख क्रियाकलापों में विज्ञान के अध्यापन को बढ़ावा देने के लिये माध्यमिक स्कूलों में 200 विज्ञान क्लब स्थापित करना, हेडमास्टर्स, शिक्षा अफसरों और विषय अध्यापकों की गोष्ठियाँ करना, छः अनुवर्ती प्रौद्योगशालाओं की स्थापना करना, और माध्यमिक शिक्षा के नये तरीकों पर गोष्ठी-सह-प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन करना, तथा स्कूल स्तर पर परीक्षाओं की पद्धति में आवश्यक सुधार की विशाल योजना इत्यादि सम्मिलित हैं। परिषद् के अन्तर्गत एक परीक्षा-एकांश काम कर रहा है जिसमें सुप्रशिक्षित मूल्यांकन-अधिकारी हैं।

देश में अंग्रेजी के अध्यापन का स्तर ऊंचा करने के लिए स्थापित केन्द्रीय अंग्रेजी संस्थान, हैदराबाद, ने 17 नवम्बर, 1958, से काम करना आरम्भ कर दिया है। यह संस्थान एक स्वायत्त प्रबन्ध-समिति के पर्यवेक्षण और नियन्त्रण में काम करता है।

### उच्च शिक्षा

दिल्ली विश्वविद्यालय में 1943-44 में और जादवपुर विश्वविद्यालय में 1956-57 में तीन वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम आरम्भ हो गया था। इनके अतिरिक्त अब 18 और विश्व-विद्यालयों ने यह पाठ्यक्रम आरम्भ कर दिया गया है। बम्बई विश्वविद्यालय और गोरखपुर विश्वविद्यालय को छोड़ कर अन्य सभी विश्वविद्यालयों ने तीन वर्ष के डिग्री पाठ्यक्रम के सुझाव को स्वीकार कर लिया है। बम्बई विश्वविद्यालय ने यह योजना अभी तक स्वीकार नहीं की है, और गोरखपुर विश्वविद्यालय इस प्रश्न पर विचार कर रहा है। जैसा कि तीन वर्ष के डिग्री पाठ्यक्रम की प्राक्कलन समिति ने सिफारिश की है, इस सुधार को कार्यान्वित करने पर जो खर्च होता है उसका आधा भाग एक ओर शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन देते हैं तथा दूसरा भाग राज्य सरकार और गैर-सरकारी प्रबन्ध-समितियाँ देती हैं। दूसरी पंचवर्षीय आयोजना में इस पाठ्यक्रम को आरम्भ करने के लिए शिक्षा-मन्त्रालय को केन्द्रीय सहायता देने के लिए चार करोड़ रुपये का विनिधान किया गया है।

\* न कि "मार्च, 1958, तक" 143 स्कूल, जैसा कि मुख्य वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया था,

विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन ने इस अवधि में अपने अनेक क्रियाकलाप जारी रखे। इसकी रिपोर्ट संसद के समक्ष पेश की जा चुकी है। विश्वविद्यालय-शिक्षा के स्तर में सुधार करने और इस उद्देश्य से आवश्यक भौतिक सुविधाएं देने के लिए इसमें अनेक योजनाओं का सुझाव दिया गया है। संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार और भारत सरकार के बीच 21 अप्रैल, 1954, को सम्पन्न संकार्य करार 41 के अनुपूरक I के अधीन भारत में गृहविज्ञान की शिक्षा और अनुसन्धान को प्रोत्साहन देने के लिए संयुक्त राज्य के टेकनीशियनों की सेवाएं, गृहविज्ञान के सोलह भारतीय अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण-सुविधाएँ और 80,000 डालर की पुस्तकें और उपस्कर प्राप्त होंगे। यह सहायता तीन वर्षों में दी जायेगी। विश्वविद्यालयों, और दिल्ली विश्वविद्यालय के अंगभूत कालिजों के लिए छात्रावास तथा कर्मचारी वर्गों का आवास तैयार करने और सम्बद्ध कालिजों के छात्रावास तैयार करने के लिए 13,17,900 रुपये कर्ज दिये गये। चालू वित्त-वर्ष से इन कर्जों पर सूद भी लिया जायेगा। सम्बद्ध कालिजों के लिए नये कर्जों की स्वीकृति श्व उन्हें सीधे नहीं दी जाती बल्कि राज्य सरकारों को दी जाती है।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण काम यह हुआ है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अधीन दिल्ली में चार सायंकालीन कालिजों की स्थापना हुई है। केन्द्रीय सरकार ने प्रत्येक कालिज के लिए प्रतिवर्ष 15,000 रुपये तक का घाटा पूरा करना स्वीकार किया है।

#### ग्राम उच्च शिक्षा

1956-57 में ग्राम उच्च शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद के संरक्षण में उच्च शिक्षा के दस ग्राम संस्थानों की स्थापना हुई थी। इन के काम में अच्छी प्रगति हुई है। समीक्षा-धीन अवधि में इनमें से कुछ ने ग्राम सेवा में अतिरिक्त पाठ्यक्रम या वैकल्पिक विषय आरम्भ किये। इन संस्थानों के लिए कुल मिलाकर 73,05,852 रुपये अनुदान स्वीकृत किये गये और संस्थान के 708 गरीब छात्रों को 3,50,851 रुपये वृत्तिकाओं के रूप में दिये गये। भारत सरकार ने फिलहाल पाँच वर्षों के लिए ग्राम संस्थानों के ग्राम सेवा के तीन साला डिप्लोमा को नौकरियों के लिए मान्यता देदी है। विश्वविद्यालयों द्वारा इस डिप्लोमा को मान्यता दिये जाने के प्रश्न पर अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड विचार कर रहा है।

#### दृश्य-श्रव्य शिक्षा

शिक्षा में दृश्य-श्रव्य सहायक उपकरणों, अर्थात् फिल्मों, फिल्मपट्टियों, चाटों, पोस्टरों, आदि की प्राप्ति, निर्माण और प्रचारसे सम्बन्धित मन्त्रालय के अनेक कार्यक्रमों के अतिरिक्त, नई दिल्ली में दृश्य-श्रव्य शिक्षा के राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। आशा है कि संस्थान शीघ्र ही काम करने लगेगा। इस मन्त्रालय के निवेदन पर आकाशवाणी ने उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए शिक्षोपयोगी ग्रामोफोन रिकार्ड तैयार करने का निश्चय किया है।

#### समाज शिक्षा

मई, 1956, में राष्ट्रीय मूलभूत शिक्षा केन्द्र की स्थापना समाज शिक्षा के क्षेत्र में



सब से महत्वपूर्ण कार्य है। केन्द्र ने जिला समाज शिक्षा आयोगों की सिखलाई का कार्यक्रम आरम्भ कर दिया है। पहली टोली की सिखलाई समाप्त हो चुकी है और अब दूसरी टोली को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। केन्द्र कुछ ऐसे अनुसन्धान-कार्यों में लगा हुआ है जो इस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के लिए उपयोगी होंगे।

समाज शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगी साहित्य की रचना से सम्बन्धित अनेक योजनाएं जारी की गयीं, जैसे, "नवसाक्षरों के लिए श्रेणी-बद्ध पुस्तकें और समाज शिक्षा के कार्य-कर्ताओं के लिए साहित्य तैयार करना", "नव साक्षरों के लिये लिखी गयी पुस्तकों पर पुरस्कार देने की योजना", "साहित्य रचनालयों का संगठन", "हिन्दी में समाज-शिक्षा साहित्य खरीदना", "पाँच खंडों में "ज्ञान-सरोवर" की तैयारी", "विश्वभारती" तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता देना"। फ़रवरी 1959 के अन्त तक राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के लिए जिसने अब अपना अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रकाशन कार्यक्रम तैयार कर लिया है-75,000 रुपये स्वीकृत किये गये।

देश के पुस्तकालयों की वर्तमान स्थिति का सर्वेक्षण करने तथा उपयुक्त सिफारिशें करने के लिये जो पुस्तकालय सलाहकार समिति बनाई गयी थी उसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। इस मंत्रालय की वित्तीय सहायता से दिल्ली विश्वविद्यालय के अधीन पुस्तकाध्यक्षों के प्रशिक्षण संस्थान ने मार्च, 1959, से काम करना शुरू कर दिया है।

### अशक्तों की शिक्षा और समाज हित

अशक्तों की शिक्षा के क्षेत्र में सब से महत्वपूर्ण काम देहरादून में अंधे बच्चों के लिये माडल स्कूल की स्थापना है। इस के किंडरगार्टन और प्राथमिक अनुभागों का उद्घाटन 4 जनवरी, 1959, को हुआ। यथासमय इस में अन्य विभाग भी खुल जायेंगे। प्रौढ़ अंधों के प्रशिक्षण केन्द्र में, जिसमें पुरुषों और स्त्रियों के अलग-अलग अनुभाग, केन्द्रीय ब्रेल प्रेस, ब्रेल उपकरण तैयार करने वाले कारखाने और अंधों के आवास युक्त कारखाने हैं, इस अवधि में काम जारी रहा। "अशक्तों के स्थालीपुलाक सर्वेक्षण" का काम बम्बई में पूरा हो चुका है और रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी है। दिल्ली में भी इसी प्रकार का काम हो रहा है। अशक्तों के रोज़गार संगठन के अंतर्गत राष्ट्रीय रोज़गार सेवा के अंग के रूप में एक प्रायोगिक रोज़गार दफ़्तर बम्बई में हाल में खोला गया है।

केन्द्रीय समाज हित बोर्ड ने 1958-59 में 50 नयी हित-विस्तार प्रायोजनाएं आरंभ कीं। अब इन प्रायोजनाओं की कुल संख्या 532 हो गयी है। 1959 में फ़रवरी, 1959, तक बोर्ड ने 525 स्वैच्छिक संगठनों का जो अनुदान मंजूर किये उनकी कुल राशि 15,56,065 रुपये थी। चालू वित्त-वर्ष में बोर्ड के लिए तैयार किये गये पुनरीक्षित प्राक्कलन में डेढ़ करोड़ रुपये थे। इस की अपेक्षा 1959-60 में बोर्ड के लिए दो करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

### छात्रवृत्तियां

विभिन्न विदेशी सरकारों, संगठनों और संस्थाओं, संयुक्त राष्ट्र और यूनेस्को द्वारा

तथा कोलम्बो आयोजना और चार-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत दी जाने वाली छात्रवृत्तियों और अधिसदस्यताओं के अतिरिक्त भारत सरकार की भी अनेक योजनाएँ हैं जिन के अन्तर्गत भारतीय राष्ट्रियों को विदेशों में अध्ययन करने के लिये छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं। इसी प्रकार भारत में विदेशियों को अध्ययन का अवसर देने के लिये भारत सरकार की अनेक छात्रवृत्ति-योजनाएँ हैं। ये छात्रवृत्तियाँ उन छात्रवृत्तियों और अधिसदस्यताओं के अलावा हैं जो विदेशियों को भारत में अध्ययन करने के लिये विदेशी एजेंसियों द्वारा सीधे दी जाती हैं। इस समय भारत सरकार की अनेक योजनाओं के अधीन 43 भारतीय छात्र विदेशों में और 563 विदेशी राष्ट्रिक भारत में अध्ययन कर रहे हैं। विदेशी सरकारों, संगठनों, संस्थाओं आदि द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्तियों और अधिसदस्यताओं के अन्तर्गत विदेशों में अध्ययन करने वाले भारतीय छात्रों और भारत में अध्ययन करने वाले विदेशी राष्ट्रियों की संख्या इस समय क्रम से 23 और 10 है।

देश के भीतर भारतीय छात्रों के लिये भारत सरकार की जो योजनाएँ हैं उन में “पब्लिक स्कूलों में योग्यता-छात्रवृत्तियों”, “उत्तर मेट्रिक योग्यता छात्रवृत्ति योजना”, “मानव-विद्याओं में अनुसंधान के लिये छात्रवृत्तियाँ”, अहिन्दी भाषी राज्यों के छात्रों को हिन्दी के उच्च अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियाँ”, “और “अनुसूचित जातियों, अनुसूचित कबीलों और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिये छात्रवृत्तियाँ”, उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त “राजनीतिक पीढ़ियों के बच्चों के लिये छात्रवृत्तियों और अन्य शैक्षिक सुविधाओं” की एक नयी योजना तैयार की गयी है। यह योजना 1959-60 से लागू होगी।

### शारीरिक शिक्षा और युवक हित

शारीरिक शिक्षा और युवक हित के क्षेत्र में इस अवधि में श्रम और समाज सेवा की योजनाओं के अधीन 34 लाख रुपये की रकम मंजूर की गयी थी। यह रकम 1,785 श्रम और ससाज सेवा शिविर चलाने में खर्च की गयी जिसमें, 1,43,775 व्यक्तियों ने भाग लिया। इसके अलावा 17 विश्वविद्यालयों, 13 राज्य सरकारों और दो केन्द्र-प्रशासनों को अनुदान की पहली किस्त के रूप में 16,95,500 रुपयों की रकम मंजूर की गयी। यह रकम 127 मनोरंजन-घर तथा श्रवणशालायें, 18 स्टेडियम, 17 व्यायामशालाएँ, 16 तैरने के तालाब, 13 खुले रंगमंच, 8 पेवेलियन और तीन दौड़ के रास्ते (सिंडर ट्रैक्स) बनाने के लिये दी गयी है। लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कालेज, 16 अगस्त 1957, में स्थापित किया गया था। कालेज ने अपना दूसरा वर्ष आरम्भ कर दिया है और उसकी छात्र संख्या इस समय 45 है। देश में शारीरिक शिक्षा की उन्नति के लिये जो महत्वपूर्ण और उपयोगी कदम उठाये गये हैं उनमें हम राष्ट्रीय शारीरिक क्षमता आन्दोलन, व्यायाम-शालाओं, अखाड़ों, योगाश्रमों और शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद सम्बन्धी संस्थाओं को आर्थिक सहायता उल्लेखनीय है। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जिन विश्वविद्यालयों से अधिक से अधिक खिलाड़ी आयेंगे उनको रनिंग ट्राफी दी जायेगी। एशियाई और ऑलिम्पिक खेलों में भारतीय टीमों के गिरते हुए स्तर की जाँच करने के लिये एक समिति नियुक्त की गयी थी जिसने अपनी रिपोर्ट पेश करदी है। इस अवधि में खेलकूद

को बढ़ावा देने के लिये कुल 8,75,581.41 रुपये की वित्तीय सहायता दी गयी और भारत स्काउट्स और गाइड्स को 2,18,648 रुपये दिये गये ।

अप्रैल, 1958, से फरवरी, 1959, तक विद्यार्थियों के देश भ्रमण को प्रोत्साहन देने के लिये 7.33 लाख रुपये के अनुदान दिये गये । युवक नेतृत्व सिखलाई शिविर, अन्तर्विश्वविद्यालय युवक समारोह, अन्तर-कालेज युवक समारोह, युवक छात्रावास, युवक हित बोर्ड और समितियों के लिये वित्तीय सहायता देने आदि की योजनाओं के अतिरिक्त विद्यार्थियों की रहने की हालतों का एक प्रायोगिक सर्वेक्षण किया गया ।

### हिन्दी का विकास

हिन्दी के प्रसार और विकास के लिये राज्य सरकारों और केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों के प्रशासनों को कुल 1,04,811 रुपये और स्वैच्छिक संस्थाओं को 1,06,800 रुपये का अनुदान दिया गया । फरवरी, 1959, तक हिन्दी के लगभग 1,47,000 पारिभाषिक शब्दों का निर्माण हो चुका था । पारिभाषिक शब्दावली बोर्ड द्वारा तैयार की गयी वैज्ञानिक और पारिभाषिक शब्दावली का कोश तैयार करने के लिये एक कोश-एकांश की स्थापना की गयी है । इसमें एक प्रधान सम्पादक और छः अन्य सम्पादक हैं ।

### संस्कृत को प्रोत्साहन

संस्कृत कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दिसम्बर, 1957, में पेश की । इसमें की गयी विभिन्न सिफारिशों विचाराधीन हैं । कमीशन की सिफारिश के अनुसार, संस्कृत के पुनरुत्थान के लिये गैर-सरकारी संस्थाओं को अनुदान देने की एक योजना आरम्भ की गयी है । संस्कृत को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में भारत सरकार को सलाह देने के लिये एक केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड की स्थापना करने का प्रश्न भी विचाराधीन है ।

### यूनेस्को-क्रियाकलाप

यूनेस्को से सहयोग के भारतीय राष्ट्रीय कमीशन ने शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में यूनेस्को की विभिन्न प्रायोजनाओं में भाग लेना जारी रखा । शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्रियाकलाप ये हैं :— अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना में शिक्षा की सम्बद्ध स्कूल प्रायोजनाएं, नव-साक्षरों और नये पाठकों के लिये पठनसामग्री तैयार करना । भारतीय राष्ट्रीय कमीशन और भारत सरकार ने यूनेस्को की दो महत्वपूर्ण प्रादेशिक गोष्ठियों में भाग लिया । इनमें से एक गोष्ठी दक्षिणी और पूर्वी शिक्षा में शैक्षिक सुधार पर और दूसरी गोष्ठी मूल शिक्षा और सामुदायिक विकास में दृश्य-श्रव्य सहायक उपकरणों के सम्बन्ध में की गयी थी । विज्ञान के क्षेत्र में यूनेस्को की सहायता से खाद्य और कृषि मंत्रालय के अधीन जोधपुर में एक केन्द्रीय शुष्क प्रदेश अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गयी थी । उद्योगीकरण के सामाजिक प्रभावों पर दक्षिण-पूर्वी एशिया के लिये यूनेस्को अनुसंधान केन्द्र, कलकत्ता, ने समाज विज्ञान के क्षेत्र में और भी प्रगति की है । संस्थान की स्थापना 1956 में की गयी थी । संस्कृति के क्षेत्र में सब से महत्वपूर्ण प्रायोजना है “पूर्वी और पश्चिमी संस्कृतिक मूल्यों की परस्पर गणग्राहिता” । यह प्रायोजना 1956 में नयी दिल्ली में केन्द्रीय सम्मेलन के नवें अधिवेशन


में स्वीकार की गयी थी। कमीशन ने जिन दूसरी प्रायोजनाओं में सक्रिय भाग लिया वे हैं गौरव ग्रन्थों के अनुवाद, विश्वविद्यालयों में प्रादेशिक सांस्कृतिक अध्ययन के लिये अनुदान, पाश्चात्य देशों के शिक्षाविदों के लिए पूर्वी देशों में अध्ययनार्थ भ्रमण करने की व्यवस्था और संयुक्तराज्य अमेरिका तथा भारत के नागरिकों के बीच अधिक सद्भावना उत्पन्न करना। भारत सरकार ने भारत के उपराष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल यूनेस्को के महासम्मेलन के नवें अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए भेजा जो नवम्बर-दिसम्बर, 1958 में पेरिस में हुआ था। 1958 में भारतीय अंशदान के रूप में यूनेस्को को 13,96,721 रुपये दिये गये।

### शिक्षा सम्बन्धी सूचना और प्रकाशन

खर्च में कमी करने और कार्यकुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से केन्द्रीय शिक्षा पुस्तकालय और केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय को मिलाने के लिए कार्यवाही की गयी है। इस अवधि में प्रकाशन-अनुभाग के प्रकाशनों की संख्या 53 थी। इन प्रकाशनों में "होम साइन्स इन कालेजेज एण्ड यूनिवर्सिटीज इन इण्डिया" "बेसिक हिन्दी वाकेब्युलरी", "इण्डियन यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन," "रूरल हायर एजुकेशन एनुअल" "थाटस आन एजुकेशन बाइ महात्मा गान्धी," और "रिपोर्ट आफ् संस्कृत कमीशन" उल्लेखनीय हैं।

## विषय-सूची

				पृष्ठ
1. भूमिका	...	...	...	"क"
2. प्रशासन	...	...	...	1
3. प्रारम्भिक और बुनियादी शिक्षा	...	...	...	5
4. माध्यमिक शिक्षा	...	...	...	18
5. उच्च शिक्षा	...	...	...	31
6. दृश्य-श्रव्य शिक्षा	...	...	...	47
7. समाज शिक्षा	...	...	...	55
8. समाज हित और अशक्तों तथा विस्थापितों की शिक्षा	...	...	...	63
9. शिक्षा सम्बन्धी अवसरों का लोकतन्त्रीकरण-छात्रवृत्तियाँ	...	...	...	71
10. शारीरिक शिक्षा और युवक हित	...	...	...	84
11. हिन्दी का विकास	...	...	...	96
12. यूनेस्को के क्रियाकलाप	...	...	...	106
13. सूचना और प्रकाशन	...	...	...	114
14. भारत का राष्ट्रीय अभिलेख भवन	...	...	...	125



## भूमिका

शिक्षा मंत्रालय की इस वार्षिक रिपोर्ट में 1958-59 के वित्तीय वर्ष के काम का विवरण है। इसमें अप्रैल, 1958 से दिसम्बर, 1958 तक जो प्रगति हुई है तथा जनवरी, 1959 से मार्च, 1959 तक जो प्रगति होने की आशा है उसकी चर्चा की गयी है और इसके साथ-साथ 1959-60 का कार्यक्रम भी दिया गया है। इसके अतिरिक्त जनवरी-मार्च, 1958 की अवधि में जो काम हुआ उस पर भी प्रकाश डालने की कोशिश की गयी है।

22 फरवरी, 1958 को माननीय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असामयिक देहावसान हो जाने पर शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय को दो भागों में बाँट दिया गया और इनका नाम क्रम से शिक्षा मंत्रालय और वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय रखा गया। ये मंत्रालय अप्रैल 1958 से अलग-अलग काम करने लगे। शिक्षा मंत्रालय में वह सारा काम आया जो पुराने मंत्रालय के “शिक्षा-विभाग” में होता था। उसके अतिरिक्त शारीरिक शिक्षा, खेलकूद और युवक हित से सम्बन्धित काम भी इसी मंत्रालय को मिला। छात्रवृत्तियों की विविध योजनाएँ विविध विषयों के अनुसार दोनों मंत्रालयों में बाँट दी गयीं।

दूसरी पंचवर्षीय आयोजना के अधीन जो विकास का कार्यक्रम बनाया गया है उसमें हमारे उपलब्ध सीमित साधनों को ध्यान में रखते हुए अन्य चीजों के साथ-साथ 11 वर्ष की आयु तक के अधिक से अधिक बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने की व्यवस्था की गयी है। इस मंत्रालय के अधिकार-क्षेत्र में आने वाले क्रियाकलापों में 1958-59 में आर्थिक कठिनाइयों और मितव्ययिता की अत्यधिक आवश्यकता होते हुए भी बहुत संतोषजनक उन्नति हुई।

योजना में 307 करोड़ रुपये—अर्थात् राज्यों के लिए 212 करोड़ रुपये और केन्द्र के लिये 95 करोड़ रुपये—की जो राशि नियत की गयी थी उसमें पुनर्विचार करके कमी कर देनी पड़ी और उसके फलस्वरूप 275 करोड़ की राशि नियत की गयी—207 करोड़ राज्यों के लिए और 68 करोड़ केन्द्र के लिये। 68 करोड़ रुपये की केन्द्रीय राशि में से 45 करोड़ रुपये की व्यवस्था शिक्षा मंत्रालय की शिक्षा विषयक योजनाओं के लिये की गयी है। दूसरी आयोजना की योजनाओं को शीघ्रतः और अधिक प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिये राज्यों को केन्द्रीय सहायता की राशि देने की पद्धति को बदल दिया गया है। नयी पद्धति के अनुसार केन्द्रीय सहायता की राशि का 75 प्रतिशत अंश राज्य सरकारों को वित्त मंत्रालय की ओर से उपाय और साधन रूप उधार के रूप में बराबर की 9 मासिक किस्तों में दे दिया जाता है और इस प्रकार उन्हें बहुत सारी राशि एक साथ अभिन्न मिल जाती है। बाकी बची हुई राशि फरवरी 1959 में उन्हें दी जाती है और यह देते समय इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि गत 9 मासों में काम की कितनी प्रगति

हुई और शेष तीन महीनों में कितना व्यय होने की संभावना है। कुछ विशेष क्षेत्रों में केन्द्रीय प्रशासनों के प्रशासी अधिकारियों को यह सलाह दी गयी है कि वे केन्द्रीय सरकार से पूछे बिना ही ऐसी योजनाओं को कार्यान्वित कर लें जिन पर खर्चा करने का उन्हें अधिकार है।

आयोजना आयोग के शिक्षा विषयक मंडल ने यह सिफारिश की थी कि 1965-66 तक 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा देने की व्यवस्था की जानी चाहिये। सितम्बर 1957 में शिक्षा मंत्रियों की कान्फ्रेंस ने भी इस सिफारिश की पुष्टि की और केबिनेट ने भी इसको सामान्य रूप से मान लिया है। राज्य सरकारों के परामर्श से इस विषय में ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं और इस उद्देश्य में सफलता पाने के लिये अनेक कदम उठाये जा रहे हैं। अनिवार्य और प्रारम्भिक शिक्षा को शीघ्र लागू करने के लिये कार्यक्रम तैयार करने के हेतु जून 1957 में अखिल भारतीय प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् की स्थापना की गयी। इस अवधि में उसकी दो बैठकें हो चुकी हैं। इस परिषद की बहुत सी सिफारिशों को केन्द्र और राज्य की सरकारें कार्यान्वित कर रही हैं और साथ ही प्राथमिक शिक्षा के लिये एक कानून पास करने के लिये इस मंत्रालय ने एक मसौदा तैयार किया है जिसको शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिया जायेगा। इस मंत्रालय के सुझावों को मान कर कुछ राज्यों की सरकारों ने कुछ प्रायोगिक प्रायोजनाएँ बनाना स्वीकार किया है जिनके अनुसार सामुदायिक विकास खण्डों और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा दी जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करने और शिक्षित बेरोजगारों को सुविधा देने के उद्देश्य से एक योजना तैयार की गयी है जिस के अनुसार दूसरी आयोजना के अन्तिम तीन वर्षों में साठ हजार अध्यापक और 12,000 निरीक्षक नियुक्त करने होंगे और अध्यापिकाओं के लिये 6,000 क्वार्टर बनवाने होंगे।

प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की पढ़ाई में सुधार करने के लिये शुरू में एक दो वर्षों की योजना चालू की गयी है जिसमें प्रत्येक राज्य के लिये एक-एक प्रायोजना की व्यवस्था है। विज्ञान की पढ़ाई में आवश्यक सुधार करने के उद्देश्य से प्रत्येक प्रायोजना के लिए एक विज्ञान-सलाहकार नियुक्त किया जायेगा। इस अवधि में पूर्व-प्राथमिक और बुनियादी शिक्षा की उन्नति के लिये 61 स्वैच्छिक संस्थाओं को 4.48 लाख रुपये के अनुदान दिये गये। शिक्षा की बुनियादी पद्धति का प्रचार करने के लिये राज्य सरकारों और स्वैच्छिक संस्थाओं को जी खोल कर सहायता दी जाती है। यही नहीं, शैर-बुनियादी प्रारम्भिक स्कूलों को बुनियादी स्कूलों में बदलने का राष्ट्रीय कार्यक्रम भी कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बहुत से नुए कदम ऐसे हैं जिनके लिये न तो पूर्ण प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता है और न बहुत धनराशि की। फरवरी 1956 में राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा संस्थान की स्थापना की गयी थी। वह संस्थान अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा पुस्तकों के प्रकाशन के विविध कार्यक्रमों को सफलता से चला रहा है। वर्तमान उत्तर-बुनियादी संस्थाओं को सुधारने और माध्यमिक या उत्तर-बुनियादी स्तर पर नये बुनियादी स्कूल खोलने के लिये राज्य सरकारों को 100 प्रतिशत और स्वैच्छिक संस्थाओं को 80 प्रतिशत

वित्तीय सहायता दी जाती है। दिल्ली में एक केन्द्रीय बुनियादी स्कूल स्थापित किया जाने वाला है जिसका काम यह प्रदर्शन करना होगा कि शहरी बुनियादी स्कूल उपयुक्त परिस्थितियों में कितनी सफलता प्राप्त कर सकता है।

बच्चों के लिये पुस्तकों की पुरस्कार प्रतियोगिता; बच्चों की पुस्तकों के लेखकों को प्रशिक्षण देने के लिये साहित्य रचनालयों का संगठन; बच्चों के लिये आदर्श पुस्तकें तैयार करना आदि योजनाओं के अतिरिक्त एक और योजना बनायी गयी है जिसके अन्तर्गत संदर्शिकाओं, मोनोग्राफों, पूरक पाठ्यसामग्री और स्रोत पुस्तकों के रूप में बुनियादी शिक्षा पर उपयुक्त साहित्य तैयार करने का कार्यक्रम है।

1957-58 में भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण प्रारम्भ किया गया था। वह अब पूरा हो चुका है। अधिकांश राज्यों की जिलेवार और राज्यवार सारिणियाँ और रिपोर्टें प्राप्त हो गयी हैं और उनके आधार पर अखिलभारतीय सारिणियाँ और रिपोर्टें शीघ्र ही तैयार हो जाने की आशा है।

दूसरी पंचवर्षीय आयोजना के अन्तर्गत 1957-58 में लड़कियों की शिक्षा के विस्तार और अध्यापिकाओं के प्रशिक्षण की एक योजना शुरू की गयी थी। उसकी 1958-59 में संतोषजनक प्रगति हुई है। केन्द्र द्वारा चालित इस योजना के लिये 1957-58 में तीन राज्यों को केवल 93,133 रुपये की राशि दी गयी थी जबकि इस वर्ष में राज्य सरकारों और केन्द्रीय प्रशासनों को 48,74,971 रुपये दिये गये हैं। इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता निम्नलिखित कामों के लिये दी जाती है :—प्रशिक्षार्थी अध्यापिकाओं को छात्रवृत्तियाँ, लड़कियों को हाजिरी के लिये छात्रवृत्तियाँ, अध्यापिकाओं के लिये मुफ्त क्वार्टरों का निर्माण, विशेष कर देहाती क्षेत्रों में।

मई 1958 में श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में स्त्री शिक्षा की राष्ट्रीय समिति की स्थापना हुई जिसका काम स्त्री शिक्षा सम्बन्धी समस्या पर विचार करना था। उक्त समिति ने 5 जनवरी 1959 को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है जो विचाराधीन है।

माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में 1958-59 में राज्य सरकारों को कोई 3.33 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गयी जिसका उपयोग माध्यमिक शिक्षा के पुनर्निर्माण में होगा। दूसरी पंच वर्षीय आयोजना के समाप्त होने तक 1187 बहुद्देशीय स्कूल खोलने का निश्चय किया गया था जिन में से 1143 स्कूल मार्च 1958 तक स्थापित हो चुके हैं। इसी प्रकार मार्च 1958 तक 340 उच्चतर माध्यमिक स्कूल भी स्थापित किये जा चुके हैं। माध्यमिक शिक्षा से सम्बद्ध समस्याओं पर खोज प्रयोजनाओं के लिए 24 संस्थाओं को 1,57,412 रुपये की राशि स्वीकृत की गयी।

अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् को जो अब तक एक स्वायत्त संगठन के रूप में काम करती रही है अब मन्त्रालय से सम्बद्ध एक निदेशालय का रूप दे दिया जायेगा। माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों को नौकरी में रहते हुए प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करने के



लिए परिषद् ने प्रशिक्षण कालिजों में जो 'विस्तार सेवा-विभाग' खोले हैं उनकी संख्या 53 है। परिषद् के मुख्य मुख्य कार्यकलाप ये हैं :- विज्ञान के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिये माध्यमिक स्कूलों में विज्ञान बलबों का संगठन, मुख्याध्यापकों के लिये वर्कशापों और सेमिनारों का संगठन, माध्यमिक शिक्षा के नये आदर्शों के लिये विषय-अध्यापकों और दूसरे अध्यापकों की व्यवस्था और परीक्षा पद्धति में सुधार की प्रायोजना आदि। परिषद् के अधीन एक सुव्यवस्थित परीक्षा एकांश काम कर रहा है जिसमें 14 मूल्यांकन अफसर नियुक्त हैं।

नवम्बर 1958 से एक स्वायत्त शासक मंडल के नियंत्रण और निरीक्षण में हैदराबाद में एक केन्द्रीय अंग्रेजी संस्थान स्थापित कर दिया गया है जिसका काम देश में अंग्रेजी के अध्यापन के स्तर में सुधार करना है।

उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में 1958-59 में 18 विश्वविद्यालयों में तीन साला डिग्री कोर्स चालू किया जाने वाला है जो एक बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण सुधार है। इस प्रकार का सुधार दिल्ली और जादवपुर विश्वविद्यालयों में पहले से ही अर्थात् क्रमशः 1943-44 और 1956-57 से ही शुरू कर दिया गया था। इस सुधार को कार्यान्वित करने के लिये जो खर्चा आता है उसका आधा भाग शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन तथा आधा भाग राज्य सरकारों और गैर-सरकारी संगठन उठाते हैं।

1956-57 से 10 ग्राम्य संस्थाएँ कार्य कर रही हैं। उनके अतिरिक्त पंजाब और मध्य प्रदेश में भी उच्चतर शिक्षा की एक एक ग्राम्य संस्था स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। ये ग्राम्य संस्थाएँ ग्राम सेवा का जो तीन-साला डिप्लोमा देती हैं उसे भारत सरकार ने शुरू में 5 वर्ष के लिये मान्यता दे दी है। इस डिप्लोमा को विश्वविद्यालयों द्वारा मान्यता दिये जाने के प्रश्न पर भारत का अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड विचार कर रहा है।

शिक्षा में दृश्य-श्रव्य सहायक साधनों का अधिकाधिक प्रचार करने और उनका निर्माण करने का सामान्य कार्यक्रम तो मंत्रालय में हो ही रहा है पर साथ ही नयी दिल्ली में दृश्य-श्रव्य शिक्षा की एक राष्ट्रीय संस्था स्थापित करने का विचार भी पूरा हो चुका है और उसके शीघ्र ही चालू होने की आशा है।

समाज शिक्षा के क्षेत्र में सब से महत्वपूर्ण काम था मई 1956 में 'राष्ट्रीय मूलभूत शिक्षा केन्द्र' की स्थापना। केन्द्र ने जिला सामाजिक शिक्षा संगठन कर्ताओं को प्रशिक्षित करने का एक कार्यक्रम चालू किया है। अप्रैल 1958 में पहले बैच का प्रशिक्षण समाप्त हो चुका था। अब 22 प्रशिक्षणार्थियों का दूसरा बैच केन्द्र में प्रशिक्षण पा रहा है।

देश के पुस्तकालयों की वर्तमान अवस्था और उनके विषय में उपयुक्त सिफारिशें करने के लिये जो पुस्तकालय सलाहकार समिति नियुक्त की गयी थी उसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। दिल्ली विश्वविद्यालय में पुस्तकाध्यक्षों को प्रशिक्षण देने के लिये एक संस्था स्थापित की जाने वाली है जो मार्च 1959 में अपना कार्य प्रारम्भ कर देगी। इसकी

विदेशों में जो भारतीय नागरिक शिक्षा पा रहे हैं उनके लिये भारत सरकार ने कई छात्रवृत्ति योजनाएँ बनाई हैं जो चालू हैं। उनके अतिरिक्त अनेक विदेशी सरकारों, विदेशी संस्थाओं, संगठनों, संयुक्तराष्ट्र और यूनेस्को तथा कोलम्बो प्लान और चतुस्सूत्री कार्यक्रम आदि की छात्रवृत्तियों की योजनाएँ भी हैं। इसी प्रकार भारत में रह कर पढ़ने वाले विदेशी छात्रों को छात्रवृत्ति देने की योजना भी है। बाहर से आने वाले ऐसे छात्रों को कोलम्बो प्लान और यूनेस्को के अधीन भी छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं। इस समय देश में शिक्षा पाने वाले भारतीय विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्तियों की भारत सरकार की योजनाओं में निम्न योजनाएँ महत्वपूर्ण हैं : पब्लिक स्कूलों में योग्यता छात्रवृत्ति, उत्तर-मैट्रिक पढाई के लिये योग्यता छात्रवृत्ति, मानव-विद्याओं में अनुसंधान के लिये छात्रवृत्ति, अनुसूचित जातियों, जन-जातियों और पिछड़े वर्गों के लिये छात्रवृत्ति आदि। इनके अतिरिक्त राजनीतिक-पीड़ितों के बच्चों को छात्रवृत्तियाँ और शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएँ देने की एक योजना भी 1959-60 से कार्यान्वित की जाने वाली है।

शारीरिक शिक्षा और युवक हित के क्षेत्र में अप्रैल से दिसम्बर 1958 तक की अवधि में श्रम और समाज-सेवा की योजनाओं के अधीन 32.74 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गयी थी जिसका व्यय 1762 श्रम और समाज सेवा शिविर चलाने में किया गया जिनमें 1,38,987 व्यक्तियों ने लाभ उठाया। इस के अतिरिक्त 17 विश्वविद्यालयों, 13 राज्य सरकारों और एक केन्द्रीय प्रशासन को 14.79 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गयी जिससे वे 75 मनोरंजन घर और श्रवण घर, 14 स्टेडियम, 9 तैरने के तालाब, 7 खुले थियेटर, 7 पेवेलियन और 2 राखीपथ (सिण्डर ट्रैक्स) बना सकेंगे। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्मी बाई कालेज 17 अगस्त 1957 को स्थापित हुआ था। उसने अपना दूसरा वर्ष प्रारम्भ कर दिया है और उसकी छात्र संख्या इस समय 45 है। देश में शारीरिक शिक्षा की उन्नति के लिये उठाये जाने वाले महत्वपूर्ण और उपयोगी कदमों में हम राष्ट्रीय शारीरिक क्षमता आन्दोलन की गणना कर सकते हैं। यह आन्दोलन शीघ्र ही चालू होने वाला है। इस के अतिरिक्त व्यायामशालाओं, अखाड़ों और शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद सम्बन्धी संस्थाओं को आर्थिक सहायता देना, राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में जिन विश्वविद्यालयों के अधिक से अधिक खिलाड़ी आयें उनको रनिंग ट्राफी देना और एशियाई और ओलिम्पिक खेलों में भारतीय टीमों के गिरते हुए स्तर की जाँच करने के लिये एक समिति को नियुक्त करना आदि अन्य महत्वपूर्ण कार्य हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा चालू की जाने वाली राष्ट्रीय अनुशासन योजना 210 स्कूलों में चालू की जा चुकी है और कोई 1,10,000 बच्चे इन संस्थाओं में प्रशिक्षण पा रहे हैं।

हिन्दी के विकास के क्षेत्र में पहली पंचवर्षीय आयोजना में चालू की गयी योजनाएँ भी संतोषजनक रूप से प्रगति कर रही हैं और उनके अतिरिक्त दूसरी पंचवर्षीय आयोजना के अधीन पिछले वर्ष चालू की गयी योजनाएँ भी प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं। 31 दिसम्बर, 1958 तक विभिन्न विषयों पर 1, 40,000 शब्द तैयार किये जा चुके थे। इन

में से 33,600 शब्द भारत सरकार द्वारा अंतिम रूप से स्वीकृत हो चुके हैं और 7,298 शब्द केबिनेट की स्वीकृत के लिये भेज दिये गये हैं ।

मंत्रालय के हिन्दी प्रभाग में एक शब्दकोश एकांश स्थापित किया गया है जिसमें एक प्रधान सम्पादक और छः सम्पादक नियुक्त किये गये हैं । वैज्ञानिक शब्दावली बोर्ड द्वारा तैयार की हुई शब्दावली का यह एकांश वैज्ञानिक शब्दों के कोश के रूप में सम्पादन करेगा ।

दिसम्बर, 1957 में संस्कृत आयोग को रिपोर्ट प्राप्त हुई थी जिसकी विविध सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है । आयोग की सिफारिश के अनुसार गैर-सरकारी संस्थाओं को संस्कृत के पुनरुद्धार के लिए अनुदान देने की एक योजना चालू की गयी है । संस्कृत की उन्नति के विषय में सरकार को सलाह देने के लिए एक केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड की स्थापना का प्रश्न भी विचाराधीन है ।

खर्चों में किफायत करने और कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए केन्द्रीय शिक्षा पुस्तकालय और केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय के एकीकरण के विषय में क्रम उठाये गये हैं । मंत्रालय के प्रकाशन अनुभाग ने जनवरी-मार्च 1958 में 21 और अप्रैल-दिसम्बर 1958 में 47 शिक्षा विषयक प्रकाशन निकाले हैं । उनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय निम्नलिखित हैं- 'होम साइन्सेज इन कालेजेज एण्ड यूनिवर्सिटीज इन इंडिया', 'बेसिक हिन्दी वाक्यव्युत्पत्ति', 'रूरल हायर एजुकेशन मैनुअल', 'इंडियन यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन', 'थाट्स आन एजुकेशन' (ले० महात्मा गाँधी), और 'रिपोर्ट आफ द संस्कृत कमीशन' ।

## प्रशासन

माननीय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के असामयिक देहावसान के बाद भूत पूर्व शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय को दो हिस्सों में बाँट दिया गया और राष्ट्रपति के आदेशानुसार उनका नाम शिक्षा मंत्रालय और वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय रखा गया। शिक्षा मंत्रालय के अधीन निम्नलिखित विषय रखे गये :—

- (1) पूर्व-प्राथमिक शिक्षा
- (2) प्रारम्भिक शिक्षा—अखिल भारतीय प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्
- (3) बुनियादी शिक्षा—राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा संस्थान—बुनियादी शिक्षा की स्थायी समिति
- (4) शिक्षा-सर्वेक्षण
- (5) स्कूल भवन निर्माण प्रायोजना
- (6) बच्चों का साहित्य
- (7) बुनियादी शिक्षा—विषयक साहित्य
- (8) स्त्रियों की शिक्षा
- (9) माध्यमिक शिक्षा—अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्
- (10) सेंट्रल बोर्ड आफ़ सेकण्डरी एज्यूकेशन, अजमेर
- (11) शिक्षा और व्यवसाय संदर्शन
- (12) पाठ्य पुस्तक अनुसंधान
- (13) पब्लिक स्कूल
- (14) केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में शिक्षा
- (15) केन्द्रीय शिक्षा संस्थान
- (16) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड
- (17) धार्मिक शिक्षा
- (18) गाँधी दर्शन
- (19) विश्वविद्यालय शिक्षा
- (20) केन्द्रीय विश्वविद्यालय
- (21) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
- (22) ग्राम्य उच्चतर शिक्षा

- (23) उच्चतर शिक्षा की विश्वविद्यालयेतर संस्थाएँ (इनमें तकनीकी संस्थाएँ और भारती विद्या संस्थान सम्मिलित नहीं हैं)
- (24) यूनेस्को और यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग
- (25) छात्रों में अनुशासन-हीनता
- (26) भारतीय गेहूँ ऋण शिक्षा विनियम कार्यक्रम (ह्वीट लोन एज्यूकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम )
- (27) टी० सी० एम० (गृह विज्ञान और सार्वजनिक प्रशासन)
- (28) फोर्ड फाउंडेशन (ग्राम शिक्षुता और सामान्य शिक्षा विषयक अध्ययन)
- (29) उपाधियों की मान्यता
- (30) सामाजिक शिक्षा
- (31) प्रौढ़ शिक्षा
- (32) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास
- (33) दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय
- (34) राष्ट्रीय मूलभूत शिक्षा केन्द्र
- (35) समाज-हित—केन्द्रीय समाज-हित बोर्ड
- (36) दृश्य-श्रव्य शिक्षा
- (37) विकलांगों की शिक्षा
- (38) केन्द्रीय ब्रेलप्रेस, देहरादून
- (39) प्रौढ़ अन्धों का प्रशिक्षण केन्द्र, देहरादून
- (40) नव-साक्षरों के लिए साहित्य और लोक साहित्य
- (41) पुनर्वास और उसकी अन्य समस्याएँ
- (42) शारीरिक शिक्षा
- (43) युवक-हित, युवक-पर्व, और युवक-शिविर इत्यादि
- (44) स्पोर्ट्स और खेल
- (45) राष्ट्रीय अनुशासन-योजना
- (46) बाल-हित और बालापराध
- (47) बाल-भवन
- (48) हॉलीडे होम
- (49) विदेशों में अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियाँ
- (50) अनुसूचित जातियों, कबीलों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए छात्रवृत्तियाँ

- (51) मैट्रिक के बाद की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्तियाँ
- (52) राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों के लिए छात्रवृत्तियाँ
- (53) आंशिक आर्थिक सहायता योजना
- (54) सामान्य सांस्कृतिक छात्रवृत्ति योजना
- (55) विदेशों में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों का हित और उनकी शिक्षा
- (56) विदेशों में स्थित शिक्षा-संस्थाओं और भारतीय छात्र-संघों को आर्थिक सहायता
- (57) विलायत में छात्रावासों को अनुदान
- (58) विदेश स्थित हमारे दूतावासों द्वारा सिफ़ारिश किये हुए विदेशी छात्रों का भारतीय संस्थाओं में प्रवेश
- (59) विदेशों के लिए अध्यापकों की नियुक्ति
- (60) अध्ययन के लिए भारत आने वाले विदेशियों को वीजा देना
- (61) यूनाइटेड स्टेट्स एज्यूकेशनल फ़ाउंडेशन (भारत)
- (62) हिन्दी का प्रचार और विकास
- (63) संस्कृत आयोग की रिपोर्ट और उसकी कार्यान्विति—संस्कृत कोशों और संदर्भ ग्रन्थों की रचना
- (64) हिन्दी कोशों की रचना आदि
- (65) शिक्षा विषयक सूचना और आँकड़े
- (66) भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार
- (67) भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग
- (68) केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय
- (69) केन्द्रीय शिक्षा पुस्तकालय

इस सारे काम को अच्छी तरह संपादित करने के लिए मंत्रालय का पुनर्घटन किया गया और उसे निम्नलिखित आठ प्रभागों में बाँटा गया :—

- प्रारम्भिक और बुनियादी शिक्षा प्रभाग
- माध्यमिक शिक्षा प्रभाग
- उच्चतर शिक्षा और यूनेस्को प्रभाग
- हिन्दी प्रभाग
- समाज-शिक्षा और समाज-हित प्रभाग
- शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन प्रभाग
- छात्रवृत्ति प्रभाग
- प्रशासन प्रभाग

मंत्रालय में 38 प्रकार के जो अलिपिक अराजपत्रित पद हैं उनपर नियुक्तियों के विषय में केन्द्रीय शासन सेवा कमीशन और गृह मंत्रालय के परामर्श से नियमावलियाँ तैयार की गयीं और उन्हें भारत के राज-पत्र में प्रकाशित किया गया। मंत्रालय के सभी राजपत्रित पदों के विषय में नियमावलियाँ बनाने का काम इस वर्ष मंत्रालय के विचाराधीन है।

नये अमले के लिए भेजे जाने वाले प्रस्तावों और पुस्तकें खरीदने के लिए दिये जाने वाले आदेशों में बहुत ध्यान पूर्वक छान बीन की गयी जिसके फलस्वरूप इस वर्ष खर्च में काफी किफायत हो सकी। लेखन-सामग्री, डाक-खर्च आदि विभिन्न मदों में किफायत का ध्यान रखने से फुटकर खर्च में कोई 1 लाख 50 हजार रुपये की बचत हुई।

आयोजना समन्वय:—दूसरी पंचवर्षीय आयोजना के प्रारम्भ में 307 करोड़ रुपये की—राज्यों के लिए 212 करोड़ रुपये की और केन्द्र के लिए 95 करोड़ रुपये की—व्यवस्था थी। मई 1958 में आयोजना पर पुनर्विचार होने पर यह राशि घटाकर 275 करोड़ अर्थात् राज्यों के लिए 207 करोड़ और केन्द्र के लिए 68 करोड़ कर दी गयी। इस 68 करोड़ रुपये की राशि में से इस मंत्रालय के अधीन होने वाली योजनाओं के लिए 54 करोड़ रुपये की राशि नियत की गयी।

आयोजना आयोग ने शिक्षा विकास के 1959-60 के कार्यक्रमों के लिए 49.68 करोड़ रुपये अर्थात् राज्यों के लिए 35.73 करोड़ रुपये और केन्द्र के लिए 13.95 करोड़ रुपये की राशि नियत की है।

शिक्षा मंत्रालय की शिक्षा विषयक योजनाओं के लिए नियत राशि 11.74 करोड़ रुपये की है। उस वर्ष के लिए राज्यों के लिए नियत राशि अभी विदित नहीं है क्योंकि कुछ राज्यों में शिक्षा-विकास विषयक कार्यक्रमों पर अभी विचार हो रहा है। फिर भी यह अनुमान है कि 1959-60 में शिक्षा के लिए कुल राशि कोई 42 करोड़ रुपये होगी।

मंत्रालय के आयोजना समन्वय एकांश ने राज्यों और केन्द्रों के शिक्षा विकास कार्यक्रमों के विषय में अपना समन्वय कार्य-क्रम जारी रखा। 1958-59 में कार्यान्वित होने वाली राज्य सरकारों की संशोधित योजनाएँ आ चुकी हैं और उनकी जाँच की जा चुकी है। संशोधित कार्य-विधि के अनुसार केन्द्रीय सहायता की तीन चौथाई राशि राज्य सरकारों को नौ मासिक किस्तों में अग्रिम उधार दी जा रही है और यह काम वित्त मंत्रालय का आर्थिक विभाग करता है। अन्तिम भुगतान की मंजूरी फरवरी 1959 में प्रत्याशित खर्च के आधार पर दे दी जायेगी और तब इस उधार दी हुई राशि का समंजन कर लिया जायेगा। शिक्षा विषयक कार्य-कारि समुदाय की बैठक में सभी राज्यों और केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों से आये हुए शिक्षा विकास कार्यक्रम के मसौदों पर विचार किया जा चुका है। तीसरी पंचवर्षीय आयोजना में जिन योजनाओं को सम्मिलित करना है उन्हें तैयार करने का काम भी प्रारम्भ कर दिया गया है।

राज्यों के शिक्षा विभागों में जो आयोजना और आँकड़े विषयक एकांश काम कर रहे हैं उनकी स्थापना और उनके अमले की वृद्धि की योजना से भी इस समन्वय एकांश का सम्बन्ध है। 1959-60 की राज्यों की योजनाओं के कुल बजट में उस योजना के लिए भी व्यवस्था की गयी है।

## प्रारंभिक और बुनियादी शिक्षा

तीसरी आयोजना के अन्त तक 6-11 वर्ष के वयोवर्ग के लिए सर्वसुलभ निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा

आयोजना आयोग के शिक्षा मंडल की निम्नलिखित सिफारिश केन्द्रीय केबिनेट के सम्मुख विचारार्थ रखी गयी थी :—

(i) 14 वर्ष तक के बालकों के लिए सर्वसुलभ, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना हमारा अन्तिम लक्ष्य होना चाहिए और इस लक्ष्य को अधिक से अधिक 15 से 20 वर्ष की अवधि में सिद्ध करने का यत्न किया जाना चाहिए।

(ii) 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए सर्व सुलभ, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना देश के लिए तात्कालिक लक्ष्य होना चाहिए। अधिक से अधिक 1965-66 तक यह लक्ष्य अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए।

इस सिफारिश को केबिनेट ने सामान्य स्वीकृति दे दी है और यह इच्छा प्रकट की है कि शिक्षा मंत्रालय राज्य सरकारों के परामर्श से इस विषय में व्योरे तैयार करे और बताये कि इस लक्ष्य सिद्धि के लिए कितने धन की आवश्यकता होगी।

### अखिल भारतीय प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्

देश में शीघ्र ही निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लागू करने के कार्यक्रम बनाने के लिए जून 1957 में इस परिषद् की स्थापना की गयी थी। इसकी अब तक दो बैठकें हुई हैं। पहली 10-11 मार्च 1958 को और दूसरी 10-11 अक्टूबर 1958 को। पहली बैठक की सिफारिशों राज्य सरकारों और केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों को सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गयीं थीं। सामान्यतः सभी राज्य सरकारों ने इन सिफारिशों पर अपनी सहमति प्रकट की है। दूसरी बैठक की सिफारिशों के विषय में राज्य-सरकारों के मत अभी प्राप्त हो रहे हैं।

प्रत्येक राज्य-क्षेत्र के कुछ राष्ट्रीय विस्तार-सेवा-खंडों में सर्व सुलभ, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने की प्रायोगिक प्रायोजना

सामुदायिक विकास मंत्रालय से परामर्श लेकर इस मंत्रालय ने राज्य सरकारों/केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों के प्रशासनों को सलाह दी है कि वे कुछ चुने हुए सामुदायिक विकास खंडों और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों में शीघ्रातिशीघ्र निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था चालू करें ताकि उन्हें देश भर के लिए एक व्यापक कार्यक्रम चालू करने



पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं और कठिनाइयों का ज्ञान और अनुभव प्राप्त हो सके। चार राज्यों और दिल्ली निगम ने ऐसी प्रायोजनाएँ चलाना स्वीकार कर लिया है। बाकी राज्यों को भी तैयार करने के लिए यत्न जारी है।

### निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू करने के विषय में प्रतिदर्श विधान

अखिल भारतीय प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् की सिफारिश के अनुसार शिक्षा मंत्रालय ने एक प्रतिदर्श विधेयक का मसौदा तैयार किया है और उसे तैयार करने में विविध राज्य सरकारों और विदेशी सरकारों के एतद्विषयक अनुभवों को ध्यान में रखा है। यह मसौदा विचाराधीन है और विधि मंत्रालय तथा परिषद् से परामर्श करके इसे अंतिम रूप दिया जायेगा जिसको राज्य सरकारें अपनी आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुरूप हेर-फेर करके अपना लेंगी।

### प्राथमिक शिक्षा के विस्तार और शिक्षित बेरोजगारों को सुविधा देने की योजना

यह योजना 1958-59 में प्रारम्भ की गयी थी। इसके अनुसार 60,000 अध्यापकों की नियुक्ति होगी; 1958-59 में 15,000, 1959-60 में 20,000 और 1960-61 में 25,000 इस योजना में अध्यापिकाओं के 6000 क्वार्टर बनवाने और 12,000 निरीक्षक अफसर नियुक्त करने की भी व्यवस्था है। इन तीनों वर्षों में किन किन राज्यों में कितने अध्यापकों और निरीक्षकों की नियुक्ति होगी और कितने क्वार्टर बनेंगे उसकी सूचना उन राज्यों को दे दी गयी है। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त सभी राज्य इस योजना को कार्यान्वित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश को भी इसके लिए तैयार करने का यत्न जारी है। यदि कोई बचत सम्भव हुई तो उस राशि को भी उन अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति पर व्यय किया जायेगा जिनकी विविध राज्य आवश्यकता समझेंगे। भारत सरकार राज्य सरकारों को इस प्रकार सहायता देगी : (i) नियुक्ति के बाद तीन वर्ष तक अध्यापकों और निरीक्षकों के वेतन का 100 प्रतिशत खर्च देगी, (ii) 250 रु० प्रति अध्यापक के हिसाब से उपस्कर खर्च देगी, (iii) 10 रु० प्रतिमास प्रति अध्यापक के हिसाब से अल्पावधि प्रशिक्षण का खर्च देगी, (iv) 2500 रु० प्रति क्वार्टर के हिसाब से अध्यापकों के क्वार्टर बनवाने का खर्च देगी, और (v) प्राथमिक स्तर की शिक्षा को अनिवार्य करने के प्रसंग में प्रयोग करेगी।

### राज्यों/केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों की पूर्व-प्राथमिक, प्रारंभिक, बुनियादी और स्त्रियों की प्रारंभिक स्तर की शिक्षा से संबंधित योजनाएं

दूसरी पंचवर्षीय आयोजना के अर्थान विकास के विविध मर्दों के लिए केन्द्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली सहायता की राशि अदा करने की पद्धति को इस वर्ष बदल दिया गया है। नयी पद्धति के अनुसार केन्द्रीय सहायता की राशि का 75% अंश 9 मासिक किस्तों में साधन रूप उधार के रूप में वित्त मंत्रालय की ओर से दे दिया जायेगा। दसवें महीने में 9 महीनों में हुए वास्तविक खर्च और शेष तीन महीनों के अनुमानित खर्च की राशि की गणना करके योजना-वार सहायता की राशि की मंजूरी जारी कर दी जायेगी।

विकास कार्य की गति को त्वरित करने के लिये केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों के प्रशासनों को यह सलाह दी गयी है कि जिन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए व्यय करने के लिये वे सक्षम हैं उन्हें कार्यान्वित करने के लिए वे केन्द्र से पूछे बिना ही कार्रवाई कर लें और केन्द्रीय सरकार की अनुमति केवल उन योजनाओं के संबंध में लें जिन पर व्यय करने का उन्हें अधिकार नहीं है।

1959-60 के लिए राज्य सरकारों/केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों के प्रशासनों से प्राप्त प्रस्तावों पर इस मंत्रालय ने उन सरकारों/केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों और आयोजना-आयोग के प्रतिनिधियों के साथ विचार किया। उस चर्चा में निर्णीत कार्यक्रम के अनुसार उन सरकारों/केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों की योजनायें बनायी जायेगी। उन्हें केन्द्रीय सहायता उसी प्रकार मिलेगी जिस प्रकार 1958-59 में दी गयी थी।

#### प्रारम्भिक शिक्षा के स्तर पर विज्ञान के अध्यापन में सुधार की प्रायोगिक प्रायोजना

प्रारम्भिक स्तर पर विज्ञान के शिक्षण में सुधार करने की दृष्टि से भारत सरकार ने एक प्रायोगिक प्रायोजना प्रारंभ की है। यह प्रायोजना एक प्रयोग के रूप में चलायी जा रही है और शुरू में इसे दो वर्ष तक चलाकर देखा जायेगा।

प्रत्येक प्रायोजना के लिए एक विज्ञान-परामर्शक नियुक्त किया जायेगा। वह विज्ञान का प्रशिक्षित ग्रेजुएट होगा और उसे स्कूलों में विज्ञान के अध्यापन का अनुभव होना अपेक्षित होगा। वह

(i) किसी चुने हुए क्षेत्र के प्रारम्भिक स्कूलों में विज्ञान के अध्यापन का पर्यवेक्षण करेगा और नयी संशोधित विधियों और दृष्टियों से प्रदर्शन द्वारा पढ़ाना सिखायेगा ;

(ii) अच्छी पुस्तकों, दृश्य साधनों, आदि का संग्रह करेगा, अध्ययन करेगा और उन्हें विज्ञान के अध्यापकों को बतायेगा तथा उन क्षेत्रों का पता लगायेगा जिनमें उपयुक्त सामग्री का अभाव है और उस अभाव को दूर करने के उपाय भी सुझायेगा ;

(iii) विज्ञान के अध्यापकों के वर्कशॉपों, कान्फ्रेंसों, अध्ययन मंडलों आदि का संगठन करेगा ;

(iv) उसी क्षेत्र में सुलभ और सस्ते अध्यापन के साधनों के निर्माण के विषय में प्रयोग करेगा ;

(v) प्रारम्भिक स्कूलों के वर्तमान पाठ्यक्रम की जाँच करेगा और अपने अनुभवों के आधार पर एक प्रतिदर्श पाठ्यक्रम तैयार करेगा ; और

(vi) अवर बुनियादी प्रशिक्षण कालेजों में पढ़ने वाले अध्यापक प्रशिक्षार्थियों के लिए विज्ञान के पाठ्यक्रम की जाँच करेगा और एक सुधरा हुआ पाठ्यक्रम तैयार करेगा।

अनुमान है कि प्रत्येक प्रायोजना पर दो वर्ष की अवधि में 8,400 रुपये आवर्ती और 3,500 रु० अनावर्ती वार्षिक खर्च आयेगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक एक प्रायोजना होगी।

यह योजना 1959-60 से राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित होने वाली है और इस पर आने वाला खर्च केन्द्रीय सरकार उठायेगी। इस कार्य के लिए आगामी वर्ष के बजट में एक लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है।

विज्ञान परामर्शकों के लिए एक सेमिनार तथा अल्पावधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाने का विचार है ताकि विज्ञान परामर्शकों के दृष्टिकोण में समरूपता रहे। इस कार्य के लिए अगले वर्ष के बजट में 5000 रुपये की व्यवस्था की गयी है।

**प्रारम्भिक गैर-बुनियादी स्कूलों का पुनर्गठन करके उन्हें बुनियादी पद्धति पर लाने का राष्ट्रीय कार्यक्रम**

बुनियादी और गैर-बुनियादी प्रारम्भिक स्कूलों के भेद को दूर करने के लिये एक कार्यक्रम बनाया गया है जिसके अनुसार सारे गैर-बुनियादी स्कूलों का पुनर्गठन करके उन्हें बुनियादी पद्धति पर चालू किया जा सकेगा। यह आशा है कि इस सुधार से केवल प्राथमिक शिक्षा के शिक्षा-विषयों में ही समृद्धि नहीं आयेगी अपितु इससे समाज में भी एक सद्भावना उत्पन्न होगी और उस सद्भावना की देश के भावी नागरिकों में जनतंत्रीय भावना उत्पन्न करने के लिये परम आवश्यकता है। इस कार्यक्रम के अनुसार गैर-बुनियादी स्कूलों में निम्नलिखित ढंग के क्रियाकलाप चालू किये जायेंगे :—

- (क) स्वास्थ्यपूर्ण जीवन की ओर अग्रसर करने वाले क्रियाकलाप;
- (ख) नागरिकता और सामाजिक जीवन का प्रशिक्षण देने वाले क्रियाकलाप;
- (ग) उत्तम ज्ञान और उत्तम वातावरण की ओर अग्रसर करने वाले क्रियाकलाप;
- (घ) सादी दस्तकारियों से सम्बन्धित प्रयोजनपूर्ण क्रियाकलाप;
- (ङ) मनोरंजनात्मक और सांस्कृतिक क्रियाकलाप;
- (च) समाज-सेवा सम्बन्धी क्रियाकलाप—घर और समाज को स्कूल के साथ सम्बद्ध करना।

इस पुनर्गठन के कार्यक्रम की सब से बड़ी विशेषता यह है कि इसे लागू करने के लिये न तो बहुत बड़ी धनराशि की आवश्यकता है और न विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकवर्ग की। वास्तव में ये ही ऐसी कठिनाइयाँ थीं जिनके कारण बुनियादी शिक्षा का विकास मंदगति से हो रहा था।

पुनर्गठन के कार्यक्रम की गति को और तीव्र करने के लिये इस वर्ष में जिला/डिवीज़नों के स्कूल निरीक्षकों के लिये इस विषय के चार क्षेत्रीय सेमिनार किये गये। इन सेमिनारों के कार्य की रिपोर्ट प्रकाशित होने वाली है।

इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्य सरकारों की है। उन्हें यह सूचित कर दिया गया है कि यदि वे इस कार्यक्रम को राज्य-शिक्षा विकास कार्यक्रम में सम्मिलित कर चुकी हों तो उन्हें इस कार्यक्रम पर आने वाले खर्च का 60 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के रूप में मिल सकेगा।

बुनियादी शिक्षा के लिये सेमिनारों और कान्फ्रेंसों का संगठन करने के लिये अगले वित्तीय वर्ष के बजट में 14,000 रुपये की व्यवस्था की गयी है।

### उत्तर-बुनियादी संस्थाओं की स्थापना के लिये सहायक अनुदान

इस योजना के अनुसार राज्य सरकारों और स्वैच्छिक संस्थाओं को निम्नलिखित कार्यों के लिये वित्तीय सहायता दी जायेगी :—

- (क) माध्यमिक या उत्तर-बुनियादी स्तर के नये बुनियादी स्कूल खोलने के लिये,
  - (ख) वर्तमान उत्तर-बुनियादी स्कूलों में सुधार करने के लिये, और
  - (ग) वर्तमान प्रवर बुनियादी स्कूलों का ग्रेड ऊँचा करने के लिये।
- वर्तमान वित्तीय वर्ष से इस योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है।

स्वैच्छिक संस्थाओं को मंजूर हुए खर्च का 60 प्रतिशत भाग केन्द्रीय सहायता के रूप में मिल सकेगा, खर्च चाहे आवर्ती हो या आनावर्ती। राज्यों को तो शतप्रतिशत खर्च ही केन्द्रीय सहायता के रूप में उपलब्ध होगा।

दिसम्बर, 1958 तक स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायक अनुदान के रूप में 43,000 रुपये की राशि मंजूर की गयी थी। अगले वित्तीय वर्ष के बजट में ऐसी संस्थाओं के लिये इस योजना के अधीन 1,00,000 रुपये की व्यवस्था की गयी है और राज्य सरकारों के लिये 3.50 लाख रुपये की।

### केन्द्रीय बुनियादी स्कूल, नयी दिल्ली

नयी दिल्ली में एक बुनियादी स्कूल स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। यह स्कूल इस उद्देश्य से चालू किया जायेगा कि वह बता सके कि उपयुक्त परिस्थितियाँ होने पर बुनियादी शिक्षा नगरों में किस प्रकार सफल हो सकती है। इस स्कूल का नाम केन्द्रीय बुनियादी स्कूल होगा। उसकी स्थापना के लिये उपयुक्त स्थान और उसकी प्रबन्ध व्यवस्था आदि प्रशासन विषयक मामलों पर अभी विचार हो रहा है।

इस स्कूल की स्थापना पर आने वाले खर्च के लिये अगले वर्ष के बजट में एक लाख रुपये की राशि नियत कर दी गयी है।

### राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा संस्थान

इस संस्थान के मुख्य कार्य निम्नलिखित होंगे :—

- (1) बुनियादी शिक्षा में शोध कार्य चलाना, उसका समन्वय करना और उसे प्रोत्साहन देना।

- (2) प्रशिक्षण (बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में ऊँचे स्तर के अध्यापकों के लिये अल्पावधि पाठ्यक्रमों की कभी-कभी व्यवस्था की जायेगी)।
- (3) बुनियादी शिक्षा से सम्बन्धित सामग्री के लिए समाशोधन—घर का काम करना।
- (4) बुनियादी शिक्षा से सम्बन्धित साहित्य की रचना।
- (5) कार्यात्मक कार्यक्रम और क्षेत्रीय कार्य के द्वारा बुनियादी शिक्षा की वर्तमान पद्धतियों में सुधार।
- (6) बुनियादी शिक्षा से सम्बन्धित दस्तकारी और कला के विषय में शोध कार्य।

इस संस्था ने 1958-59 में निम्नलिखित कार्य पूरा कर लिया।

### शोध कार्य

नीचे लिखी शोध प्रायोजनाएँ पूरी करली गयी हैं और शोध मोनोग्राफ़ के रूप में छपवाने के लिये रिपोर्टें तैयार हो गयी हैं : -

- (1) दस्तकारी की शिक्षा-विषयक क्षमता को मापना।
- (2) देश के विविध राज्यों में बुनियादी स्कूलों के अध्यापकों के सामने प्रतिदिन आने वाली कठिनाइयाँ।
- (3) भारत के स्नातकोत्तर बुनियादी प्रशिक्षण कालेजों के लिये आदर्श पाठ्यक्रम तैयार करना।

निम्नलिखित शोध-प्रायोजनाओं पर इस समय कार्य किया जा रहा है :—

- (1) बुनियादी और गैर बुनियादी शिक्षा पर आने वाले व्यय की तुलना,
- (2) बुनियादी स्कूलों के लिए एक सह-सम्बद्ध पाठ्यक्रम की तैयारी;
- (3) विविध ग्रेडों के बुनियादी स्कूलों के लिये दस्तकारी के काम के लक्ष्यों का निर्धारण ;
- (4) ग्रेड एक और ग्रेड दो के लिये विविध भाषाओं की पाठ्य-पुस्तकों का विश्लेषण और मूल्यांकन।

### प्रशिक्षण

देश के बुनियादी शिक्षा के प्रबन्धकों के लिये इस संस्थान ने दो अल्पावधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाये।

## साहित्य रचना

इस अवधि में निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाशित की गयीं :—

- (1) गैर बुनियादी स्कूलों के लिये बुनियादी क्रियाकलाप (अंग्रेजी में) ।
- (2) बुनियादी शिक्षा में प्रदर्शनी (अंग्रेजी में) ।
- (3) बुनियादी तालीम—यह एक त्रैमासिक पत्रिका है और 1958 में इसके चार अंक प्रकाशित हो चुके हैं ।
- (4) बुनियादी शिक्षा की प्रगति (अंग्रेजी में) ।

निम्नलिखित पुस्तकें प्रेस में हैं और आशा है कि वे इसी वित्तीय वर्ष में छप चुकेंगी :

- (1) तन्तु दस्तकारी (अंग्रेजी में) ।
- (2) बुनियादी शिक्षा सारावलि—अंक एक और दो (अंग्रेजी में) ।
- (3) बुनियादी शिक्षा-पुस्तक सूची (अंग्रेजी में) ।
- (4) गैर-बुनियादी स्कूलों के लिये बुनियादी क्रियाकलाप । (अंग्रेजी पुस्तक का हिन्दी संस्करण)
- (5) बुनियादी तालीम—1959 का पहला अंक ।

## वर्तमान पद्धतियों में सुधार

दिल्ली के एक देहाती बुनियादी स्कूल में सुधार करने का एक नया क्रियात्मक कार्यक्रम चालू किया गया है । उस स्कूल में अध्यापन, दैनिक क्रियाकलापों के संगठन और नयी निर्धारण पद्धतियाँ अपनाते तथा अभिलेख रखने आदि के लिये ब्यौरेवार संदर्शन किया जा रहा है ।

## दस्तकारी और कलात्मक कार्य

संस्थान में दस्तकारी और कलाओं का अनुभाग स्थापित होने पर उसमें कुछ दस्तकारियों के विषय में प्रयोग किये गये । तन्तु दस्तकारी का बुनियादी स्कूलों में किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है इस विषय पर प्रयोग किये गये हैं और प्रयोगों के फलस्वरूप एक पुस्तक तैयार की गयी है । दस्तकारी के लिये रद्दी और कम कीमत की वस्तुओं का उपयोग करने पर भी प्रयोग किये गये हैं । इसी प्रकार कलात्मक कार्यों और बुनियादी स्कूलों को सजाने के काम पर भी रद्दी और कम कीमत के सामान का उपयोग करने पर प्रयोग किये गये हैं ।

## बुनियादी शिक्षा के लिये साहित्य और अन्य सामग्री तैयार करने की योजना

बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों, अध्यापकों और शिक्षा विशेषज्ञों की बढ़ती हुई माँग को देखकर उपयुक्त साहित्य और अन्य सामग्री तैयार करने के लिए एक व्यापक योजना बनायी गयी है । इसमें निम्नलिखित पाँच उपयोगनाएँ सम्मिलित हैं ।

(i) बुनियादी स्कूलों के अध्यापकों के लिये संदर्शन पुस्तिकाओं का निर्माण

इस योजना के अधीन बुनियादी शिक्षा के ग्रेड एक से आठ तक के अध्यापकों के लिये संदर्शन पुस्तकें तैयार करने के हेतु सक्षम लेखकों को प्रोत्साहन देने के लिये एक पुरस्कार प्रतियोगिता रखी गयी है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिये अन्तिम तारीख 30 नवम्बर 1958 थी। प्राप्त पुस्तकों पर विचार किया जा रहा है।

(ii) बुनियादी शिक्षा पर मोनोग्राफ

बुनियादी शिक्षा के विविध विषयों पर मोनोग्राफ लिखने के लिये विशेषज्ञ लेखकों से प्रार्थना की गयी है। इस वर्ष 5 मोनोग्राफ तैयार हो जाने की आशा है। अगले 5 मोनोग्राफ तैयार करने का काम भी प्रारम्भ कर दिया गया है।

(iii) बुनियादी स्कूलों के बच्चों के लिये पूरक पाठ्यपुस्तकों का निर्माण

देश भर के प्रकाशकों से प्रस्ताव माँगे गये हैं जिनके अनुसार वे अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी भाषाओं की उपयुक्त पुस्तकों के रूपान्तर प्रकाशित कर सकें और सरकार से उपदान लेकर उन्हें सस्ते मूल्य पर सुलभ कर सकें।

(iv) बुनियादी स्कूलों के लिये दस्तकारी की सामग्री तैयार करने की शोध प्रायोजनाएँ

विविध दस्तकारियों के शिक्षात्मक उपयोग के विषय में शोध करने की प्रायोजनाएँ कुछ स्नातकोत्तर बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं को सौंपी गयी हैं। इस समय तीन शोध प्रायोजनाएँ मंजूर हो गयी हैं और चौथी के शीघ्र मंजूर होने की आशा है। इन प्रायोजनाओं पर आने वाले न्यूनतम स्वीकृत खर्च को केन्द्रीय सरकार उठायेगी या राज्य सरकारों अथवा सम्बन्धित शिक्षा संस्थाओं द्वारा उठाये जाने वाले खर्च में सहयोग देगी।

(v) बुनियादी स्कूलों के अध्यापकों के लिये स्रोत ग्रन्थ

इन योजनाओं के अधीन बुनियादी स्कूलों के विविध विषयों पर स्रोत ग्रन्थ तैयार करवाये जायेंगे। इस वर्ष दो विषयों पर काम शुरू हो गया है :—

(क) सामान्य विज्ञान, और

(ख) सामाजिक अध्ययन

1959-60 की योजनाओं के लिये बजट में 2,00,000 रुपये की व्यवस्था की गयी है। उस वर्ष में ये सभी उप-योजनाएँ चालू रहेंगी।

पूर्व प्राथमिक और बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता

इस योजना के अधीन पूर्व प्राथमिक और बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले स्वैच्छिक शिक्षा संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि वे अपनी वर्तमान सेवाओं को मजबूत बना सकें और उनका विकास कर सकें तथा साथ ही नयी सेवाएँ भी

चालू कर सकें। यह योजना पहली पंचवर्षीय आयोजना के अन्तर्गत शुरू की गयी थी और दूसरी आयोजना में चालू है। ग़ैर सरकारी संस्थाओं के पास प्रायः आय के साधन नहीं हुआ करते जिन से वे अपना विस्तार और विकास कर सकें। उन्हें प्रायः दानवीरों से प्राप्त होने वाले धन पर ही आश्रित रहना पड़ता है। पिछले कुछ वर्षों में उनकी आय के ये साधन भी कम होते जा रहे हैं। फलतः वे संस्थाएँ भी सरकार से अधिक से अधिक वित्तीय सहायता चाहने लगी हैं।

1958 में पूर्व-प्राथमिक और बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली 61 संस्थाओं को 4.48 लाख रुपये की राशि मंजूर की गयी थी। इस योजना के अधीन और अधिक संगठनों को भी सहायता दी जा सकती थी परन्तु नये भवन बनाने पर नियन्त्रण होने के कारण अधिक सहायता नहीं दी जा सकी। यह नियंत्रण इस लिये लगाया गया था कि दूसरी पंचवर्षीय आयोजना के अधीन अग्रता वाली प्रायोजनाओं के लिए इस्पात और सीमेंट सुरक्षित रह सकें। 1959-60 के बजट में ऐसे अनुदान देने के लिये 6.54 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है।

### राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा समिति

सरकार ने मई, 1958 में लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा की विविध समस्याओं पर विचार करने के लिये श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा समिति की नियुक्ति की थी। समिति ने 5 जनवरी, 1958 को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है।

**लड़कियों की शिक्षा के विस्तार और अध्यापिकाओं के प्रशिक्षण के लिये केन्द्र चालित योजना**

लड़कियों की शिक्षा और अध्यापिकाओं के प्रशिक्षण के लिये दूसरी पंचवर्षीय आयोजना में इस योजना की व्यवस्था की गयी थी और इस योजना को राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। अध्यापिकाओं के लिये बिना किराये के क्वार्टर बनवाना—विशेषकर देहाती क्षेत्र में, स्कूल माताओं को नियुक्त करना, पूर्व प्रेज्युएट स्तर के अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिये अधिवृत्तियाँ देना और लड़कियों के लिये हाजिरी की छात्रवृत्तियाँ देना आदि। योजनाओं में राज्य सरकारों को जी खोल कर वित्तीय सहायता दी जा रही है।

1957-58 में इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये निम्नलिखित राज्य सरकारों को जो राशि मंजूर की गयी थी उसका विवरण इस प्रकार है :—

राज्य का नाम	मंजूर राशि
बिहार	46,375
उड़ीसा	25,585
पश्चिमी बंगाल	21,173



इस योजना की कार्यान्विति के लिये 1957-58 में निम्नलिखित को प्रशासी अनु-  
मति दी गयी ।

क्रम संख्या	राज्य का नाम	शुरू में निर्धारित राशि	राज्य सरकारों को दी जाने के लिये स्वीकृत राशि
		रु०	रु०
1	आन्ध्र प्रदेश	5,68,750	4,11,563
2	आसाम	1,64,500	99,000
3	बिहार	8,25,750	8,85,567
4	मध्य प्रदेश	5,67,750	7,67,750
5	मद्रास	4,94,250	4,94,250
6	उड़ीसा	3,61,000	3,60,788
7	पंजाब	3,00,000	3,00,000
8	पश्चिम बंगाल	4,23,500	7,00,000
9	मैसूर	3,54,250	3,53,343
10	केरल	93,500	93,500
11	राजस्थान	3,85,750	3,85,750
12	उत्तर प्रदेश	13,84,000	-
13	जम्मू और काश्मीर	96,500	-
14	बम्बई	7,34,000	-
	कुल	67,58,500	48,51,511

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्ताव भी 1958-  
59 में स्वीकृत किये गये ।

केन्द्र प्रशासित क्षेत्र का नाम	नियत राशि रु०	स्वीकृत राशि रु०
1 मनीपुर	13,860	13,860
2 त्रिपुरा	18,810	8,400
3 लकादीव, मीनीकोय और अमीनदिबी द्वीपसमूह	528	1,200
	कुल 32 102	92 160

वित्तीय सहायता देने की पुरानी पद्धति पर विचार करके उसे बदल दिया गया और यह निर्णय किया गया कि केन्द्रीय सहायता की 75 प्रतिशत राशि राज्यों को दे दी जायेगी और उन के लिये यह अनिवार्य नहीं होगा कि वे अपने हिस्से का 25 प्रतिशत अंश भी अवश्य दें। यह सूचना दिसम्बर, 1958 में सरकारों के पास भेज दी गयी है।

इस योजना के लिये 1959-60 के बजट में 70,50,000 रुपये की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

## बच्चों का साहित्य

दूसरी पंचवर्षीय आयोजना के अधीन बच्चों के लिए उपयुक्त साहित्य की रचना को प्रोत्साहन देने के लिए एक विशेष योजना शुरू की गयी है। इस योजना के लिए 1959-60 के बजट में तीन लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। 1958-59 में कार्यान्वित होने वाली निम्नलिखित उपयोजनाएँ 1959-60 में भी चालू रहेंगी :—

### (क) बाल साहित्य के लिये पुरस्कार प्रतियोगिता

1957-58 की तीसरी प्रतियोगिता के परिणाम मार्च, 1958 में घोषित किये गये थे। सभी क्षेत्रीय भाषाओं के 22 लेखकों को पाँच सौ रुपये के पुरस्कार दिये गये थे। पुरस्कार पाने वाले लेखकों को कहा गया था कि वे विभिन्न पुस्तकों के अंग्रेजी भाषान्तर भी भेजें ताकि उनमें से सर्वोत्तम पाँच लेखकों को पाँच पाँचसौ रुपये के अतिरिक्त पुरस्कार भी दिये जा सकें। इसके फलस्वरूप जो पुस्तकें आयीं उन पर विचार हो रहा है और उनके परिणाम यथासमय घोषित कर दिये जायेंगे। एक तीसरी प्रतियोगिता में सफल रहने वाली सभी पुस्तकों की दो-दो हजार प्रतियाँ खरीदी गयीं और उन्हें शिक्षा संस्थाओं, स्कूलों, पुस्तकालयों और सामुदायिक विकास खंडों आदि में वितरित किया गया।

मार्च, 1958 में बाल साहित्य की चौथी पुरस्कार प्रतियोगिता की घोषणा की गयी और प्रतियोगिता के लिए आने वाली पुस्तकों पर अब विचार हो रहा है। जो पुस्तकें इस प्रतियोगिता में पुरस्कार पायेंगी उनकी दो-दो हजार प्रतियाँ 1959-60 में खरीदने का विचार है।

### (ख) साहित्य रचनालय

बाल साहित्य के निर्माण की तकनीक का लेखकों को प्रशिक्षण देने के लिए साहित्य रचनालयों का संगठन करने के हेतु भी प्रति वर्ष वित्तीय सहायता दी जाती है। 1958-59 में मैसूर, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में रचनालयों का संगठन करने के लिए 11,000 रुपये प्रति रचनालय के हिसाब से खर्चा मंजूर किया गया था।

1959-60 में भी चार साहित्य रचनालयों के संगठन का कार्यक्रम रखा गया है और उसके लिए 44 हजार रुपये की व्यवस्था की गयी है।

### (ग) आदर्श पुस्तकें

भारतीय भाषाओं में बाल साहित्य के सामान्य स्तर को सुधारने के लिए कुछ आदर्श पुस्तकें तैयार करने के लिए एक योजना बनायी गयी है। इस योजना के अन्तर्गत मंत्रालय ने अब तक निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाशित की हैं।

( i ) बौने की खेती

( ii ) अनोखे जानवर

भारत के जहाज और गोल्डन प्लाउ (सुनहरा हल) अन्य दो पुस्तकें प्रकाशित होने वाली हैं।

### (घ) बाल साहित्य की सटिप्पण पुस्तक सूची

हिन्दी में बाल साहित्य की सटिप्पण पुस्तक सूची तैयार करने का काम प्रारम्भ कर दिया गया है। यह काम केन्द्रीय शिक्षा पुस्तकालय में होता है और इसके पूरा होने में अभी कुछ समय लगेगा।

### (ङ) बाल पुस्तक न्यास

मंत्रालय ने श्री शंकर पिल्ले के एक प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया है जिसके अनुसार एक बाल पुस्तक न्यास की स्थापना होगी। उसके लिए सरकार ने सात लाख रुपये का ऋण व्याज पर देना स्वीकार कर लिया है ताकि बाल साहित्य के प्रकाशन के लिए एक उपयुक्त प्रेस स्थापित किया जा सके। परन्तु विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों के कारण अभी तक इस ऋण की कोई भी किस्त दी नहीं गयी है। न्यास (ट्रस्ट) बन चुका है और यह पता चला है कि उसने एक प्रेस विदेश से मँगवाने के लिए लाइसेंस प्राप्त कर लिया है। उसके लिए भवन-निर्माण करने के लिए भी उपयुक्त भूमि प्राप्त करने का प्रबन्ध किया जा रहा है। इस कार्य के लिए 1959-60 के बजट में चार लाख रुपये की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

### अध्यापकों के शिक्षा विषयक पर्यटनों के लिए सहयोग-अनुदान देने की केन्द्रीय योजना

अन्तिम रूप से स्वीकार की हुई योजना अगस्त, 1958 में राज्य सरकारों और केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों के शासन के पास भेजी गयी थी। यह योजना युवक हित के कार्य-क्रम के अन्तर्गत आनेवाले छात्र-पर्यटनों को दी जाने वाली मंत्रालय की वित्तीय सहायता की योजना से भिन्न है। इस योजना को राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना के अनुसार अध्यापकों और प्रशिक्षण संस्थाओं के छात्र अध्यापकों के 12 से 32 तक के बच्च महत्वपूर्ण शैक्षिक और सांस्कृतिक केन्द्रों में घूम सकेंगे और देश की प्रगति का आँखों देखा ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे और अन्तर्राज्य सद्भावना बढ़ा सकेंगे। दिसम्बर, 1958 के अन्त तक बम्बई, मैसूर और पांडीचेरी राज्यों के लिए इस विषय में अनुदान मंजूर किया गया था।

1959-60 के बजट में भी इस योजना के लिए 14 हजार रुपये की राशि की व्यवस्था करने का विचार है।

### भारत का शिक्षा-सर्वेक्षण

भारत सरकार ने राज्य सरकारों के सहयोग से भारत का शिक्षा-सर्वेक्षण शुरू किया था ताकि विभिन्न ढंग के वासस्थानों की गणना की जा सके, और यह निश्चय किया जा सके कि कितने बड़े क्षेत्रों में इस समय के प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तर के स्कूल विद्यमान हैं और नये प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तर के स्कूल कहाँ कहाँ स्थापित किये जायें ताकि कम से कम स्कूलों द्वारा अधिक से अधिक क्षेत्रों में पढ़ाई की व्यवस्था हो सके। प्राप्त सूचनाओं की सहायता से वासस्थानों और स्कूल क्षेत्रों के रजिस्टर तो तैयार किये ही गये हैं साथ ही यह पता लगाने का भी यत्न किया गया है कि प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तर के स्कूलों में कितने कितने स्थानीय और अस्थानीय छात्र-छात्राएँ हैं, कितने कितने अध्यापक-अध्यापिकाएँ हैं और उनके पास कितना कितना स्थान है। इस सारी सूचना को ज़िलेवार सारिणियों और ज़िलेवार रिपोर्टों में व्यक्त किया गया है और साथ ही राज्यवार सारिणियों और रिपोर्टों में भी संकलित करके अन्त में अखिल भारतीय रिपोर्ट तैयार की गयी है।

जनवरी-फरवरी, 1957 में केन्द्रीय सेमिनार तथा प्रायोगिक सर्वेक्षण का संगठन किया गया था जिसमें राज्यों के सर्वेक्षण अफसरों को सर्वेक्षण तकनीक और कार्य विधि का प्रशिक्षण दिया गया था। उन्होंने अपने राज्यों में जा कर उसी प्रकार के सेमिनार किये और ज़िला सर्वेक्षण अफसरों को प्रशिक्षण दिया। तब जून, 1957 में कुछ राज्यों में ज़िलेवार काम शुरू कर दिया गया और कुछ राज्यों में बाद में 1958 में काम शुरू हुआ। इस समय भाग लेने वाले राज्यों और केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में क्षेत्रीय कार्य समाप्त हो चुका है और अधिकांश राज्यों से ज़िलेवार और राज्यवार रिपोर्टें प्राप्त हो चुकी हैं। बाकी राज्यों से शीघ्र ही आने वाली हैं इस प्रकार अखिल भारतीय सारिणियों और रिपोर्टों का संकलन करने का काम काफी प्रगति कर चुका है। यह आशा है कि वह काम शीघ्र ही समाप्त हो जायेगा।

दूसरी पंचवर्षीय आयोजना में सर्वेक्षण के लिए 15 लाख रुपये नियत किये गये थे जिसमें से 1957-58 के लिये 13 लाख 50 हजार रुपये की व्यवस्था थी। 1957-58 में उस वर्ष के अनुमानित खर्च के दो तिहाई भाग के हिसाब से राज्यों को 7,35,239 रुपये मंजूर किये गये थे। इस वर्ष कुछ राज्यों के लिए दिसम्बर, 1958 तक 1,39,531 रुपया मंजूर किया गया है। गत वर्ष के खर्च के वास्तविक विवरण और इस वर्ष के खर्च के अनुमानित विवरण आने पर अनुदान की अंतिम किस्त दे दी जायेगी। सर्वेक्षण कार्य इसी वित्तीय वर्ष में समाप्त हो जाने की आशा है अतः 1959-60 के बजट में उसके लिए व्यवस्था नहीं की जायेगी।



# माध्यमिक शिक्षा

## माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन

माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन करने के विभिन्न कार्यक्रमों पर अमल करने के लिए सन् 1958-59 के लिए राज्य सरकारों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता की मूल बजट व्यवस्था 3.95 करोड़ रुपये की थी, किन्तु अब 1958-59 के लिए पुनरीक्षित बजट प्राक्कलन 3.33 करोड़ रुपये का है। इसमें से वित्त मंत्रालय राज्य सरकारों को बराबर रकम के मासिक उपाय और साधन के देता रहा है; यह रकम केन्द्रीय सहायता की तीन चौथाई के बराबर है। फरवरी 1959 में अन्तिम मंजूरी दी जाएगी। 1959-60 के बजट में चार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

मार्च, 1958 के अन्त तक देश में बहुदेशीय स्कूलों की कुल संख्या 1143 थी, जबकि दूसरी आयोजना के अन्त तक 1187 स्कूलों की स्थापना करने का लक्ष्य था। इस योजना के अधीन मार्च, 1958 तक 3140 उच्चतर माध्यमिक स्कूल स्थापित किये गये।

## माध्यमिक शिक्षा की अखिल भारतीय परिषद्

1958 में परिषद् माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में नीचे दिये हुए काम करती रही :—

**प्रशिक्षण कालेजों में नए विस्तार सेवा विभाग खोलने और पुराने चालू रखने का काम**

इन विभागों द्वारा माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों को स्कूल में रहते हुए ही प्रशिक्षण पाने का अवसर मिलता है। इसके साथ ही वे शिक्षा के सैद्धान्तिक और व्यावहारिक क्षेत्रों में नए से नए विकासों से परिचित रहते हैं। 1957-58 में इस तरह के विभागों की संख्या 52 थी। 1958-59 में एक और विस्तार सेवा विभाग खोला गया।

## मुख्य अध्यापकों और विषय अध्यापकों की गोष्ठी

**अखिल भारतीय गोष्ठियाँ और अनुषंगी कार्यक्रम**

इन गोष्ठियों के द्वारा विभिन्न राज्यों में माध्यमिक स्कूलों के अधीक्षण में लगे हुए लोग एक दूसरे के सम्पर्क में आते हैं और माध्यमिक शिक्षा के नए लक्ष्यों से सम्बन्धित समस्याओं पर विचार-विमर्श करते हैं। समीक्षाधीन वर्ष में मुख्य अध्यापकों और शिक्षा अधिकारियों की आठ गोष्ठियाँ, अनुषंगी कार्यक्रम के तीन वर्कशाप, विषय अध्यापकों की सोलह गोष्ठियाँ और गोष्ठी तथा प्रशिक्षण के चार सम्मिलित पाठ्यक्रम आयोजित किये गये।

**परीक्षा सुधार—**

फरवरी, 1958 में दस मूल्यांकन अफसर शिकागो यूनिवर्सिटी के डाक्टर वी० एस० ब्लूम के निर्देशन में प्रशिक्षण पाने के लिए अमेरिका भेजे गए। अगस्त, 1958 में एक पूरा परीक्षा एकांश खोला गया, जिसमें 14 मूल्यांकन अफसर रखे गए। सितम्बर, 1958 में माध्यमिक शिक्षा-बोर्डों के सचिवों का एक सम्मेलन परिषद् द्वारा बनाए गए परीक्षा

सुधार के एक कार्यक्रम पर विचार करने के लिए बुलाया गया। इस सम्मेलन की सिफारिशों राज्यों को भेजी गईं। इस एकांश ने माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के लिए कई वर्कशॉपों का आयोजन किया जिससे कि वे मूल्यांकन के क्षेत्र में नई पद्धतियों से परिचित हो सकें।

### विज्ञान अध्यापन को पुष्ट करना

परिषद् माध्यमिक स्कूलों में विज्ञान की पढ़ाई को अधिक पुष्ट करने के लिए विज्ञान कालेजों के संगठनों को प्रोत्साहन देती रही है। 1957-58 के अन्त तक परिषद् की सहायता से 130 से अधिक विज्ञान क्लब खोले गए। 1958-59 के लिए 200 ऐसे और क्लब खोलने का लक्ष्य है; राज्यों से कहा गया था कि वे इसके लिए अपने राज्य के कोई दो प्रतिशत माध्यमिक स्कूलों के नाम भेजें।

### स्कूलों में प्रयोग

1958-59 में नौ स्कूल आर्थिक सहायता के लिए स्वीकृत किए गए। इस सहायता द्वारा इन स्कूलों में कक्षा-शिक्षण और स्कूलों के संगठन में सुधार करने के विचार से प्रयोग किए जायेंगे। परिषद् ने एक विवरणिका, 'माध्यमिक स्कूलों में प्रायोगात्मक 'प्रायोजनायें' निकाली है, जिसमें इस योजना के सम्बन्ध में पूरी सूचना दी गयी है।

माध्यमिक शिक्षा की अखिल भारतीय परिषद् अब तक एक स्वायत्त संस्था के रूप में काम करती रही है। अब इसे मंत्रालय में एक निदेशालय का रूप देने का विचार है। आशा है कि 1958-59 में यह विचार कार्यान्वित हो सकेगा।

परिषद् के लिए 1958-59 में 39,80,900 रुपए की बजट व्यवस्था की गई थी और अब 1959-60 के लिए 27, 95,000 रुपयों की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है।

**माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले स्वैच्छिक शिक्षा संगठनों को सहायता—**

इस योजना के अधीन स्वीकृत स्वैच्छिक शिक्षा संगठनों को निम्नांकित क्षेत्रों में अपने कार्यक्रम सुधारने अथवा बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता दी गई है :

1. उच्च और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा।
2. अध्यापकों का प्रशिक्षण।
3. व्यावसायिक और शैक्षिक संदर्शन।
4. प्रशिक्षण स्कूलों और प्रशिक्षण कालेजों में अनुसंधान।

जनवरी 1958 से दिसम्बर 1958 तक विभिन्न शिक्षा संस्थाओं को माध्यमिक शिक्षा का विकास करने के लिए 12,84,307 रुपयों की मंजूरी दी गई। 1958-59 के लिए 14.10 लाख रुपए की बजट व्यवस्था की गई, जिसमें से 9,02,505 रुपए संस्थाओं को अनुदान देने में खर्च किए गए। जनवरी-मार्च, 1959 में दो लाख रुपए और खर्च होने की सम्भावना है।

1959-60 के बजट में इस योजना के निमित्त 16 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है।

### छात्रावास बनाने के लिए ऋण

दूसरी पंचवर्षीय आयोजना के अधीन शिक्षा संगठनों को छात्रावास बनाने के लिए बिना व्याज कर्ज देने का प्रस्ताव किया गया था। मार्च, 1958 में इस सम्बन्ध में विभिन्न संस्थानों के लिए 2,02,454 रुपयों की मंजूरी दी गई।

इसके बाद इस योजना में कुछ परिवर्तन किये गये हैं। अब इस परिवर्तित योजना के अधीन व्याज सहित कर्ज सीधे संस्थानों को न देकर राज्य सरकारों को दिए जायेंगे। राज्य सरकारों से कहा गया था कि वे इस परिवर्तित योजना में बताई गई पद्धति के अनुसार नई अर्जियाँ भेजें।

### माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित समस्याओं पर किए जाने वाले अनुसंधानों को प्रोत्साहन

1958-59 में इस योजना पर काम होता रहा और अध्यापकों के प्रशिक्षण कालेज और विश्वविद्यालयों के शिक्षा विभागों को अनुदान दिए गए। 1958-59 के बजट में ऐसे अनुदानों के लिए 1,64,500 रुपये की व्यवस्था है।

इस वर्ष अठारह नई प्रायोजनायें शुरू की गयीं जिन पर विचार हो रहा है। पाँच पुरानी प्रायोजनायें पूरी कर ली गयीं।

श्रीनगर में 17 से 20 मई, 1958 तक एक गोष्ठी हुई जिसमें विभिन्न संस्थाओं के अनुसंधान कार्यों को समन्वित करने और उनके कार्यों की रिपोर्ट पर विचार किया गया।

समीक्षाधीन वर्ष में विभिन्न प्रायोजनाओं के लिए संस्थाओं को आर्थिक सहायता दी गयी। इस सब का विवरण नीचे की तालिका में दिया गया है :

संस्था	अनुसंधान प्रायोजना	1958-59 में मंजूर किए गए अनुदान
		रु०
1. केन्द्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्ली	1. मनोविनोद के लिए पढ़ना	10,705
2. शिक्षा का भारतीय संस्थान, बम्बई	2. बम्बई और उसके पड़ोस के थाना कोलाबा और रत्नागिरि जिलों में माध्यमिक शिक्षा में होने वाला अपव्यय	4,950
3. सेंट जेवियर्स का शिक्षा संस्थान, बम्बई, बम्बई विश्वविद्यालय, बम्बई	3. स्टैण्डर्ड VII के लिए उपलब्ध परीक्षणों की तैयारी और मराठी में रचियों की	3 604

संस्थान	अनुसंधान प्रायोजना	1958-59 में मंजूर किए गए अनुदान
		रुपये
4. एम० एस० विश्वविद्यालय, बड़ौदा	4. शिक्षा और व्यावसायिक संदर्शन	23,671
	5. उपलब्धि परीक्षणों का निर्माण और मानकीकरण	
5. गुजरात अनुसंधान समाज, बम्बई	6. माध्यमिक स्कूलों—पाँचवी से सातवीं कक्षा तक—के बच्चों के लिए उपलब्धि परीक्षणों का निर्माण और मानकीकरण	16,100
6. मद्रास विश्वविद्यालय	7. प्रज्ञा परीक्षणों का मानकीकरण	5,169
7. श्री रामकृष्ण मिशन विद्यालय अध्यापक कालेज, कोयम्बटूर	8. कोयम्बटूर जिले में हाई स्कूल के विद्यार्थियों की सामाजिक और आर्थिक अवस्थाओं का अध्ययन	3,375
8. प्रेसेण्टर्स का त्यागराज कालेज मदुरई	9. मदुरई के स्कूलों में सामाजिक विद्याओं के अध्यापन और दूसरी सम्बन्धित समस्याओं की जाँच	3,824
9. रावानाथ प्रशिक्षण कालेज, कटक	10. विज्ञान का वैज्ञानिक रीति से अध्यापन	2,400
10. महिलाओं का देव समाज कालेज फ़िरोज़पुर	11. स्कूलों में रेडियो कार्यक्रमों की उपयोगिता और उनको अधिक कारगर बनाने के तरीके और साधन	5,312
11. लखनऊ विश्वविद्यालय	12. भारत में माध्यमिक अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम का समी- क्षात्मक मूल्यांकन	4,800
12. डी० ए० बी० कालेज, देहरादून	13. भारतीय स्कूलों में लड़कों की पलायन प्रवृत्ति के कारणों की जाँच	2,654
13. मेरठ कालेज, मेरठ	14. छठी, सातवीं और आठवीं कक्षाओं के लिए सामान्य विज्ञान में उपलब्धि परीक्षणों का निर्माण और मानकीकरण	3,123



संस्थान	अनुसंधान प्रायोजना	1958-59 में मंजूर किए गए अनुदान
14. शिक्षा का बी० आर० कालेज, आगरा	15. अंग्रेजी और गणित में उपलब्धि परीक्षणों का निर्माण	रुपया 2,000
15. मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	16. अलीगढ़ विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण पाने वाले अध्यापकों की रुचियों का दूसरे व्यवसायों में प्रशिक्षण पाने वालों की रुचियों की तुलना में अध्ययन	5,510
16. तिलकधारी प्रशिक्षण कालेज, जौनपुर	17. लिखित अंग्रेजी में सामान्य भूलें उनको रोकने और दूर करने के उपाय	5,200
17. इलाहाबाद विश्वविद्यालय	18. माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के कार्यभार का सर्वेक्षण	5,378
18. डी० एस० कालेज, अलीगढ़	19. हाई स्कूल परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण होने के कारण	5,679
19. महिला विद्यालय प्रशिक्षण कालेज, लखनऊ	20. हिन्दी में रुचियों की सूची का मानकीकरण	3,299
20. गौरखपुर विश्वविद्यालय	21. छठी से बारहवीं कक्षा तक कम संख्या में विद्यार्थियों के आने के कारणों का अध्ययन	2,700
21. विद्या भवन, विश्वभारती, शान्तिनिकेतन	22. पूर्वी उत्तर प्रदेश के शहरी और देहाती माध्यमिक स्कूलों के विद्यार्थियों की बौद्धिक योग्यता का सर्वेक्षण	2,150
22. डेविड हरे प्रशिक्षण कालेज, कलकत्ता	23. विभिन्न स्कूल विषयों में मानकीकृत अवाप्ति परीक्षणों की तैयारी	3,002
23. उद्योग विद्या का भारतीय संस्थान, खड़गपुर	24. अध्यापन कुशलता की दृष्टि से प्रशिक्षण प्राप्त और बिना प्रशिक्षण वाले अध्यापकों का तुलनात्मक अध्ययन	2,800
24. महिलाओं का शिक्षा संस्थान, कलकत्ता	25. भारत में बोर्ड और विश्व-विद्यालय परीक्षाओं की प्रभावशीलता और उनमें सुधार करने के सुझाव	25,587
	26. अध्यापन के प्रति अभिवृत्ति	4,600

1959-60 के बजट में 1,80,000 रुपये की व्यवस्था की गई है, जिससे कि इन अनुसंधान योजनाओं को अनुदान दिए जाते रहें और साथ ही कोई नई प्रायोजना हो तो उसको भी आर्थिक सहायता दी जा सके।

### देहाती माध्यमिक स्कूलों में कृषि पाठ्यक्रमों का आरम्भ

यह खेद है कि इस योजना पर संतोषजनक रीति से काम नहीं हो सका। 1957-58 के लिये राज्यसरकारों को जो 9.3 लाख रुपये मंजूर किये गये थे उसमें से केवल पश्चिमी बंगाल ने अपना और केन्द्रीय सरकार का हिस्सा खर्च किया। 1958-59 में केवल पश्चिमी बंगाल सरकार को ही अनुदान देने का विचार है और चालू वर्ष के लिये हमारा पुनरीक्षित अनुमान 4.6 लाख रुपये का है। 1959-60 से इस योजना को समाप्त कर देने का विचार है।

### हाई स्कूलों के लिये न्यूयार्क हैरल्ड ट्रिब्यून फोरम

फोरम के आयोजकों के निमंत्रण पर इस फोरम में भाग लेने के लिए त्रिवेन्द्रम की विश्वविद्यालय-पूर्व कक्षाओं की एक विद्यार्थी, कुमारी नलिनी नायर को राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों की सहायता से एक प्रतियोगिता द्वारा चुना गया। यह फोरम न्यूयार्क में जनवरी-मार्च 1959 में होगा। कुमारी नायर 27 दिसम्बर 1958 को बम्बई से न्यूयार्क के लिये रवाना हो गईं। 1960 के फोरम के लिये इसी प्रकार एक प्रतिनिधि भेजने के सम्बन्ध में होने वाले खर्च के लिये पाँच सौ रुपये की व्यवस्था कर दी गयी है।

### अंग्रेजी का केन्द्रीय संस्थान, हैदराबाद

17 नवम्बर 1958 को हैदराबाद में एक अंग्रेजी के केन्द्रीय संस्थान की स्थापना की गयी। इस संस्थान के उद्देश्य अंग्रेजी अध्यापन का स्तर सुधारना, अंग्रेजी भाषा और साहित्य के अध्ययन की व्यवस्था करना, अंग्रेजी के अध्यापन के सम्बन्ध में अनुसंधान की व्यवस्था करना, अध्यापकों को प्रोत्साहन देना, उच्च-पाठ्यक्रम आरम्भ करना और उनके लिए सुविधाएँ देना और सम्मेलन और गोष्ठियों का संगठन करना आदि हैं। इस संस्थान की स्थापना एक स्वायत्त संस्था के अधीक्षण और नियंत्रण में की गई है; और यह संस्था हैदराबाद के सार्वजनिक संस्था ऐक्ट के अधीन रजिस्टर की जा चुकी है।

दिसम्बर, 1958 के अन्त तक इस संस्थान के लिये 2,01,500 रुपये की मंजूरी दी गयी। जनवरी-मार्च, 1959 में और 1 लाख रुपये की मंजूरी देने का विचार है। 1959-60 के बजट में 6.5 लाख रुपयों की व्यवस्था की गयी है।

### अन्तर्राज्य सद्भावना को प्रोत्साहन देने की योजना

इस योजना के कार्यक्रमों का विवरण तैयार किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण शहरों में प्रादेशिक शिविर करने का विचार है। यह भी विचार है कि प्रत्येक राज्य के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक योगदान के बारे में एक पुस्तिका तैयार की जाए।

## गाँधीजी के उपदेशों और जीवन-प्रणाली को प्रोत्साहन देना

प्राथमिक, माध्यमिक और विश्वविद्यालयों के स्तर के लिये महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गाँधी जी के योगदान के बारे में वर्तमान पुस्तक-साहित्य से एक-एक पुस्तक चुनने के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है। राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे अपने अधीन सभी स्कूलों को आदेश दें कि वे प्रतिवर्ष यथोचित रीति से गाँधी सप्ताह मनायें। कुमारी मनुबेन गाँधी ने बम्बई राज्य के 25 चुने हुए स्कूलों में गाँधी जी के जीवन के विभिन्न पक्षों पर व्याख्यान दिया।

विश्वविद्यालयों में भी इसी प्रकार के व्याख्यान कराने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। ये व्याख्यान गाँधी जी के जीवन के विभिन्न पक्षों से परिचित प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा दिये जायेंगे।

इस योजना के लिये 1959-60 में 15 हजार रुपयों की बजट व्यवस्था की गयी है, जब कि 1958-59 में 10 हजार रुपयों की व्यवस्था थी।

## भारत से जानेवाले और आने वाले शैक्षिक प्रतिनिधिमण्डल

इस तरह के प्रतिनिधि मण्डलों की व्यवस्था पहले सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंगरूप में की जाती थी। अब सांस्कृतिक क्रियाकलाप नये मंत्रालय, वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्यों के मंत्रालय, के अन्तर्गत होते हैं। 1959-60 से भारत आनेवाले और जानेवाले शैक्षिक प्रतिनिधि-मण्डलों के लिये 75,000 रुपयों की अलग व्यवस्था कर दी गयी है। अगले वर्ष जो प्रतिनिधि-मंडल भारत आयेंगे उनमें महत्वपूर्ण प्रतिनिधि-मण्डल—नेपाल के विद्यार्थी, सिक्किम और भूटान के अध्यापक और विद्यार्थी हैं। अगले वर्ष एक भारतीय हाकी टीम अफ़ग़ानिस्तान भेजने का भी विचार है।

## शैक्षिक और सांस्कृतिक संगठनों को अनुदान

1958-59 के लिए वनस्थली विद्यापीठ को दिए जाने वाले अनुदान का पुनरीक्षित अनुमान 45 हजार रुपये हैं इसके लिये 1959-60 में 35 हजार रुपये की व्यवस्था है।

## माध्यमिक शिक्षा पत्रिका

अप्रैल, 1956 में माध्यमिक शिक्षा कमीशन की सिफ़ारिश पर एक तिमाही पत्रिका 'सेक्रेण्डरी एजुकेशन' का प्रकाशन शुरू किया गया था। यह पत्रिका समीक्षाधीन वर्ष में भी निकलती रही। अगले वर्ष भी इस पत्रिका का प्रकाशन जारी रखा जायेगा।

## केन्द्रीय अनुसंधान सलाहकार समिति

शिक्षा मंत्रालय के सचिव, श्री के० जी० सैयिदैन की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय अनुसंधान सलाहकार समिति स्थापित की गयी। इस समिति का कार्य भारत सरकार के

अधीन विभिन्न अनुसंधान संस्थाओं के कार्यों का समन्वय करना है। इन अनुसंधान संस्थाओं के नाम हैं :—

शैक्षिक और व्यावसायिक संदर्शन का केन्द्रीय ब्यूरो  
पाठ्यपुस्तक अनुसंधान का केन्द्रीय ब्यूरो  
बुनियादी शिक्षा का राष्ट्रीय संस्थान, और  
राष्ट्रीय मूल शिक्षा केन्द्र ।

1958 में इस समिति की दो बैठकें हुईं। पहली बैठक 15 और 16 अप्रैल 1958 को और दूसरी 28-29 नवम्बर, 1958 को हुई। इन बैठकों की अध्यक्षता शिक्षा-मंत्री ने की।

अगले वर्ष भी यह समिति कार्य करती रहेगी।

### पाठ्यपुस्तक अनुसंधान का केन्द्रीय ब्यूरो

समीक्षाधीन वर्ष में इस ब्यूरो ने जो काम किया उसे नीचे दी हुई कौटियों में बांटा जा सकता है :—

अनुसंधान कार्य—(विज्ञान और इतिहास) में विश्लेषण पत्रों और सारणियों में टिप्पणियाँ देने और तथ्य सामग्री की व्याख्या करने का काम पूरा हो गया। विभिन्न विषयों में पाठ्यपुस्तकों के विश्लेषण का काम जारी रहा। ब्यूरो के संदर्शन और सहकारिता में प्राथमिक और मिडिल ग्रेड के लिए अंग्रेजी, हिन्दी, गणित, सामाजिक विद्याओं और विज्ञान में नया एकीकृत पाठ्य विस्तार तैयार किया गया। इसमें वर्तमान बुनियादी और गैर-बुनियादी पाठ्य-विस्तार को मिला दिया गया। इस पाठ्य-विस्तार के अनुसार विज्ञान और सामाजिक विद्याओं में 24 प्रयोग-मूलक पाठ मूल्यांकन अभ्यासों के साथ तैयार किये गये।

संयुक्त राष्ट्र की दिल्ली शाखा की सहकारिता में संयुक्त राष्ट्र के संबंध में पढ़ाने के लिये 23 आदर्श पाठ तैयार किये गये और उनके साथ ही अभ्यास और अध्यापकों के लिये सुझाव भी निश्चित किये गये।

सेवा कार्य—समीक्षाधीन वर्ष में पाठ्यपुस्तकों के सम्बन्ध में अनेक समस्याओं पर राजस्थान, मध्यप्रदेश, केरल, आसाम और जम्मू और काश्मीर राज्यसरकारों को सुझाव और निर्देश दिये गये और साथ ही रक्षा मंत्रालय को भी विभिन्न विषयों पर पाठ्यपुस्तकों तैयार करने के लिये सुझाव दिये गये।

दिल्ली, पंजाब और मद्रास में मास्टर और डाक्ट्रेट डिग्री के लिए प्रबन्ध लिखने वाले विद्यार्थियों का संदर्शन किया गया।

पाठ्यपुस्तकों के उपयोग के सम्बन्ध में एक दिन की गोष्ठी का आयोजन किया गया।

**प्रकाशन—**

भाषा और विज्ञान की नामांकन पत्रियों और एक विवरणिका—“भारत में पाठ्यपुस्तकों के लिये पाठ-चुनाव की विधियाँ” प्रकाशित की गयीं और बाँटी गयीं। एक और विवरणिका...—“भारत में पाठ्यपुस्तकों की निर्माण विधियाँ” छापी जा रही है।

**1959 का कार्यक्रम—**

हिन्दी, इतिहास, भूगोल और विज्ञान में विभिन्न स्तरों के लिये दस आदर्श पाठों की तैयारी करना जिनमें अध्यापकों के मैन्युअल और अभ्यास भी रहेंगे।

इतिहास और विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों के विश्लेषण से प्राप्त होने वाले आँकड़ों का विवेचन पूरा करना।

सामाजिक विद्याओं, सामान्य अध्ययनों और सामान्य विज्ञान में प्रयोगमूलक पाठ बनाने की योजना।

संयुक्त राष्ट्र प्रायोजना के प्रयोगमूलक पाठ तैयार करना।

पाठ्यपुस्तकों के निर्माण के लिये “लेखकों और प्रकाशकों को सुझाव” नामक पुस्तिका पूरी करना।

दूसरे भारतीय राज्यों के संदर्शन के लिये दिल्ली पाठ्य-विस्तार प्रायोजना की रिपोर्ट पूरी करना।

**शैक्षिक और व्यावसायिक संदर्शन का केन्द्रीय ब्यूरो****गोष्ठियाँ और सम्मेलन—**

समीक्षाधीन वर्ष में केन्द्रीय ब्यूरो ने संदर्शन-संगठनों, अध्यापक कालेजों और विश्वविद्यालयों आदि को टैकनिकल सहायता दी। केन्द्रीय ब्यूरो के निदेशन में माध्यमिक स्कूलों में शैक्षिक और व्यावसायिक संदर्शन पर दो दिन की गोष्ठियाँ नीचे दिए हुये संस्थानों में की गयीं :—

देवसमाज कालेज, फ़िरोज़पुर	...	...	मई, 1958
मेरठ कालेज, मेरठ	...	...	जुलाई, 1958
वाई० एम० सी० ए० काउंसिलिंग सेन्टर, बंगलौर	...	...	अक्तूबर, 1958
जीव भारती, सूरत	...	...	नवम्बर, 1958
बी० आर० कालेज, आगरा	...	...	दिसम्बर, 1958

इन गोष्ठियों में माध्यमिक स्कूलों के प्रधानों, अध्यापकों और विद्यार्थियों ने भाग लिया।

इन गोष्ठियों में माध्यमिक और हाई स्कूल के स्तर पर स्कूलों के कार्यक्रमों में शैक्षिक और व्यावसायिक संदर्शन के कार्यक्षेत्र पर विचार किया गया। इन कुछ बातों पर विशेष जोर दिया गया :—(क) स्कूल छोड़ने वालों का व्यावसायिक अनुस्थापन (ख) “डेल्टा” कक्षाओं के विद्यार्थियों की पाठ्यचर्या का अनुस्थापन (ग) “पोषक” स्कूलों से हाई स्कूलों में आने वाले विद्यार्थियों का सामान्य अनुस्थापन। इन गोष्ठियों में न्यूनतम किन्तु पर्याप्त स्कूल संदर्शन कार्यक्रम और संदर्शन साधनों का प्रयोग; जैसे कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण, संदर्शन फिल्म पट्टियाँ और पोस्टर, मॉडल आदि पर भी विचार किया गया।

केन्द्रीय ब्यूरो में जून 1958 में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ जिसमें विश्वविद्यालयों के स्तर पर संदर्शन और विद्यार्थी कार्मिक कार्यों पर विचार किया गया। इस सम्मेलन में विश्वविद्यालय/कालेज के युवकों के लिये संदर्शन और विद्यार्थी कार्मिक सेवाओं की व्यवस्था करने पर विचार किया गया और योजनाएँ सुझाई गयीं। सम्मेलन में अमरीकी कार्मिक और संदर्शन संस्था की अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध समिति के अध्यक्ष, डा० वैजले लायड ने और ब्राइघाम यंग यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के डीन ने भी भाषण दिया।

केन्द्रीय ब्यूरो ने अखिल भारतीय शैक्षिक और व्यावसायिक संदर्शन संस्था की 1958 की सालाना बैठक और संदर्शन सम्मेलन के लिये कार्यवली और कागज़-पत्र तैयार किये। यह बैठक और सम्मेलन जबलपुर में 12 से 15 अप्रैल, 1958 तक हुआ था। मध्यप्रदेश राज्य सरकार के शिक्षा-विभाग ने अतिथियों के निवास और स्वागत आदि का प्रबन्ध किया। इस सम्मेलन में संदर्शन-संगठनों, अध्यापक-कालेजों, विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय रोज़गार सेवाओं के निदेशालयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

मई, 1958 में दिल्ली के उन स्कूलों के प्रिंसिपल और काउंसलरों का एक सम्मेलन हुआ जिनमें स्कूल संदर्शन कार्यक्रम पर अमल हो रहा है। इस सम्मेलन ने उन नियमित स्कूल कार्यक्रमों में संदर्शन सेवाओं को सम्मिलित किये जाने की सिफ़ारिश की जिनको सरकार ने अनुदान देने के लिये स्वीकृति दे दी है।

### संदर्शन कार्मिक प्रशिक्षण और संदर्शन सेवाएँ

जुलाई 1958 में संदर्शन के काउंसलरों और निदेशकों के लिए दस महीने के एक सत्र का पाठ्यक्रम चलाया गया। आंध्रप्रदेश, आसाम और केरल राज्यों का एक-एक प्रतिनिधि, अध्यापक-कालेजों के तीन प्राध्यापक और हाई स्कूलों के चार अध्यापक इस पाठ्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य यह है कि माध्यमिक स्कूलों और कालेजों में संदर्शन के सैद्धांतिक और व्यावहारिक पक्षों पर पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जा सके।

भारत में संयुक्त राष्ट्र टेकनिकल सहकारिता मिशन की सहायता से शैक्षिक और व्यावसायिक अनुस्थापन पर सात फिल्म पट्टियों की एक मोला तैयार की जा रही है। इन फिल्म पट्टियों में उन सात विविध-रूप पाठ्यक्रमों के बारे में लिखा गया है जो

बहुदेशी स्कूल व्यवस्था में सम्मिलित किये गये हैं। यदि ये फिल्म-पट्टियाँ उपयोगी साबित हुईं तो माध्यमिक स्कूलों के लिये और बहुत बड़ी संख्या में तैयार की जायेंगी।

इसी अवधि में "संदर्शन समाचार" नामक एक बुलेटिन के माइमोग्राफ किए हुए तीन अंक निकाले गये। इन अंकों में संदर्शन संगठनों से प्राप्त सूचना दी गयी, और संदर्शन और परामर्श व्यवहारों और साधनों पर लेख दिये गये।

### अनुसंधान

इस क्षेत्र में जो कार्य किया गया उसका सम्बन्ध मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की तैयारी से रहा जो कि माध्यमिक स्कूलों के युवकों के व्यावसायिक विकास का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करने और स्कूलों के संदर्शन कार्य के लिये उपयोगी हैं।

एक और प्रायोजना के अधीन एक संदर्शन बैटरी "डेल्टा" कक्षाओं में प्रयोग किये जाने के लिये और दूसरी चुनाव परीक्षणों की बैटरी विज्ञान वर्ग के लिये तैयार की जा रही है। ये दोनों प्रकार के परीक्षण एक दूसरे के पूरक हैं; संदर्शन परीक्षण 'डेल्टा' कक्षाओं के लिये पाठ्यक्रम का चुनाव करने में सहायक होते हैं और चुनाव परीक्षण किसी एक विद्यार्थी के ज्ञान और कशलता को आँकने में सहायक होते हैं। एक और प्रायोजना आरम्भ की गई जिसमें बंशलर के प्रौढ़ प्रज्ञामान को रूपांतरित करने का विचार है। यह परीक्षण इस देश में पिछले युद्ध के समय से प्रयोग में है; लेकिन अब ऐसा विचार है कि स्कूलों और कालेजों में निदेशन के लिये इसका विधिवत परीक्षित और रूपांतरित रूप भी स्वीकृत किया जाना चाहिये।

दिल्ली क्षेत्र के माध्यमिक स्कूलों के विद्यार्थियों के व्यावसायिक विकास के मनो-वैज्ञानिक अध्ययन की एक आयोजना बनायी गयी जिस पर काम हो रहा है।

1957-58 में केन्द्रीय ब्यूरो ने भारत सरकार के पब्लिक स्कूलों की योग्यता छात्रवृत्ति योजना में प्रयोग किये जाने के लिये उपयुक्त मनोवैज्ञानिक परीक्षण तैयार किये।

दिल्ली के एक कालेज के नये विद्यार्थियों की संदर्शन आवश्यकताओं का एक सर्वेक्षण किया गया। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य यह है कि इसके द्वारा विद्यार्थी की शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत समस्याओं को आँका जाये और इस जानकारी का प्रयोग विश्वविद्यालयों/कालेजों में संदर्शन और विद्यार्थी कार्मिक सेवाओं की आयोजना के बनाने में किया जाये।

## राष्ट्रीय रोजगार सेवा के साथ सहयोग

### श्रम मन्त्रालय

केन्द्रीय ब्यूरो व्यावसायिक संदर्शन और रोजगार परामर्श क कार्यकारी दल क  
पत्रिका है : इसकी स्थापना श्रममंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय ने मिलकर की है ; अप्रैल

और सितम्बर में इस कार्यकारी दल की दो बैठकें हुईं। इसके बाद राज्य संदर्शन ब्यूरो के निदेशकों और राष्ट्रीय रोजगार सेवा के राज्य निदेशकों की एक सम्मिलित बैठक हुई। इन बैठकों में केन्द्रीय और राज्यों के शिक्षा और रोजगार सेवाओं के अधिकारियों के आपसी सहयोग और जिम्मेदारियों के विभाजन के प्रश्नों पर विचार किया गया।

### 1959-60 के लिये कार्य योजना :

1958-59 में जो अनुसंधान प्रायोजनायें शुरू की गयीं, उन पर काम होता रहेगा। गोष्ठियों और अल्पकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किये जायेंगे। इस समय जो विद्यार्थी प्रशिक्षण पा रहे हैं, उनसे संबंधित अनुषंगी कार्यक्रम शुरू किया जायेगा। इससे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के परिणामों का मूल्यांकन करने में सहायता मिलेगी।

“संदर्शन समाचार” निकलता रहेगा। स्कूलों की संदर्शन सेवाओं में लगे हुए अध्यापकों के लिये एक कार्य-पुस्तिका और केन्द्रीय ब्यूरो के कार्यों पर एक विवरणिका निकालने का विचार है।

### केन्द्रीय शिक्षा संस्थान

25 अप्रैल, 1958 को समाप्त होने वाले सत्र में संस्थान में बी० एड० कक्षाओं में 91 विद्यार्थी और एम० एड० कक्षाओं में 18 विद्यार्थी थे। परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले एम० एड० के सारे विद्यार्थी और बी० एड० के 87 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुये। एम० एड० विद्यार्थियों में से दो और बी० एड० में से पाँच को डिस्टिक्शन नम्बर मिला। 11 विद्यार्थी जो पी० एच० डी० के लिये काम कर रहे थे, उनमें से दो को उपाधि प्रदान की गयी।

नया सत्र जुलाई 1958 से आरम्भ हुआ और इसमें बी० एड० कक्षा में 100 और एम० एड० कक्षा में 24 विद्यार्थी थे।

कला के उन अध्यापकों के लिये, जिनको प्रशिक्षण नहीं मिला, कलापद्धति पर एक अल्पकालीन शीघ्रबोध पाठ्यक्रम के लिये योजनायें तैयार की गयीं। इस पाठ्यक्रम के तैयार करने में दिल्ली पौलिटैकनिक के कला-विभाग और दिल्ली स्कूलों के कला अध्यापकों से सलाह ली गयी।

संस्थान से सम्बद्ध बुनियादी स्कूल आठ वर्षों के पाठ्यक्रमों के साथ एक पूरे सीनियर बुनियादी स्कूल में परिवर्तित कर दिया गया और उसके लिये अलग स्थान की भी व्यवस्था कर दी गयी।

“मनोविनोद के लिये अध्ययन” नामक प्रायोजना अब अपने कार्य के दूसरे चरण में है। यह प्रायोजना बच्चों में पढ़ाई के प्रति प्रेम पैदा करने के विचार से चलाई गई थी।

इसी अवधि में संस्थान के बाल संदर्शन केन्द्र ने एक बाल मनोविज्ञान विशेषज्ञ के अधीन स्कूलों में काम करते हुये अध्यापकों के प्रशिक्षण और अनुसंधान की ओर अधिक समय और ध्यान दिया। संस्थान की सलाहकार समिति ने सिफारिश की है कि बाल संदर्शन के लिए एक रीडर और एक सामाजिक कार्यकर्ता की नियुक्ति की जाये। संस्थान का विस्तार



जैसे कि घर के कमरों का संगठन, सुधरी हुई परीक्षाओं और परीक्षकों का आरम्भ और संदर्शन सेवा—और ये प्रयोजनायें पसंद की गयीं और इन में सफलता मिली। विभाग ने शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशकों के लिये शारीरिक शिक्षा के एक पाठ्यक्रम का संगठन किया। विस्तार सेवा कार्यों में उन स्कूलों के लिये जो अपनी परीक्षाओं की पद्धतियों में सुधार करना चाहते हैं, पूरे अध्यापक वर्ग के लिये मूल्यकान पर वर्कशापों का संगठन किया गया। इन वर्कशापों से अब तक छः स्कूलों ने लाभ उठाया है। सेंट टामस में उच्चतर माध्यामिक स्कूलों में एक अध्ययन मण्डल शुरू किया गया है। इसी तरह का एक अध्ययन मण्डल पहले से ही संस्थान में काम कर रहा है।

समीक्षाधीन वर्ष में संस्थान ने नीचे दिये हुये प्रकाशन निकाले :

1. बौद्धिक रूप से विकास—रुद्ध बच्चे
2. अध्यापक कालेजों के लिये मूल्यांकन कसौटी
3. नर्सरी स्कूल, केन्द्रीय शिक्षा संस्थान के बच्चों के समाजीकरण के लिये आरंभिक कदम
4. फिलिपीन्स में सामुदायिक स्कूल

### 1959 का कार्यक्रम

संस्थान के सामान्य काम होते रहेंगे और उसके साथ ही संस्थान को शिक्षा अनुसंधान के एक केन्द्र के रूप में पुनर्गठित करने की योजनायें भी तैयार हैं। केन्द्रीय अनुसंधान सलाहकार समिति ने सिफारिश की है कि पाठ्यपुस्तक अनुसंधान का केन्द्रीय ब्यूरो और शैक्षिक और व्यावसायिक संदर्शन का केन्द्रीय ब्यूरो इस पुनर्गठित संस्थान में मिला दिया जाये। आशा है कि संस्थान अमरीका और रूस में अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों के आधार पर सामान्य शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षणों के एक सम्मिलित पाठ्यक्रम पर भी प्रयोग करेगा। संस्थान की सलाहकार समिति ने इस योजना को सैद्धांतिक रूप में स्वीकार कर लिया है।

संस्थान पब्लिक स्कूलों के योग्यता छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थियों के सामाजिक समंजन का अध्ययन और पाठ्यचर्या का राष्ट्रीय एकीकरण के दृष्टिकोण से अध्ययन करने का विचार कर रहा है।

## उच्च शिक्षा केन्द्रीय विश्वविद्यालय

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय जाँच समिति की रिपोर्ट मिलने पर राष्ट्रपति ने 1958 में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक का प्रख्यापन किया है। बाद में यह विधेयक संसद के एक अधिनियम द्वारा निरसित कर दिया गया जो 20 सितम्बर, 1958 को बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1958 बनाया गया। अन्तरिमकालीन रूप से इस विधेयक और अधिनियम दोनों के अधीन विश्वविद्यालय के प्रशासन में कुछ सुधार सुझाये गये हैं। इस समय इस जाँचसमिति की सिफारिशों पर शिक्षा मंत्रालय विचार कर रहा है। जाँचसमिति की इन सिफारिशों पर शिक्षा मंत्रालय, विश्वविद्यालय अधिकारियों, विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन, उत्तर प्रदेश सरकार और दूसरे सम्बन्धित अधिकारियों के परामर्श से विचार कर रहा है। यह विचार है कि अगले साल बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम में दीर्घकालीन संशोधनों का सुझाव दिया जाये और उनको अगले वर्ष संसद के सामने रखा जाये।

प्रोफ़ेसर सत्येन्द्र नाथ बोस ने राष्ट्रीय प्रोफ़ेसर नियुक्त हो जाने के बाद विश्व-भारती, शांतिनिकेतन के उपाचार्य (बाइचांसलर) के पद से अपना त्यागपत्र दे दिया। राष्ट्रपति ने विश्वभारती के परिदर्शक के रूप में 24 दिसम्बर, 1958 से प्रोफ़ेसर बोस का त्यागपत्र मंजूर किया। विश्वविद्यालय की कर्म-समिति की सिफारिशों पर राष्ट्रपति ने परिदर्शक के रूप में 1951 के विश्वभारती अधिनियम की धारा 40 (1) के अधीन सतीशचन्द्र चौधरी की उपाचार्य पद के लिये नियुक्ति की अनुमति दी।

लोकसभा ने संसद-सदस्य, श्री बलबीर सिंह को विश्वभारती की संसद (कोर्ट) का एक प्रतिनिधि नियुक्त किया।

राज्यसभा के संसद-सदस्य, श्री पी० एन० सप्रू को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की संसद का एक प्रतिनिधि नियुक्त किया गया।

राष्ट्रपति ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के परिदर्शक के रूप में श्री प्रेम नारायण, उपवित्त सलाहकार, भारत सरकार और श्री एन० एन० आर्यंगार, सहायक सचिव, विश्वविद्यालय आयोग को दिल्ली, अलीगढ़, बनारस और विश्वभारती विश्वविद्यालयों की वित्त-समिति का सदस्य नामित किया या पुनर्नामित किया।

राष्ट्रपति ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के परिदर्शक के रूप में नीचे दी हुई विश्व-विद्यालय-संस्थाओं में इन व्यक्तियों को सदस्य के रूप में नामित किया या पुनर्नामित किया।

1 मि. जस्टिस एन० एच० भगवती )	कार्यकारी परिषद् के सदस्य, दिल्ली,
2 डा० ताराचन्द, संसद-सदस्य )	विश्वविद्यालय
3 श्रीमती रेणुका रे )	
4 श्री के० सी० सेन )	कर्म-समिति के सदस्य, विश्वभारती
5 डा० जे० सी० रे )	शांतिनिकेतन
6 श्री क्षिति मोहन सेन	संसद (कोर्ट) के सदस्य, विश्वभारती
7 श्री जे० पी० नियोगी	चुनाव समिति के सदस्य, विश्वभारती

प्रधानमंत्री ने विश्वभारती के आचार्य (चांसलर) डा० हसन अमीर अली को विश्व-विद्यालय की कर्म-समिति का एक सदस्य नामजद किया।

#### विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन

1956 के विश्वविद्यालय अनुदान-कमीशन अधिनियम 1956 का तीसरा धारा 25 द्वारा प्राप्त अधिकारों के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन (रिटर्न और सूचना) नियम, 1957 और विश्वविद्यालय अनुदान-कमीशन (नौकरी की शर्तें और व्यवस्थायें) नियम, 1958 बनाये। ये नियम संसद के दोनों सदनों के सामने विधिवत रखे गये।

विश्वविद्यालय अनुदान-कमीशन अधिनियम, 1956 की धारा 3 में दिये हुये अधिकार से केन्द्रीय सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन की सलाह पर सरकारी गजट में अधिसूचना निकाली कि जहाँ तक विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन का संबंध है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को एक विश्वविद्यालय माना जायेगा। बंगलौर के भारतीय विज्ञान संस्थान को भी वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्यों के मंत्रालय ने जहाँ तक इस अधिनियम का संबंध है, उसे विश्वविद्यालय घोषित किया।

विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम, 1956 (1956 का तीसरा) की धारा 26 की उपधारा (2) में दिये गये अधिकारों के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन द्वारा तैयार किये गये विनियमों का अनुमोदन किया। कमीशन ने यह विनियम इस अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन बनाये और उसमें उन संस्थाओं या संस्था-वर्गों का निर्देश किया जिनको कमीशन अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (च) के अधीन विश्वविद्यालयों में सम्मिलित मान सकता है। भारत सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन द्वारा तैयार की गयी डिग्रियों की उस सूची को भी अनुमोदन दे दिया जिसे कमीशन ने अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (3) के अधीन

1958-59 में विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन के लिए कुल 4.32 करोड़ रुपये के अनुदान की व्यवस्था थी। इसमें से 4.30 करोड़ रुपये अबतक कमीशन को दिये जा चुके हैं। विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन को दिये जाने वाले अनुदान की यह व्यवस्था की गयी है —

आयोजना		रुपये
पुनरीक्षित प्राक्कलन	(1958-59)	4,46,00,000
बजट प्राक्कलन	(1959-60)	4,58,00,000
<b>आयोजना-वाह्य</b>		
पुनरीक्षित प्राक्कलन	(1958-59)	1,62,40,000
बजट प्राक्कलन	(1959-60)	2,06,23,000

### तीन वर्षों का डिग्री पाठ्यक्रम

सभी विश्वविद्यालय तीन वर्षों के डिग्री पाठ्यक्रम को अपनााने के लिए राजी हो गये हैं; केवल बम्बई विश्वविद्यालय ने कुछ शैक्षिक कारणों से इसे स्वीकार नहीं किया और गोरखपुर विश्वविद्यालय अभी इस मामले पर विचार कर रहा है। दिल्ली और जादवपुर विश्वविद्यालयों के अलावा जिन्होंने 1943-44 और 1956-57 में क्रमशः तीन साल का डिग्री कोर्स आरम्भ कर दिया था, 1958-59 तक 18 विश्वविद्यालयों ने इसे आरम्भ कर दिया, और दूसरे विश्वविद्यालयों ने दूसरी आयोजना की अवधि में इसे कार्यान्वित करने का निर्णय किया है।

शिक्षा मंत्रालय त्रिवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम अनुदान समिति की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकारों को सरकारी कालेजों के लिये, और विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन द्वारा गैरसरकारी कालेजों के लिये संबंधित विश्वविद्यालयों को 1958-59 से केन्द्रीय आर्थिक सहायता दी जा रही है।

दूसरी पंचवर्षीय आयोजना के अन्तर्गत त्रिवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये केन्द्रीय आर्थिक सहायता के निमित्त शिक्षा मंत्रालय को तीन करोड़ रुपये का विनिधान किया गया है। इस विनिधान में से इस प्रकार अनुदान व्यवस्था की गयी है।

### 1958-59 के लिये पुनरीक्षित प्राक्कलन

सरकारी कालेजों के लिये राज्य सरकारों को शिक्षा मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली रकम।

लाख रुपये

35

विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन को शिक्षा मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली रकम जिसे कमीशन संबंधित विश्वविद्यालयों को गैरसरकारी कालेजों को देने के लिये मंजूर करेगा।

35

कुल जोड़

70

## 1959-60 के लिए प्राक्कलन

सरकारी कालेजों के लिए राज्य सरकारों को शिक्षा मन्त्रालय द्वारा दी जाने वाली रकम	25
शिक्षा मन्त्रालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन को दी जाने वाली रकम जिसे गैरसरकारी कालेजों में वितरण करने के लिए कमीशन संबंधित विश्वविद्यालयों को मंजूर करेगा	95
कुल जोड़	120

इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन ने दूसरी पंचवर्षीय आयोजना में अपने विनिधान में से नीचे दी हुई रकमों को इस योजना लिये केन्द्रीय सहायता के रूप में अलग रख दिया है।

## 1958-59

गैरसरकारी कालेजों को दिये जाने के लिये संबंधित विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन द्वारा दी जाने वाली रकम	लाख रुपये 80
--	-----------------

## 1959-60

गैरसरकारी कालेजों को दिये जाने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन द्वारा संबंधित विश्वविद्यालयों को दी जाने वाली रकम	120
--	-----

इस योजना को कार्यान्वित करने में जो खर्च होगा, उसका निर्धारक विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन करेगा और इस संबंध में वह अपनी विनिहित सीमा का ध्यान रखेगा।

केन्द्रीय आर्थिक योगदान के बराबर ही रकम राज्य सरकारें और/या गैरसरकारी प्रबन्ध अधिकारी देंगे।

**छात्रावास और अध्यापकों के लिए क्वार्टर बनाने के लिए विश्वविद्यालयों और दिल्ली विश्व-विद्यालय के संघटक कालेजों को दिया जाने वाला ऋण**

विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन को विश्वविद्यालयों को कर्ज देने का अधिकार नहीं दिया गया है, इसलिये कमीशन की सिफारिश पर छात्रावास और अध्यापकों के लिये क्वार्टर बनाने के लिये विश्वविद्यालयों और दिल्ली यूनिवर्सिटी के संघटक कालेजों को कर्ज देने की मंजूरी केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जायेगी। अभी हाल ही में जो निर्णय हुआ है, उसके अनुसार विश्वविद्यालयों को जो कर्ज दिया जायेगा, उस पर लगने वाले ब्याज की दरें कर्ज देने के समय की बाजार की हालतों और दूसरी सम्बद्ध बातों को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जायेगी। छात्रावासों के लिये दिये जाने वाले कर्ज की तीस लाख का किस्तों में अदा किये जा सकते हैं, किन्तु अध्यापकों के लिए क्वार्टरों के लिए जो कर्ज दिये जायेंगे, वे 25

प्राक्कलनों में इस योजना के लिए पहले 35 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी थी। किन्तु, वर्तमान स्थिति से ऐसा लगता है कि चालू वित्तीय वर्ष में इस काम के लिए, 15 लाख रुपये की जरूरत होगी। इसलिए 1958-59 के पुनरीक्षित प्राक्कलन में 15 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। 1959-60 के लिए 30 लाख रुपये की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है।

### सम्बद्ध कालेजों में छात्रावास बनाने के लिए कर्जें

सम्बन्धित राज्य सरकारों और प्रशासनों की सिफारिश पर पंजाब, आसाम और आंध्रप्रदेश राज्य और हिमाचल प्रदेश के केन्द्र प्रशासित क्षेत्र में सम्बद्ध कालेजों में छात्रावास बनाने के लिए 1957-58 में 12,54,600 रुपये तक के कर्जें देना स्वीकार किया गया। इस रकम में से 2,25,000 रुपये की रकम कर्जों की पहली किस्त के रूप में दी गई। समीक्षा धीन वर्ष में 8 जनवरी, 1959 तक इन कालेजों को छात्रावास बनाने के लिए 3,86,000 रुपये की और रकम दी गई। अब आगे निर्माण-कार्य की प्रगति को देखते हुए रकम दी जायेगी।

1958-59 में वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित सिद्धान्तों के आधार पर शिक्षा-संस्थाओं को कर्जें दिये जाने की योजना की और आगे समीक्षा की गई। अब यह निर्णय किया गया है कि कर्जें ब्याज की रियायती दरों पर न दिये जायें। यदि कहीं दरों में रियायत देना जरूरी समझा गया तो सीधा अनुदान ही दिया जाये। यह भी निर्णय किया गया है कि 1958-59 से सम्बद्ध कालेजों को दिये जाने वाले कर्जें राज्य सरकारों को दिये जायेंगे जो बाद में अलग-अलग संस्थाओं को कर्जें देंगी। एसे मामलों में जहाँ किसी संस्था को कर्ज की मंजूरी दी जा चुकी है और पूरी रकम अदा नहीं की गई तो शेष रकम संस्था को ही सीधे दी जायेगी। इस निर्णय के आधार पर 1958-59 के लिए कर्जों की माँगें कुछ राज्यों और केन्द्र प्रशासित प्रदेशों से माँगी गई हैं।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में सम्बद्ध कालेजों, माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं, अध्यापक प्रशिक्षण कालेजों और बुनियादी और सामाजिक शिक्षा संस्थाओं को दिये जाने वाले कर्जों के लिए दो करोड़ रुपये की व्यवस्था शुरू में की गई थी। अब यह घटाकर 1.80 करोड़ रुपये कर दी गई है। इसमें से इस योजना के लिए 1958-59 के पुनरीक्षित प्राक्कलनों और 1959-60 के बजट प्राक्कलनों में नीचे दी हुई व्यवस्था की गई है :—

	पुनरीक्षित प्राक्कलन 1958-59 रुपये	बजट प्राक्कलन 1959-60 रुपये
शिक्षा विकास योजनाओं के अन्तर्गत राज्य सरकारों को छात्रावास बनाने के लिए दिये जाने वाले कर्जें	35,00,000	34,00,000
शिक्षा विकास योजनाओं के अधीन छात्रावास बनाने के लिए शिक्षा-संस्थाओं को दिये जाने वाले कर्जें	15,00,000	6,00,000
कुल जोड़	50,00,000	40,00,000

### बंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय का पुनर्वासन

दूसरी पंचवर्षीय आयोजना के अधीन पुनर्वासन मंत्रालय ने पंजाब विश्वविद्यालय के लिए 65 लाख रुपये की व्यवस्था की थी। यह प्रायोजना 1957 के अन्त में योजना में विनिहित रकम के साथ इस मंत्रालय को दे दी गई थी। जब तक विश्वविद्यालय की वास्तविक आवश्यकताओं का पूरा-पूरा मूल्यांकन नहीं हो जाता तब तक के लिए 1958-59 के शुरू में ही इस विश्वविद्यालय को विशेष परिस्थितियों में तदर्थ अनुदान के रूप में 25 लाख रुपये मंजूर किये गये थे। इस कार्य के लिए 1959-60 के बजट में 40,00,000 रुपये की व्यवस्था की गई है।

### शाम को लगने वाले कालेज

भारतसरकार ने जुलाई, 1958 से शाम को लगने वाले चार कालेज खोलने का दिल्ली विश्वविद्यालय का सुझाव इस शर्त के साथ स्वीकार किया कि प्रति कालेज पर प्रति वर्ष 15 हजार से अधिक का घाटा नहीं आयेगा। इस बात का निर्णय भारत सरकार के प्रतिनिधि, दिल्ली और पंजाब के उपकुलपति और दयालसिंह कालेज ट्रस्ट सोसाइटी के एक प्रतिनिधि के साथ एक संयुक्त बैठक में नम्बर 1957 में किया गया।

पंजाब विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली कैम्प कालेज को 31 मार्च, 1959 से दयालसिंह ट्रस्ट सोसाइटी को दे देने का निर्णय किया। दोनों विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों द्वारा निश्चित किये गये कार्यक्रम के अनुसार नये प्रबन्ध के अधीन कालेज में पंजाब विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम को भी मान्यता दी गई। इस कार्यक्रम के अनुसार पंजाब विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम धीरे-धीरे हटा लिया जायेगा और उसके स्थान पर दिल्ली विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम चालू किया जायेगा 1961 के अन्त तक पाठ्यक्रम के परिवर्तन का यह कार्य पूरा हो जायेगा। 1958-59 के लिए दिल्ली के शाम को लगने वाले चार कालेजों के लिए जो 60 हजार रुपये की व्यवस्था की गई थी, उसमें 20 हजार रुपये दिल्ली विश्वविद्यालय को दिये गये। बाकी रकम चालू वित्त-वर्ष के अन्त तक कालेजों की आवश्यकतानुसार दी जायेगी। 1959-60 के लिए इस काम के निमित्त 60 हजार रुपये की व्यवस्था की गई है।

### वेशबन्धु कालेज, कालकाजी, नई दिल्ली

वेशबन्धु कालेज, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के सम्बद्ध कालेजों में से एक था जिसका प्रबन्ध पुनर्वास मंत्रालय के हाथों में था, 1957-58 के आखिर में शिक्षा मंत्रालय को सौंप दिया गया। 1958-59 में दिल्ली विश्वविद्यालय ने इस कालेज को अपने एक संघटक कालेज के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके परिणामस्वरूप इस कालेज को विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन की अनुदान सूची में शामिल कर लिया गया है और अब इसे भी उसी एक सूत्र के आधार पर अनुदान मिलेगा जिस पर दिल्ली विश्वविद्यालय के दूसरे संघटक कालेजों को आवर्ती और अनावर्ती अनुदान दिया जाता है। अभी कुछ समय तक इस कालेज के घाटे की रकम केन्द्रीय सरकार पूरी करती रहेगी। 1958-59 के लिए विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन

की सलाह से यह मान लिया गया है कि इस कालेज को मंत्रालय द्वारा ही पूरा अनुदान दिया जाएगा। 1959-60 के लिए केन्द्रीय सरकार ने कालेज के घाटे की पूर्ति के लिए 58,000 रुपये के अनुदान की व्यवस्था की है।

### भारत का अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड

भारत सरकार ने सितम्बर 1958 में मॉन्ट्रियल (कनाडा) में होने वाली राष्ट्र-मंडल विश्वविद्यालय की आठवीं कांग्रेस में भाग लेने के लिए अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड के सचिव श्री वी० के० आइयप्पा पिल्ले को भेजने की अनुमति दी। सरकार ने इसके लिए अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड को 8,200 रुपये तक का घाटा पूरा करने के लिए अनुदान देना स्वीकार किया।

भारत सरकार ने विश्वविद्यालयों के जीव-विज्ञान के प्रोफेसरोँ का एक सम्मेलन करने का बोर्ड का सुझाव मान लिया। इस सम्मेलन के लिए बीस हजार रुपये के खर्चे का अनुमान किया गया जिसके लिए सरकार ने बोर्ड को दस हजार रुपये की पहली किस्त दे दी है।

चालू वर्ष के बजट में बोर्ड को दिए जाने वाले सामान्य अनुरक्षण अनुदान के लिए व्यवस्था है।

1959-60 के बजट में बोर्ड को ऊपर बताये गये कार्यों के लिए 40,200 रुपये अनुदान देने की व्यवस्था है।

### भारत में उच्च शिक्षा और अनुसंधान के संस्थानों को पुष्ट करना

दूसरी पंचवर्षीय आयोजना में उच्च शिक्षा और अनुसंधान के संस्थानों को पुष्ट करने की एक योजना स्वीकार की गई थी। अब इस योजना को शिक्षा मंत्रालय और वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्यों का मंत्रालय कार्यान्वित कर रहा है। जहाँ तक शिक्षा मंत्रालय का सम्बन्ध है, अखिल भारतीय महत्व के राष्ट्रीय संस्थानों को सहायता देने की एक योजना तैयार की जा रही है। इस योजना के लिए नीचे दी हुई रकमों की व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है।

(1) पुनरीक्षित प्राक्कलन (1958-59)	1.0 लाख रु०
(2) बजट प्राक्कलन (1959-60)	5.0 लाख रु०

### राज्यों का शिक्षा विकास कार्यक्रम—कालेजों में स्त्रियों की शिक्षा का विकास

1957-58 में राज्यों के शिक्षा विकास कार्यक्रम को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता नीचे दी हुई राज्य सरकारों को विभिन्न प्रकार के कालेजों में स्त्रियों की शिक्षा का विकास करने के लिए दी गई। यह सहायता राज्य के शिक्षा विकास कार्यक्रमों में सम्मिलित की जाने वाली योजनाओं में होने वाले खर्चे की पचास प्रतिशत के आधार पर दी गई :—



राज्य का नाम	1957-58 में दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता
--------------	--

	रु०
(1) बिहार	25,000
(2) मध्य प्रदेश	1,25,000
(3) मैसूर	20,000
(4) जम्मू और काश्मीर	12,500
(5) उड़ीसा	1,72,500
(6) पंजाब	65,000
(7) राजस्थान	2,07,768
(8) उत्तर प्रदेश	1,95,600

यह निश्चय किया गया है कि राज्यों को ऐसी ही योजनाओं के लिए, जो राज्य शिक्षा विकास कार्यक्रमों में 1958-59 के बजट में सम्मिलित की जायेंगी, इसी आधार पर आधिक सहायता दी जाती रहेगी।

### केन्द्र-प्रशासित क्षेत्रों की शिक्षा विकास योजना

#### (क) हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश में, चम्बा में एक डिग्री कालेज खोलने के लिए प्रशासनिक अनुमति दी गई और खर्च की मंजूरी की गई। यह कालेज 1957-58 में पच्चीस हजार रुपये की लागत से खोला गया। 1958-59 के लिए इसी योजना के सम्बन्ध में 85,000 रुपये (65,000 आवर्ती और 20,000 अनावर्ती) की और मंजूरी दी गई। भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश प्रशासन का यह सुझाव स्वीकार कर लिया कि बिलासपुर का इण्टरमीडिएट कालेज 1958-59 में डिग्री कालेज बना दिया जाय। इसके लिए 1,38,000 रुपये की लागत का अनुमान किया गया है।

#### (ख) त्रिपुरा

अगरतला के एम० बी० बी० कालेज को चालू वित्तीय वर्ष में दूसरी पंचवर्षीय आयोजना के अधीन विश्वविद्यालय शिक्षा का विकास करने की योजनाओं के लिए 65,000 रुपये की मंजूरी दी गई।

#### जामिया मिल्लिया इस्लामिया और गुरुकुल काँगड़ी को अनुदान

भूतपूर्व शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय का विभाजन हो जाने पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली और गुरुकुल, काँगड़ी को अनुदान देने का काम शिक्षा मंत्रालय को मिला। इन दोनों संस्थाओं को अनुरक्षण अनुदान पहले से ही निर्धारित सिद्धान्तों के अनुसार दिया जा रहा है। 1958-59 के पुनरीक्षित प्राक्कलनों और 1959-60 के बजट प्राक्कलनों में निम्नांकित व्यवस्था की गई है :

	पुनरीक्षित प्राक्कलन 1958-59 के लिए	बजट प्राक्कलन 1959-60 के लिए
	₹०	₹०
(1) जामिया मिल्लिया इस्लामिया	5,31,000	5,80,000
(2) गुरुकुल काँगड़ी	90,000	1,00,000

### भारतीय गेहूँ ऋण शिक्षा विनिमय कार्यक्रम

दूसरे और तीसरे वर्ष के कार्यक्रम में प्रगति हो रही है। चौथे वर्ष के कार्यक्रम के अन्तर्गत अनेक विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के लिए धन की व्यवस्था की गयी है जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :

#### 1. वैज्ञानिक उपस्कर

20 विश्वविद्यालय	342,000	डालर
4 विश्वविद्यालयेतर संस्थाएँ	30,000	,,
	<u>372,000</u>	,,

#### 2. पुस्तकें

21 विश्वविद्यालय	162,656	डालर
12 विश्वविद्यालयेतर संस्थाएँ	53,000	,,
	<u>215,656</u>	,,

#### 3. कार्मिकों का विनिमय

26 भारतीयों को अमरीका भेजने के लिए	121,080	डालर
11 अमरीकियों को भारत में बुलाने के लिए	71,920	,,
	<u>193,000</u>	

विश्वविद्यालयों और विश्वविद्यालयेतर संस्थाओं से कहा गया कि वे उक्त विनिधान का उपयोग करने के लिए आवश्यक वैज्ञानिक उपस्करों और पुस्तकों का विवरण तैयार करें। कार्मिकों के विनिमय की योजना के अन्तर्गत दस-दस भारतीय शिक्षा-विशारदों की दो टोलियाँ अमरीका भेजी गईं। एक टोली वहाँ के प्रमुख विश्वविद्यालयों में सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए भेजी गयी थी और दूसरी टोली परीक्षा-प्रणाली का अध्ययन करने के लिए। अमरीकी विश्वविद्यालयों की प्रशासन-पद्धति का अध्ययन करने के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों के चार रजिस्ट्रारों की एक और टोली अमरीका भेजी गयी थी। भारत की दृष्टि से रुचिकर और अमरीका में उपलब्ध अभिलेख और सामग्री की माइक्रो फिल्म तैयार करने के लिए भारत के राष्ट्रीय अभिलेख-भवन के एक अधिकारी

वापिस आ जायेगा तो राष्ट्रीय अभिलेख-भवन के एक और अधिकारी को यह काम जारी रखने के लिए अमरीका भेजा जायेगा। सामान्य शिक्षा के चार अमरीकी परामर्श-दाता भारत आये और उन्हें विभिन्न विश्वविद्यालयों में भेज दिया गया। अक्टूबर, 1958 में मँसूर में सामान्य शिक्षा के एक सेमीनार का आयोजन किया गया जिस में अमरीकी परामर्शदाताओं और भारतीय अध्ययन-दल के सदस्यों ने भाग लिया। अलीगढ़ इंजीनियरी कालेज के लिए एक अमरीकी प्रोफ़ेसर की सेवाएँ एक वर्ष के लिए प्राप्त की गयीं और राष्ट्रीय संग्रहालय के लिए एक अमरीकी संग्रह-वेत्ता की सेवाएँ छः मास के लिए प्राप्त की गयीं। बाकी पाँच जगहें मूल्यांकन-विधि के अमरीकी परामर्शदाताओं के लिए नियत कर दी गयी हैं। आशा की जाती है कि ये 1959 की वसन्त ऋतु में किसी समय भारत पहुँच जायेंगे।

कार्यक्रम का पाँचवाँ और अन्तिम वर्ष 1958-59 में आरम्भ हो गया। पाँचवें वर्ष के कार्यक्रम के लिए बजट का खाका तैयार किया जा चुका है। अमरीका सरकार द्वारा इसका अनुमोदन होना बाकी है। आशा की जाती है कि 1959-60 में काम आरम्भ हो जायेगा।

इस कार्यक्रम की निधियाँ भारत सरकार के बजट में सम्मिलित नहीं की गयी हैं।

### गृह-विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान

भारत में गृह-विज्ञान की शिक्षा और अनुसंधान के कार्यों में सहायता करने के लिए अमरीका के टेकनीकल सहयोग कार्यक्रम के अधीन जो संकार्य-करार 41 किया गया था उसकी अवधि 31 मई, 1958 को समाप्त हो गयी किन्तु सामग्री देने की अवधि 30 सितम्बर, 1958 तक बढ़ा दी गयी। यह प्रायोजना सफलतापूर्वक समाप्त हो गयी। इस प्रायोजना के अन्तर्गत नौ अमरीकी टेकनीशियनों की सेवाएँ उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी थी जिनमें से आठ टेकनीशियनों की सेवाओं का लाभ प्रायोजना में भाग लेने वाली आठ संस्थाओं ने उठाया। भारतीय अध्यापकों के लिए 12 प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था की गयी थी जिनमें से ग्यारह का लाभ उठाया गया। इस प्रायोजना के अधीन जहाँ तक सामग्री प्राप्त होने का सम्बन्ध है, 30 जून, 1958 तक 54000 डालर की पुस्तकें और उपस्कर प्राप्त हुए। आशा थी कि 30 सितम्बर 1958 तक 25000 डालर की सामग्री जहाज़ से रवाना कर दी जायेगी। समुद्री भाड़ा और जहाज़ द्वारा माल भेजने के अन्य प्रभारों के लिए 21000 डालर की राशि भी रखी गयी थी।

भारत सरकार और अमरीका सरकार के बीच 29 अप्रैल, 1958 को किये गये संकार्य-करार 41 के अनुपूरक 1 के अधीन प्रायोजना की अवधि तीन वर्ष के लिए और बढ़ा दी गयी और साथ ही इसके कार्यक्षेत्र में भी विस्तार किया गया। इस अनुपूरक के अनुसार सहायता संस्थाओं को आधार बना कर नहीं, बरन् प्रादेशिक स्तर पर दी जायेगी। यह सहायता प्रदर्शन-केन्द्रों के माध्यम से दी जायेगी जो निम्नलिखित संस्थाओं में स्थापित किये जायेंगे।

- (2) बिहारी लाल मित्र इंस्टीट्यूट, कलकत्ता, पूर्वी भारत के लिए ।
- (3) एस० एन० डी० टी० विमेन्स यूनिवर्सिटी, बम्बई, पश्चिम भारत के लिए ।
- (4) एस० आइ० ई० टी० कालेज फार विमेन, मद्रास, दक्षिण भारत के लिए ।
- अनुपूरक में निम्नलिखित सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है :
- (1) नौ अमरीकी टेकनीशियनों की सेवाएँ उपलब्ध कराना—प्रत्येक की दो-दो वर्ष के लिए;
- (2) गृह-विज्ञान के सोलह भारतीय अध्यापकों के लिए अमरीका में प्रशिक्षण सुविधाएँ देना—बारह अध्यापकों को बारह महीने तक और चार अध्यापकों को तीन महीने तक;
- (3) 80,000 डालर की पुस्तकें और उपस्कर ।

तीन अमरीकी टेकनीशियन अक्टूबर, 1958, में भारत आये । दल के नेता को शिक्षा मंत्रालय में काम करने का भार सौंपा गया और अन्य दो टेकनीशियनों को दो प्रादेशिक केन्द्रों में । आशा की जाती है कि 1959 के पूर्वार्ध में चार और अमरीकी टेकनीशियन आ जायेंगे । आशा की जाती है कि 1959-60 में विस्तृत प्रायोजना के अन्य भागों को क्रियान्वित करने का काम आरम्भ हो जायेगा ।

**चुने हुए विश्वविद्यालय—छात्रों और अध्यापकों के लिए ग्राम-शिक्षता की योजना :**

यह योजना सामुदायिक विकास मंत्रालय के सहयोग और फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से 1956-57 में आरम्भ की गयी थी और 31 मार्च, 1959, को इसकी अवधि समाप्त हो जायेगी । इस योजना के अन्तर्गत तीन वर्ष से कुछ अधिक अवधि में 6,000 शिक्षुताओं की व्यवस्था करने का विचार था । 31 मार्च, 1959, तक कूल मिला कर जितनी शिक्षुताओं का प्रबन्ध किया जा चुका होगा उनकी संख्या लगभग 4,800 होगी । अनुमान है कि 1958-59 में उपलब्ध कराई गयी शिक्षुताओं की संख्या 2,500 होगी । विश्वविद्यालयों के चुने हुए छात्रों और अध्यापकों में समाज-सेवा का भाव उत्पन्न करने और भारत की ग्राम-पुनर्निर्माण विषयक समस्याओं को समझने की सदिच्छा उत्पन्न करने में इस योजना ने बहुत महत्वपूर्ण योग दिया है । फोर्ड फाउंडेशन ने इस योजना के लिए कूल मिलाकर 8,16,667 रुपये का अनुदान दिया था जिसमें से 1,03,300 रुपये की राशि बच रही है । 1959-60 में इस योजना को किसी न किसी रूप में जारी रखने के लिए इस राशि का उपयोग करने का विचार है ।

### लोक प्रशासन

टेकनिकल सहयोग कार्यक्रम के अधीन संकार्य-क्रार 27 के अनुपूरक 1 पर भारत सरकार और अमरीका सरकार ने 27 अप्रैल, 1955 को हस्ताक्षर किये थे । यह अनुपूरक तीन वर्ष की अवधि के लिए था और इसमें लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, में एक लोक प्रशासन केन्द्र की स्थापना के लिए एक अमरीकी टेकनीशियन की सेवाएँ, भारतीय अध्यापकों के लिए चार प्रशिक्षण-सुविधाएँ और 35,000 डालर की पुस्तकें उपलब्ध कराने की

व्यवस्था की गयी थी। इस अनुपूरक की अवधि 26 अप्रैल, 1958, को समाप्त हो गयी किन्तु पुस्तकों उपलब्ध कराने की अवधि बढ़ा दी गयी। अमरीकी टेकनीशियन की सेवाओं और चार प्रशिक्षण-सुविधाओं का लाभ उठाया गया किन्तु पुस्तकों प्राप्त करने की गति मन्द रही। इसका कारण यह था कि केन्द्र ने जो पुस्तकों मांगी थीं उनमें से अधिकांश उपलब्ध नहीं थीं। ऐसी पुस्तकों के स्थान पर दूसरी पुस्तकों के आर्डर भेजे गये हैं और पुस्तकों की प्राप्ति में फिर प्रगति हो रही है। 30 जून, 1958 तक 4,700 डालर की पुस्तकों मिल चुकी थीं और 27,000 डालर की पुस्तकों भेजी जा रही हैं।

2 फरवरी, 1950, को भारत-संयुक्त राज्य करार के अधीन भारत-स्थित यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशनल फाउंडेशन द्वारा व्यवस्थित शिक्षा विनिमय कार्यक्रम

यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशनल फाउंडेशन ने 1958-59 में जिस कार्यक्रम को क्रियान्वित किया उसके अन्तर्गत विश्व-विद्यालय के नौ प्रोफेसर और अनुसंधानकर्ता, स्कूल के पंद्रह अध्यापक और 77 छात्र उच्च अध्ययन या अनुसंधान के लिए भारत से अमरीका भेजे गये और विश्वविद्यालय के 23 प्रोफेसर तथा अनुसंधानकर्ता, स्कूल के दो अध्यापक और सोलह छात्र अमरीका से भारत आये।

### मनोरंजनार्थ पठन

विभिन्न स्तरों के छात्रों में मनोरंजनार्थ पठन की आदत डालने के प्रश्न से सम्बन्धित अनेक समस्याओं का विवेचन करने के लिए 5 और 6 मई, 1958, को नई दिल्ली में पठन सम्बन्धी एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। केन्द्रीय शिक्षा संस्थान ने 1957-58 में दिल्ली के सात चुने हुए स्कूलों में मनोरंजनार्थ पठन पर एक प्रायोगिक प्रायोजना का संचालन किया था। इस प्रायोजना की रिपोर्ट सम्मेलन के सामने रखी गयी। सम्मेलन ने इस रिपोर्ट का अनुमोदन किया और सिफारिश की कि रिपोर्ट में जो सुझाव दिये गये हैं उन पर न केवल दिल्ली में, बल्कि अन्य राज्यों में भी यथाशक्य अमल होना चाहिए। सम्मेलन ने यह सिफारिश भी की कि इस प्रकार की प्रायोजनाएँ दूसरे राज्यों में चलाई जानी चाहिए और केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि वह इस काम के लिए राज्य सरकारों को अनुदान दे। सम्मेलन की जिन सिफारिशों का सम्बन्ध शिक्षा मंत्रालय से है वे स्वीकार कर ली गयी हैं और अमल में लाई जा रही हैं।

### ग्राम उच्च शिक्षा

उच्च शिक्षा के ग्राम संस्थान : 1956-57 में जो दस ग्राम संस्थान खोले गए हैं उनके काम में 1958-59 में अच्छी प्रगति हुई। ग्राम उच्चशिक्षा की राष्ट्रीय परिषद द्वारा अनुमोदित अनेक पाठ्यक्रमों की व्यवस्था इन संस्थानों में है।

समीक्षाधीन वर्ष में निम्नलिखित संस्थानों में अतिरिक्त पाठ्यक्रमों या ग्राम सेव पाठ्यक्रम में वैकल्पिक विषयों की व्यवस्था की गयी ;

1. गांधीग्राम ग्राम संस्थान, मडुरई
2. ग्राम संस्थान, अमरावती
3. श्री रामकृष्ण मिशन विद्यालय  
ग्राम संस्थान, कोयम्बटूर
4. मौनी विद्यापीठ ग्राम संस्थान,  
गार्गोटी

गृह-विज्ञान, ग्राम सेवा पाठ्यक्रम के  
वैकल्पिक विषय के रूप में ।

”

सहयोग, ग्राम सेवा पाठ्यक्रम के  
वैकल्पिक विषय के रूप में ।

सिविल और ग्राम इंजीनियरी का  
डिप्लोमा ।

### वित्तीय सहायता

ग्राम संस्थानों को अनावर्ती खर्च का 75 प्रतिशत और आवर्ती खर्च का 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता के रूप में दिया जाता है। परन्तु श्रीनिकेतन और जामिया नगर के ग्राम संस्थानों को सारा स्वीकृति खर्च दिया जाता है। 1958-59 में दिसम्बर, 1958, के अन्त तक इन संस्थानों के लिए कुल मिलाकर 30,97,312 रुपये के अनुदान स्वीकृत किये गये थे।

### वृत्तिकाएँ

ग्रामीण छात्रों को अपनी पढ़ाई जारी रखने का अवसर देने के लिए वृत्तिकाओं की एक योजना 1956-57 में आरम्भ की गयी थी। इस वर्ष भी यह योजना जारी रखी गयी। ग्राम संस्थानों की सभी कक्षाएँ अब इस योजना के अन्तर्गत आ गयी हैं। 1958-59 में दिसम्बर, 1958, के अन्त तक 474 छात्रों के लिए 1,59,969 रुपये की राशि स्वीकृत की गयी थी।

### ग्राम उच्च शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद् द्वारा दिये जाने वाले डिप्लोमों और प्रमाण-पत्रों को मान्यता देना

भारत सरकार ने केन्द्रीय सरकार की ऐसी नौकरियों के लिए जिनमें विश्वविद्यालय की पहली उपाधि न्यूनतम आवश्यक योग्यता मानी जाती है ग्राम सेवा के तीन साला डिप्लोमा को केन्द्रीय शासन सेवा आयोग से परामर्श करके भारतीय विश्वविद्यालय की पहली उपाधि के समान स्वीकार कर लिया है। यह मान्यता अभी पाँच वर्षों के लिए दी गयी है। विश्वविद्यालयों द्वारा मान्यता दिये जाने के प्रश्न पर अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड विचार कर रहा है। बोर्ड ने इस सम्बन्ध में एक निरीक्षण-समिति नियुक्त कर दी है जो ग्राम-संस्थानों को जाकर देखेगी।

सिविल और ग्राम इंजीनियरी के डिप्लोमा को सिविल इंजीनियरी के राष्ट्रीय प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम के बराबर मान लेने के प्रश्न पर टेकनिकल शिक्षा की अखिल भारतीय परिषद् विचार कर रही है।

कृषि मंत्रालय और सामुदायिक विकास मंत्रालय से निवेदन किया गया कि वे ग्राम स्तर कार्यकर्ता (विलेज लेवेल वर्कर्स) जैसे पदों पर ग्राम संस्थानों के कृषि प्रमाण पत्र-

धारियों को नियुक्त करने के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को सामान्य निदेश भेजे। कुछ राज्य सरकारों ने ऐसा करना स्वीकार भी कर लिया है।

### परीक्षाएँ

ग्राम उच्च शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद् ने अप्रैल-मई, 1958 में निम्नलिखित केन्द्रों में कृषि-विज्ञान के दो साला प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम की पहली परीक्षा का संचालन किया :—

1. ग्राम उच्च शिक्षा संस्थान, श्री निकेतन, पश्चिम बंगाल।
2. लोक भारती ग्राम संस्थान, सनोसर, सौराष्ट्र।
3. गांधीग्राम ग्राम संस्थान, मदुरई जिला।
4. ग्राम संस्थान, अमरावती, बम्बई।
5. श्री रामकृष्ण मिशन विद्यालय ग्राम संस्थान, कोयम्बटूर जिला।

इस परीक्षा में 77 छात्र बैठे जिनमें से 65 छात्र उत्तीर्ण हुए।

1959 में परिषद् निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में परीक्षाओं का संचालन करेगी (प्रत्येक पाठ्यक्रम की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या भी नीचे बताई गई है) :

परीक्षा	छात्रों की संख्या
1. ग्राम-सेवाओं में तीन वर्ष का डिप्लोमा-पाठ्यक्रम	236
2. सिविल और ग्राम इंजीनियरी में तीन वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम	78
3. कृषि-विज्ञान में दो वर्ष का प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम	62
	376

ये परीक्षाएँ अप्रैल, 1959, में निम्नलिखित आठ केन्द्रों में ली जायेंगी :

1. गांधीग्राम ग्राम संस्थान, गाँधी ग्राम।
2. जामिया ग्राम संस्थान, जामिया नगर, नयी दिल्ली।
3. विद्याभवन ग्राम संस्थान, उदयपुर।
4. ग्राम उच्च शिक्षा संस्थान, श्रीनिकेतन।
5. उच्च अध्ययन ग्राम संस्थान, बिहार।
6. बलवन्त विद्या पीठ ग्राम संस्थान, आगरा।
7. रामकृष्ण मिशन विद्यालय, कोयम्बटूर, मद्रास।
8. ग्राम संस्थान अमरावती, बम्बई।

### ग्राम उच्च शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद्

समीक्षाधीन वर्ष में परिषद् की दो बैठकें हुईं। परिषद् ने अक्टूबर, 1958 की बैठक में ग्राम संस्थानों के छात्रों के लिए छः मास की अनिवार्य समाज-सेवा आरंभ करने के प्रस्ताव पर विचार किया। परिषद् ने इस सम्बन्ध में एक योजना बनाने के लिए एक समिति नियुक्त कर दी है। परिषद् ने ग्राम उच्च शिक्षा पर सामान्य साहित्य के निर्माण की आवश्यकता पर भी जोर दिया और यह विचार प्रकट किया कि ग्राम संस्थानों के अध्यापक इस काम के लिए दूसरों की अपेक्षा अधिक उपयुक्त होंगे।

### 1959-60 का कार्यक्रम

#### ग्राम स्वास्थ्य-कार्यकर्ता का पाठ्यक्रम आरंभ करना

चुने हुए ग्राम संस्थानों में स्वास्थ्य-पाठ्यक्रम आरंभ करने का प्रस्ताव भी एक विशेष समिति के विचाराधीन है। यह समिति इस पाठ्यक्रम का सिलेबस तैयार करेगी।

#### दो और ग्राम-संस्थानों की स्थापना

पंजाब और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों ने प्रार्थना की है कि उन के राज्यों में भी एक ग्राम-संस्थान स्थापित किया जाये। इस पर विचार किया जा रहा है।

इस काम के लिए 1959-60 के बजट में 40,00,000 रुपये की व्यवस्था की गयी है।

#### ग्राम-संस्थानों को टेकनिकल सहयोग मिशन की सहायता:

संयुक्त राज्य, अमरीका के टेकनिकल सहयोग मिशन के साथ एक नया करार किया गया है जिसके अनुसार यह ग्राम-संस्थानों को अनुसंधान और विस्तार-कार्यों के लिए 25,000 डालर की सामग्री देगा। इस के अतिरिक्त ग्राम संस्थानों से चुने हुए 23 प्राध्यापक अनुसंधान और विस्तार-कार्यों का अल्पकालिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अमरीका भेजे जायेंगे। ग्राम संस्थानों के कार्यकलापों को सुयोजित और समन्वित रूप देने के लिए ग्राम उच्च शिक्षा के एक विशेषज्ञ की सेवाएँ भी प्राप्त की जा रही हैं।

1959-60 के बजट में इस काम के लिए 1,46,300 रुपये की व्यवस्था की गयी है।

#### ग्राम शिक्षा पर सेमिनार

दूसरे और तीसरे अन्तर्राज्य सेमिनारों का आयोजन क्रमात् मई और जुलाई, 1958 में किया गया। एक सेमिनार विस्तार और अनुसंधान विषयक कार्यकलापों पर हुआ था तथा दूसरे मूल्यांकन और परीक्षा पर।



विषय पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिए अब निम्नलिखित स्थानों में अनेक प्रोद्योग-शालाएँ खोली जा रही हैं जहाँ परीक्षण-सामग्री तैयार की जायेगी :

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| 1. गांधीग्राम ग्राम संस्थान, मदुरई       | अर्थशास्त्र और सहयोग              |
| 2. बलवन्त विद्या पीठ ग्राम संस्थान, आगरा | ग्राम-समस्याएँ और राजनीति शास्त्र |
| 3. ग्राम संस्थान, अमरावती                | समाज-शास्त्र और समाज-कार्य        |

# दृश्य-श्रव्य शिक्षा

## दृश्य-श्रव्य शिक्षा का राष्ट्रीय बोर्ड

दृश्य-श्रव्य शिक्षा के राष्ट्रीय बोर्ड का पुनर्गठन किया गया और इस की तीसरी बैठक 5 और 6 जनवरी, 1959 को नई दिल्ली में होने वाली थी। राष्ट्रीय बोर्ड ने अपनी दूसरी बैठक में जो सिफारिशें की थीं उन में से अधिकांश पर अमल किया जा चुका है।

### दृश्य-श्रव्य शिक्षा का राष्ट्रीय संस्थान

यह संस्थान इस समय इन्द्रप्रस्थ ऐसटेट, नई दिल्ली में दृश्य-श्रव्य स्कंध की इमारत में है। आशा है कि 1959 के आरम्भ में संस्थान काम करने लगेगा।

इस प्रायोजना के लिए टेकनिकल सहयोग मिशन, अमरीका, की सहायता मिल रही है। मिशन ने श्रवणशाला को छोड़कर संस्थान की पूरी इमारत को वातानुकूलित करना स्वीकार कर लिया है। श्रवणशाला का वातानुकूलन अभी स्थगित कर दिया गया है।

संस्थान के लिए दृश्य-श्रव्य शिक्षा के तीन विशेषज्ञों में से एक डा० फ्रांसिस नोयल की सेवाएँ प्राप्त करने का निर्णय हो चुका है। वह जनवरी, 1959, में फ़िलहाल छः महीने के लिए संस्थान में कार्य-भार ग्रहण कर लेंगे।

### फ़िल्मों का निर्माण

यह मंत्रालय अपने अनेक कार्यक्रमों के अन्तर्गत जो फ़िल्में बनाना चाहता है वे सूचना और प्रसार मंत्रालय के फ़िल्म प्रभाग, बम्बई, में तैयार की जाती हैं। 1958-59 में निम्नलिखित फ़िल्में तैयार करने का विचार था :

#### (क) सामान्य प्रसार कार्यक्रम :

1. जामिया मिलिया
2. भारत के विश्वविद्यालय
3. औषधि-संग्रहालय (हर्बेरियम)
4. राष्ट्रीय अनुशासन योजना

#### (ख) समन्वित प्रसार कार्यक्रम :

1. मानव का विकास

2. भारत का भूगोल—जलवायु ।
3. भारत के प्राकृतिक प्रदेश—सिंधु गंगा का मैदान ।
4. मनोरंजन द्वारा शिक्षा ।
5. बड़ई ।
6. कलकत्ता ।
7. भारतीय खेल ।
8. जातक कथा नं० 1
9. जातक कथा नं० 2
10. सामुदायिक केन्द्र ।
11. कुम्हार ।
12. भारत में संसदीय पद्धति ।
13. भारत की नदियाँ - गंगा ।
14. अवकाश-शिविर ।
15. जनता कालेज ।
16. टेकनालोजी संस्थान, खड़गपुर ।
17. भारत के पक्षी - जलाय पक्षी ।
18. योग ।
19. अन्तर्राष्ट्रीय भू-भौतिक वर्ष ।
20. दिल्ली के सात नगर ।

(ग) अनुदेशात्मक और शिक्षा - प्रद फिल्में :

1. कपास का शिल्प और बुनियादी शिक्षा में उसका सह-सम्बन्ध ।
2. भारत के विषले साँप ।
3. प्रारंभिक गणित का अध्यापन ।
4. चाराएँ और ज्वार-भाटा ।
5. भारत के खनिज पदार्थ - मंगानीज ।

इन में से निम्नलिखित पाँच फिल्में 1958-59 में तैयार करने के लिए चुनी गयी हैं :

(1) राष्ट्रीय अनुशासन योजना, (2) अन्तर्राष्ट्रीय भू-भौतिक वर्ष, (3) दिल्ली के सात नगर, (4) धारा और ज्वार-भाटा, (5) भारत के खनिज पदार्थ-मेंगानीज।

अन्य फिल्मों वे हैं जो पिछले वर्षों में तैयार करने के लिए चुनी गयी थीं किन्तु तैयार न हो सकीं और उन्हें इस वर्ष के कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिया गया।

उपयुक्त फिल्मों के अतिरिक्त निम्नलिखित फिल्म—जो केन्द्रीय समाज हित बोर्ड की ओर से तैयार होने वाली थीं—1958-59 में तैयार करने का निश्चय किया गया :

1. हित विस्तार प्रायोजनाएँ।
2. ग्राम हित कार्य के लिए महिलाओं का प्रशिक्षण।
3. शहरी क्षेत्रों में पारिवारिक हित

गोदावरी, जनता कालेज और औषधि-संग्रहालय फिल्मों के रफ कटों का पूर्व-पर्यवेक्षण किया गया। दिल्ली के सात नगर, और भारत के पक्षी के विषय-सार सूचना और प्रसार मंत्रालय के फिल्म प्रभाग, बम्बई को भेज दिये गये हैं।

इस योजना के अन्तर्गत अभी तक 16 फिल्मों तैयार की जा चुकी हैं।

#### विदेशी सरकारों से फिल्म-विनिमय

फिल्मों के विनिमय के लिए कनाडा के राष्ट्रीय फिल्म-बोर्ड के साथ एक करार किया गया है। निम्नलिखित विदेशी सरकारों से ऐसे ही औपचारिक करार करने का प्रस्ताव विचाराधीन है :—

1. चैकोस्लोवाकिया।
2. यूगोस्लाविया।
3. इंडोनेशिया।
4. मलाया।
5. जापान।
6. पोलैंड।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कनाडा से अभी तक सात फिल्मों प्राप्त हुई हैं। इस के अतिरिक्त कनाडा के राष्ट्रीय फिल्मबोर्ड की 'एशिया में संकट' फिल्म का पूर्व-पर्यवेक्षण समिति ने प्राप्त के लिए अनुमोदन किया। सूचना और प्रसार मंत्रालय से निवेदन किया गया कि वह विनिमय - कार्यक्रम द्वारा इस फिल्म की एक प्रति प्राप्त करे।

#### फिल्मों को डब करना

कनाडा की फिल्मों को डब करने का भार फिल्म-प्रभाग, बम्बई ने लिया है।

## सेमिनार और सम्मेलन

8 सितम्बर से 27 सितम्बर 1958 तक नई दिल्ली में युनेस्को का प्रादेशिक सेमिनार हुआ जिसका विषय था, "मूल भूत शिक्षा और सामुदायिक विकास में श्रव्य सहायक उपकरण"। यह सेमिनार दृश्य-श्रव्य शिक्षा के राष्ट्रीय संस्थान में हुआ था और इस का उद्घाटन शिक्षा-मन्त्री ने किया था। इस सेमिनार में दक्षिण-पूर्व एशिया के निम्नलिखित तेरह देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे :

अफ़गानिस्तान, कम्बोडिया, श्रीलंका, चीन, भारत, इण्डोनेशिया, ईरान, जापान, कोरिया, फ़िलीपीन्स, सिंगापुर, थाइलैंड, नेपाल।

भारतीय शिष्ट-मंडल में छः सदस्य थे

श्री हेनरी डे जांग सेमिनार के संचालक थे। युनेस्को सचिवालय के छः व्यक्ति सेमिनार में सम्मिलित हुए।

सेमिनार का उद्देश्य यह था कि मूल भूतशिक्षा और सामुदायिक विकास के श्रव्य सहायक उपकरणों के निर्माण और उपयोग से सम्बद्ध ज्ञान और अनुभव का आदान प्रदान हो सके जिससे कि साक्षरता, स्वास्थ्य और सफ़ाई, पोषण और कृषि, कला और शिल्प, गृह अर्थ-शास्त्र आदि अनेक क्षेत्रों में भी उनका लाभ उठाया जा सके।

युनेस्को ने इस सेमिनार के लिए 20,000 डालर की व्यवस्था की थी जिसमें से 3100 डालर भारत में स्थानीय कर्मचारियों, स्थानीय यात्रा, साज-सामान और उपस्कर पर खर्च हुए।

भारत सरकार ने भी इस सेमिनार के खर्च के लिए 7,500 रुपये की व्यवस्था की थी।

देश के विभिन्न प्रदेशों में दृश्य-श्रव्य शिक्षा पर पाँच अल्पकालिक प्रादेशिक सेमिनार करने का निश्चय किया गया है। अनुमान है कि प्रत्येक प्रादेशिक सेमिनार पर 3,500 रुपये खर्च होंगे। सिद्धान्त-रूप से यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है और राज्य सरकारों से परामर्श कर के विस्तृत योजना तैयार की जा रही है।

### विदेशी सहायता :

कोलम्बो आयोजना के अधीन भारत सरकार को आस्ट्रेलिया सरकार से छः सिनेमा-गाड़ियाँ उपहार के रूप में मिलने वाली थीं। इन में से दो गाड़ियाँ 1952 में मिली थीं। एक सिनेमा-गाड़ी अजमेर (राजस्थान) को दे दी गयी थी और दूसरी मंत्रालय में रख ली गयी थी। इन दो गाड़ियों का मूल्य 95,999 रुपये था। बाकी चार गाड़ियों में से एक गाड़ी अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह को दी गयी है। कीमत और अन्य आनुषांगिक खर्च का समंजन अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह स्वयं करेगा। आस्ट्रेलिया सरकार गाड़ी को सीधे वहाँ भेज देगी।

आशा है कि अन्य तीन सिनेमा-गाड़ियाँ जनवरी 1959 के अन्त तक आ जायेंगी। उनका बंटन इस प्रकार होगा ;—

- (1) एक गाड़ी मद्रास राज्य को दी जायेगी ।
- (2) एक गाड़ी पंजाब राज्य सरकार को दी जायेगी ।
- (3) एक गाड़ी मंत्रालय में रहेगी क्योंकि अभी जो गाड़ी मंत्रालय के पास है उसे बिहार सरकार को दे देने का विचार है । इन तीन गाड़ियों का मूल्य लगभग 1,50,000 रुपये होगा ।

टेकनिकल सहयोग मिशन सहायता कार्यक्रम के अधीन "लिट्टेसी फ़ार प्रोग्रेस" और "स्कूल-सिकंड्री एजुकेशन" इन दो फिल्मों की 129 प्रतियाँ प्राप्त हुईं । इनमें से 102 प्रतियाँ राज्य सरकारों और केन्द्र-प्रशासित क्षेत्रों में बाँटी दी गयीं । फिल्म "ट्रेनिंग दी रूरल टीचर" की भी 37 प्रतियाँ प्राप्त हुई हैं जिनमें से तीस राज्य सरकारों, केन्द्र-प्रशासित क्षेत्रों और ग्राम-संस्थाओं में बाँटी जा चुकी हैं ।

### फ़िल्मों का सेंसर

केन्द्रीय फिल्म संग्रहालय के लिए जो फिल्में खरीदी जाती हैं, वे सेंसर के लिए केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड को भेज दी जाती हैं और जो फिल्में 'प्रधान रूप से शैक्षणिक' घोषित की जाती हैं उनको ही सीमा-शुल्क की छूट दी जाती है । इस समय फिल्में वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक मंत्रालय के पश्चिमी प्रादेशिक कार्यालय के द्वारा बम्बई में सेंसर कराई जाती हैं । अब सूचना और प्रसार मंत्रालय ने दिल्ली में ही सेंसर की सुविधाएँ देना स्वीकार किया है ।

### ग्रामोफ़ोन रिकार्ड

इस मंत्रालय के निवेदन पर आकाशवाणी के महानिदेशालय ने एक समिति बनाई है जो उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए ग्रामोफ़ोन रिकार्ड तैयार करने के संबंध में महानिदेशालय को सलाह देगी । निश्चय किया गया था कि फ़िल्महाल प्रति वर्ष बारह रिकार्ड तैयार किये जायेंगे । राज्य सरकारों से पूछा गया था कि वे स्कूलों में ग्रामोफ़ोन की व्यवस्था कर सकेंगी या नहीं । कुछ राज्य सरकारों की सम्मति अभी तक नहीं मिल सकी है । फिर भी कुछ विषय निश्चित कर लिए गए हैं और आशा की जाती है कि मार्च, 1959 तक चार रिकार्ड तैयार हो जायेंगे ।

### ग़ैर सरकारी निर्माताओं को प्रोत्साहन

इस योजना के अन्तर्गत देश के फ़िल्म-निर्माताओं की उत्कृष्ट शैक्षणिक फ़िल्में और वृत्त फ़िल्में खरीद कर उन्हें प्रोत्साहन दिया जाता है ।

### दृश्य शिक्षा सहायक उपकरणों का चल संग्रहालय

7 दिसम्बर, 1956 को दृश्य शिक्षा सहायक उपकरणों का जो चल संग्रहालय यूनेस्को से मिला था वह अब तक छः समाज शिक्षा आयोजक प्रशिक्षण केन्द्रों में जा चुका है । ग़ट इस समय राष्ट्रीय मूलभूत शिक्षा केन्द्र, नई दिल्ली में है । दृश्य-श्रव्य शिक्षा के

राष्ट्रीय संस्थान के लिए इसे दो वर्ष तक और रोक रखने का निश्चय किया गया है। "मूल भूत शिक्षा और सामुदायिक विकास में दृश्य शिक्षा सहायक उपकरण" पर जो प्रादेशिक सेमिनार हुआ था उसमें यह संग्रहालय प्रदर्शित किया गया था।

### फिल्मी टुकड़ों के प्रोजेक्टर तैयार करना

35 मिलीमीटर के फिल्मी टुकड़ों के प्रोजेक्टर बड़े पैमाने पर तैयार करने के लिए आर्डनेंस फैक्ट्री, देहरादून से बात-चीत की जा रही है। इस बात का प्रयत्न किया जायेगा कि प्रोजेक्टरों की कीमत इतनी कम रखी जाये कि संस्थाएँ उन्हें आसानी से खरीद सकें।

### राज्य सरकारों को सहायता

राज्यों में दृश्य-श्रव्य शिक्षा की योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए मार्च, 1958 में राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता के रूप में 2.06 लाख रुपये की राशि दी गयी। 1957-58 के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में दी जाने वाली राशियों की यह दूसरी किस्त थी। 1958-59 में राज्य सरकारों की सहायता का अनुमानित खर्च 3.10 लाख रुपये है।

### केन्द्रीय फ़िल्म संग्रहालय

फ़िल्में, फ़िल्मी टुकड़े, फ़िल्मी साज-सामान और अन्य दृश्य-श्रव्य सहायक उपकरण खरीदने के लिए 1958-59 में 65,000 रुपये की व्यवस्था की गयी थी। इस वर्ष केन्द्रीय फ़िल्म संग्रहालय के लिए 623 फ़िल्में, 57 फ़िल्मी टुकड़े और कुछ पत्रिकाएँ प्राप्त की गयीं। इनमें "यात्रिक," "गांधी जी," "छोटा भाई," "अछूत कन्या" और "परदेसी" जैसी कुछ उत्कृष्ट वृत्त फ़िल्में भी सम्मिलित हैं। 89 शैक्षिक और इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं ने संग्रहालय का सदस्य बनना स्वीकार किया। अब संग्रहालय के सदस्यों की कुल संख्या 1220 है। पूर्व-पर्यवेक्षण समिति की 22 बैठकें हुईं जिनमें 97 फ़िल्मों का पूर्व-पर्यवेक्षण किया गया। 9719 फ़िल्में और 96 फ़िल्मी टुकड़े सदस्य संस्थाओं को उधार दिये गये। फ़िल्मों और फ़िल्मी टुकड़ों के व्याख्यात्मक अनुपूरक पहले सदस्य-संस्थाओं को हर तीसरे मास अलग से भेजे जाते थे। अब जुलाई 1958 से ये "दृश्य-श्रव्य शिक्षा" पत्रिका में प्रकाशित होते हैं।

### चल सिनेमा यूनिट

चल सिनेमा गाड़ी के अनुरक्षण के लिए 4,000 रुपये की व्यवस्था की गयी थी। यूनिट ने पहले की तरह शैक्षिक संस्थाओं और इसी प्रकार के अन्य संगठनों में फ़िल्में दिखलाने तक ही अपना कार्यकलाप सीमित रखा। समीक्षाधीन वर्ष में यूनिट ने 121

में यूनिट द्वारा किये गये एक सर्वेक्षण के आधार पर “दृश्य-श्रव्य शिक्षा” पत्रिका में सदस्यों और दृश्य-श्रव्य टेकनीकों में रुचि लेने वाले अन्य व्यक्तियों के संदर्शन के लिए एक रिपोर्ट प्रकाशित की गयी। देहात के लोगों में मद्य-पान, जुआ खेलना आदि अनेक बुरी आदतें होती हैं। इन्हें जड़ से मिटाने के लिए सिनेमा यूनिट ने 1959-60 में कुतुब के पास समाज शिक्षा केन्द्र, बेगमपुर में दृश्य-श्रव्य शिक्षा कार्यक्रम आरम्भ करने की योजना बनाई है जिसके अन्तर्गत मद्यपान, जुआ आदि की बुराइयों पर फिल्में दिखाई जायेंगी।

### “दृश्य-श्रव्य शिक्षा” पत्रिका

पहले की तरह इस वर्ष भी इस पत्रिका के चार अंक प्रकाशित हुए। अंतर्वस्तु और बाह्य रूप, इन दोनों की दृष्टि से पत्रिका ने बहुत प्रगति की है। अक्टूबर का अंक पूर्णतया “मूल भूत शिक्षा और सामुदायिक विकास में दृश्य सहायक उपकरण” पर यूनेस्को के प्रादेशिक सेमिनार से सम्बन्धित था।

अब इस पत्रिका में शीघ्र ही हिन्दी खण्ड जोड़ देने का विचार है।

### दृश्य शिक्षा सहायक उपकरणों का निर्माण एकांश

दृश्य सहायक उपकरणों का निर्माण एकांश 1958 में स्कूलों और समाज शिक्षा के लिए आदर्श चार्ट और पोस्टर तैयार करने में लगा रहा। आध दजन से अधिक चार्ट और पोस्टर बहुत अधिक संख्या में तैयार कर लिए गये हैं और राज्य सरकारों तथा अन्य संस्थाओं में बांटे जा चुके हैं। उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए छः और चार्ट तैयार करने का काम हो रहा है। दृश्य-श्रव्य शिक्षा के महत्वपूर्ण विषयों पर पुस्तकाएँ और एक विषयी पुस्तकें तैयार करने की प्रायोजना भी आरम्भ की गयी है जिससे कि अध्यापकों और शिक्षकों को दृश्य-श्रव्य सहायक उपकरणों के उचित प्रयोग की अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। फिल्मी टुकड़ों के निर्माण और प्रयोग पर एक पुस्तक शीघ्र ही प्रकाशित होगी, ऐसी आशा है।

आगामी वित्त-वर्ष के कार्यक्रम के अन्तर्गत उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए विज्ञान, आर्थिक भूगोल और भारतीय इतिहास के चौबीस चार्ट और समाज शिक्षा के विषयों के छः चार्ट तैयार करने का विचार है। दृश्य-श्रव्य शिक्षा की ऐसी सामग्री के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए जिसका उपयोग करने के लिए प्रोजेक्टरों की आवश्यकता नहीं होती, ग्रैर-सरकारी निर्माताओं को पुरस्कार देने का भी विचार है।

1959-60 में दृश्य-श्रव्य शिक्षा के अनेक विषयों पर चार एक विषयी पुस्तकें प्रकाशित करने का भी विचार है।

### अध्यापन नोटों का अनुवाद

कक्षा में पढ़ाने के लिए फिल्मी टुकड़े फिल्मों की अपेक्षा अधिक उपयोगी समझे



गये, इसलिए फ़िल्मी टुकड़ों के हिन्दी अध्यापन-नोट तैयार करने का काम पिछले वर्ष आरम्भ किया गया। अब तक 38 फ़िल्मी टुकड़ों के हिन्दी अध्यापन-नोट तैयार हो चुके हैं। ये अध्यापन-नोट सदा ही फ़िल्मी टुकड़ों के साथ संस्थाओं में भेजे जाते हैं।

1959-60 में कई चुनी हुई फ़िल्मों के हिन्दी अध्यापन-नोट और मानकीकृत हिन्दी टिप्पणियाँ तैयार करने का विचार है।

# समाज शिक्षा

## राष्ट्रीय मूलभूत शिक्षा केन्द्र

राष्ट्रीय मूलभूत शिक्षा केन्द्र की स्थापना 15 मई, 1956 को हुई थी। केन्द्र के उद्देश्य और कार्य इस प्रकार हैं :—

1. उद्देश्य:—प्रशिक्षण, अनुसंधान और मूल्यांकन के राष्ट्रीय केन्द्र के रूप में काम करना और समाज शिक्षा के क्षेत्र में नेतृत्व करना।
2. कार्य:—(क) समाज शिक्षा के महत्वपूर्ण कार्मिकों को प्रशिक्षित करना जैसे जिला समाज शिक्षा आयोजक आदि को।  
(ख) समाज शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान और मूल्यांकन के कार्य करना।  
(ग) समाज शिक्षा के लिए अधिक अच्छी सामग्री और साज-सामान तैयार करने से सम्बन्धित प्रयोग करना।  
(घ) समाज शिक्षा सम्बन्धी सूचनाओं और विचारों के प्रसार-केन्द्र के रूप में काम करना।

राष्ट्रीय मूलभूत शिक्षा केन्द्र को जितने स्थान की आवश्यकता थी वह उसे मार्च, 1958 में मिला और तब से केन्द्र ने उपर्युक्त सभी कार्य आरंभ कर दिये हैं। इस वर्ष सभी शैक्षिक कार्मिक नियुक्त किये जा चुके हैं। जिला समाज शिक्षा आयोजकों के पहले दल के लिए 7 अप्रैल, 1958 को प्रशिक्षण-क्रम आरंभ हुआ। अनेक राज्यों के सोलह प्रशिक्षार्थियों ने यह प्रशिक्षण-क्रम लिया।

दूसरे दल का प्रशिक्षण-क्रम 17 नवम्बर, 1958 को आरंभ हुआ। यह 17 अप्रैल 1959 तक चलेगा। इस दल में 22 प्रशिक्षार्थी हैं।

दिसम्बर, 1958 के अन्त तक 8,850.00 डालर की सामग्री और साजसामान यूनेस्को से प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त यूनेस्को ने दो विशेषज्ञों की सेवाएँ भी उपलब्ध कराईं। इनमें से एक थे अनुसंधान और मूल्यांकन के विशेषज्ञ, प्रो० चार्ल्स मेज जिन्होंने 9 दिसम्बर, 57 से 8 दिसम्बर, 58 तक एक वर्ष तक काम किया और दूसरे हैं दृश्य-श्रव्य शिक्षा के विशेषज्ञ श्री ए० जे० हाल्स जो 7 मार्च, 1958 से काम कर रहे हैं।

टेकनिकल सहयोग मिशन ने भी सहायता के रूप में केन्द्र को दृश्य-श्रव्य शिक्षा का साजसामान और एक गाड़ी दी है। समीक्षाधीन वर्ष में 2371.85 डालर का साजसामान, 10,097.57 डालर की पुस्तकें, पत्रिकाएँ और फिल्में तथा 2,615.13 डालर की एक

गाड़ी प्राप्त हुई। आगामा कुछ महीनों में और अधिक साजसामान आने की आशा है। टेकनिकल सहयोग मिशन ने वयस्कशिक्षा के विशेषज्ञ डा० होमर केम्फेर की सेवाएँ भी उपलब्ध कराई हैं। इन्होंने 10 अक्टूबर, 1958 को केन्द्र में कार्यभार ग्रहण किया।

इस वर्ष केन्द्र के पुस्तकालय का निर्माण भी किया गया। अब पुस्तकालय में 1,970 पुस्तकें हैं। पुस्तकालय में बहुत सी उपयोगी पत्रिकाएँ भी मंगाई जाती हैं।

प्रो० चार्ल्स मेज ने केन्द्र के लिए अनुसंधान की आयोजनाएँ तैयार कीं। अगस्त और सितम्बर, 1958 में दो अनुसंधान-अधिछात्रों ने केन्द्र में कार्यभार ग्रहण किया। इसके तुरन्त बाद ही "सामुदायिक केन्द्र" पर एक अनुसंधान-प्रायोजना का क्षेत्रीय कार्य आरंभ हो गया। "गावों में मित्रों के स्थान" पर एक प्रायोगिक अन्वेषण-कार्य पूरा किया गया। इसकी रिपोर्ट प्रकाशित करने का विचार है।

समीक्षाधीन वर्ष में प्रशिक्षार्थियों के लिए एक छात्रावास स्थापित किया गया। इस छात्रावास में सब प्रकार की सुविधाएँ हैं और छात्रों तथा छात्राओं के अलग-अलग रहने का प्रबंध है। परन्तु भोजनालय दोनों के लिए एक ही है। प्रशिक्षार्थियों की एक समिति इस भोजनालय का प्रबन्ध करती है।

विभिन्न देशों के 22 छात्र भारत में समाज शिक्षा का अध्ययन करने के लिए इस केन्द्र में आगे और एक दिन से एक सप्ताह की अवधि तक यहाँ रहे।

### 1959-60 का कार्यक्रम

प्रशिक्षण-क्रम जारी रखने के अतिरिक्त केन्द्र समाजशिक्षा के लिए दृश्य-श्रव्य सामग्री का आदि-रूप तैयार करेगा। दूसरी अनुसंधान-प्रायोजना पूरी की जायेगी। समाजशिक्षा (जिस में पुस्तकालय-विकास भी सम्मिलित है) के क्षेत्र में काम करने वाले स्वैच्छिक शिक्षा-संगठनों की वित्तीय सहायता

यह योजना पहली पंचवर्षीय आयोजना की अवधि में आरंभ की गयी थी और दूसरी आयोजना की अवधि में भी यह जारी रखी गई है। इस योजना के अन्तर्गत समाजशिक्षा और पुस्तकालय-विकास को बढ़ावा देने के लिए स्वैच्छिक शिक्षा-संगठनों को अनुदान दिये जाते हैं। केन्द्रीय सरकार स्वीकृत खर्च का अधिक से अधिक 60 प्रतिशत देती है। बाकी खर्च संस्था या राज्य सरकार को देना पड़ता है।

इस काम के लिए 1958-59 के बजट में 8 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी थी। दिसम्बर, 1958 के अन्त तक तेरह संस्थाओं के लिए 3,43,809 रुपये की राशि स्वीकृत की गयी थी।

1959-60 के बजट में 8 लाख रुपये की व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया गया है।

### पुस्तकाध्यक्षों के लिए प्रशिक्षण-संस्थान

पुस्तकाध्यक्षता का प्रशिक्षण देने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में एक संस्थान की

स्थापना की गयी है। जिला और राज्य के पुस्तकाध्यक्षों को प्रशिक्षण की सुविधाएँ देने के अतिरिक्त यह संस्थान जिला पुस्तकाध्यक्ष के लिए पुनश्चर्या-पाठ्यक्रम, बाल पुस्तकालयों के लिए पाठ्यक्रम जैसे विशेष पाठ्यक्रमों की व्यवस्था, पुस्तकाध्यक्षता सम्बन्धी समस्याओं पर अनुसंधान और अनेक पुस्तकालय-पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित उपयुक्त साहित्य का निर्माण भी करेगा।

1958-59 में इस संस्थान को स्थापित करने और चलाने के लिए दिल्ली विश्व-विद्यालय को 1,08,994 रुपये का अनुदान दिया गया था। मंत्रालय ने दूसरी आयोजना के अंतिम तीन वर्षों तक इस योजना का सारा खर्च देना स्वीकार कर लिया है। इस पर कुल मिलाकर 2,66,233 रुपये खर्च होंगे।

आशा की जाती है कि पहला पाठ्यक्रम मार्च, 1959 के पहले सप्ताह में आरम्भ हो जायेगा

#### श्रमिकों की शिक्षा के लिए सायंकालीन संस्थान

श्रमिकों में समाज शिक्षा की संभावनाओं का पता चलाने के लिए इन्दौर में प्रायोगिक रूप से एक श्रमिक संस्थान स्थापित करने का निश्चय किया गया है।

श्रमिक संस्थान निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति का प्रयत्न करेगा :—

- (1) श्रमिक-वर्ग में ज्ञान-प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न करना।
- (2) श्रमिकों में सामाजिक और नागरिक दायित्व का भाव जागृत करना।
- (3) श्रमिकों को सामान्य शिक्षा की सुविधाएँ देना और उन की रुचि के क्षेत्र को विस्तृत करना।
- (4) स्वस्थ मनोरंजन की व्यवस्था करना।

इस संस्थान का प्रशासन एक समाज-शिक्षा विशारद-सह-सामाजिक कार्यकर्ता करेगा और उसमें कक्षा, अनेक प्रकार के क्लबों, एक पुस्तकालय और स्त्रियों के कार्यकलाप के लिए स्थान होगा।

संस्थान को चलाने के लिए एक सलाहकार बोर्ड बनाने का प्रस्ताव किया गया है। यह बोर्ड संस्थान की देखरेख और नेतृत्व करेगा। इस बोर्ड में शिक्षा मंत्रालय, श्रम मंत्रालय राज्य के श्रम शिक्षा विभागों, नियोक्ताओं और श्रमिकों, कालेज के अध्यापकों, जनता, सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि के प्रतिनिधि होंगे। कार्यकारी शक्तियाँ आठ सदस्यों की एक समिति को प्राप्त होंगी। समीक्षाधीन वर्ष में इस योजना के व्योरो को अंतिम रूप दिया जा चुका है और आशा है कि संस्थान शीघ्र ही स्थापित हो जायेगा।

वयस्क-स्कूलों के लिए पाठ्य विवरण (सिलेबस), पाठ्यपुस्तकों और सहायक सामग्री पर अनुसंधान

जामिया मिल्लिया के अनुसंधान, प्रशिक्षण और निर्माण केन्द्र ने मंत्रालय के लिए वयस्क स्कूलों के पाठ्य-विवरण, पाठ्य-पुस्तकों और सहायक सामग्री पर अनुसंधान-कार्य

आरम्भ किया। अनुमान लगाया गया है कि प्रत्येक प्रायोजना पर लगभग 2,74,000 रुपये खर्च होंगे। यह योजना जुलाई, 1957 में आरम्भ हुई थी और लगभग तीन वर्ष तक इसका काम होता रहेगा।

वयस्क स्कूलों के पाठ्यक्रम को चार अवस्थाओं में बांटा गया है। पाठ्य विवरण तैयार हो जाने से योजना की पहली अवस्था पूरी हो चुकी है। केन्द्र ने अब दूसरी अवस्था का कार्य आरम्भ किया है जिसके अन्तर्गत चार अनुसंधान यूनिटों और स्वैच्छिक एजेंसियों की सहायता से 38 वयस्क स्कूल स्थापित किये गये हैं। ये स्कूल इस वर्ष के मध्य में खोले गये थे और इन का काम संतोषजनक रूप से हो रहा है। केन्द्र ने इस वर्ष के आरम्भ में चार यूनिटों के प्रादेशिक प्रमुखों को प्रशिक्षित किया। प्रशिक्षण-काल में वयस्क स्कूलों का आयोजना-पत्र, विभिन्न श्रेणियों के लिए पाठ्य-विवरण और अध्यापकों के लिए एक संदेशिका तैयार की गयी तथा पाठ्यपुस्तकें और शिक्षा-सहायक उपकरण चुने गये। प्रशिक्षण के बाद प्रादेशिक प्रमुख अपनी एजेंसियों में वापस गये और प्रशिक्षण-काल में तैयार की गयी आयोजना और पाठ्य-विवरण को साकार रूप देने के लिए कुछ प्रयोगात्मक कक्षाओं का आयोजन करने में उन्होंने एजेंसियों की सहायता की। इन प्रयोगात्मक कक्षाओं की अवधि लगभग 24 मास होगी।

**नवसाक्षरों के लिए आठ श्रेणी बद्ध पुस्तकें तैयार करना**

जुलाई 1957 में हिन्दुस्तानी कल्चर सोसायटी, इलाहाबाद को नव साक्षरों के लिए आठ श्रेणी बद्ध पुस्तकें तैयार करने का काम सौंपा गया था। इस योजना पर 1,54,000 रुपये खर्च होंगे। 50,000 रुपये सोसायटी को दिये जा चुके हैं। पहली दो पुस्तकें संकलित की जा चुकी हैं और प्रकाशन के लिए तैयार हैं। इस माला की दो और पुस्तकें लगभग तैयार हैं।

**पुस्तकालयों के लिए सलाहकार समिति**

भारतीय पुस्तकालयों की वर्तमान परिस्थितियों का सर्वेक्षण करने और पुस्तकालयों के विषय में सरकार की भावी नीति के संबन्ध में सिफारिशें करने के लिए एक सलाहकार समिति नियुक्त की गयी थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है और उस पर विचार किया जा रहा है।

**समाज शिक्षा कार्यकर्ताओं के लिए साहित्य-निर्माण**

इदारा तालीमो तरक्की, जामिया मिल्लिया से समाज शिक्षा कार्यकर्ताओं के लिए पांच पुस्तिकाएँ तैयार करने को कहा गया था। तीन पुस्तकों की पांडुलिपियाँ आलोचनार्थ मंत्रालय में आ चुकी हैं।

मंत्रालय ने आयोजन, कार्य और अनुसंधान संस्थान, लखनऊ को भी निम्नलिखित तीन विषयों पर पुस्तिकाएँ तैयार करने का काम सौंपा था :—

- (1) युवक क्लब का संगठन कैसे करना चाहिए ।
- (2) किसानों के मेले—इनका संगठन किस प्रकार किया जाये ।
- (3) ग्राम-जीवन में मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप ।

संस्था ने पांडुलिपियाँ मंत्रालय को आलोचनार्थ भेज दी हैं ।

### ग्राम शिक्षा समिति

सामुदायिक विकास मंत्रालय के तत्वावधान में अप्रैल, 1957 में मसूरी में विकास कमिशनरों का छठा सम्मेलन हुआ था । उसकी सिफारिशों का अनुसरण करते हुए जनता कालेजों, ग्राम संस्थानों, मंजरी स्कूलों और बुनियादी कृषि स्कूलों के काम-काज का उनके लक्ष्यों और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए निरीक्षण करने के लिए जनवरी, 1958 में एक ग्राम शिक्षा समिति नियुक्त की गयी जिसमें सामुदायिक विकास मंत्रालय, खाद्य और कृषि मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि थे ।

इस समिति के विचारणीय विषय ये हैं :—

- (क) संस्थाओं के उद्देश्यों की जाँच पड़ताल करना और उनमें संशोधन के सुझाव देना ।
- (ख) संस्थाओं के पाठ्यक्रम नये सिरे से किस प्रकार व्यवस्थित किये जायें जिससे कि संस्थाओं के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके और कोई एक काम दो बार न किया जाये, इस सम्बन्ध में सामान्य निदेश देना ।
- (ग) संस्थाओं और उनके उद्देश्यों में ऐसे परिवर्तन करने के सुझाव देना जिससे कि किसी संस्था से शिक्षा प्राप्त करके निकलने वाले छात्रों की संख्या आवश्यकता से अधिक न हो ।

समिति ने कई संस्थाओं को जा कर देखा और उनके कार्मिकों, राज्य सरकारों के अधिकारियों तथा इन संस्थाओं के कार्य में रूचि लेने वाले कुछ अन्य अधिकारियों और आम लोगों से बातचीत की । आशा है कि समिति अपनी रिपोर्ट शीघ्र ही सरकार को पेश कर देगी ।

### समाज शिक्षा और पुस्तकालय विकास की राज्य योजनाएँ

1958-59 के राज्य शिक्षा विकास कार्यक्रमों में समाज शिक्षा और पुस्तकालय विकास की जो योजनाएँ सम्मिलित थीं उनका अनुमोदन भारत सरकार ने कर दिया है । राज्यों को अनुदान देने का तरीका अब पुनरीक्षित किया गया है । पुनरीक्षित तरीके के अनुसार वित्त मन्त्रालय राज्यों को अर्थोपाय अग्रिम ( वेज एंड मींस एडवांस ) देता है और राज्य सरकारें त्रैमासिक प्रगति विवरण भेजती हैं । दिसम्बर, 1958 में समाप्त होनेवाली तीसरी तिमाही का प्रगति विवरण मिलने पर और चौथी तिमाही के संबंध में अनुमानित खर्च का सूचना प्राप्त होने पर अन्तिम स्वीकृति दे दी जायेगी ।

## ज्ञान-सरोवर, -जनसाधारण के लिए हिन्दी विश्वकोश

पुरुषों, स्त्रियों और बालकों के लिए विविध विषयों पर सरल और सुन्दर शैली में लिखे गये हिन्दी विश्वकोश "ज्ञान सरोवर" की दूसरी जिल्द चालू वित्त-वर्ष में प्रकाशित की गयी। इसकी 25,000 प्रतियाँ छपवाई गयी हैं। इस जिल्द के दो संस्करण प्रकाशित किये गये हैं। एक संस्करण जन साधारण के लिए है जिसका मूल्य 2 रु० 50 नये पैसे हैं। यह मूल्य उस सहायता के आधार पर निश्चित किया गया है जोकि सरकार ने कीमत कम रखने के लिए दी थी। इसकी बीस हजार प्रतियाँ छपी गयी हैं। इस जिल्द का एक सुन्दर संस्करण भी प्रकाशित किया गया है। इस संस्करण की पाँच हजार प्रतियाँ छपी गयी हैं और वास्तविक खर्च के आधार पर मूल्य लगभग 5 रुपये रखा गया है। दोनों संस्करण बाजार में बिक रहे हैं।

तीसरी जिल्द का संकलन-कार्य लगभग पूरा हो चुका है और चौथी जिल्द का काम आरम्भ हो गया है। आशा की जाती है कि तीसरी जिल्द मार्च, 1959 तक छप जाएगी और 1959-60 तक प्रायोजना पूर्ण रूप से क्रियान्वित हो जायेगी।

मंत्रालय एक और हिन्दी विश्वकोश के प्रकाशन में भी सहायता दे रहा है। इस विश्वकोश के दस खंड होंगे। यह मेसर्स हिन्दी विश्व-भारती, लखनऊ द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। मंत्रालय की वित्तीय सहायता का लाभ उठाते हुए विश्वकोश का मूल्य इतना कम रखा जा रहा है कि जन साधारण इसे आसानी के साथ खरीद सकते हैं। चालू वित्त वर्ष में विश्वकोश का पहला और दूसरा खण्ड प्रकाशित हो चुका है। प्रत्येक खण्ड की दस हजार प्रतियाँ छपी गयी हैं। आशा की जाती है कि तीसरा और चौथा खंड 31 मार्च 1959 तक और अन्य छः खंड 1959-60 में प्रकाशित हो जायेंगे।

## नव पाठकों के लिए लिखी गयी पुस्तकों पर यूनेस्को की पुरस्कार योजना

मंत्रालय ने नव पाठकों के लिए लिखी गयी सर्वोत्तम पुस्तकों के भारतीय लेखकों को 480 डालर ( लगभग 2280 रुपये ) के दस पुरस्कार देने की एक योजना को मंत्रालय ने अन्तिम रूप दिया है। ये पुरस्कार यूनेस्को ने दिये हैं। यूनेस्को इस योजना के व्योरो का अनुमोदन कर चुका है और 27 दिसम्बर 1958 को एक प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा प्रतियोगिता की घोषणा कर दी गयी है। प्रतियोगिता में पुरस्कारों का विभाजन इस प्रकार किया जायेगा :—

हिन्दी	4
तामिल	3
बंगला	2
उर्दू	1

इस प्रतियोगिता के लिए केवल वही पुस्तकें स्वीकार की जायेंगी जो पहली जनवरी 1957 और 31 दिसम्बर, 1958 के बीच प्रकाशित हो चुकी हैं। प्रतियोगिता के लिए पुस्तकें भेजने की अन्तिम तिथि 30 अप्रैल, 1959 है। पुरस्कार के अतिरिक्त भारत सरकार प्रत्येक पुरस्कृत पुस्तक की 1500 प्रतियाँ भी खरीदेगी। आशा की जाती है कि 2 अक्टूबर, 1959 तक परिणाम घोषित कर दिये जायेंगे।

## राष्ट्रीय पुस्तक न्यास

सस्ते दामों पर लोगों को सत्साहित्य सुलभ कराने के उद्देश्य से पहली अगस्त, 1957 को राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की स्थापना की गई। न्यास ने प्रकाशन का अल्पकालिक और दीर्घकालिक कार्यक्रम बना लिया है। न्यास का काम-काज चलाने के लिए दिसम्बर 1958 के अन्त तक चालू वित्त वर्ष में 75,000 रुपये अनुदान के रूप में मंजूर किए गये।

### नव-साक्षरों के लिए लिखी गई पुस्तकों के लिए पुरस्कार योजना

नव-साक्षरों के लिये लिखी गई पुस्तकों की चौथी प्रतियोगिता के अन्तर्गत विभिन्न भारतीय भाषाओं की पाँच पुस्तकों / पांडुलिपियों पर पाँच-पाँच सौ रुपये के अतिरिक्त पुरस्कार 26 जनवरी 1958 को दिए गये।

चौथी प्रतियोगिता के अन्तर्गत जिन 39 पुस्तकों/पांडुलिपियों को पुरस्कृत किया था उनमें से प्रत्येक की 1500 प्रतियाँ विभिन्न राज्यों के विकास खण्डों में वितरण के लिये खरीदी गईं।

नवसाक्षरों के लिये लिखी गई पुस्तकों की पाँचवीं प्रतियोगिता के अन्तर्गत विभिन्न भारतीय भाषाओं की पुस्तकों/पांडुलिपियों के लिए पाँच-पाँच सौ रुपये के 37 पुरस्कारों की घोषणा 2 अक्टूबर, 1958 को की गई। विभिन्न राज्यों के विकास खंडों में वितरण के लिये इन पुरस्कृत पुस्तकों में से प्रत्येक की 1500 प्रतियाँ शीघ्र ही खरीदी जाने वाली हैं।

नवसाक्षरों के लिए लिखी गई पुस्तकों की पाँचवीं प्रतियोगिता के अन्तर्गत इन 37 पुरस्कृत पुस्तकों में से पाँच पुस्तकों/पांडुलिपियाँ अतिरिक्त पुरस्कार के लिए चुनी जायेंगी।

नवसाक्षरों के लिए लिखी गई पुस्तकों की छठी प्रतियोगिता की घोषणा कर दी गई है और उसके लिए सामग्री पहुँचाने की नयी दिल्ली में अंतिम तारीख 30 अप्रैल, 1959 है।

### साहित्य रचनालयों का आयोजन

नवसाक्षरों के लिए अच्छा साहित्य लिखने के तरीकों और सिद्धान्तों से लेखकों को परिचित कराने के लिये भारत सरकार की ओर से देश के विभिन्न भागों में प्रति वर्ष चार साहित्य रचनालयों का आयोजन किया जाता है। हर रचनालय छः सप्ताह तक चलता है तथा उस पर 11,000 रुपये खर्च होते हैं। यह खर्च भारत सरकार उठाती है। सन् 1958-59 में, मद्रास, पंजाब, बिहार और दिल्ली की राज्य सरकारों के लिये चार साहित्य रचनालयों का आयोजन किया गया था।

### हिन्दी में समाज शिक्षा साहित्य की खरीद

पढ़ने की अल्प क्षमता रखने वाले लोगों में अच्छे साहित्य का प्रचार करने की



दृष्टि से, मंत्रालय समय-समय पर श्रेष्ठ लोकप्रिय पुस्तकों खरीदता रहता है। सन् 1956-57 तथा 58 के प्रथम ढाई महीनों में प्रकाशित अपनी श्रेष्ठ पुस्तकों भेजने के लिए देश के सभी प्रकाशकों से एक प्रेस विज्ञप्ति द्वारा अनुरोध किया गया था। कुल 328 पुस्तकों मंत्रालय में भेजी गयीं। इन पुस्तकों की जाँच समीक्षकों द्वारा की जा रही है। लगभग 60 पुस्तकों स्वीकृत की जावेंगी तथा विभिन्न राज्य सरकारों की आवश्यकताओं तथा मूल्य के आधार पर उनमें से प्रत्येक की 5,000 से 10,000 प्रतियाँ तक राज्य सरकारों के सहयोग से खरीद ली जायेंगी। राज्य सरकारें इन पुस्तकों के मूल्य का 50 प्रतिशत खर्च उठावेंगी। लागत मूल्य का शेष खर्च तथा परिवहन, डाक-व्यय, पैकिंग आदि का खर्च भारत सरकार द्वारा उठाया जायेगा।

# समाज हित और अशक्तों तथा विस्थापितों की शिक्षा

## समाज हित

### केन्द्रीय समाज हित बोर्ड

केन्द्रीय समाज हित बोर्ड की स्थापना 12 अगस्त, 1953 के भारत सरकार संस्ताव द्वारा इस मंत्रालय के प्रशासन - नियंत्रण में हुई। इस बोर्ड का एक प्रमुख उद्देश्य है स्वैच्छक समाज हित संगठनों को उनके वर्तमान क्रियाकलापों का अनुरक्षण और विकास करने और नये क्रियाकलापों का समारम्भ करने में सहायता देना, और इन क्रियाकलापों को पंचवर्षीय आयोजना की सामान्य रूपरेखा के अनुरूप समन्वित करना। बोर्ड देहातों में हित विस्तार प्रायोजनाओं व शहरों में परिवार हित प्रायोजनाओं की स्थापना करता है और अपनी हित विस्तार प्रायोजनाओं के लिए ग्राम सेविकाओं, दाइयों आदि को प्रशिक्षण भी देता है।

चालू वित्त-वर्ष के लिए बोर्ड का पुनरीक्षित बजट प्राक्कलन 1,50,00,000 रुपया है जब कि पहले 1,75,00,000 रुपयों की व्यवस्था की गयी थी। बोर्ड के क्रियाकलापों के लिए अगले वित्त-वर्ष के बजट में 200 लाख रुपयों की व्यवस्था की गई है।

1958-59 में बोर्ड ने 50 हित प्रायोजनाएँ आरम्भ की है, जिससे प्रायोजनाओं की कुल संख्या 532 हो गई है। साथ ही बोर्ड ने 30 सितम्बर, 1958 तक 525 संस्थाओं को कुल 15,56,056 रुपयों के सहायता अनुदान मंजूर किये हैं।

### अशक्तों की शिक्षा समितियों और समाज हित सलाहकार बोर्ड की बैठक

अशक्तों की शिक्षा से सम्बन्धित समितियों और समाज हित सलाहकार बोर्ड की बैठकों का संयोजन करने के लिए चालू वित्त-वर्ष के बजट में 10,000 रुपयों की व्यवस्था की गई है।

समीक्षाधीन वर्ष में अशक्तों की शिक्षा की राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् की एक बैठक हुई। यह परिषद् अशक्तों की शिक्षा और उनके हित से सम्बन्धित सभी समस्याओं पर भारत सरकार को सलाह देती है। आशा है कि समाज हित सलाहकार बोर्ड की एक बैठक शीघ्र ही होगी। इसका मुख्य कार्य भारत सरकार को उन अनुदानों के सम्बन्ध में सलाह देना है जो कि उपयुक्त संस्थाओं को समाज-सेवा के अनुमोदित क्षेत्रों में अनुसंधान प्रायोजनाएँ आरम्भ करने के लिए दिये जाते हैं।

इस उद्देश्य से 1959-60 के बजट में 14,000 रुपयों की व्यवस्था की गई है।

**समाज हित की अनुसंधान प्रायोजनाओं के लिए सहायता अनुदान :**

समाज हित सलाहकार बोर्ड की सलाह पर, समाज - सेवा में दिलचस्पी रखने वाली विश्वविद्यालयेतर संस्थाओं को अनुदान दिये जाते हैं। ये अनुदान समाज-सेवा के अनुमोदित क्षेत्रों में अनुसंधान प्रायोजनाएँ चलाने के लिये दिये जाते हैं। अगले वित्त-वर्ष के बजट में 40,000 रुपयों की व्यवस्था की गयी है, जब कि वर्तमान वर्ष में व्यवस्था 37,600 रुपये की थी।

समीक्षाधीन अवधि में इस योजना के अधीन चार संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी गयी है।

**बाल हित की स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता**

बाल हित संस्थाओं को 'स्वैच्छिक शिक्षा संस्थाओं को सहायता' की विस्तृत योजना के उद्देश्यों के लिए केन्द्रीय समाज हित बोर्ड सहायता नहीं दे सकता। इस लिए चालू वित्त वर्ष के बजट में इस योजना के अधीन अनुदान देने के लिए 1,41,000 की व्यवस्था वर्तमान है। इस में बड़ी-बड़ी इमारतों का निर्माण, सेमिनारों और सम्मेलनों का संयोजन आदि शामिल है। समीक्षाधीन वर्ष में दो संस्थाओं को सहायता दी गयी। इस उद्देश्य से 1959-60 के बजट में 1,41,000 रुपयों की व्यवस्था की गयी थी।

**समाज-सेवा में प्रशिक्षण देने और अनुसन्धान कराने वाली संस्थाओं और अशक्तों की संस्थाओं को तदर्थ अनुदान :**

इस योजना के अधीन समाज सेवा में प्रशिक्षण देने वाली या उसे बढ़ावा देने वाली संस्थाओं को और अशक्तों की संस्थाओं को तदर्थ अनुदान दिये जाते हैं। ये अनुदान साधारणतया अनुरक्षण अनुदान के रूप में दिये जाते हैं।

चार लाख की वर्तमान बजट व्यवस्था में से चालू वित्त-वर्ष की अवधि में इस योजना के अधीन पाँच संस्थाओं को सहायता दी गयी है। इस योजना के लिए 1959-60 के बजट में 3.5 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है।

## **अशक्तों की शिक्षा**

**अशक्तों के लिए स्वैच्छिक संस्थाएँ :**

अशक्तों की स्वैच्छिक शिक्षा संस्थाओं को सहायता की वृहत्तर योजना के अधीन अशक्तों के स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान देने के लिए 1958-59 में 2,82,000 रुपयों की व्यवस्था की गयी थी। अशक्तों की संस्थाओं को अपनी वर्तमान सेवाओं का विकास करने या नयी सेवाएँ आरम्भ करने के लिए अनुदान दिये जाते हैं।

चालू वित्त-वर्ष में आठ संस्थाओं को सहायता दी गयी है। अशक्तों की सुपात्र संस्थाओं को अधिक सहायता देने के लिए अगले वर्ष के बजट में व्यवस्था बढ़ा कर 3.5 लाख रुपये कर दी गयी है।

### अन्धे बच्चों का मांडल स्कूल, देहरादून

अन्धे बच्चों के लिए एक ऐसा मांडल-स्कूल स्थापित करने की योजना, जिसमें एक किंडरगार्टन खंड, एक प्राथमिक और माध्यमिक खंड, तथा एक अध्यापक प्रशिक्षण विभाग हो, दूसरी आयोजना में सम्मिलित की गयी थी। स्कूल के किंडरगार्टन तथा प्राथमिक खंडों का उद्घाटन 4 जनवरी, 1959 को हुआ। इस समय यह स्कूल देहरादून में एक किराये की इमारत में खोला गया है और इस में 50 बच्चों के लिए स्थान है। 1959-60 में माध्यमिक खंड के स्थापित हो जाने पर आशा है बच्चों की संख्या बढ़ कर 100 हो जायेगी। इस उद्देश्य से चालू वित्त-वर्ष के बजट में कोई विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गयी है, और इस वर्ष स्कूल आरम्भ करने के खर्च को उस निधि से बचे धन से पूरा किया जा रहा है जो कि अन्धों के अध्यापकों के लिए अल्पकालीन प्रादेशिक पाठ्यक्रम चलाने के लिए संचित की गयी है। 1959-60 के बजट में स्कूल के प्रशासन और विस्तार के लिए 1,47,000 रुपये की व्यवस्था की गयी है।

### अन्धों के अध्यापकों के लिए अल्पकालीन प्रादेशिक पाठ्यक्रम

अन्धों के अध्यापकों के लिए अल्पकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाने के लिए 1958-59 के बजट में 94,000 रुपयों की व्यवस्था की गयी है। अन्धे बच्चों के मांडल स्कूल की स्थापना होने तक (जिसमें कि बाद में एक अध्यापक प्रशिक्षण विभाग भी होगा) अन्धों के कुछ अल्पकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रादेशिक आधार पर चलाने का विचार किया गया था। परन्तु, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू नहीं किये जा सके; मांडल स्कूल की स्थापना अवश्य हो चुकी है। इसलिए अगले वित्त-वर्ष के बजट में इस के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी है।

### वयस्क अन्धों का प्रशिक्षण केन्द्र

वयस्क अन्धों का प्रशिक्षण केन्द्र, देहरादून, के पुरुष खंड के प्रशासन के लिए 1958-59 के बजट में 2,64,000 रुपयों की व्यवस्था की गयी है। इस केन्द्र ने, जिस में 150 शिक्षकों के लिए स्थान है, 18 से 40 वर्ष तक के अन्धों को मुख्यतः कुटीर उद्योगों का प्रशिक्षण दिया।

इस केन्द्र के प्रशासन के लिए 1959-60 के बजट में 2,61,800 रुपयों की व्यवस्था की गयी है।

### वयस्क अन्धों के प्रशिक्षण केन्द्र का विस्तार

वयस्क अन्धों के प्रशिक्षण केन्द्र के विस्तार के लिए चालू वित्त-वर्ष के बजट में 47,000 रुपयों की व्यवस्था की गयी है। यह लघु इंजीनियरी खंड की स्थापना के लिए है।

अगले वित्त-वर्ष के बजट में इस खंड के लिए अपेक्षित मशीनें खरीदने के लिए सिर्फ 5,000 रुपयों की व्यवस्था की गयी है।

### वयस्क अंशों के प्रशिक्षण केन्द्र का महिला खंड

वयस्क अंशों के प्रशिक्षण केन्द्र के महिला खंड के प्रशासन के लिए 1958-59 के बजट में 47,000 रुपये की व्यवस्था की गयी है। इस खंड की स्थापना 30 सितम्बर, 1957, को हुई थी। इस खंड में 20 शिक्षुओं के लिए स्थान है। पर शीघ्र ही एक और इमारत बनाकर इसमें 35 शिक्षुओं के लिए स्थान का प्रबन्ध करने का विचार है। पुरुष खंड के समान ही इस खंड में भी कुटीर उद्योगों का प्रशिक्षण दिया जाता है।

इस खंड के प्रशासन के लिए अगले वित्त-वर्ष के बजट में 65,000 रुपयों की व्यवस्था की गयी है।

### अंशों के लिए सुरक्षित प्रोद्योगशाला का प्रशासन

वयस्क अंशों के प्रशिक्षण केन्द्र, देहरादून, से सम्बद्ध अंशों की सुरक्षित प्रोद्योगशाला में केन्द्र के कुछ पुराने शिक्षुओं को रोजगार भी मिल जाता है। इस समय प्रोद्योगशाला में पांच अन्धे कुर्सी बनाने वाले और पांच बुनकर हैं, जिन्हें काम के हिसाब से वेतन दिया जाता है।

सुरक्षित प्रोद्योगशाला के प्रशासन और विस्तार के लिए 1958-59 के बजट में 94,000 रुपयों की व्यवस्था है। इस उद्देश्य से 1959-60 के बजट में 97,000 रुपयों की व्यवस्था की गयी है।

25 कर्मचारियों को रोजगार मिल सके, इस उद्देश्य से प्रोद्योगशाला का विस्तार करने के कार्यक्रम को 1958-59 में कार्यान्वित नहीं किया जा सका। परन्तु इसे 1959-60 में करने का विचार है।

### केन्द्रीय ब्रैल प्रेस, देहरादून

इस प्रेस के प्रशासन के लिए चालू वर्ष के बजट में 75,000 रुपयों की व्यवस्था की गयी है। इस प्रेस का मुख्य कार्य है भारतीय भाषाओं में ब्रैल साहित्य तैयार करना।

समीक्षाधीन वर्ष में ब्रैल प्रेस ने ब्रैल लिपि में लगभग एक दर्जन विषयों में ग्रन्थ प्रकाशित किये हैं। ये मुख्यतः हिन्दी में हैं। इन विषयों में ब्रैल की 30 से 40 तक जिल्दें हैं।

प्रेस के प्रशासन के लिए अगले वित्त-वर्ष के बजट में 1,32,000 रुपये की व्यवस्था की गयी है। अधिक रकम की व्यवस्था मशीन खरीदने के लिए की गयी है, ताकि प्रेस की उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा सके और दो पारियाँ शुरू की जा सकें।

### ब्रैल उपकरणों के निर्माण के लिए प्रोद्योगशाला

ब्रैल उपकरणों के निर्माण के लिए केन्द्रीय ब्रैल प्रेस, देहरादून, से सम्बद्ध प्रोद्योग-

शाला के प्रशासन के लिए चालू वित्त-वर्ष के बजट में 47,000 रुपये की व्यवस्था है। इस प्रोद्योगशाला में प्रायः उन सभी बुनियादी उपकरणों का निर्माण किया जाता है जिनकी अन्वों की शिक्षा के लिए आवश्यकता होती है। समीक्षाधीन वर्ष में इस प्रोद्योगशाला ने अंकगणित-चौखटों (अरिथमेटिक फ्रेम्स) के निर्माण का काम शुरू किया, जिनका इस देश में पहले निर्माण नहीं होता था। इस प्रोद्योगशाला के प्रशासन के लिए अगले वित्त-वर्ष के बजट में 50,000 रुपयों की व्यवस्था की गयी है।

### विकलांग बालकों के लिए माँडल स्कूल

विकलांग बालकों के लिए माँडल स्कूल की स्थापना के लिए 1959-60 के बजट में 10,000 रुपयों की व्यवस्था की गयी है। यह योजना दूसरी आयोजना में शामिल कर ली गयी है। इस स्कूल का उद्देश्य यह है कि 6-14 वर्ष की आयु के 50 विकलांग बच्चों के लिए सामान्य व्यावसायिक प्रशिक्षण और शक्तिदायी चिकित्सा का प्रबन्ध करने के साथ-साथ उन्हें प्राथमिक शिक्षा भी दी जाय।

चालू वित्त-वर्ष के बजट में इस योजना के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।

### वयस्क बहरों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र

वयस्क बहरों के प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के लिए चालू वित्त-वर्ष के बजट में 94,000 रुपयों की व्यवस्था की गयी है। आशा है कि प्रस्तावित केन्द्र वयस्क बहरों को कपड़ा सीना, बढ़ई का काम, मशीन काम, व्यापारिक चित्रकला आदि व्यावसायों का प्रशिक्षण देगा, ताकि वे सामान्य उद्योगों में कुशल कारीगरों के रूप में लिए जा सकें। यह केन्द्र विशेषकर उपयुक्त स्थान की कमी के कारण चालू वित्त-वर्ष में स्थापित नहीं किया जा सका। तथापि इस समय कुछ इमारतें ध्यान में रखी गयी हैं, और आशा है कि यह केन्द्र 1959-60 के आरम्भ में स्थापित हो जायेगा। इस केन्द्र की स्थापना और प्रशासन के लिए 1959-60 के बजट में एक लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है।

### मानसिक विकासरुद्ध बच्चों के लिए माँडल स्कूल

अगले वित्त-वर्ष के बजट में मानसिक विकास रुद्ध बच्चों के माँडल स्कूल की स्थापना के लिए 30,000 रुपयों की व्यवस्था की गयी है। यह योजना दूसरी पंचवर्षीय आयोजना में सम्मिलित कर ली गयी है। इस स्कूल का उद्देश्य है मानसिक विकास रुद्ध बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा देना और साथ ही ऐसी व्यावसायिक शिक्षा देना जिसे वह सीख सके। प्रारम्भ में इस स्कूल में 50 बच्चों के लिये स्थान की व्यवस्था करने का विचार है।

### अशक्तों का स्थाली-पुलाक सर्वेक्षण

चुने हुए क्षेत्रों में अशक्तों का स्थाली-पुलाक सर्वेक्षण करने के लिए चालू वित्त-वर्ष के बजट में 28,200 रुपयों की व्यवस्था की गयी है।

इन सर्वेक्षणों का उद्देश्य है विभिन्न भाषा उत्पन्न करने वाली स्थितियों के सम्बन्ध में कुछ प्रत्यक्ष सूचना प्राप्त करना और साथ ही अशक्तों के प्रमुख वर्गों की सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं का ज्ञान प्राप्त करना। बम्बई में दोनों अवस्थाओं का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और एक रिपोर्ट प्रकाशित की जा चुकी है। इस समय एक सर्वेक्षण पर दिल्ली में काम हो रहा है। कानपुर में सर्वेक्षण की दोनों अवस्थाओं पर काम करने की मंजूरी मिल चुकी है। इस योजना के लिए 1959-60 के बजट में 40,000 रुपयों की व्यवस्था की गयी है।

### अशक्तों के लिए रोजगार संघ

अशक्तों के रोजगार संघ की स्थापना के लिए चालू वित्त-वर्ष के बजट में 94,000 रुपयों की व्यवस्था की गयी है। 16 सितम्बर, 1958, को सुश्री आइ०बी० हार्वै, जो शरीरिक दृष्टि से बाधितों के पुनःस्थापन के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ की विशेषज्ञ हैं, इस क्षेत्र में भारत सरकार को सलाह देने के लिए भारत आयीं। वे 6 मार्च, 1959, को यहाँ से लौट जायेंगी। इस प्रकार के संगठन की स्थापना करने की एक योजना आपके परामर्श से तैयार की गयी है। इस संगठन में अशक्तों के लिए प्रायोगिक रूप से चार रोजगार अफसर होंगे, जो उचित रूप से प्रशिक्षित अंधों, बहरों और विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार प्राप्त करने का काम करेंगे। प्रस्तावित दफ्तर राष्ट्रीय रोजगार सेवा के ही एक भाग के रूप में काम करेगा। अशक्तों का पहला प्रायोगिक रोजगार दफ्तर शीघ्र ही बम्बई में खोला जायेगा।

चालू वित्त-वर्ष में बम्बई में स्थापित किये जाने वाले अशक्तों के प्रायोगिक रोजगार दफ्तर के प्रशासन के लिए तथा किसी उपयुक्त स्थान पर एक अतिरिक्त दफ्तर स्थापित करने के लिए, 1959-60 के बजट में 49,800 रुपयों की व्यवस्था की गयी है।

### विस्थापितों का शैक्षिक पुनर्वास

विस्थापित विद्यार्थियों और शिक्षा संस्थाओं को वित्तीय सहायता

इन दो कार्यों का प्रशासन पूर्ण अथवा आंशिक रूप से यह मंत्रालय ही कर रहा है :—

- (i) पश्चिम बंगाल के विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष रूप से सहायता देना, और
- (ii) राजपुरा तथा फ़रीदाबाद के बुनियादी, उत्तर-बुनियादी और हाई स्कूलों का अनुरक्षण। ये काम शिक्षा मंत्रालय ने दिसम्बर, 1957, में पुनर्वास मंत्रालय से ले लिये थे। पहले भाग का सारा कार्य अब भी इसी मंत्रालय की जिम्मेदारी है, जब कि दूसरे भाग के सम्बन्ध में

मंत्रालय की जिम्मेदारी यहीं तक सीमित है कि वह दूसरी आयोजना अवधि के शेष भाग में एक खास प्रतिशतता के आधार पर पंजाब सरकार को निधि का वितरण करे, क्योंकि वे संस्थाएँ या तो राज्य सरकारों को हस्तान्तरित की जा चुकी हैं या की जा रही हैं।

इन दोनों भागों के लिए चालू वित्त-वर्ष और अगले वित्त-वर्ष में नीचे लिखी निधियों का प्रबन्ध किया गया है :—

(रुपया लाखों में)

	1958-59	1959-60
(1) विस्थापित छात्रों को प्रत्यक्ष दान, जिसमें पालनगृहों अनाथालयों के बाहर रहने वाले बच्चों को सहायता भी शामिल है...	27.00	15.00
(2) राजपुरा और फ़रीदाबाद में शैक्षिक प्रबन्ध	5.27	3.55

पश्चिम बंगाल के विस्थापित विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष दान के रूप में वित्तीय सहायता देने के लिए न केवल तदर्थ रूप से व्यवस्था की गयी है वरन् सहायता धीरे-धीरे कम भी की जा रही है, ताकि दूसरी आयोजना की अवधि के अन्त तक योजना समाप्त की जा सके और घटायी गयी व्यवस्था के भीतर ही खर्च पूरा हो सके। इस उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए भारत सरकार ने विस्थापित छात्रों को वित्तीय सहायता देने पर प्रतिबंध बढ़ा दिये हैं। इस प्रकार नक़द अनुदान देना रोक दिया गया है। और पात्रता का स्तर भी ऊँचा कर दिया गया है।

जो विद्यार्थी या उसके माँ-बाप पुनर्वास मंत्रालय से नक़द रूप में या किसी अन्य प्रकार से मुआवज़ा पा रहे थे, उन्हें 1958-59 में कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गयी। तथापि ऐसे विद्यार्थी के सम्बन्ध में अवश्य छूट दी गयी जिसके माता-पिता को नक़द या दूसरा कोई मुआवज़ा मिलने के पहले ही से वृत्तिका प्राप्त हो रही थी और वह उस अध्ययन को लगभग पूरा कर चुका था जिसके लिए वृत्तिका मंजूर की गयी थी। इस वर्ष मुआवज़े की सीमा 3,000 रुपये तक कर दी गयी है और वृत्तिका पाने के योग्य किसी नये प्रार्थी के माँ-बाप को यदि इतना या इससे कम मुआवज़ा मिला हो तब भी उसे वृत्तिका दी जायेगी। इसी प्रकार, यदि किसी विद्यार्थी को वृत्तिका मिल चुकी हो और वह अपना अध्ययन आधा या लगभग पूरा कर चुका हो और इस हालत में उसके माँ-बाप को मुआवज़ा मिले तो उसकी अधिकतम सीमा 5,000 रुपये निर्धारित की गयी है।

दूसरी आयोजना के अन्त तक के लिए 75,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से एक और भी अनुदान सुरक्षित है जिसे विवेकानुसार बाँटा जाता है। इससे उन परिवारों के छात्रों को जो कि गरीबी की हालत में विस्थापित हैं स्कूली स्तर की शिक्षा के लिए भी सीधे पुनर्वास मंत्रालय से उपयुक्त वृत्तिका प्राप्त होती है। परन्तु, निकट भविष्य में यह काम शिक्षा मंत्रालय अपने हाथ में ले लेगा।



इसी प्रकार राजपुरा और फ़रीदाबाद की शिक्षा-संस्थाओं के अनुरक्षण के लिए भी निधियों की व्यवस्था की गयी है। उनका प्रतिशत-मान नीचे दिया जाता है, परन्तु शर्त यह रखी गयी है कि दूसरी आयोजना के बाद केन्द्रीय सरकार कोई अनुदान देने के लिए बचनबद्ध नहीं है और ये संस्थाएँ एक मात्र राज्य सरकारों की जिम्मेदारी हैं:—

1957-58	...	100 प्रतिशत
1958-59	...	75 प्रतिशत
1959-60	...	50 प्रतिशत
1960-61	...	25 प्रतिशत

अब पंजाब सरकार फ़रीदाबाद के लड़कों और लड़कियों के दो पुराने हाई स्कूलों को इन्हीं शर्तों पर लेने के लिए तैयार हो गयी है। इस प्रश्न पर राज्य सरकार से अभी तक बातचीत जारी है।

**भारत और पाकिस्तान के बीच शिक्षा प्रमाणपत्रों के विनियम पर भारत पाकिस्तान करार**

शिक्षा-प्रमाणपत्रों के विनियम के सम्बन्ध में जो कठिनाई अप्रैल, 1958 में एक गतिरोध बन गयी थी वह अभी बनी हुई है। भारतीय राष्ट्रियों के जा पुरान और नये प्रार्थना-पत्र पाकिस्तान सरकार के पास रूके पड़े हैं उनकी संख्या क्रमशः 300 और 479 है और इसके विपरीत पाकिस्तानी राष्ट्रियों के प्रार्थनापत्रों की संख्या इस समय तक 286 है।

भारत और पाकिस्तान की सरकारें इस बात पर सहमत हो गयी हैं कि शिक्षा योग्यताओं के सत्यापन के लिए फ़ीस की छूट देने की अवधि पहली जुलाई 1958 से एक वर्ष और बढ़ा दी जाय।

सिंध (पाकिस्तान) के विस्थापित प्राथमिक अध्यापकों को पेंशन—सिंध (पाकिस्तान) के विस्थापित प्राथमिक अध्यापकों को पेंशन देने की जो समस्या इधर कुछ समय से भारत सरकार के विचाराधीन थी, अभी हाल में हल हो गयी है। राज्य सरकारों को सलाह दी गयी है कि वे अपने यहाँ काम करने वाले इन अध्यापकों को पूरी दर पर पेंशन दें।

**पाकिस्तान के विस्थापितों द्वारा धारित डाकघर बचत बैंक लेखों और डाक सर्टिफ़िकेटों की अदायगी**

पाकिस्तान के विस्थापितों द्वारा धारित ऐसे डाकघर बचत बैंक लेखों और डाक सर्टिफ़िकेटों की अदायगी की वैधता तिथि, जोकि एक न एक कारण से रजिस्टर नहीं किये जा सके, नवम्बर, 1958 के मध्य तक बढ़ा दी गयी है।

यह निश्चय किया गया है कि पाकिस्तान के विस्थापितों द्वारा धारित उन डाकघर बचत-बैंक लेखों और डाक सर्टिफ़िकेटों के दावों को जोकि क्रमशः 31 मार्च और 30 जून 1949 के पहले रजिस्टर किये जा चुके थे, पाकिस्तान सरकार के अधिकारियों से सत्यापन कराये बिना ही तिबटा दिया जायेगा।

# शिक्षा सम्बन्धी अवसरों का लोकतंत्रीकरण छात्रवृत्तियाँ

(क) विदेश में अध्ययन के लिए भारत सरकार की छात्रवृत्ति योजनाएँ

पुराने शिक्षा तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय के शिक्षा मंत्रालय तथा वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय में विभक्त हो जाने पर जिन छात्रवृत्ति-योजनाओं को पुराना मंत्रालय चलाया करता था उनका भार नये मंत्रालयों को मोटे तौर पर उन विषयों के अनुसार विनिहित किया गया जिसके लिए वे उत्तरदायी हैं। परन्तु, कुछ ऐसी भी योजनाएँ हैं जिन्हें दोनों मंत्रालय अपने अधीनस्थ विषयों के अनुसार संयुक्त रूप से चला रहे हैं। यह निश्चय किया गया है कि ऐसी योजनाओं के लिए इन दो मंत्रालयों, अर्थात् शिक्षा मंत्रालय तथा वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय के बीच छात्रवृत्तियाँ 1 और 4 के अनुपात में विनियोजित की जायेंगी। इस प्रकार संयुक्त रूप से चलाई जाने वाली योजनाओं के बारे में निचे दिये जा रहे हैं—

विदेशों में अध्ययन के लिए केन्द्रीय छात्रवृत्ति योजना

यह योजना कालेजों, विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा की कुछ समकक्ष संस्थाओं के अध्यापकों के लिए है। इसका लक्ष्य देश में शिक्षा और अनुसंधान का स्तर ऊँचा करना है। मानव विद्याओं में उच्च अध्ययन के लिए 1958-59 में चुने गये आठ अध्येताओं में से छः विदेश चले गये हैं। बाकी दो अध्येता दाखिले/यात्रा का प्रबन्ध पूरा होते ही रवाना हो जायेंगे।

इस योजना पर होने वाले खर्च के लिए 1959-60 के बजट में फिलहाल 54,600 रुपये की व्यवस्था की गयी है।

केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों के लिए विदेशी छात्रवृत्तियाँ (जो पहले केन्द्रीय राज्य छात्रवृत्ति योजना कहलाती थी)

इस योजना के अधीन पाँच छात्रवृत्तियाँ उन लोगों को दी जाती हैं जो जन्म या निवास के नाते छः केन्द्र-प्रशासित क्षेत्रों के वासी हैं। यह 1958-59 में चालू रही।

1958-59 के लिए चुने गये सभी पाँच अध्येताओं के मामले वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय को अन्तरित कर दिये गये हैं परन्तु 1959-60 से आगे के लिए इन दो मंत्रालयों में इन छात्रवृत्तियों का विनिधान 1 और 4 के अनुपात में होगा।

1959-60 के बजट में इस के लिए 15,200 रुपयों की व्यवस्था की गयी है।

### बीस पूरी विदेशी छात्रवृत्तियों की योजना

यह योजना 20-25 वयोवर्ग के उन मेधावी युवकों के लिए शुरू की गयी है जो बेरोज़गार हैं। 1957-58 में मानव विद्याओं का अध्ययन करने के लिए जिस उम्मीदवार का चुनाव किया गया था वह अभी विदेश में अध्ययन कर रहा है।

1959-60 के बजट में 31,000 रुपयों की व्यवस्था की गयी है।

### विदेशी भाषा छात्रवृत्ति योजना

स्कूल के स्थगित कर दिये जाने के कारण 1958-59 के लिए कोई उम्मीदवार नहीं चुना गया। इस योजना के लिए 1959-60 के बजट में 84,300 रुपये की व्यवस्था की गयी है।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित कबीलों तथा अन्य पिछड़े वर्गों को विदेश में अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियाँ

1958-59 में बारह उम्मीदवारों (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित कबीलों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के चार-चार उम्मीदवार) का चुनाव करने का काम केन्द्रीय शासन सेवा आयोग को सौंप दिया गया था। परन्तु, विदेशी मुद्रा विनियम की स्थिति कठिन होने के कारण 1959-60 में कोई उम्मीदवार नहीं चुना जायेगा।

इस पर होने वाले अनुमानित खर्च की व्यवस्था अनुसूचित जातियों, अनुसूचित कबीलों तथा अन्य पिछड़े वर्गों की मुख्य छात्रवृत्ति-योजना में ही कर दी गयी है।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित कबीलों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के लिए यात्रा-व्यय

1958-59 में 'अन्य पिछड़े वर्गों' के उम्मीदवारों को जो विदेशी छात्रवृत्तियाँ दी गयी थीं उनमें आने-जाने का खर्च शामिल नहीं था, इसके लिए उन्हें विदेश जाने का टूरिस्ट दर्जे का खर्च दिया गया। इनमें से अभी तक एक विदेश जा चुका है। इस वर्ष पिछड़े वर्गों के एक विद्यार्थी को लौटने का यात्रा-व्यय भी मंजूर किया गया। 1959-60 में भी इस योजना को जारी रखने का विचार है। इस पर होने वाले खर्च की व्यवस्था अनुसूचित जातियों, अनुसूचित कबीलों तथा अन्य पिछड़े वर्गों की मुख्य छात्रवृत्ति योजना में ही की गयी है।

### चीन और भारत के बीच अध्येताओं का विनिमय

1955-56 के कार्यक्रम के अधीन जो तीन उम्मीदवार चीनी भाषा सीखने के लिए चीन भेजे गये थे, उनका अध्ययन जारी है। 1958-59 में दी जाने वाली पाँच छात्रवृत्तियों के लिए शीघ्र ही चुनाव होगा।

इसके लिए 1959-60 के बजट में 2,000 रुपयों की व्यवस्था की गयी है।

**चेकोस्लावाकिया और भारत के बीच अध्येताओं के विनिमय का कार्यक्रम—**

1957-58 में जिन पाँच उम्मीदवारों को छात्रवृत्ति दी गयी थी उनके मामले वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय को सौंप दिये गये हैं।

**ईराक और भारत के बीच अध्येताओं के विनिमय का कार्यक्रम**

जिन दो अध्येताओं को अरबी और इस्लामी संस्कृति के अध्ययन के लिये छात्रवृत्ति दी गयी थी, वे ईराक चले गये हैं। यात्रा-व्यय छोड़ कर इन दो अध्येताओं का अनुमानित खर्च ईराक की सरकार उठायेगी। यात्रा का खर्च उस राशि से पूरा किया जायेगा जिसकी व्यवस्था विदेशी सरकार की छात्रवृत्ति-प्राप्त भारतीय अध्येताओं के लिए की गयी है।

**अगाथा हैरीसन अधिवृत्ति**

यह अधिवृत्ति स्वर्गीया (कुमारी) अगाथा हैरीसन की स्मृति में 1956-57 में आरम्भ की गई थी। इसके अधीन सेन्ट एन्टनी कालेज, अक्सफोर्ड में एशियाई समस्याओं का अध्ययन किया जायेगा, विशेष रूप से उन समस्याओं का जो भारत से सम्बद्ध हैं। यह अधिवृत्ति पाँच वर्ष के लिए है। जो उम्मीदवार इसके लिए चुना गया था वह उक्त कालेज में काम कर रहा है।

इस योजना के लिए 1959-60 के बजट में 10,700 रुपयों की व्यवस्था की गई है।

## 2. कोलम्बो आयोजना तथा छात्रवृत्तियों और अधिवृत्तियों का चतुस्सूत्री कार्यक्रम

**कोलम्बो आयोजना**

इस योजना के समन्वय का अधिकार वित्त-मन्त्रालय (अर्थ-विभाग) को है। इस मन्त्रालय का काम उन कार्मिकों को प्रशिक्षण देना होगा जो मन्त्रालय में तथा सम्बद्ध और अधीनस्थ दफ्तरों में नियुक्त हैं। इनमें वे कार्मिक भी शामिल हैं जो अखिल भारतीय समेकित योजनाओं में नियुक्त हैं। 1958 में मानव-विद्याओं में अध्ययन के लिए कोई भी उम्मीदवार नहीं भेजा गया, और न ही 1959 में किसी उम्मीदवार की सिफारिश वित्त-मन्त्रालय को भेजी गई।

कोलम्बो आयोजना के अधीन अध्येताओं पर होने वाला खर्च मेज़बान देश उठायेगा।

**चतुस्सूत्री कार्यक्रम**

संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार भारतीय राष्ट्रिकों को अपने देश में प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्तियाँ/अधिवृत्तियाँ देती है। इस योजना के लिए भी समन्वय करने का भार

वित्त-मन्त्रालय (अर्थ-विभाग) पर ही है। इस मन्त्रालय का काम उन कार्मिकों को प्रशिक्षण देना होगा जो मन्त्रालय में तथा सम्बद्ध दफ्तरों में नियुक्त हैं। इनमें वे कार्मिक भी शामिल हैं, जो कि अखिल भारतीय समेकित योजनाओं में नियुक्त हैं और जिनका समन्वय मन्त्रालय में किया जाता है। 1958 में मानव विद्याओं के लिए कोई छात्रवृत्ति नहीं दी गई और न ही इस क्षेत्र में छात्रवृत्ति के लिए 1959 में किसी उम्मीदवार का नाम वित्त-मन्त्रालय को भेजा गया है।

### 3. संयुक्तराष्ट्र संघ और यूनेस्को छात्रवृत्ति तथा अधिवृत्ति

संयुक्त राष्ट्रसंघ समाज-कल्याण अधिवृत्ति/छात्रवृत्ति कार्यक्रम

यह कार्यक्रम उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित समाज-हित कार्मिकों के पर्यवेक्षण तथा अध्ययन द्वारा विदेशों में प्रशिक्षण देने के लिए बनाया गया है। इस प्रशिक्षण द्वारा वे अपने विशेष विषय के अतिरिक्त ज्ञान और अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। भारत सरकार या आयोजन करने वाले अधिकारी को अन्तर्देशीय यात्रा का खर्च पासपोर्ट, बीजा और डाकटरी परीक्षा की फ़ीस और हवाई जहाज़ द्वारा आने-जाने के खर्च का 50 प्रतिशत देना पड़ता है, बाकी सब खर्च संयुक्त राष्ट्र संघ देता है। 1958 के लिए जिन पाँच उम्मीदवारों की सिफ़ारिश की गई है, उनमें से तीन विदेश जा चुके हैं। बाकी दो उम्मीदवारों के लिए संयुक्त-राष्ट्र संघ के अन्तिम अनुमोदन की प्रतीक्षा है। 1959 के लिए पाँच अधिवृत्तियों के लिए प्रार्थना-पत्र माँगे गये हैं और उनमें से उम्मीदवार चुने जा रहे हैं।

यात्रा का खर्च पूरा करने के लिए 1959-60 के बजट अनुमान में 26,000 रुपये की व्यवस्था की गई है, जिसमें 13,000 रुपये का राष्ट्रसंघ का अंश भी शामिल है।

यूनेस्को अधिवृत्ति

(क) नवसाक्षरों के लिए पाठ्यपुस्तक तैयार करने के लिए अधिवृत्तियाँ

1957-58 में जिन दो उम्मीदवारों का चुनाव किया गया था, उनमें से एक की अधिवृत्ति रद्द कर दी गई है। दूसरा उम्मीदवार 1959 के ग्रीष्म में अपना अध्ययन-कार्य आरम्भ कर देगा।

(ख) क्षेत्रीय सांस्कृतिक अध्ययन के लिए अधिवृत्ति—एक भारतीय राष्ट्रिक को अधिवृत्ति

1957-58 के लिए चुना गया उम्मीदवार फरवरी, 1959, में अध्ययन आरम्भ कर देगा।

इन अधिवृत्तियों का सारा खर्च यूनेस्को सरकार उठायेगी।

### 4. विदेशी सरकारों द्वारा दी गयी अधिवृत्तियाँ/छात्रवृत्तियाँ

1958-59 में नीचे लिखी विदेशी सरकारों ने भारतीय राष्ट्रिकों को छात्रवृत्तियाँ/अधिवृत्तियाँ दीं:—

फ्रांस—अर्थशास्त्र, इतिहास और फ्रेंच भाषा तथा साहित्य में उत्तर-ग्रेजुएट अध्ययन/अनुसंधान के लिए चार छात्रवृत्तियाँ; चुने गये उम्मीदवार विदेश जा चुके हैं।

1959-60 में मानवविद्याओं में अध्ययन करने के लिए चार छात्रवृत्तियों का ऐसा ही एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और वह विचाराधीन है।

नार्वे—सांख्यिकी (लीनियर प्रोग्रामिंग) में उत्तर-ग्रेजुएट अध्ययन/अनुसंधान के लिए एक छात्रवृत्ति: चुना गया उम्मीदवार विदेश जा चुका है।

स्वीडन—राजनीति में उत्तर-ग्रेजुएट अध्ययन/अनुसंधान के लिए एक छात्रवृत्ति: चुना गया उम्मीदवार विदेश जा चुका है।

यात्रा का खर्च न देने वाली इन विदेशी छात्रवृत्तियों का खर्च भारत सरकार देती है। इस पर होने वाले खर्च के लिए 1959-60 के बजट में 30,000 रुपयों की व्यवस्था की गई है।

### 5. विदेशी संगठनों/संस्थाओं आदि के द्वारा दी गयी छात्रवृत्तियाँ

निम्नलिखित संगठनों/संस्थाओं ने 1958-59 में भारतीय राष्ट्रकों को छात्रवृत्तियाँ दीं :—

#### ब्रिटिश काउंसिल छात्रवृत्तियाँ

ब्रिटिश काउंसिल ने ब्रिटेन में अंग्रेजी भाषा, विदेशी भाषा के रूप में अंग्रेजी का अध्यापन, इतिहास-दर्शन, राष्ट्रमण्डल की समस्याओं में उच्च अध्ययन/अनुसंधान के लिए और अंग्रेजी डिप्लोमा (सनद) और उत्तर-ग्रेजुएट पाठ्यक्रम के लिए छः छात्रवृत्तियाँ दीं। जो उम्मीदवार चुने गये वे ब्रिटेन में अध्ययन कर रहे हैं। हाल ही में काउंसिल ने 10 छात्रवृत्तियों का प्रस्ताव रखा है। यह प्रस्ताव मान लिया गया है और यथासमय कार्रवाई की जायेगी।

#### फ्री हैन्सियेटिक सिटी आफ् हैम्बर्ग छात्रवृत्ति

फ्री हैन्सियेटिक सिटी आफ् हैम्बर्ग ने भारती विद्या में उत्तर-ग्रेजुएट अध्ययन/अनुसंधान के लिए एक छात्रवृत्ति प्रदान की। चुना गया उम्मीदवार पश्चिम जर्मनी में अध्ययन कर रहा है।

#### जर्मन शैक्षिक विनिमय सेवा छात्रवृत्ति

जर्मन शैक्षिक विनिमय सेवा (जर्मन एकेडमिक सर्विस) ने भारतीय विद्या में उत्तर-ग्रेजुएट अध्ययन/अनुसंधान के लिए एक छात्रवृत्ति दी। चुना गया उम्मीदवार मार्च 1959 में अध्ययन शुरू करेगा।

### इंपीरियल रिलेशनशिप ट्रस्ट अधिवृत्तियाँ

ये अधिवृत्तियाँ देश की वर्तमान शिक्षा समस्याओं पर विशेष अन्वेषण करने के लिए दी गयी हैं। यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान में एक वर्ष तक के लिए किया जायेगा। इस अधिवृत्ति में 550 पौंड खर्च होगा जिसमें ब्रिटेन और निकटस्थ यूरोप के भागों में घूमने के लिए 50 पौंड भी शामिल हैं। इसका खर्च भारत सरकार और उक्त ट्रस्ट आधा-आधा देंगे। 1958-59 के लिए चुना गया उम्मीदवार संस्थान में अध्ययन कर रहा है। 1959-60 के लिए दो अधिवृत्तियों का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और वह विचाराधीन है।

### फिलीपीन विश्वविद्यालय छात्रवृत्तियाँ

राजनीति और पत्रकारिता में उत्तर-ग्रेजुएट अध्ययन के लिए विश्वविद्यालय ने दो छात्रवृत्तियाँ दी। चुने गये उम्मीदवार विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं।

### रिजफोल्ड फ़ाउन्डेशन (सं० रा० अ०) छात्रवृत्तियाँ

फ़ाउन्डेशन ने संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्तर-ग्रेजुएट अध्ययन/अनुसंधान करने के लिए चार छात्रवृत्तियाँ दी हैं। चुने गये उम्मीदवार विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं।

विदेशी संगठनों, संस्थाओं आदि द्वारा दी गयी इन छात्रवृत्तियों का खर्च छात्रवृत्ति देने वाला पक्ष या उम्मीदवार या सिफारिश करने वाला पक्ष उठायेगा। लन्दन विश्व-विद्यालय शिक्षा संस्था अधिवृत्ति के खर्च के लिए अवश्य 1959-60 के बजट में 4,300 रुपये की व्यवस्था की गयी है।

इसके अतिरिक्त, सोवियत रूस और भारत के बीच पाँच अध्येताओं के विनिमय के लिए एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

## (ख) भारत में अध्ययन के लिए

### (i) विदेशी राष्ट्रों के लिए

## 1. भारत सरकार छात्रवृत्ति योजनाएँ

### फ्रेंच अधिवृत्ति योजना

1957-59 में जिन छः फ्रेंच राष्ट्रों को ये अधिवृत्तियाँ दी गयी थीं, उनमें से चार अधिछात्र अपने-अपने विश्वविद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं। एक दूसरा फ्रेंच राष्ट्रिक भी पहुँच चुका है और शीघ्र ही वह अपना अध्ययन आरम्भ कर देगा। बाकी बचे अधि-छात्र के दाखिले का प्रबन्ध किया जा रहा है। ये फ्रेंच अधिछात्र फ्रेंच भी पढ़ायेंगे और अपनी रुचि के विषय में अनुसंधान-कार्य भी करेंगे। खर्च को भारत सरकार और सम्बन्धित विश्वविद्यालय बराबर-बराबर उठावेंगे। 1959-61 की छः अधिवृत्तियों के लिए शीघ्र ही फ्रांस स्थित भारतीय दूतावास के द्वारा प्रार्थना-पत्रों की माँग की जायेगी।

1959-60 के बजट में इस योजना के लिए 28,300 रुपये की व्यवस्था की गयी है।

### सामान्य सांस्कृतिक छात्रवृत्ति योजना

इस योजना के अधीन कुछ एशियाई, अफ्रीकी और दूसरे राष्ट्रमंडलीय देशों के अपने विद्यार्थियों और प्रवासित मूलतः भारतीय विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। 1958-59 में जो कुल 123 अध्येता चुने गये थे ( इनमें रद्द किये गये नाम शामिल नहीं है ) उनमें से अब तक 117 विद्यार्थी भारत आ चुके हैं और अध्ययन कर रहे हैं। 1959-60 में जो 140 छात्रवृत्तियां दी जायेंगी उनमें से 106 छात्रवृत्तियों के लिए चुनाव हो चुका है। बाकी उम्मीदवारों का चुनाव बाद में होगा।

इस योजना के खर्च के लिए 1959-60 में 16,00,000 रुपये की व्यवस्था की गयी है।

### भारत-जर्मनी औद्योगिक सहयोग योजना - जर्मन राष्ट्रों को अधिवृत्तियां

इस योजना के अधीन भारत सरकार एवजी तौर पर जर्मन राष्ट्रों को भारत के विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषाओं, धर्म और दर्शन आदि के अध्ययन के लिए दस छात्रवृत्तियां देनी हैं। 1956-57 में जिन पाँच जर्मन राष्ट्रों को मानवविद्याओं के लिए अधिवृत्ति दी गयी थी, वे भारत में अपना अध्ययन जारी रखेंगे। 1958-59 के लिए अभी तक कोई नयी अधिवृत्ति नहीं दी गयी है।

इस के लिए 1959-60 के बजट में 49,300 रुपये की व्यवस्था की गयी है।

### चीन और भारत के बीच अध्येताओं के विनिमय का कार्यक्रम :

1955-56 के कार्यक्रम के अधीन जो आठ चीनी विद्यार्थी आये थे वे अब भी भारत में अध्ययन कर रहे हैं। 1958-59 में मानवविद्याओं में अध्ययन करने के लिए जो तीन चीनी विद्यार्थी चुने गये थे वे दाखिले का प्रबन्ध होते ही भारत आजाएंगे।

इस उद्देश्य से 1959-60 के बजट में 9,000 रुपये की व्यवस्था की गयी है।

### भारत और चेकोस्लोवाकिया के बीच अध्येताओं के विनिमय का कार्यक्रम :

1957-58 के कार्यक्रम के अधीन जो कुल पाँच चेक राष्ट्रिक आये थे, उनमें से तीन अभी भारत में अध्ययन कर रहे हैं। उस चेक राष्ट्रिक के स्थान पर, जो अस्वस्थ हो जाने के कारण लौट गया था, दूसरा व्यक्ति आ चुका है। वह अपनी अध्ययन-संस्था में दाखिल हो चुका है।

इस पर होने वाले खर्च की व्यवस्था परस्पर छात्रवृत्ति योजना के अधीन की गयी है।

### परस्पर छात्रवृत्ति योजना

1956-57 की टोली के चार अध्येता-स्विटजरलैण्ड और योगोस्लाविया का एक-



एक, और आस्ट्रेलिया के दो—अभी भारत में अपना अध्ययन जारी रखेंगे। 1958-59 में मानवविद्याओं में अध्ययन के लिए दी जाने वाली कुल पाँच छात्रवृत्तियों में से अभी तक एक छात्रवृत्ति के लिए एक चेक राष्ट्रक का चुनाव किया गया है।

इस योजना के लिए 1959-60 के बजट में 50,000 रुपयों की व्यवस्था की गयी है।

### भूटानी छात्रों को छात्रवृत्ति :

1955-56 में 23 भूटानी छात्रों को छात्रवृत्तियाँ दी गयीं। उन्होंने बिड़ला विद्या-मन्दिर पब्लिक स्कूल, नैनीताल, में अपना अध्ययन जारी रखा। 1958-59 की बारह छात्र-वृत्तियों के लिए शीघ्र ही चुनाव किया जायेगा। 1959-60 में पन्द्रह नयी छात्रे-वृत्तियाँ देने का प्रस्ताव है।

इस उद्देश्य के लिए 1959-60 के बजट में 27,000 रुपए की व्यवस्था की गयी है।

**सिक्किम-छात्रों को छात्रवृत्ति :—**1958-59 में 16 सिक्किमी छात्रों को छात्र-वृत्ति दी गयी। इनमें से दस वृत्तियाँ स्कूली अध्ययन के लिए दी गयीं और छः उपाधि/सनाद पाठ्यक्रमों के लिए। वे अपना अध्ययन जारी रखेंगे। 1959-60 में अठारह नयी छात्रवृत्तियाँ देने का प्रस्ताव है दस स्कूली अध्ययन के लिए और आठ सनाद/उपाधि पाठ्यक्रमों के लिए।

इस खर्च को पूरा करने के लिए 1959-60 में 45,500 रुपयों की व्यवस्था की गयी है।

### दक्षिण, दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों और दूसरे देशों को छात्रवृत्तियाँ/अधिवृत्तियाँ (कोलम्बो योजना)

ये छात्रवृत्तियाँ और अधिवृत्तियाँ राष्ट्रमंडलीय देशों के अध्येताओं के लिए हैं। इन उद्देश्यों के लिए इनमें दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी एशिया के देश भी शामिल हैं। 1958-59 में, मानवविद्याओं में अध्ययन के लिए 32 अध्येताओं के दाखिले का प्रबन्ध किया गया। अभी तक छब्बीस अध्येता अध्ययन करने के लिए आ चुके हैं, इनमें पच्चीस नेपाल के हैं और एक फिलीपाइन्स का।

इस के लिए वित्त-मंत्रालय के बजट में व्यवस्था की गयी है।

## 2. यूनेस्को द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्तियाँ/अधिवृत्तियाँ

1958 में, यूनेस्को के तत्वावधान में न्यूजीलैण्ड के एक और सूडान और पाकिस्तान के दो-दो राष्ट्रकों के अध्ययन-यात्रा कार्यक्रम की व्यवस्था की गयी थी। न्यूजीलैण्ड का अधिछात्र अपना अध्ययन-कार्यक्रम पूरा कर रहा है, और सूडान तथा पाकिस्तान के राष्ट्रक शीघ्र ही पहुँच जायेंगे। इसका सारा खर्च यूनेस्को उठायेगा।

## (ii) भारतीय राष्ट्रियों के लिए पब्लिक स्कूलों में योग्यता छात्रवृत्ति

जिन-जिन स्कूलों में प्रबन्ध किया गया था उनमें 1958 में पैंसठ छात्र दाखिल हुए। इस समय योजना के अधीन कुल 279 छात्र अध्ययन कर रहे हैं। इस योजना में इधर दो मुख्य परिवर्तन किये गये हैं—(क) साधन परीक्षण को निम्न-वेतन-वर्गों के लाभ के लिए अधिक उदार बनाने की दृष्टि से उसमें संशोधन करना, और (ख) हर राज्य में परीक्षा-केन्द्रों की स्थापना करना। 1959 की छात्रवृत्तियों के लिए जो चुनाव किये गये हैं उन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है।

1959-60 के बजट में 5,00,000 रुपयों की व्यवस्था की गयी है।

## उत्तर-मैट्रिक योग्यता छात्रवृत्ति योजना

इस योजना के अनुसार मैट्रिकुलेशन या समकक्ष परीक्षाओं का फल देख कर हर वर्ष 200 छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं। एक बार दी गयी छात्रवृत्ति के छात्र की संतोषप्रद प्रगति को देखते हुए उत्तर-प्रेजुएट अवस्था तक नवीयन किया जा सकता है। 1958-59 की कुल 200 छात्रवृत्तियों में से अभी तक 170 छात्रवृत्तियों के लिए उम्मीदवार चुने जा चुके हैं। चुने गये सभी उम्मीदवार अपनी-अपनी संस्थाओं में अध्ययन कर रहे हैं। 1959-60 के लिए 200 छात्रवृत्तियों के प्रार्थना-पत्र चालू शिक्षा-वर्ष के अंत तक मांगे जाएँगे।

इस उद्देश्य से 1959-60 के बजट में 7,70,000 रुपयों की व्यवस्था की गयी है।

## मानवविद्याओं में अनुसंधान छात्रवृत्तियाँ

इस योजना के अधीन हर वर्ष 100 छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं। यह उन छात्रों को दी जाती हैं जो एम० ए० या इसके समकक्ष कोई उपाधि ले चुके हैं और जो मानवविद्याओं की किसी शाखा में उच्च अनुसंधान करना चाहते हैं। 1957-58 की टोली के 27 उम्मीदवार, जिन्होंने छात्रवृत्ति का लाभ उठाया, वे अपने अनुमोदित विषयों में अनुसंधान कर रहे हैं। 1958-59 की छात्रवृत्तियों के लिए जो चुनाव किये गये हैं उन्हें अंतिम रूप दिया जा चुका है।

योजना के लिए 1959-60 के बजट में 3,00,000 रुपयों की व्यवस्था की गई है।

## अन्धों के लिये छात्रवृत्तियाँ

इस योजना के अधीन उच्च अध्ययन और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए 16 वर्ष से अधिक उम्र के अन्धों को छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं। पिछली, अर्थात् 1956-57 और 1957-58 की टोलियों के 79 छात्रों की छात्रवृत्तियों का 1958-59 के लिए नवीयन किया गया है। 1958-59 के लिए कोई उम्मीदवार नहीं चुना गया है। 1959-60 में लगभग 25 छात्रवृत्तियाँ देने का प्रस्ताव है।

1959-60 के बजट में इस योजना के लिए 75,000 रुपयों की व्यवस्था की गयी है।

### बहरों के लिए छात्रवृत्तियाँ

इस योजना के अधीन 16 वर्ष से कम आयु वाले बहरों को प्राथमिक या मिडिल स्तर से उच्च शिक्षा के लिए व्यावसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है। पिछली टोलियों, अर्थात् 1957-58 और 1958-59 के 70 छात्रों की छात्रवृत्तियों का 1958-59 के लिए नवीयन कर दिया गया है। 1958-59 के लिए कोई उम्मीदवार नहीं चुना गया। 1959-60 में लगभग 25 नयी छात्रवृत्तियाँ देने का विचार है।

इस योजना के लिए 1959-60 के बजट में 55,000 रुपयों की व्यवस्था की गयी है।

### विकलांगों के लिए छात्रवृत्तियाँ

इस योजना के अधीन छः से पच्चीस वर्ष तक के विकलांगों को सामान्य शिक्षा और व्यावसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं। पिछली टोलियों, अर्थात् 1956-57 और 1957-58 के 70 छात्रों की छात्रवृत्तियों का 1958-59 के लिए नवीयन कर दिया गया है। परन्तु 1958-59 के लिए कोई उम्मीदवार नहीं चुना गया। 1959-60 के लिए कोई छात्रवृत्ति देने का विचार नहीं है।

चालू छात्रवृत्तियों का खर्च पूरा करने के लिए 1959-60 के बजट में 50,000 रुपयों की व्यवस्था की गयी है।

### अहिन्दी भाषी राज्यों के विद्यार्थियों को हिन्दी में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियाँ

हिन्दी में विश्वविद्यालय-शिक्षा प्राप्त करने के लिए अहिन्दी-भाषी-राज्यों के विद्यार्थियों को हर वर्ष 110 छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं। छात्र की प्रगति सन्तोषप्रद होने पर एक बार प्राप्त छात्रवृत्ति का प्रोजेक्ट स्तर तक नवीयन किया जा सकता है। 1958-59 को कुल 110 छात्रवृत्तियों में से 84 छात्रवृत्तियों के लिए चुनाव अन्तिम रूप से किया जा चुका है। इनमें से 58 छात्र अपनी-अपनी संस्थाओं में अध्ययन कर रहे हैं। चालू शिक्षा-वर्ष के अन्त तक 1959-60 की 110 छात्रवृत्तियों के लिए प्रार्थना-पत्र माँगे जायेंगे।

1959-60 के बजट में इस योजना के लिए 3,00,000 रुपयों की व्यवस्था की गयी है।

### राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों के लिए छात्रवृत्तियाँ तथा दूसरी शैक्षिक सुविधाएँ

राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों को छात्रवृत्तियाँ या शिक्षा सम्बन्धी दूसरी सुविधाएँ देने की योजना बनायी गयी है जो 1959-60 से चालू होगी। इस योजना के द्वारा दूसरी बातों के साथ-साथ नीचे लिखी रियायतें दी जायेंगी—(क) सभी मान्यता प्राप्त संस्थाओं में

दाखिला देने और माफियों और आधी माफियों के सम्बन्ध में विशेष रियायतें, (ख) सभी मान्यताप्राप्त संस्थाओं से सम्बद्ध छात्रावासों में निःशुल्क स्थान, और (ग) प्राथमिक से उत्तर प्रोएण्ट स्तरों तक के छात्रों को कुछेक वृत्तियाँ और पुस्तकों के लिए अनुदान। राज्य सरकारें केन्द्र प्रशासित क्षेत्र अपनी योजना स्वयं बनायेंगे। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को योजना का आधा खर्च देगी, जब कि केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों का सारा खर्च केन्द्रीय सरकार ही उठायेगी। राज्य सरकारों/केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों से कहा गया है कि वे अपनी योजनायें तैयार करें।

इस सब का खर्च उठाने के लिए 1959-60 के बजट में 6,00,000 रुपयों की व्यवस्था की गयी है।

**अनुसूचित जातियों, अनुसूचित कबीलों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए छात्रवृत्ति योजना**

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित कबीलों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों से मैट्रिक के बाद की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्तियों की माँग बढ़ती जा रही है। इसे पूरा करने के लिए 1957-58 तक हर वर्ष इसके लिए निश्चित की गयी निधि से कहीं अधिक अतिरिक्त निधि की माँग होती रही है। 1957 में पंचवर्षीय आयोजना की अवधि यानी 1958-59 से 1960-61 तक के लिए इन छात्रवृत्तियों के खर्च की अधिकतम सीमा 200 लाख रुपये प्रति वर्ष निर्धारित की गयी है। तदनुसार 1958-59 के लिए 200 लाख रुपयों की बजट व्यवस्था की गयी थी, और 1958-59 में इस रकम का विनिधान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित कबीलों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए क्रमशः 50 : 12½ : 37½ के अनुपात में किया गया।

परन्तु, अन्ततः 1958-59 और दूसरी पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों के लिए इन छात्रवृत्तियों पर होने वाले खर्च की राशि 200 लाख से 225 लाख कर दी गयी है। इसके अलावा, 1957-58 की छात्रवृत्तियों से बचे शेष से 2 लाख रुपया प्राप्त किया गया है, जो 1958-59 की अवधि में 1957-58 के छात्रों पर खर्च किया जायेगा।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित कबीलों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के पात्र उम्मीदवारों को 1958-59 में जितनी छात्रवृत्तियाँ दी जाने की आशा है और इन तीन वर्गों पर जो खर्च होगा वह पृथक रूप से नीचे दिया जाता है :

समुदाय	जो छात्रवृत्तियाँ दी जाएँगी उनकी संख्या	प्राक्कलित खर्च (र० लाखों में)
अनुसूचित जातियाँ ...	31,250	125.0
अनुसूचित कबीले ...	5,000	25.0
अन्य पिछड़े वर्ग ...	12,500	75.0
<b>कुल</b>	<b>48,750</b>	<b>225.0</b>

1958-59 के शिक्षा सत्र के आरम्भ से चार महीने तक छात्रवृत्ति के लिए 45,07,368 रुपये के तदर्थ अनुदान 1,893 संस्थाओं को पात्र विद्यार्थियों में बाँटने के लिए दिये गये, ताकि वे बिना किसी वित्तीय कठिनाई के अपना अध्ययन जारी रख सकें। ये पात्र विद्यार्थी थे अनुसूचित जातियों के छात्र—जिन्हें नयी छात्रवृत्ति मिली हो या जिनकी छात्रवृत्ति का नवीयन किया गया हो—, अनुसूचित जातियों और दूसरे पिछड़े वर्गों के वे छात्र जो 1957-58 की भारत सरकार की छात्रवृत्ति पा चुके थे और जो 1958-59 में उसी स्तर पर उच्च शिक्षा पा रहे थे, और साथ ही अनुसूचित जातियों के वे छात्र जिनको उनकी पिछली सालाना परीक्षा में 50 प्रतिशत या अधिक अंक मिले हैं और जिन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी है।

1959-60 के बजट में इन छात्रवृत्तियों के लिए (इनमें विदेशी छात्रवृत्तियाँ और यात्रा का खर्च भी शामिल है) 225 लाख रुपयों की व्यवस्था की गयी है।

### विदेशों के छात्रावासों, संगठनों और संस्थाओं को अनुदान

भारत सरकार हर साल गिल्डफोर्ड स्ट्रीट इण्डियन स्टूडेंट्स होस्टल, लन्दन, को 1,655 पौण्ड का आवर्ती अनुदान देती है। इस पर होने वाले खर्च के अंश रूप में 1959-60 में ब्रिटेन स्थित हाई कमिश्नर के बजट में इस छात्रावास के लिए 1,425 पौण्ड की व्यवस्था की गई है; बाकी खर्च छात्रावास के भोजन-पान के खर्च से की गई बचत से किया जायगा।

1958-59 में प्राच्य तथा अफ्रीकी अध्ययन स्कूल, लन्दन, को 975 पौण्ड अनुदान दिया गया। यह स्कूल भारतीय छात्रों को ब्रिटेन में शिक्षा-सुविधाएँ देता है। इस उद्देश्य से 1959-60 के बजट में 750 पौण्ड की व्यवस्था की गई है।

1958-59 में श्री लंका आस्टि कर्मचारी शिक्षा न्यास, श्रीलंका, को 7,500 रुपयों का अनुदान दिया गया। यह न्यास उस देश में बसे भारतीयों के बच्चों को शिक्षा की सुविधाएँ देता है। इस उद्देश्य से 1959-60 में भी समान राशि की व्यवस्था की गयी है।

1958-59 में नेपाल की शिक्षा संस्थाओं को, दूसरी चीजों के साथ-साथ पुस्तकों के रूप में 18,000 रुपये मंजूर किए गए। इस उद्देश्य से 1959-60 के बजट में समान राशि की व्यवस्था की गई है।

समीक्षाधीन वर्ष में रायल एशियाटिक सोसायटी, लंदन, को 200 पौण्ड का अनुदान दिया गया। यह संस्था भी ब्रिटेन स्थित भारतीय छात्रों को सुविधाएँ देती है। इस का खर्च पूरा करने के लिए 1959-60 के बजट में समान राशि की व्यवस्था की गयी है।


1958-59 में भारतीय विद्यार्थी संघ और छात्रावास (वाई० एम० सी० ए०), लन्दन, को 250 पौण्ड का अनुदान दिया गया। इसका खर्च पूरा करने के लिए 1959-60 के बजट में 300 पौण्ड की व्यवस्था की गयी है।

1958-59 में ब्रिटेन के भारतीय विद्यार्थी संघ को 150 पौण्ड का अनुदान स्वीकृत किया गया है। इस उद्देश्य से, 1959-60 के लिए 200 पौण्ड की व्यवस्था की गई है।

#### आंशिक वित्तीय सहायता (ऋण) योजना

75,000 रुपयों की कुल रकम में से 1958-59 में दो विद्यार्थियों के एक तरफ़ के यात्रा-व्यय और साज़-सामान आदि के लिए 2,700 रुपये तक का ऋण देना मंजूर किया है। विदेश स्थित भारतीय मिशन को जो आपाती निधि (इमर्जेंसी फंड एलाटमेंट) सौंपी गई है उसमें से 44 विद्यार्थियों के लिए 25,846.53 रुपये मंजूर किए गए हैं।

1959-60 के बजट में इस योजना के लिए 75,000 रुपयों की व्यवस्था की गयी है।



# शारीरिक शिक्षा और युवक हित

## श्रम और समाज सेवा योजना

दूसरी पंचवर्षीय आयोजना के अधीन चलाये जाने वाले शिक्षा विकास कार्यक्रमों पर हाल ही में पुनर्विचार किया गया था। उसके परिणाम स्वरूप, अब शारीरिक शिक्षा और समाज सेवा की योजना को क्रियान्वित करने के लिए कुल 280 लाख रुपये की आयोजना-व्यवस्था है। इसमें से 56.40 लाख रुपये की वह रकम भी शामिल है जिसका विनिधान चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना पर खर्च करने के लिए किया गया है। इस योजना के दो भाग हैं, अर्थात् छात्रों और दूसरे युवकों के लिए श्रम और समाज सेवा-शिविर तथा विश्वविद्यालयों तथा शिक्षा संस्थाओं में कार्य परिसर प्रायोजना। इस उद्देश्य के लिए स्वीकृत राशि का 75 प्रतिशत पहली योजना और 25 प्रतिशत दूसरी योजना के लिए निर्धारित किया गया है। दोनों योजनाओं का विवरण नीचे दिया जाता है :—

### श्रम और समाज-सेवा शिविर

इस योजना का उद्देश्य है, छात्रों और युवकों में शारीरिक श्रम के गौरव की भावना उत्पन्न करना और साथ ही ग्रामवासियों से उनका सम्पर्क स्थापित करना, जहाँ वे स्वेच्छा से कुछ समाज सेवा कर सकें। इन शिविरों का आयोजन देहाती क्षेत्रों में किया जाता है और शिविर के कार्यकर्ता हाथ के ऐसे काम करते हैं, जो जाति के लिए उपयोगी हैं। शिविर के हर कार्यकर्ता को हर रोज़ चार घण्टे श्रमदान करना पड़ता है। वे नीचे लिखे ढंग से काम करते हैं :—

### शिविरों के बाल कार्यकर्ता

सड़कें बनाना, सोखता गढ़े खोदना, खाद के गढ़े खोदना, नहरें बनाना, जलाशय बनाना, नालियाँ और गाँव के कुएँ बनाना, बाँध निर्माण, गाँव की गलियों को चौड़ा करना, वनरोपण, भू-संधारण, गाँव और स्कूल के खेल के मैदान बनाना और उनका सुधार करना।

### शिविरों की बालिका कार्य-कर्त्रियाँ

क्षेत्रगत समाज सेवा, जिसमें निजी स्वास्थ्य विज्ञान भी शामिल है, सफ़ाई, घरेलू उपचर्या, बच्चों की देखभाल, बीमारों की देख-भाल, सिलाई और दर्जी का काम इत्यादि।

चालू वित्तीय वर्ष में विश्वविद्यालयों, राज्य सरकारों, रक्षा मन्त्रालय के राष्ट्रीय कैंडेट दल और कई स्वेच्छक संस्थाओं ने, जिनमें भारत सेवक समाज और भारत स्काउट

और गाइड प्रमुख हैं, देश भर में विभिन्न प्रकार के कई शिविरों का आयोजन किया। एक अप्रैल से 31 दिसम्बर 1958 तक की अवधि में 1,762 शिविरों के आयोजन करने के लिए 32.78 रुपये की रकम मंजूर की गयी थी। इन शिविरों में 1,38,987 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

युवक शिविरों के लगाने के लिए सरकार नीचे लिखे आधारों पर सहायता देती है :—

योजना और आकस्मिक व्यय, 1 रुपया 75 नये पैसे प्रति दिन प्रति व्यक्ति के लिए,

आने जाने के लिए रेल के तीसरे दर्जे का पूरा किराया (विद्यार्थियों को रियायती दर पर) या बस का किराया।

संगठन कर्ताओं के प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन के लिए भी सरकार ने अनुदान दिए हैं जिससे श्रम और समाज सेवा शिविरों के चलाने के लिए प्रशिक्षित और अनुभवी कार्मिक प्राप्त हो सकें।

1 दिसम्बर से 23 दिसम्बर 1958 तक, अहमदाबाद के निकट महियाल के स्थान पर एक प्रशिक्षण प्रायोजना प्रारम्भ करने के लिए दक्षिण पूर्वी एशिया की कार्य शिविर पद्धति और तकनीक प्रशिक्षण प्रायोजनाओं की भारतीय संगठन समिति, नई दिल्ली को 10,000 रुपये के तदर्थ अनुदान दिए गये। श्रम और समाज सेवा योजनाओं के लिए 1959-60 के बजट में 53 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है और इसमें से 33 लाख रुपये की रकम श्रम और समाज सेवा शिविरों के लिए निश्चित की गई है।

#### विश्वविद्यालयों और शिक्षा संस्थाओं में परिसर कार्य प्रायोजनाएँ

इस योजना का उद्देश्य है विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षा संस्थाओं में अत्यावश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करना, जैसे मनोरंजन हाल और प्रेक्षागृह, तैरने के तालाब (25 मीटर के), व्यायामशाला, खुला रंगमंच, पैवेलियन, खेल के मैदान के चारों ओर दर्शकों के लिए छोटा स्टेडियम और 400 मीटर का सिण्डर ट्रैक। इस उद्देश्य के लिए अनुदान देने की एक शर्त है कि अनुदान के लिए प्रार्थना करने वाली शिक्षा संस्थाओं के अध्यापक और छात्र इस प्रायोजना के लिए कुशल/अकुशल श्रम करेंगे। विद्यार्थी श्रम के अतिरिक्त सारे खर्च का 25 प्रतिशत व्यय संस्थाओं को देना होगा।

यह योजना बहुत लोकप्रिय हुई है। इस योजना के अधीन अनुदान तीन किस्तों में मंजूर किए जाते हैं और मंजूर किये गये कामों की पूर्ति में जैसी प्रगति होती है, उसी के अनुसार रकम दी जाती है। चालू वित्तीय वर्ष में, इस उद्देश्य के लिए 14.1 लाख रुपये की रकम निर्धारित की गयी थी। 79 मनोरंजन हाल और प्रेक्षागृह, 14 स्टेडियम, 9 व्यायाम-शालाएँ, 9 तैरने के तालाब, 7 खुले रंगमंच, 7 पैवेलियन और 2 सिण्डर ट्रैक बनाने के लिए 31 दिसम्बर 1958 तक 17 विश्वविद्यालयों, 13 राज्य सरकारों और केन्द्र प्रशासित



क्षेत्र को 14.79 लाख रुपये की रकम मंजूर की गई थी। इस अनुदान में 3.83 लाख रुपये की वह रकम भी शामिल है जो कि 1957-58 में मंजूर की गयी 31 प्रायोजनाओं की दूसरी और तीसरी किस्तें देने में खर्च की जायेगी।

## शारीरिक शिक्षा

### शारीरिक शिक्षा का लक्ष्मीबाई कालेज, ग्वालियर

शारीरिक शिक्षा के लक्ष्मीबाई कालेज की स्थापना शारीरिक शिक्षा के राष्ट्रीय कालेज के रूप में ग्वालियर में की गयी थी। इस कालेज ने अब दूसरे वर्ष में प्रवेश किया है। कालेज के लिए 150 एकड़ से अधिक भूमि प्राप्त की गयी थी। कालेज की इमारतों के प्रारम्भिक नक्शे और प्राक्कलन तैयार किये जा चुके हैं और इमारत के निर्माण का काम शीघ्र ही शुरू किया जायेगा। दूसरी पंचवर्षीय आयोजना में इस कालेज के लिए शुरू में 70 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी थी। परन्तु हाल ही में शिक्षा विकास कार्यक्रम पर पुनर्विचार किया गया था और उसके फलस्वरूप यह रकम घटा कर 50 लाख कर दी गयी है।

यद्यपि कालेज का विकास सहशिक्षा संस्था के रूप में करने की योजना है परन्तु फिलहाल केवल पुरुषों को ही दाखिल किया गया है क्योंकि पर्याप्त इमारतें न होने के कारण इस निवासी संस्था में छात्राओं के ठहरने की सुविधाएँ नहीं हैं।

इस समय इस कालेज में कुल 45 छात्र हैं। जब इस कालेज का पूरा विकास हो जायेगा तो इसमें हर वर्ष 160 छात्र प्रवेश पा सकेंगे।

कालेज के तीन साला डिग्री पाठ्यक्रम की पाठ्य विवरणी में शारीरिक शिक्षा के विस्तृत क्षेत्र के बहुत से पहलुओं को लिया गया है। इस पाठ्यचर्या में शारीरिक व्यायाम की भारतीय प्रणाली और योगासन भी शामिल हैं। आशा की जाती है कि जब कालेज का पूर्ण रूप से विकास हो जावेगा, तो यह कालेज शारीरिक शिक्षा के उच्च अध्ययन और अनुसंधान का केन्द्र बन जायेगा।

1 अप्रैल से 31 दिसम्बर 1958 तक ती अवधि में कालेज के प्रबन्धक बोर्ड को कालेज का खर्च चलाने के लिए 3.3 लाख रुपये की रकम मंजूर की गयी थी।

1959 और-60 के बजट में कालेज के लिए 14.5 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। इस रकम में से 10 लाख रुपये कालेज की इमारत बनाने के लिए खर्च करने का विचार है।

**दूसरी पंचवर्षीय आयोजना के अन्तर्गत शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन का विकास :**

शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन के केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर दूसरी पंचवर्षीय आयोजना के अन्तर्गत शिक्षा विकास कार्यक्रम में शारीरिक शिक्षा और

मनोरंजन की कई योजनायें शामिल की गयी थीं । पहले इसके लिए कुल 40 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी थी परन्तु अब इस रकम को घटा कर 25 लाख रुपये कर दिया गया है ।

समीक्षाधीन अवधि में, इन आयोजनाओं को क्रियान्वित करने में पर्याप्त प्रगति हुई है । इस सम्बन्ध में जो महत्वपूर्ण बातें हुई हैं, उनका संकेत नीचे लिखे विवरण से मिल सकता है ।

### शारीरिक शिक्षा की संस्थाओं और कालेजों को मजबूत बनाना

उत्तर-पश्चिमी, उत्तर-पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों की शारीरिक शिक्षा की प्रशिक्षण संस्थाओं का निरीक्षण करने और उनकी आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिए तीन परिदर्शक समितियाँ बनायी गयी थीं । उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र की परिदर्शक समिति ने इस क्षेत्र की शारीरिक शिक्षा की प्रशिक्षण संस्थाओं की आवश्यकताओं का मूल्यांकन उस क्षेत्र में जाकर किया । इस समिति की सिफ़ारिशों को क्रियान्वित किया जा रहा है । आशा है दूसरी दो समितियाँ 1959 के शुरू में अपना काम आरम्भ करेंगी ।

### शारीरिक कुशलता-परीक्षाओं के प्रतिमानों का व्यापक प्रचार करना

युवकों में शारीरिक क्षमता के लिए उत्साह बढ़ाने के लिए शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन के केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने यह सिफ़ारिश की थी कि देश भर के लिए राष्ट्रीय शारीरिक क्षमता के वर्गगत परीक्षण लागू करने चाहिए । सफल प्रतियोगी छात्रों को उनकी शारीरिक क्षमता के अनुसार 'एक सितारे' 'दो-सितारे' और 'तीन-सितारे' के बैज दिये जायेंगे । बोर्ड की इस सिफ़ारिश के अनुसार परीक्षणों के 'मद' और हर मद में 'निष्पादन के स्तर' निर्धारित किए गये हैं । हर परीक्षण के अधीन निष्पादन के जो स्तर होने चाहिए, वे नीचे लिखे चार वर्गों के लिए निर्धारित किये गये हैं :—

- (1) अवर—18 वर्ष से नीचे की छात्राओं के लिए
- (2) अवर—18 वर्ष और इससे अधिक आयु की छात्राओं के लिए
- (3) अवर—18 वर्ष से नीचे के छात्रों के लिए
- (4) अवर—18 वर्ष और इससे अधिक आयु के छात्रों के लिए

इन परीक्षणों के विषय सम्बन्धी एक पुस्तिका तैयार की जा रही है । जब यह प्रकाशित हो जायेगी तो राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों, शिक्षा संस्थाओं, खेल-कूद की संस्थाओं की मार्फत इन परीक्षणों के आधार पर राष्ट्रीय शारीरिक क्षमता आन्दोलन चलाया जायेगा ।

शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन के विशेषज्ञों के लिए शारीरिक शिक्षा विषयक सेमिनार करना

इस योजना के अधीन दो अखिल भारतीय सेमिनारों का आयोजन किया गया था ।

एक सेमिनार का आयोजन शारीरिक शिक्षा की प्रशिक्षण संस्थाओं के अध्यक्षों के लिए फरवरी-मार्च, 1958 को मद्रास में किया गया था और दूसरा सेमिनार शारीरिक शिक्षा के राज्य-निरीक्षकों और विश्वविद्यालय-निदेशकों के लिए मई, 1958 में महाबलेश्वर में किया गया था। इन दो सेमिनारों में 'शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन की राष्ट्रीय आयोजना' चर्चा का मुख्य विषय थी। इन दोनों सेमिनारों की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो चुकी हैं।

ऊपर बताये गये दो सेमिनारों के अतिरिक्त 1958-59 में दो और सेमिनारों का आयोजन करने का विचार है। इनमें से एक सेमिनार भारत के शारीरिक क्रिया-कलापों के विशेषज्ञों के लिए होगा और दूसरा मनोरंजन सम्बन्धी क्रियाकलापों के विशेषज्ञों के लिए।

**प्रारम्भिक कक्षा से उच्च माध्यमिक स्तर/के लड़कों और लड़कियों के शारीरिक शिक्षा सम्बन्धी सिलेबसों को लागू करना**

इन दोनों सिलेबसों में जो क्रियाकलाप निर्धारित किये गये हैं उनकी व्याख्या और निदर्शन करने के लिए भारत सरकार सविस्तार पुस्तिकायें प्रकाशित करने का विचार कर रही है। शारीरिक शिक्षा के लक्ष्मीबाई कालेज, ग्वालियर, के अध्यक्ष को ये पुस्तिकायें तैयार करने का काम सौंपा गया है।

**व्यायामशालाओं और अखाड़ों को वित्तीय सहायता**

शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने में देश की शारीरिक विद्या सम्बन्धी जिन संस्थाओं ने महत्वपूर्ण काम किया है, उन व्यायामशालाओं और अखाड़ों आदि संस्थाओं को साज्-सामान तथा पुस्तकालय के लिए पुस्तकें खरीदने के लिए इस योजना में कुल खर्च का 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में देने की व्यवस्था की गयी है। परन्तु शर्त यह है कि संस्थाएं और या राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये अनुदान के बराबर की रकम की व्यवस्था करें।

**शारीरिक शिक्षा में अनुसन्धान करना, शारीरिक शिक्षा में उच्च अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियाँ देना, और अतिथि अधिसदस्यता प्रदान करना**

इन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए काम किया जा रहा है और इस सम्बन्ध में ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

**सर्वसाधारण के लिए शारीरिक शिक्षा, खेलकूद और मनोरंजन सम्बन्धी पुस्तकें तैयार करने की समिति**

शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन के केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने सर्वसाधारण के लिए शारीरिक शिक्षा, खेल-कूद और मनोरंजन सम्बन्धी पुस्तकें तैयार करने के लिए एक समिति नियुक्त की थी जो सविस्तार सुझाव देगी।

समिति की सिफारिशों पर अमल करने के लिए विचार किया जा रहा है।

### अनुसन्धान सम्बन्धी समिति

सभी अनुसन्धान प्रायोजनाओं का समन्वय करने के लिए और अनुसन्धान प्रायोजनाओं को क्रियान्वित करने तथा भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में सिफारिशें करने के लिए शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन के केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने अपनी एक समिति नियुक्त की है।

### शारीरिक शिक्षा की विभिन्न योजनाओं का समन्वय करने की समिति

शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन के केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की सिफारिश पर भारत सरकार ने एक स्वतंत्र समिति नियुक्त करने का निश्चय किया है जो शारीरिक शिक्षा, मनोरंजन, खेल-कूद और युवक हित से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं का समन्वय करेगी और विभिन्न कार्यक्रमों का परीक्षण करेगी। यह समिति स्काउटिंग, ए० सी० सी०, राष्ट्रीय अनुशासन योजना जैसी चरित्र निर्माण की विभिन्न योजनाओं के लिए समेकित नीति अपनाने के प्रश्न पर भी विचार करेगी।

उपर बतायी गयी योजनाओं के अधीन शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन को बढ़ावा देने के लिए 1958 में 2.50 लाख रुपये के अनुदान मंजूर किये गये थे।

इन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए 1959-60 में 7.50 लाख रुपये की रकम निर्धारित की गयी है।

### भारत स्काउट और गाइड

देश में स्काउटों और गाइडों के आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार ने जनवरी से दिसम्बर 1958 तक कुल 2,18,096 रुपये के अनुदान मंजूर किये थे। इस रकम में 60,000 रुपये के अनुदान की वह पहली किस्त भी शामिल है जो भारत स्काउट और गाइड के राष्ट्रीय मुख्यालय को पंचमढ़ी (म० प्र०) में अखिल भारतीय स्काउट और गाइड प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण करने के लिए सरकार के अंश के रूप में दिया गया है। भारत सरकार ने इस केन्द्र के निर्माण के खर्च का 50 प्रतिशत या 3,54,000 रुपये (इनमें से जो कम हो) देना स्वीकार किया है।

भारत स्काउट और गाइड ने देहाती क्षेत्रों में स्काउट आन्दोलन का प्रचार करने के लिए विभिन्न स्तरों के प्रशिक्षण केन्द्रों के आयोजन का प्रस्ताव रखा है। इस योजना को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है और इसके लिए वित्तीय सहायता देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

### राष्ट्रीय अनुशासन योजना

नयी पीढ़ी के बच्चों का पालन अनुशासन सम्बन्धी नियमों के अनुसार करने और उनमें अच्छी नागरिकता और मिलजुल कर काम करने की भावना भरने के लिए पुनर्वास मंत्रालय ने विस्थापित बच्चों के शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण के लिए जुलाई 1954 में

एक योजना शुरू की थी। यह योजना कस्तूरबा निकेतन, नई दिल्ली में विधवाओं के कुछ बच्चों और कुछ अनाथ बच्चों को लेकर शुरू की गयी थी और अब इसे दूसरी संस्थाओं में भी शुरू किया गया है।

इस योजना में कसरतों और ड्रिल द्वारा शरीर को दृढ़ बनाने और भारत की सांस्कृतिक दाय, इसकी परम्पराओं, इसके महापुरुषों की जीवितियों, देश-प्रेम और मानसिक अनुशासन विषयक व्याख्यानों द्वारा मानसिक प्रशिक्षण देने पर जोर दिया जाता है। यह तो अनिवार्य ही है कि अनुशासन की भावना केवल उन्हीं कसरतों के अभ्यास से आ सकती है, जो फौजियों द्वारा की जाने वाली कसरतों से मिलती-जुलती हैं। परन्तु यह समानता केवल ऊपरी है क्योंकि यह कसरतें केवल बच्चों के शरीर, योग्यता और सामान्य शारीरिक क्षमता को सुधारने के लिए ही की जाती हैं। इस योजना में आत्मनिर्भरता, मानसिक अनुशासन और देश की भावना उत्पन्न करने पर जोर दिया जाता है। यह योजना पूरी होने पर उपयोगी सिद्ध हुई और दिसम्बर 1957 से शिक्षा मन्त्रालय को सौंप दी गयी है। प्रारम्भ में इसे मन्त्रालय में शुरू किया गया था और केवल विस्थापित लोगों के लिए लागू किया गया था। शिक्षा मन्त्रालय को यह योजना मिलने के समय इसके अधीन संस्थाओं की संख्या 178 थी और पंजाब, उत्तर प्रदेश, बम्बई, मद्रास और दिल्ली में तथा उसके आस-पास प्रशिक्षण पाने वाले बच्चों की संख्या 73000 थी। अब उस योजना का विस्तार किया गया है और उसे 210 स्कूलों और संस्थाओं में लागू किया गया है और प्रायः 1,10,000 बच्चे प्रशिक्षण पा रहे हैं। जनवरी से मार्च 1959 की अवधि में विस्तार गति मन्द हो जाने की सम्भावना है क्योंकि सामान्यतः इन दिनों में स्कूलों और संस्थाओं में वार्षिक परीक्षाएँ होती हैं। अगले वर्ष इसका विस्तार 300 स्कूलों तक कर देने का लक्ष्य रखा गया है जिनमें 2,40,000 बच्चों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।

31 दिसम्बर, 1958 तक इस योजना पर लगभग 5.00 लाख रुपये का खर्च आया। 1958-59 के बजट में इसके लिए 9 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी थी जब कि 1959-60 के बजट में 20 लाख रुपये नियत किए गये।

### स्वास्थ्य और पोषण-शिक्षा की समिति

20 दिसम्बर 1957 की बैठक में स्वास्थ्य शिक्षा की समिति ने यह सिफारिश की थी कि एक उपसमिति नियुक्त की जाये जो प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के लिए स्वास्थ्य और पोषण विषयक शिक्षा के पाठ्यक्रम का मसौदा तैयार करे। वह उपसमिति इस समय काम कर रही है और नवीनतम उपलब्ध सामग्री के आधार पर विविध स्तरों के लिए पाठ्यक्रम के मसौदे तैयार कर रही है।

इसी बीच शिक्षा-मन्त्रालय और विश्व स्वास्थ्य मन्त्रालय ने स्वास्थ्य संगठन (W.H.O.) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके अनुसार नई दिल्ली में एक प्रायोगिक स्वास्थ्य-शिक्षा प्रायोजना चलाई जायगी। इसका उद्देश्य स्कूलों और अध्यापक प्रशिक्षण कालेजों में दी जाने वाली स्वास्थ्य और पोषण की शिक्षा के विविध पहलुओं पर खोज करना और

आंध्र, असम, बम्बई, बिहार, दिल्ली, केरल, मद्रास. उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा और, हिमाचल प्रदेश ।

### रनिंग ट्राफी :

इस वर्ष एक नयी योजना चालू की गयी है जिसके अनुसार राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भाग लेने वाले अधिक से अधिक खिलाड़ी रखने वाले विश्वविद्यालय को एक रनिंग ट्राफी दी जायेगी । 1956-57 के शिक्षा वर्ष के लिए बम्बई विश्वविद्यालय को यह ट्राफी दी गयी ।

### खेलों और खेलकूदों के स्तरों में सुधार

टोकियो की एशियाई खेल प्रतियोगिता में हमारे देश ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया जिस पर देश में बहुत असन्तोष व्यक्त किया गया । इसलिए जुलाई 1958 में भारत सरकार ने महाराजा पटियाला की अध्यक्षता में एक तदर्थ समिति की नियुक्ति की, जिसका काम एशियाई और ओलिम्पिक खेलों में भारतीय टीमों के गिरते हुए स्तरों के कारणों की जाँच करना और उनमें सुधार के उपाय सुझाना है । यह समिति देश में खेल-कूदों की सारी परिस्थितियों पर विचार कर रही है । समिति की रिपोर्ट मिलने वाली है ।

### जनवरी से मार्च 1959 तक के लिए तथा 1959-60 के लिए कार्यक्रम

खेल-कूद की तदर्थ जाँच समिति की रिपोर्ट आने तक के लिए खेल-कूद की उन्नति की ऐसी सब योजनाएँ निलम्बित कर दी गयी हैं जिन पर बहुत अधिक खर्च आयेगा । यह आशा की जाती है कि जनवरी 1959 तक तदर्थ समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो जायेगी तब 1958-59 की शेष अवधि के लिए और अगले वर्ष के लिए कार्यक्रम बनाया जायेगा । परन्तु यह अनुमान है कि जोर इस बात पर दिया जायेगा कि शिक्षा-संस्थाओं में निम्न-लिखित ढंग की सुविधाएँ बढ़ायी जायें :—जैसे खेल के मैदानों के लिए भूमि प्राप्त करना, खेल-कूद का सामान खरीदना आदि । इस कार्य को वास्तव में प्रभावी बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम को अधिक गहरा बनाने की आवश्यकता है । समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर एक अखिल-भारतीय खेल-कूद परिषद् की स्थापना करने का विचार है । यह परिषद् नवम्बर 1957 में बन्द कर दी गयी थी ।

### राजकुमारी खेल-कूद प्रशिक्षण योजना—

1957-58 में इस योजना की नीति कालेजों और स्कूलों के छात्रों आदि को खेल-कूद का प्रशिक्षण दिलवाने पर पूरा ध्यान देने की रही है । स्थानीय प्रशिक्षक नियुक्त करके विविध राज्यों में प्रशिक्षण स्कूल खोलने का यत्न किया गया है, ताकि युवकों को वर्ष भर प्रशिक्षण मिल सके । सभी राज्यों के केन्द्रों में रुचि बनाये रखने, विविध प्रशिक्षण पद्धतियों की उपयुक्तता की जाँच करने और अवर शिक्षणार्थियों की प्रगति का पता लगाने के लिए अवर शिक्षणार्थियों के शिविरों और अन्तर्राज्य टूर्नामेंटों का आयोजन भी प्रारम्भ किया गया । इसके अतिरिक्त फुटबाल, टेनिस, टूँक एण्ड फील्ड, टेबल टेनिस, जिम्नास्टिक्स आदि के विदेशी विशेषज्ञों को भी कुछ समय के लिए निमन्त्रित किया गया ताकि वे अधिक

प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दे सकें और वास्तव में होनहार चुने हुए खिलाड़ियों और पहलवानों को प्रशिक्षित कर सकें।

1957-58 में इस योजना के लिए 5 लाख रुपये का अनुदान दिया गया था। 1958-59 के बजट में भी इस योजना की क्रियान्विति के लिए 5 लाख रुपये की व्यवस्था है। इस राशि में से अब तक 1 लाख रुपये का अनुदान दिया जा चुका है तथा योजना की प्रबन्धक समिति की 2 लाख रुपये की एक माँग पर विचार हो रहा है। 1957-58 में निम्नलिखित शिविरों का आयोजन किया गया था—एथलेटिक्स 31, टेनिस 10, क्रिकेट 15, फुटबाल 6, हाकी 11, बैडमिंटन 12, टेबलटेनिस 9, तैरना 5, वालीबाल 9 और बास्केटबाल 12.

## युवक हित

### छात्रों के लिए भ्रमण-व्यवस्था

जो स्थान इतिहास, विज्ञान और संस्कृति की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और जिन स्थानों पर विशाल राष्ट्रीय प्रायोजनाएँ चलाई जा रही हैं उन्हें जा कर देखने से शिक्षा के एक सर्वमान्य उद्देश्य की पूर्ति होती है इससे राष्ट्र का हौसला ऊँचा करने के महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति भी होती है। देश के विद्यार्थियों में ऐसी यात्राएँ बहुत लोक-प्रिय होती हैं।

अधिक से अधिक संख्या में ऐसी यात्राएँ करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से अनुदान की राशि बढ़ा दी गई है और छात्रों की रियायती दर के हिसाब से उन्हें रेल या बस की तृतीय श्रेणी का पूरा भाड़ा दिया जाता है। यह सहायता शिक्षा संस्थाओं को दी जाती है जिससे कि वे अपने छात्रों को यात्रा करने के लिए भेज सकें। एक टोली में अधिक से अधिक 32 छात्र और तीन अध्यापक हो सकते हैं। चालू वर्ष में देश भर में 500 से अधिक शिक्षा संस्थाओं के लिए लगभग छः लाख रुपये की रकम स्वीकृत की गयी और 15,000 से अधिक छात्रों और अध्यापकों ने इन अनुदानों का लाभ उठाया। अनुमान है कि जनवरी से मार्च, 1959 तक सौ और अनुदान दिये जायेंगे।

### युवक नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर

कालेज के अध्यापकों को अपनी संस्थाओं में अनेक युवक हित कार्यक्रमों का अधिक अच्छे ढंग से आयोजन करने में सहायता देने के लिए शिक्षा मंत्रालय युवक नेतृत्व प्रशिक्षण शिविरों का संचालन करता है। जून, 1958 में तारादेवी में इस प्रकार के एक शिविर का आयोजन किया गया जिस में कलकत्ता, बम्बई, पूना मद्रास, केरल, दिल्ली, और पंजाब विश्व विद्यालय के अध्यापकों ने 31 भाग लिया है। इसपर 9418 रुपये खर्च हुए। इसके अतिरिक्त केरल विश्व-विद्यालय के लिए एक शिविर का आयोजन करने के उद्देश्य से 2100 रुपये की मंजूरी दी भी गयी।

### युवक-समारोह

वार्षिक अन्तर्विश्वविद्यालय युवक समारोह मुख्य रूप से छात्रों के सांस्कृतिक और

कलात्मक कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए किये जाते हैं। इस से उनकी नृत्य, नाटक, संगीत, वाद-विवाद और कला सम्बन्धी निहित योग्यताओं के उभरने में सहायता मिलती है। 27 अक्तूबर से 5 नवम्बर, 1958 तक तालकटोरा उद्यान नई दिल्ली में पाँचवें अन्तर्विश्वविद्यालय युवक समारोह का आयोजन हुआ। प्रधान मंत्री ने 27 अक्तूबर, 1958 को इस समारोह का उद्घाटन किया। भारत के 34 विश्वविद्यालयों के 1671 छात्रों और अध्यापकों ने इस समारोह में भाग लिया।

समारोह में चित्र-कला और रेखा-चित्र, फोटोग्राफी, हस्तशिल्प, नाटक, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय गायन, वाद्य संगीत, वृन्द-नृत्य, वृन्दगान और हिन्दी वक्तृता की प्रति-योगिताएँ हुईं इस के लिए तीन लाख रुपये की मंजूरी दी गयी थी।

### अन्तर्विद्यालय युवक समारोह

अन्तर्विश्वविद्यालय युवक समारोह के पहिले विश्वविद्यालय अन्तर्विद्यालय युवक समारोहों का आयोजन करते हैं जिन में अन्तर्विश्वविद्यालय युवक समारोह में भाग लेने के लिए छात्रों का चुनाव किया जाता है।

चालू वित्त-वर्ष में इस प्रयोजन से निम्नलिखित विश्वविद्यालयों के लिए 42,757 रुपये की मंजूरी दी गयी थी :—

राजस्थान, आंध्र, केरल, कलकत्ता, एस० एन० डी० टी०, मैसूर, कर्नाटक, नागपुर, उस्मानिया, उत्कल, वल्लभभाई विद्यापीठ।

### युवकावास

शिक्षा-यात्रा या भ्रमण करने वाले छात्रों के लिए सस्ते भोजन और आवास की व्यवस्था करने के लिए देश में अनेक युवकावास स्थापित करने का विचार है। यह काम भारत युवकावास संघ और राज्य सरकारों के सहयोग से किया जाता है।

निश्चय किया गया है कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को युवकावास बनाने के लिए सहायता के रूप में जो रकम देती है उसे बढ़ाकर इतना कर दिया जाये कि युवकावास के निर्माण का सारा खर्च पूरा हो सके परन्तु एक युवकावास के निर्माण के लिए अधिक से अधिक 40,000 रुपये दिये जायेंगे।

चालू वर्ष में भारत युवकावास संघ के लिए 15,000 रुपये की राशि स्वीकृत की गयी। यह रकम संघ के प्रशासन और संगठन सम्बन्धी खर्च के कुछ अंश की पूर्ति के लिए मंजूर की गयी है।

### छात्रों के रहन सहन की परिस्थितियों का सर्वेक्षण

कालेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुविधाओं तथा सांस्कृतिक रुचियों को ध्यानमें रखते हुए उनके रहन-सहन का वैज्ञानिक मूल्यांकन करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने केरल, लखनऊ और बम्बई विश्वविद्यालयों के छात्रों के रहन-सहन की परिस्थितियों का एक प्रायोगिक सर्वेक्षण करने का निश्चय किया है।



सर्वेक्षण कार्य के लिए चालूवित्त वर्ष में लखनऊ और केरल विश्वविद्यालय के लिए 13,139 रुपये के अनुदान स्वीकृत किये गये हैं। आशा है कि फरवरी 1959 तक दोनों विश्वविद्यालयों के सर्वेक्षण की रिपोर्ट मिल जायेंगी।

### युवक-हित-बोर्ड और समितियाँ

युवक-हित का कार्य सुयोजित और समन्वित रूप से करने के लिए भारत सरकार राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों को अनुदान देती रही है। यह अनुदान राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों को इस लिए दिये जाते हैं कि वे युवक-हित बोर्डों की स्थापना का 50 प्रतिशत खर्च पूरा कर सकें। चालू वित्त वर्ष में बिहार राज्य सरकार और नागपुर विश्व-विद्यालय को बोर्ड स्थापित करने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है।

चालू वर्ष में युवक-हित का जो कार्यक्रम स्वीकृत किया गया है उसमें अन्य योजनाएँ भी हैं जैसे छुट्टियों में शिविर लगाना, बाल-समारोह का आयोजन करना और सामान्य युवकों के लिए क्लब और केन्द्र स्थापित करना। ये योजनाएँ अभी प्रारम्भिक अवस्था में हैं और इनके काम में अधिक प्रगति नहीं हो सकी है।

1959-60 में उपयुक्त सभी योजनाओं को जारी रखने का विचार है। 1959-60 के बजट में सामान्य युवक हित कार्यकलापों और बाल-भवन के लिए आठ-आठ लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है।

### बालभवन

बाल भवन के रोज़ के खर्च और इमारत के निर्माण के लिए 3,75,000 रुपये की राशि स्वीकृत की गयी थी।

### बाल-संग्रहालय

केन्द्रीय निर्माण विभाग ने बाल-संग्रहालय के प्रस्तावित भवन के लिए जो आयोजना तैयार की थी, बाल-संग्रहालय की तदर्थ समिति ने उसका अनुमोदन कर दिया है। ड्राइंग का काम भी समाप्त हो चुका है और अब प्राक्कलन का काम ही रहा है। आयोजना और प्राक्कलन का काम समाप्त होते ही भवन का निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा।

## हिंदी का विकास

हिन्दी शिक्षा समिति की 11 वीं बैठक 11 जुलाई, 1958, को हुई। इस समिति की स्थापना हिन्दी के प्रसार और विकास कार्य में भारत सरकार को सहायता और सलाह देने के लिए की गयी है। इस बैठक में नीचे दी हुई महत्वपूर्ण सिफारिशों की गयीं :—

- (क) श्री रामधारीसिंह दिनकर की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति बनायी जाये जो देश की हिन्दी संस्थाओं द्वारा संचालित हिन्दी परीक्षाओं को मान्यता देने के प्रश्न पर अन्तिम रूप से विचार और निर्णय करे। इस समिति के लिए श्री श्रीनारायण चतुर्वेदी, डा० युद्धवीरसिंह, प्रोफेसर चन्द्रहासन और डा० आर० डी० शर्मा के नाम सदस्यता के लिए सुझाये गये।
- (ख) अहिंदीभाषी राज्यों में राज्य सरकारों अथवा स्वैच्छिक हिंदी संगठनों के माध्यम से हिन्दी अध्यापक-प्रशिक्षण-कालिज खोले जायें।
- (ग) आगरे के अखिल भारतीय महाविद्यालय को जो इस समय अहिंदी राज्यों के हिंदी अध्यापकों के प्रशिक्षण का काम कर रहा है, हैदराबाद के अंग्रेजी के केन्द्रीय संस्थान के समान ही मान्यता दी जाये जिससे कि इस महाविद्यालय में हिंदी में अनुसंधान और हिंदी अध्यापकों के प्रशिक्षण का कार्य वैज्ञानिक रीति में हो सके।
- (घ) देवनागरी लिपि के सुधार का प्रश्न जितनी जल्दी संभव हो निर्णय किया जाये।

इन सिफारिशों पर कार्य किया गया है, जिनका उल्लेख समुचित उपशीर्षकों के अन्तर्गत किया गया है।

पहली पंचवर्षीय आयोजना से चालू कुछ कार्य-योजनाओं में प्रगति हुई है, जिसका विवरण नीचे दिया जाता है।

### (क) हिन्दी संस्थाओं और व्यक्तियों को अनुदान

समीक्षाधीन वर्ष में नीचे लिखे अनुदान मंजूर किये गये।

संस्था का नाम	अनुदान का प्रयोजन	रकम (रुपये)
श्री रामचन्द्र वर्मा, साहित्य-रत्नमाला कार्यालय, बनारस।	“शब्द साधना” की रचना	5,500

संस्था का नाम	अनुदान का प्रयोजन	रकम (रुपये)
अखिल भारतीय हिंदी परिषद, आगरा	अहिंदीभाषी राज्यों में हिंदी अध्यापकों का प्रशिक्षण	67,580
अखिल भारतीय हिंदी परोक्षक संघ, दिल्ली	पुस्तक-व्यापार और प्रकाशन सम्बन्धी गोष्ठी करने के लिए	8,00
नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी	प्राचीन पाण्डुलिपियों की खोज, फोटो स्टेट मशीन खरीदने और प्राचीन पाण्डुलिपियों के रक्षण, जिल्दबन्दी और स्थान के लिए	10,000
साहित्यकार संसद, इलाहाबाद	संस्कृत साहित्य की भूमिका का प्रकाशन	2,700

### (ख) हिन्दी विश्व-कोश

1956 में वाराणसी की नागरी प्रचारिणी सभा को 6.5 लाख रुपये दस खण्डों में एक हिन्दी विश्व-कोश तैयार करने के लिए मंजूर किये गये थे। इस योजना का विवरण विशेषज्ञों की उपसमिति ने तैयार किया था और एक उच्चाधिकार-सम्पन्न सलाहकार बोर्ड इस काम का अधीक्षण करने के लिए नियुक्त किया गया। इस बोर्ड ने विश्व-कोष तैयार करने के लिए एक सम्पादक-समिति बनायी। इस विश्व-कोश के प्रत्येक खण्ड में कोई पाँच सौ पृष्ठ होंगे। अब तक इस काम के लिए सभा को 1,20,000 रुपये दिये जा चुके हैं। इस काम के लिए कुछ अमला रख दिये गये हैं जिसमें दो सह-सम्पादक भी हैं। फरवरी 1957 में महत्वपूर्ण शब्दों की सूचियाँ बनाने का काम आरम्भ कर दिया गया था। सभा मुख्य-सम्पादक के पद की नियुक्ति के प्रश्न पर अभी विचार कर रही है। प्रकाशित संदर्भ ग्रन्थों से शुरू में 70 हजार शब्द इकट्ठे किये गये थे, जिनमें से विज्ञान, कलाओं और मानव विद्याओं के विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित 40 हजार शब्द अन्तिम रूप से चुने गये हैं जिनको हिन्दी में रूपान्तरित किया जायेगा और जिन्हें विश्व-कोश की सामग्री तैयार करने के लिए विद्वानों को भेजा जायेगा।

विषयों के वर्गीकरण का काम पूरा हो गया है और कुल शब्दों के कोई एक-चौथाई शब्द हिन्दी में रूपान्तरित किये जा चुके हैं। 50 लेख-सम्पादक और कोई एक हजार लेखकों की सूचियाँ तैयार की जा चुकी हैं और सलाहकार बोर्ड उनका अनुमोदन कर चुका है। लेखकों को कई हजार शब्द भेजे जा चुके हैं। विश्व-कोश के पहले खण्ड की सामग्री तैयार है और जल्दी ही छपी जायेगी।

(ग) पारिभाषिक शब्दावलियों के आधार पर तैयार किये जाने वाले मैनुअल

वनस्पति-विज्ञान और रसायन के प्रामाणिक मैनुअल तैयार हो चुके हैं और छापे जा रहे हैं। भौतिकी का मैनुअल भी लगभग पूरा हो चुका है और जल्दी ही छपने के लिए दे दिया जायेगा। इनके अलावा कृषि, नागरिक-शास्त्र, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, शिक्षा (सामान्य), शिक्षा मनोविज्ञान, इंजीनियरी, गणित, मैडिसिन और प्राणि-विज्ञान के मैनुअल भी तैयार किये जा रहे हैं।

(घ) राज्यों को अनुदान

आयोजना के कार्यों के लिये राज्यसरकारों को दिये जाने वाले अनुदान की संशोधित पद्धति के फलस्वरूप इस योजना के अधीन राज्यसरकारों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता वित्त-मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा अर्थोपायी कर्जों के रूप में दी जा रही है। राज्यसरकारों द्वारा खर्च की जाने वाली रकमों के आधार पर अन्तिम रकमों की मंजूरी वर्ष की आखिरी तिमाही में की जायेगी। आशा है कि 1958-59 में हिन्दी की उन्नति के लिये विभिन्न अहिंदीभाषी राज्यसरकारों को कुल कोई पाँच लाख रुपये अनुदान के रूप में मंजूर किये जायेंगे।

1958-59 के लिये संघ प्रशासित क्षेत्रों—अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह, मणिपुर और त्रिपुरा में हिंदी की उन्नति के लिये 48 हजार रुपये खर्च की मंजूरी दी गयी है।

दूसरी पंचवर्षीय आयोजना में सम्मिलित की गई योजनाओं में जो प्रगति हुई, उसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

1. सभी मानक हिंदी ग्रन्थों—प्राचीन और नवीन—की शब्द अनुक्रमणियाँ तैयार करना :—इस योजना के अधीन शुरू में 14 ग्रन्थों की शब्द-अनुक्रमणियाँ तैयार की जायेंगी। यह काम भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों को सौंप दिया गया है। आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, दिल्ली, मद्रास, पटना, पंजाब और सागर विश्वविद्यालयों को दिये गये 12 ग्रन्थों पर काम आरम्भ करने के लिये कुल 15,025 रुपये के आरम्भिक अनुदान की मंजूरी दी गयी। इन विश्वविद्यालयों को और आगे अनुदान इस सम्बन्ध में उनके आवेदन मिलने पर दिये जायेंगे। शेष दो ग्रन्थों के सम्बन्ध में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रस्ताव आये हैं जिन पर विचार किया जा रहा है।

वर्तमान साहित्य और क्षेत्रीय कार्य द्वारा विभिन्न कलाओं और शिल्पों की विशिष्ट शब्दावलियों का संग्रह और अनुक्रमणियाँ बनाना :—यह निश्चय किया गया है कि अभी फिलहाल कपड़ा उद्योग, मछली पालन और धातु के उद्योगों में शब्दावलियाँ इकट्ठी की जायें। आन्ध्र प्रदेश, बम्बई, मद्रास, पंजाब और उत्तरप्रदेश राज्यसरकारों से, जहाँ इन उद्योगों और कलाओं के केन्द्र हैं, सितम्बर 1958 में निवेदन किया गया था कि वे इस कार्य के लिये उपयुक्त लोगों को लगायें। इन राज्यसरकारों से इस सम्बन्ध में अभी पत्र-व्यवहार हो रहा है।

### (3) प्राचीन साहित्य में पारिभाषिक शब्दों की खोज

डाक्टर सत्यप्रकाश, डा० गोरखप्रसाद, श्री आर० एन० मिश्र, डा० प्रेमनाथ विद्यालंकार, डा० दुनीचन्द्र और प्रोफेसर सैयद अहमद से अनुरोध किया गया कि वे क्रमशः रसायन, गणित, परिवहन और पोत-निर्माण, अर्थशास्त्र ( वैकिंग और व्यापार ), राजनय और इंजीनियरी तथा स्थापत्य में पारिभाषिक शब्द-सामग्री एकत्र करें। अपेक्षित सामग्री डा० गोरखप्रसाद और प्रोफेसर सैयद अहमद को छोड़ कर बाकी सबसे प्राप्त हो चुकी है।

### (4) ऐसे मानक हिन्दी ग्रन्थों के परिशोधित और आलोचनात्मक संस्करण प्रकाशित करना जो अब नहीं छपते

इस योजना के अधीन सर्वप्रथम तेरह ग्रंथों को तैयार करने का निश्चय किया गया है। ये विभिन्न विश्वविद्यालयों और विद्वानों को सौंप दिये गये हैं। प्रयाग विश्वविद्यालय को जो काम सौंपा गया है उसके लिए 5000 रुपये का प्रारंभिक अनुदान मंजूर किया गया है। अन्य विश्वविद्यालयों और विद्वानों के काम की योजना और व्यय के अनुमान का विवरण प्राप्त होने और भारत सरकार द्वारा उसका अनुमोदन हो जाने पर उन्हें भी आवश्यक सहायता दी जायेगी।

### (5) हिन्दी के प्रसिद्ध लेखकों की रचनाओं के वृहत् संकलन प्रकाशित करना

इस योजना में सर्वप्रथम 16 ग्रन्थ तैयार करने का निश्चय किया गया है। यह कार्य विभिन्न विद्वानों और विश्वविद्यालयों को सौंपा गया है। आगरा, लखनऊ और सागर विश्व-विद्यालय तथा डा० फैयाज अली खाँ को कुल 10,665 रुपये के प्रारम्भिक अनुदान दिये गये हैं। अन्य विद्वानों से उनके कार्य की आयोजना और व्यय-अनुमान का विवरण प्राप्त होने पर तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित हो जाने पर उन्हें भी आवश्यक सहायता दी जायेगी।

### (6) अहिन्दी भाषी क्षेत्रों से हिन्दी भाषी क्षेत्रों में और हिन्दी भाषी क्षेत्रों से अहिन्दीभाषी क्षेत्रों में स्कूलों और कालेजों की व्याख्यान टोलियों को ले जाना

इस योजना के ब्यौरों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है और वे सम्बन्धित राज्य सरकारों को भेजी जा चुकी हैं। अभी तक तीन व्याख्यान टोलियाँ चुनी गयी हैं, केरल और उत्कल विश्वविद्यालयों से दो प्रवर टोलियाँ और केरल से एक अवर टोली। इन टोलियों के संगठन के लिए खर्च की मंजूरी दी जा चुकी है।

### (7) अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी भाषी क्षेत्रों के और हिन्दी भाषी क्षेत्रों में अहिन्दीभाषी क्षेत्रों के प्रमुख हिन्दी विद्वानों और लेखकों के व्याख्यान कराने की व्यवस्था करना

सर्वश्री गुरुनाथ जोशी, वी० राममूर्ति रेणु और उपेन्द्रनाथ अश्क के तीन व्याख्यान-दौरों का क्रमशः बिहार, दिल्ली और आंध्र प्रदेश में आयोजन किया गया। 1958-59 में कुछ और व्याख्यानों की व्यवस्था की जायेगी।

(8) हिन्दी भाषी क्षेत्रों में अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के हिन्दी अध्यापकों के सेमिनार कराने की व्यवस्था

जून, 1958 में विभिन्न अहिन्दी भाषी राज्यों के हिन्दी अध्यापकों का एक सेमिनार पटना में हुआ। सेमिनार सफल रहा और भाग लेने वाले अध्यापकों के लिए बहुत लाभप्रद सिद्ध हुआ।

(9) श्रेष्ठ हिन्दी पुस्तकों पर पुरस्कार

यह योजना 1952-53 से चालू है पर इसे दूसरी पंचवर्षीय योजना में 1957-58 में शामिल किया गया है। 1954 तक प्रकाशित पुस्तकों पर पुरस्कार के लिए पिछले वर्षों में दो प्रतियोगिताएँ हो चुकी थीं। 1955 में प्रकाशित पुस्तकों पर पुरस्कार देने के लिए जो प्रतियोगिता हुई, उसमें सात पुरस्कार घोषित किये गये हैं और सात पुरस्कारों की घोषणा अभी विचाराधीन है।

(10) विज्ञानों के इतिहास, भारतीय पुराख्यान विश्वकोश और भारतीय कहावतों और नीति कथाओं का संकलन

योजना के सामान्य व्यौरों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है। शीघ्र ही इस योजना के अधीन विभिन्न ग्रन्थों के निर्माण का काम शुरू हो जायेगा।

(11) अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति

इस योजना के अधीन अहिन्दीभाषी राज्यों के हर उच्च माध्यमिक स्कूल में कम से कम एक हिन्दी अध्यापक की नियुक्ति करने का विचार किया गया है। केन्द्र द्वारा प्रस्तावित योजनाओं के अधीन राज्य सरकारों को अनुदान देने की संशोधित क्रियाविधि के अमल में आने के फलस्वरूप इस योजना के अधीन राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता वित्त-मंत्रालय के अर्थ-विभाग द्वारा अर्थोपाय अग्रिम दान के रूप में दी जाती है। सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा खर्च की गई रकम के आधार पर अन्तिम रूप से मंजूरी वित्त-वर्ष की आखिरी तिमाही में दी जायेगी। आशा है कि इस योजना के अधीन हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति के लिए चालू वित्त-वर्ष में अहिन्दीभाषी राज्यों की सरकारों को लगभग कुल 2.50 लाख रुपये के अनुदान दिये जायेंगे। परन्तु चालू वित्त-वर्ष में मणिपुर और त्रिपुरा के केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति के लिए 28,811 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है।

आयोजनेतर योजनाओं की प्रगति इस प्रकार हुई है :—

(1) पारिभाषिक शब्दावली

इस वर्ष वैज्ञानिक शब्दावली के अधीन विभिन्न विषयों की 23 विशेषज्ञ समितियों ने काम किया।

नीचे लिखे विषयों के हिन्दी पारिभाषिक शब्दों की सूचियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। ये शिक्षा मंत्रालय के वित्तीय डिपो और मैनेजर, प्रकाशन प्रभाग, सिविल लाइन्स,

1. कृषि I
2. वनस्पति विज्ञान I
3. रसायन I
4. रसायन II
5. रक्षा I
6. रक्षा II
7. राजनय
8. अर्थशास्त्र I
9. इंजीनियरी I (निर्माण-सामग्री)
10. सामान्य प्रशासन (पद संज्ञा)
11. गणित I
12. भौतिकी I
13. डाक और तार
14. समाज विज्ञान

निम्नलिखित विषयों की अंतिम सूचियाँ छपने के लिये भेजा जा चुकी हैं:—

1. कृषि II
2. सूचना और प्रसार I
3. रक्षा V
4. अर्थशास्त्र II
5. सामान्य प्रशासन (सामान्य शब्दावली)
6. राजमार्ग इंजीनियरी
7. गणित II
8. मेडिसिन I
9. मेडिसिन II
10. समुद्रपार संचारण व्यवस्था
11. डाक और तार

12. रेलवे (सामान्य यातायात शब्दावली)

13. पर्यटन

14. प्राणि विज्ञान

नीचे लिखे विषयों की अनन्तिम सूचियाँ दुहराई जा चुकी हैं और अनुमोदन के लिए वैज्ञानिक शब्दावली बोर्ड के समक्ष पेश की जायेंगी :—

1. वनस्पति विज्ञान II
2. रक्षा III
3. रक्षा IV
4. राजनय II
5. अर्थशास्त्र (श्रम अर्थशास्त्र)
6. शिक्षा (सामान्य शब्दावली)
7. इंजीनियरी (सिंचाई और जल-विद्युत इंजीनियरी)
8. डाक और तार (मोहर और मुद्राएँ)
9. परिवहन (नौचालन)

नीचे लिखी अनन्तिम सूचियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं और सुझावों के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों, मंत्रालयों और राज्य सरकारों, अनुसंधान संस्थाओं और अन्य महत्वपूर्ण संगठनों को भेजी गयी है :—

1. कृषि III
2. वनस्पति विज्ञान III
3. रसायन III
4. रसायन IV
5. रक्षा VI
6. रक्षा VII
7. अर्थशास्त्र IV
8. शिक्षा-मनोविज्ञान
9. मौसम-विज्ञान
10. विधि I



11. विधि II
12. गणित II
13. गणित IV
14. प्राणिविज्ञान

31 दिसम्बर 1958 तक विभिन्न विषयों के लगभग 1,40,000 शब्द बन चुके थे, जिनमें से 33600 शब्द भारत सरकार द्वारा अन्तिम रूप से स्वीकृत हो चुके हैं और 7298 शब्द केबिनेट को भेजे जा चुके हैं और स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है।

वैज्ञानिक शब्दावली बोर्ड द्वारा निर्मित वैज्ञानिक और पारिभाषिक शब्दावली का शब्दकोश तैयार करने के लिए मंत्रालय के हिन्दी प्रभाग में एक शब्दकोश एकांश की स्थापना की गयी है। अवर पदों पर अमला नियुक्त करने के अतिरिक्त एक प्रधान-सम्पादक और छः सम्पादक नियुक्त किये गये हैं। समीक्षाधीन वर्ष में काम शुरू हो गया है।

## 2. मूल हिन्दी व्याकरण

आधुनिक हिन्दी के मूल व्याकरण का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हो चुका है। यह सुझावों के लिए विभिन्न राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों और संस्थाओं को भेज दिया गया है।

### (3) हिन्दी परीक्षाओं की मान्यता

देश की विभिन्न प्राइवेट हिन्दी संस्थाओं द्वारा प्रचलित हिन्दी परीक्षाओं को मान्यता देने का प्रश्न विचाराधीन है। इस प्रयोजन के लिए एक मान्यता-समिति नियुक्त की गई है। 16 और 17 मई, 1958 को समिति ने अपनी पहली बैठक में 22 हिन्दी संस्थाओं के प्रार्थनापत्रों पर विचार किया। समिति की सिफारिशों पर हिन्दी शिक्षा समिति ने विचार किया और एक समीक्षण समिति नियुक्त की जो मान्यता-समिति द्वारा की गई सिफारिशों का समीक्षण सम्बन्धित संस्थाओं के प्रत्यक्ष निरीक्षण से करेगी। निरीक्षण समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। यह रिपोर्ट अन्तिम सलाह के लिए हिन्दी शिक्षा समिति की निकट भविष्य में होने वाली बैठक में रखी जायगी।

### (4) देवनागरी लिपि में सुधार

नवम्बर 1953 में लखनऊ में आयोजित देवनागरी लिपि सुधार सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिशों को जनवरी 1955 में भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया।

1957 में उत्तर प्रदेश सरकार को परिवर्तित लिपि में कार्य करने पर जो अनुभव प्राप्त हुए उनके प्रकाशन और लिपि के प्रश्न पर पुनर्विचार करने के लिए एक और सम्मेलन लखनऊ में बुलाया गया। 1957 के सम्मेलन ने पहले सम्मेलन की सिफारिशों को निम्न-लिखित परिवर्तनों सहित स्वीकार किया है :—

(i) ह्रस्व (इ) की मात्रा को जिस व्यंजन से जोड़ना हो, उसके बाईं ओर लगाना चाहिए ;

(ii) (र) तीनों रूपों का प्रयोग करना चाहिए जब कि इसे अक्षरों के साथ मिलाना हो; और

(iii) संयुक्त शब्दों की सीधी रेखा, जहाँ सम्भव हो, हटा देनी चाहिए।  
बाद के सम्मेलन के सुझाव भारत सरकार के विचाराधीन हैं।

#### (5) हिन्दी टाइपराइटर और टेलीप्रिंटर का कुंजी पटल

हिन्दी टाइपराइटर और टेलीप्रिंटर के कुंजी-पटल के परिवर्तनों की स्वीकृति सम्बन्धी हिन्दी टाइपराइटर और टेलीप्रिंटर समिति की रिपोर्ट अभी तक नहीं छपी है क्योंकि देवनागरी लिपि सुधार सम्बन्धी प्रश्न अभी पूर्ण रूप से हल नहीं हुआ है।

#### (6) हिन्दी आशुलिपि

आशा है कि हिन्दी और विभिन्न भारतीय भाषाओं के शब्दरूप-ध्वनि का विश्लेषण सम्बन्धी काम 1960 में पूरा हो जाएगा। तदुपरान्त यह प्रश्न हिन्दी आशुलिपि समिति के सामने उपयुक्त हिन्दी आशुलिपि बनाने के लिए रखा जायगा।

#### (7) हिन्दी अध्यापक प्रशिक्षण कालिज का समारम्भ

प्रशिक्षित और कार्य कुशल हिन्दी अध्यापकों की एक उचित संख्या को अहिन्दी भाषी राज्यों में भेजने के लिए क्षेत्राधार पर हिन्दी अध्यापक प्रशिक्षण कालिजों को खोलने का निश्चय किया गया है। इनका पूरा खर्च भारत सरकार देगी। प्रशिक्षित हिन्दी अध्यापकों के अभाव को पूरा करने के लिए सर्वप्रथम केरल में एक प्रशिक्षण कालिज खोलने का विचार है। अन्य राज्यों में ऐसे कालिजों की आवश्यकताओं पर भी विचार हो रहा है।

#### (8) अखिल भारतीय हिन्दी महाविद्यालय का पुनर्गठन

वैज्ञानिक ढँग पर अनुसंधान और हिन्दी अध्यापकों को प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधाएँ देने के लिए अखिल भारतीय हिन्दी महाविद्यालय, आगरा, को हैदराबाद के अंग्रेजी के केन्द्रीय संस्थान के आधार पर पुनर्गठित करने का निश्चय किया गया है। पुनर्गठित संस्था का संविधान तैयार हो रहा है।

#### (9) पुस्तकों के उपहार

मंत्रालय ने अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के स्कूलों में मुफ्त पुस्तकें देने की एक योजना बनाई है। इस योजना के अन्तर्गत लगभग 11,000 सेट जिनमें प्रत्येक में 36 पुस्तकें थीं, और जिन पर लगभग 1.73 लाख रुपये खर्च हुए हैं, विभिन्न अहिन्दी भाषी राज्यों और संघीय प्रदेशों में बाँटे जा चुके हैं।

#### (10) संस्कृत का पुनरुत्थान

दिसम्बर 1957 में पेश की गई संस्कृत कमीशन की रिपोर्ट में निर्दिष्ट सिफारिशों पर राज्य सरकारों/संघ प्रशासित प्रदेशों, विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन आदि के परामर्श से विचार हो रहा है। कमीशन की एक सिफारिश के अनुसार स्वैच्छिक संस्कृत

संगठनों/संस्थाओं आदि को संस्कृत विकास के लिए आर्थिक सहायता देने की योजना बनाई गई है। इस योजना के अन्तर्गत संस्कृत शिक्षा की केन्द्रीय परिषद्, हैदराबाद, को हैदराबाद के समीप एक परंपरागत संस्कृत कालिज की स्थापना करने के लिए 25,000 रुपये की राशि दी गई है। चालू वर्ष में एक लाख रुपये की राशि संस्कृत शब्द कोष विभाग, दक्कन कालिज, पूना को ऐतिहासिक सिद्धांतों के आधार पर "संस्कृत शब्दकोष" बनाने के लिए दी गई है।

भारत सरकार को संस्कृत के उन्नति सम्बन्धी मामलों पर सलाह देने के लिए केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड की स्थापना सम्बन्धी कमीशन की एक अन्य सिफ़ारिश को कार्यान्वित करने का कार्य विचारधीन है।

### अन्य क्रियाकलाप

#### हिन्दी के वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य की प्रदर्शनी

हिन्दी के वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य की प्रगति और विकास से साधारण जनता, छात्रों, अध्यापकों और प्रकाशकों को परिचित कराने के लिए नई दिल्ली में 5 से 12 दिसम्बर 1957 तक तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रांगण में 20 फ़रवरी से प्रथम मार्च 1958 तक हिन्दी के वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। परिदर्शक जनता ने प्रदर्शनी की बहुत प्रशंसा की। यह प्रदर्शनी निम्नलिखित स्थानों में भी ले जायी गयी :—

बम्बई	...	...	13 अक्तूबर से 18 अक्तूबर 1958 तक
इन्दौर	...	...	27 अक्तूबर से 7 नवम्बर 1958 तक
पटना	...	...	14 नवम्बर से 19 नवम्बर 1958 तक
लखनऊ	....	...	28 नवम्बर से 4 दिसम्बर 1958 तक

हिन्दी पुस्तकालय : 1958-59 में मंत्रालय के हिन्दी अनुभाग के पुस्तकालय में 2791 पुस्तकें और आई हैं। इन के अतिरिक्त कई पत्रिकाएँ भी मंगवाई जाती रहीं।

# यूनेस्को के क्रियाकलाप

## यूनेस्को से सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय कमीशन

यूनेस्को के स्थापना-काल से ही भारत सरकार इसके मूल उद्देश्यों और क्रियाकलापों में विशेष दिलचस्पी लेती रही है तथा संस्था के विभिन्न कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में पूर्ण सहयोग देती रही है। यूनेस्को के साथ सहयोग के लिये भारतीय राष्ट्रीय कमीशन की स्थापना देश में यूनेस्को के उद्देश्यों और लक्ष्यों को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिये हुई है। कमीशन भारत सरकार को यूनेस्को सम्बन्धी सभी मामलों पर सलाह देता है।

कमीशन को स्थायी रूप देने के बाद अब तक इसके तीन सम्मेलन किये जा चुके हैं। यूनेस्को के साथ सहयोग के लिये भारतीय राष्ट्रीय कमीशन का तीसरा सम्मेलन फरवरी 1958 में हुआ। सभापति पद से भाषण प्रो० हुमायूँ कबीर ने दिया। इसके भूतपूर्व सभापति, मौलाना अबुल कलाम आजाद की शोकजनक मृत्यु के कारण कमीशन ने कार्यक्रम स्थगित कर दिया और सम्मेलन के अधूरे काम को पूर्ण करने का कार्य कार्यकारी बोर्ड को सौंप दिया। तदनुसार जुलाई 1958 में बोर्ड की एक बैठक बुलाई गई। कमीशन को स्थायी रूप देने के बाद से बोर्ड की यह आठवीं बैठक थी। सदस्यों की पदावधि समाप्त हो जाने के कारण समीक्षाधीन वर्ष में कमीशन के कार्यकारी बोर्ड का पुनर्गठन हुआ।

समीक्षाधीन वर्ष में यूनेस्को में लिये भारतीय राष्ट्रीय कमीशन के कुछ आवश्यक क्रियाकलापों की चर्चा नीचे की गयी है।

### शिक्षा

शिक्षा मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय कमीशन यूनेस्को को वह सभी सूचना भेजता रहा है जिसकी संस्था को समय समय पर आवश्यकता पड़ी। यूनेस्को के शिक्षा और संस्कृति सम्बन्धी मिशनों के कार्यक्रम में भी सहयोग दिया गया। यूनेस्को के विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत इसके अन्य सदस्य राष्ट्रों से आए हुए विद्यार्थियों के लिये भारत में शिक्षा सम्बन्धी आवश्यक सुविधाओं का प्रबन्ध किया गया।

### अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए शिक्षा

भारत सरकार और भारत के राष्ट्रीय कमीशन ने संयुक्त राष्ट्र संघ और उसकी विशिष्ट एजेन्सियों के लक्ष्यों और उद्देश्यों को लोक प्रिय बनाने के कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में यूनेस्को की सहायता की। भारतीय राष्ट्रीय कमीशन के अनुरोध पर राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों की शिक्षा संस्थाओं ने पिछले वर्षों की तरह संयुक्त राष्ट्र दिवस और मानव अधिकार दिवस मनाए। भारत के विभिन्न राज्यों से “अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना

की शिक्षा" को स्कूल पाठ्यचर्या में समावेश करने का अनुरोध किया गया। कमीशन ने संयुक्त राष्ट्र सम्बन्धी शिक्षण पर गोष्ठी का आयोजन करने के लिये यूनेस्को सोमायटी पटना, नाम की एक स्वैच्छिक संस्था को आर्थिक सहायता दी।

अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना और सहयोग के लिये भारत सरकार सम्बद्ध स्कूलों की शिक्षा सम्बन्धी प्रायोजनाओं के यूनेस्को के कार्यक्रम में बराबर भाग लेती रही है। इस समय देश के दस माध्यमिक स्कूल और तीन अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाएँ इस कार्यक्रम में भाग ले रही हैं। प्रायोजना-कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा के लिये भाग लेने वाली संस्थाओं के अध्यक्षों की दूसरी बैठक जनवरी 1958 नई दिल्ली में हुई। पूर्वी और पश्चिमी सांस्कृतिक महत्वों की परस्पर गुणग्राहिता के लिए यूनेस्को की प्रमुख प्रायोजना के प्रकाश में इस प्रायोजना के भावी कार्यक्रम पर विचार किया गया चूंकि यह कार्यक्रम उसमें संकलित किया गया है।

यूनेस्को से किए गए समझौते के अधीन भारतीय राष्ट्रीय कमीशन ने पूर्वी और पश्चिमी सांस्कृतिक महत्वों की पारस्परिक गुणग्राहिता विशेषतया अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना और सहयोग की शिक्षा सम्बन्धी सम्बद्ध स्कूल प्रायोजनाओं के यूनेस्को कार्यक्रम की प्रमुख प्रायोजना को क्रियान्वित करने के लिये 1959 के शुरु में भारत में एक राष्ट्रीय सेमिनार करना स्वीकार कर लिया है।

### नवसाक्षरों के लिये पठन सामग्री की रचना सम्बन्धी यूनेस्को की प्रायोजना

भारत सरकार नवसाक्षरों के लिये उपयुक्त पठन सामग्री की रचना सम्बन्धी यूनेस्को की प्रायोजना में भाग लेती रही है। इस प्रायोजना का आरम्भ संगठन के आठवें अधिवेशन के महा सम्मेलन में पास किए गए एक संस्ताव के अनुसार हुआ। इस प्रायोजना का मुख्य उद्देश्य है नवसाक्षरों के लिये विशेष रूप से निर्दिष्ट पठन सामग्री की रचना और उनकी आयोजना में सदस्य राष्ट्रों की सहायता करना। प्रायोजना के मुख्यतः दो पहलू हैं—

- (1) नव साक्षरों के लिये पठन सामग्री; और
- (2) नयी पढ़ने वाली जनता के लिये पठन सामग्री

यूनेस्को के तत्वावधान में भारत की वर्तमान पुस्तक वितरण प्रणाली का एक विश्लेषणात्मक सर्वेक्षण हो रहा है। इस प्रायोजना के अधीन विश्व के दो गौरव ग्रन्थों और विज्ञान सम्बन्धी साहित्य की दो पुस्तकों को हिन्दी में अनुवाद कराने के लिये यूनेस्को ने भारत की प्रकाशन संस्थाओं के सम्मुख दो समझौतों का प्रस्ताव रखा है। तदनुसार विभिन्न प्रकाशन संस्थाओं के नाम यूनेस्को को भेजे गये जो उपरोक्त कार्य को हाथ में लेंगीं। संगठन ने दो प्रकाशन संस्थाओं को यह काम सौंपा है।

यूनेस्को ने नव-शिक्षित जनता के लिये सर्वोत्तम पुस्तक लिखने वाले भारतीय लेखकों को दस पुरस्कार देने का प्रस्ताव किया है। प्रत्येक पुरस्कार 480 डालर का होगा। विचार है कि भारत सरकार द्वारा इस काम के लिये निर्धारित समिति द्वारा अक्टूबर 1959 में पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ लेखकों को दिये जाएंगे।

## सेमिनार

समीक्षाधीन अवधि में नीचे लिखे दो महत्वपूर्ण यूनेस्को प्रादेशिक सेमिनार भारत में हुए ;

(1) दक्षिण-पूर्व एशिया के लिये शैक्षिक सुधार पर यूनेस्को प्रादेशिक सेमिनार ।

(2) मूल शिक्षा और सामुदायिक विकास में दृश्य-श्रव्य शिक्षा सहायक साधन सम्बन्धी यूनेस्को का प्रादेशिक सेमिनार ।

शिक्षा सम्बन्धी सुधार का प्रादेशिक सेमिनार, नई दिल्ली में 25 अगस्त से 5 सितम्बर 1958 तक हुआ । यूनेस्को के दक्षिण और पूर्व एशिया के तेरह सदस्य और सम्बद्ध सदस्य देशों के अट्टाईस प्रतिनिधियों ने सेमिनार में भाग लिया । सेमिनार का उद्देश्य इस प्रदेश में जन शिक्षा अधिकारियों में सम्पर्क स्थापित करना था ताकि वे शिक्षा की विभिन्न समस्याओं पर सूचना, अनुभव और विचारों का आदान प्रदान कर सकें ।

युद्ध के बाद के काल में जिन कारणों से शिक्षा सुधार पर दुष्प्रभाव पड़ा है और आगे भी शिक्षा सुधारों पर पड़ने की आशंका है ऐसे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और जनकक्रीय हेतुओं पर सेमिनार में सामान्य चर्चा हुई । सामान्य पाठ्यचर्चा सुधार, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा सुधार, आयोजना और क्रियान्विति की सामान्य समस्या आदि विशिष्ट समस्याओं पर ही सेमिनार में अधिक विचार किया गया और कई सिफारिशों की गईं । भारत सरकार ने सेमिनार के लिये सम्पर्क सेवाओं तथा अन्य सामान्य सुविधाओं की व्यवस्था की ।

मूल शिक्षा और सामुदायिक विकास के लिये दृश्य-श्रव्य शिक्षा सहायक साधन सम्बन्धी प्रादेशिक सेमिनार, नयी दिल्ली में 8 से 27 सितम्बर 1958 तक हुआ । दक्षिण-पूर्व एशिया के यूनेस्को के सदस्य और सम्बद्ध देशों के 22 प्रतिनिधियों ने और 6 यूनेस्को विशेषज्ञों ने सेमिनार में भाग लिया । सेमिनार का उद्देश्य मूलशिक्षा तथा सामुदायिक विकास के लिये दृश्य शिक्षा सहायक साधनों के उत्पादन और उपयोग के ज्ञान और अनुभवों के आदान-प्रदान में सुविधा देना था और साक्षरता, स्वास्थ्य और सफाई, पोषण और कृषि, कला और शिल्प तथा गृह अर्थ शास्त्र इत्यादि के विचार विनिमय में सहायता देना था । सेमिनार में दृश्य सहायक साधनों के उत्पादन और प्रयोग सम्बन्धी प्रशिक्षण की समस्याओं तथा सामग्री और अनुभव के आदान-प्रदान की उन्नति के लिये प्रादेशिक सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई । मेज़बान की हैसियत से भारत सरकार ने सभी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की ।

यूनेस्को सचिवालय द्वारा दोनों सेमिनारों की अन्तिम रिपोर्टें तैयार की जाएँगी और संस्था द्वारा प्रकाशित करने के पश्चात् वे यूनेस्को के सभी सदस्य देशों को भेजी जाएँगी ।

## विज्ञान

बंजर प्रदेशों पर वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी यूनेस्को की प्रमुख प्रायोजना

भारत यूनेस्को के बंजर भूमि अनुसंधान कार्यक्रम में विशेष दिलचस्पी लेता रहा है । भारत सरकार की प्रार्थना पर यूनेस्को ने खाद्य और कृषि मंत्रालय के प्रशासक

निर्यंत्रणाधीन जोधपुर के केन्द्रीय बंजर भूमि अनुसंधान संस्था की व्यवस्था के लिये 1958 में 15,000 डालर की आर्थिक सहायता, दो अधिछात्रवृत्तियाँ और एक विशेषज्ञ की सहायता देना स्वीकार कर लिया है। इसके अनुसार यूनेस्को से एक समझौता किया गया है जिसके अधीन जोधपुर संस्थान को आवश्यक सहायता दी जाएगी।

**उद्योगीकरण की सामाजिक रुकावटों के सम्बन्ध में दक्षिणी एशिया के लिए यूनेस्को का अनुसंधान केन्द्र**

भारत सरकार और यूनेस्को के संयुक्त उद्यम से यह अनुसंधान केन्द्र कलकत्ता में जनवरी 1956 से काम कर रहा है। केन्द्र के लिये अपना-अपना अंशदान और अन्य सुविधाएँ देने के सम्बन्ध में भारत सरकार ने यूनेस्को के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अनुसार उन्हें तीन वर्ष अर्थात् 1956 से 1958 तक प्रतिवर्ष इतनी धनराशि देनी होगी जो 35,000 डालर से (1,66,000 रुपये) से अधिक न हो। अनुसंधान केन्द्र ने ठीक रास्ते पर विकास करते हुए महत्वपूर्ण प्रगति कर ली है। यूनेस्को की प्रार्थना पर इस आर्थिक सहायता की अवधि को और दो वर्ष अर्थात् 1959-60 के लिए बढ़ा दिया गया है। मूल रूप में किए गए करार के पुनर्नवीयन के लिये प्रयास किया जा रहा है।

## संस्कृति

**पूर्वी और पश्चिमी सांस्कृतिक महत्वों की परस्पर गुणग्राहिता सम्बन्धी प्रमुख प्रायोजना**

नवम्बर-दिसम्बर 1956 में नयी दिल्ली में आयोजित यूनेस्को के महा सम्मेलन के नवें अधिवेशन में पूर्वी और पश्चिमी सांस्कृतिक महत्वों की परस्पर गुणग्राहिता के सम्बन्ध में एक दसवर्षीय प्रमुख प्रायोजना स्वीकार की गयी थी, जो जनवरी 1957 से चालू है। यह प्रायोजना मुख्यतया सदस्य देशों की संस्कृति के प्रति रुचि बढ़ाने का साधन है और इस प्रकार पूर्वी और पश्चिमी सांस्कृतिक महत्वों की परस्पर गुणग्राहिता को प्रोत्साहन देना ही इसका उद्देश्य है। भारत में इस प्रायोजना को क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व यूनेस्को के साथ सहयोग की भारतीय राष्ट्रीय कमीशन पर है। कमीशन ने इस क्षेत्र के राष्ट्रीय क्रियाकलापों के आयोजन, उन्नति और समन्वय के प्रयोजन के लिये राष्ट्रीय सलाहकार समिति स्थापित की है। समिति ने 21 जुलाई 1958 को अपनी पहली बैठक में देश में प्रायोजना को क्रियान्वित करने के लिये विशिष्ट साधन और तरीके सुझाए तथा कई सिफारिशें कीं। सिफारिशों पर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गयी है। सलाहकार समिति द्वारा किए गए निश्चयों में एक महत्वपूर्ण निश्चय भारत और अमेरिका की जनता में परस्पर सद्भावना बढ़ाने के लिए भारत यू० एस० प्रायोजना की स्वीकृति था। पूर्व पश्चिम प्रमुख योजना बनाने वालों का एक प्रमुख उद्देश्य यह था कि इस क्रियाकलाप में भाग लेने वाले सदस्य राष्ट्र जीवन और संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में अपना महत्व निर्धारित करें और ऐसे उचित द्विपक्षी कार्यक्रमों का आयोजन करें जो पूर्वी और पश्चिमी सांस्कृतिक महत्वों की परस्पर गुणग्राहिता के विकास में महत्वपूर्ण योग देने में समर्थ हों। भारत यू० एस० प्रायोजना का लक्ष्य इसी उद्देश्य की प्राप्ति है।

प्रमुख प्रायोजना में अपनी प्रगाढ़ दिलचस्पी को ध्यान में रखते हुए भारतीय राष्ट्रीय कमीशन ने क्रियान्विति के पहले प्रयास के रूप में दिसम्बर 1958 में दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ मिल कर भारतीय जीवन के परम्परागत मूल्यों पर एक सेमिनार किया।

### श्रेण्य ग्रन्थों का अनुवाद

श्रेण्य ग्रन्थों के अनुवाद की यूनेस्को की प्रायोजना में भारत 1953 से भाग ले रहा है। इस प्रायोजना का उद्देश्य पूर्व और पश्चिम के देशों में अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना की वृद्धि करना तथा उनमें संस्कृतियों का प्रसार करना है। यूनेस्को से लगभग 44 भारतीय श्रेण्य ग्रन्थों का पश्चिमी भाषाओं में अनुवाद करने के लिए सिफारिश की गयी है। छः श्रेण्य ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं और उनकी बिक्री हो रही है। अन्य कई श्रेण्य ग्रन्थों का अनुवाद आरम्भ हो चुका है और ये शीघ्र ही बिक्री के लिये प्राप्त हो सकेंगे। भारत सरकार ने इस प्रायोजना के लिये अब तक 75,000 रुपये, पाँच समान किस्तों में यूनेस्को को अंशदान के रूप में दिए हैं। यह प्रायोजना सदैव चलने वाली प्रकृति की है और इस पर बहुत अधिक धन व्यय होगा। 15,000 रुपये की छठी किस्त देने के लिये आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

### विश्वविद्यालयों में प्रादेशिक संस्कृति के अध्ययन के लिए यूनेस्को की अनुदान प्रायोजना

विश्वविद्यालयों में प्रादेशिक संस्कृति के अध्ययन की यूनेस्को योजना में भारत सरकार 1955 से भाग ले रही है। इस योजना का उद्देश्य विश्वविद्यालयों के अध्यापकों और अन्य विशेषज्ञों को उनके देखे हुए प्रदेश या देशों के सांस्कृतिक और समाजिक जीवन के सम्बन्ध में साक्षात् ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवसर देना तथा इतिहास, भाषा, साहित्य, कला, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान इत्यादि अपनी-अपनी रुचि के विशिष्ट सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में अध्ययन सम्बन्धी अनुसंधान करने के योग्य बनाना है।

1957 तक इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित दो भारतीय राष्ट्रिकों के अतिरिक्त समीक्षाधीन वर्ष में एक अन्य भारतीय राष्ट्रिक को अमेरिका, फ्रांस, तथा नीदरलैंड में वेदों के कर्मकाण्ड और प्रतीकात्मकता सम्बन्धी अध्ययन के लिए एक यूनेस्को अनुदान प्राप्त हुआ।

### पश्चिमी देशों के शिक्षा शास्त्रियों को पूर्व में अध्ययन दौरे के लिए यूनेस्को के अनुदान

पूर्व-पश्चिम प्रमुख प्रायोजना कार्यक्रम के 1957-58 के कार्यक्रम को क्रियान्वित करते हुए यूनेस्को ने समीक्षाधीन अवधि में पश्चिम और अफ्रीका के शिक्षा शास्त्रियों और अध्येतों को लगभग ग्यारह अनुदान दिए हैं ताकि अनुदान प्राप्तकर्ता पूर्व की सामाजिक, सांस्कृतिक और शिक्षा सम्बन्धी दशाओं का साक्षात् ज्ञान प्राप्त कर सकें, जिससे परस्पर सद्भावना को प्रोत्साहन मिलेगा। अनुदान प्राप्तकर्ताओं में से कुछ व्यक्ति भारत में अपना भ्रमण पूरा कर चुके हैं और कई निकट भविष्य में इस देश में आने वाले हैं।

### यूनेस्को की प्रदर्शनियाँ

कलाओं के प्रसार सम्बन्धी यूनेस्को के कार्यक्रम के भाग के रूप में यूनेस्को ने पूर्व और पश्चिम के चित्रकारों के बहत्तर चित्रों के जलरंग से पुनः चित्रित चित्रों (Water colour



reproductions of paintings) की एक प्रदर्शनी तैयार की है जिसे सदस्य देशों को उनकी कला वीथिकाओं, संग्रहालयों, शिक्षा संस्थाओं और कर्मचारी एवं युवक केन्द्रों में दिखलाने के लिए भेजा जायेगा। प्रदर्शित चित्र विशेषतया सब स्तरों के शिक्षा सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए तैयार किए गये हैं। भारतीय राष्ट्रीय कमीशन इस प्रदर्शनी को भारत में लाने के लिए यूनेस्को से पत्र-व्यवहार कर रहा है। आशा है कि यह प्रदर्शनी निकट भविष्य में हमें प्राप्त हो जाएगी।

दृश्य शिक्षा सहायक साधन सम्बन्धी यूनेस्को का चल पुस्तकालय 1956 के पिछले महीनों में भारत में प्राप्त हुआ था और नवम्बर-दिसम्बर में नयी दिल्ली में यूनेस्को महा सम्मेलन के नवें अधिवेशन में यह प्रदर्शित किया गया और तत्पश्चात् सारे देश में घुमाया गया। यूनेस्को ने दृश्य-श्रव्य शिक्षा के "राष्ट्रीय संस्थान" को यह पुस्तकालय दो वर्ष और रखने की स्वीकृति दे दी है और यह भी सुविधा दी है कि आवश्यकता पड़ने पर यह अवधि और भी बढ़ाई जा सकती है।

## अन्य क्रियाकलाप

### यूनेस्को कूपन योजना

अन्य देशों की शिक्षा संस्थाओं और व्यक्तियों से (क) पुस्तकें और प्रकाशन (ख) वैज्ञानिक सामग्री और उपस्कर और (ग) शैक्षिक और वैज्ञानिक फिल्मों के खरीदने में सुविधा देने के लिए भारत सरकार 1949 से यूनेस्को की अन्तर्राष्ट्रीय कूपन योजना में भाग ले रही है। 31 दिसम्बर 1958 तक की अवधि में 3,09,459.81 डालर के कूपन पुस्तकों के लिए, 5,26,441.06 डालर के वैज्ञानिक सामग्री के लिए और 42,203.37 डालरों के कूपन फिल्मों के लिए बेचे गए। इस अवधि में पुस्तकों के कूपन केवल सीमित संख्या में बेचे गए। विदेशी मुद्रा के अभाव के कारण वैज्ञानिक सामग्री और उपस्कर तथा फिल्मों के यूनेस्को कूपन नहीं बेचे गए।

### यूनेस्को साहित्य का अनुवाद

यूनेस्को की ग्यारह पुस्तकों के हिन्दी संस्करणों के प्रकाशन के अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय कमीशन ने यूनेस्को की आर्थिक सहायता से नाभिकीय ऊर्जा और शान्ति में इसका उपयोग" (Nuclear Energy and its uses in Peace) नाम की पुस्तक का हिन्दी अनुवाद करवा कर उसका प्रकाशन भी करवा दिया है। समीक्षाधीन अवधि में 'दि टीचिंग आफ रीडिंग एण्ड राइटिंग' (The Teaching of Reading and Writing) नामक पुस्तक का भी हिन्दी अनुवाद किया जा चुका है। दो अन्य यूनेस्को प्रकाशनों के हिन्दी अनुवाद का कार्य भी यूनेस्को की आर्थिक सहायता से आरम्भ किया जा चुका है।

### विस्तृत टेकनीकल सहायता कार्यक्रम

यूनेस्को अन्य विशिष्ट एजेंसियों की तरह राष्ट्र संघ द्वारा प्रचालित टेकनीकल सहायता के कार्यक्रम को क्रियान्वित करती रही है और समीक्षाधीन वर्ष में भी भारत सरकार ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत को अधिवृत्तियों, उपस्करों और

विशेषज्ञ की सेवा के रूप में तकनीकी सहायता प्राप्त होती रही। 1958 के अनुमोदित कार्यक्रम की राशि लगभग 6,35,000 डालर की थी, जिसका बृहत्तर अंश उद्योग विद्या के भारतीय संस्थान (Indian Institute of Technology) बम्बई के लिए निर्धारित किया गया था।

**सामान्य सहायता कार्यक्रम के अधीन टेकनीकल सहायता**

संगठन की 1957-58 की वित्त अवधि में सदस्य देशों के क्रियाकलापों में भाग लेने वाले कार्यक्रम के अन्तर्गत यूनेस्को से नीचे लिखी सहायता प्राप्त हुई :—

माध्यमिक शिक्षा की अखिल  
भारतीय परिषद्  
अहमदाबाद सांस्कृतिक केन्द्र  
राष्ट्रीय आधारभूत शिक्षा केन्द्र

विज्ञान उद्योग विद्या का एक विशेषज्ञ

54,00 डालर के मूल्य के उपस्कर  
(क) दो विशेषज्ञ :—एक अनुसंधान  
और मूल्यांकन में और दूसरा रूपवाणी  
शिक्षा में

(ख) 3,000 डालर के उपस्कर  
(क) दो विशेषज्ञ :—एक रंगमंच शिक्षा  
और नाटक निर्माण (Theatre Educa-  
tion and Production) में और  
दूसरा बाल थियेटर में

(ख) दो अधिछात्रवृत्तियाँ  
(ग) उपस्कर (Tape Recorder)

(क) 4400 डालर के मूल्य के  
उपस्कर

(ख) दो मास के लिए अधिछात्र-  
वृत्ति

एशियन थियेटर संस्थान

प्रायोगिक टेलीवीज़न प्रायोजना

### विदेशों में सम्मेलन

यूनेस्को प्रति वर्ष कई सेमिनारों और सम्मेलनों का आयोजन करता है। शिक्षा या अन्य समस्याओं सम्बन्धी ऐसे सम्मेलन और सेमिनार भाग लेने वालों को अन्य देशों के उसी क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों से लाभ दायक और अमूल्य सम्पर्क स्थापित करने का सुअवसर देते हैं और इस प्रकार वे अनुभवों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। समीक्षाधीन वर्ष में जुलाई 1958 में जिनेवा में हुए जन-शिक्षा के इक्कीसवें अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत सरकार ने भाग लिया और अक्टूबर 1958 में पेरिस में हुई राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्पर्क सेवाओं के निदेशकों की दूसरी बैठक में भी भाग लिया।

इसके अलावा सितम्बर 1958 में प्राग में हुए अन्तर-अनुशासनीय सम्मेलन में भारत सरकार ने विशेष दिलचस्पी ली। चैकोस्लेवैकिया में भारत के राजदूत ने इस सम्मेलन में भाग लिया।

4 नवम्बर से 5 दिसम्बर 1958 तक पेरिस में आयोजित यूनेस्को महासम्मेलन के हमवें अधिवेशन में भी भारत सरकार ने एक शिष्ट मंडल भेजा। सम्मेलन यूनेस्को

के नवनिर्मित स्थायी मुख्यालय में हुआ, इस भवन का उद्घाटन 3 नवम्बर 1958 को महासम्मेलन के अस्थायी सभापति, भारत के उपराष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन ने औपचारिक रूप से किया। अन्य मामलों के अतिरिक्त महासम्मेलन ने डा० लूथर एच० ईवनज, जिनकी पदावधि 5 दिसम्बर 1958 को समाप्त हुई, के स्थान पर इटली के डा० वितारिनो विरोनेस को यूनेस्को का महानिदेशक चुना।

सम्मेलन में आए भारतीय शिष्ट मंडल के सदस्य ये थे :—

#### प्रतिनिधि

1. डा० एस० राधाकृष्णन (नेता)
2. श्रीमती हंसा मेहता (उपनेता)
3. सरदार के० एम० पणिकर
4. पटियाला के महाराजा लेफि्टनेण्ट जनरल एच०एच० सर यादविन्द्र महेन्द्र बहादुर
5. डा० एस० हुसैन ज़हीर

#### वैकल्पिक प्रतिनिधि

6. श्री जी० सी० चैटर्जी
7. श्री नरला वैकटेश्वर राव, एम० पी०
8. श्री पी० एच० पटवर्धन
9. श्री अजीम हुसैन
10. प्रो० एम० एस० सुन्दरम्

#### सलाहकार और जन-सम्पर्क अफसर

11. श्री पी० जी० पेण्डसे

#### महासचिव

12. डा० एस० एम० एस० चारी

भारत सरकार ने यूनेस्को द्वारा संयोजित विभिन्न विशेषज्ञ समितियों की बैठकों में भी भाग लिया जैसे 26 अगस्त से 6 सितम्बर 1958 को अन्तर्राष्ट्रीय बाल अध्ययन संस्थान (International Institute for Child Study) बंकाक में हुई बाल मनो-विज्ञान सम्बन्धी प्रति-सांस्कृतिक अनुसंधान पर आयोजित विशेषज्ञों की बैठक।

यूनेस्को अनुसंधान केन्द्र, कलकत्ता, को प्राप्त अंशदान के अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय कमीशन के विभिन्न क्रिया-कलापों के लिए 1958-59 के बजट में 2,44,000 रु० की व्यवस्था की गई है। 1959-60 के बजट में 4,70,000 रुपये की व्यवस्था करने का विचार है।

#### यूनेस्को को अंशदान

यूनेस्को का सदस्य होने के नाते भारत सरकार को महासम्मेलन द्वारा समय समय पर निर्धारित वार्षिक अंशदान देना होता है। 1958-59 की 14 लाख रुपये की वज्रट व्यवस्था में से 13,96,721 रुपये भारत सरकार के 1958 के अंशदान के रूप में यूनेस्को को दिए जा चुके हैं। इस प्रयोजन के लिए 1959-60 की वज्रट व्यवस्था में 15 लाख रुपये की राशि देने का प्रस्ताव है।

# सूचना और प्रकाशन

## केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय

### बजट

चालू वित्त वर्ष में पुस्तकालय के लिए कुल 1,66,000 रुपये की बजट व्यवस्था थी। इस राशि में से 1,41,000 रुपये पुस्तकों, पत्रिकाएँ और अन्य प्रकाशन ख़रीदने के लिए निर्धारित थे और 25,000 रुपये जिल्द बाँधने और साज् सामान के लिए थे।

### प्राप्ति

पुस्तकालय में 3,333 पुस्तकों, 11,247 सरकारी प्रलेखों और 250 पुस्तिकाओं की वृद्धि हुई। 252 पत्रिकाएँ और 12 समाचार पत्र मँगाए गए और 153 पत्रिकाएँ बिना मूल्य प्राप्त हुईं। संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार के साथ सरकारी प्रकाशन विनिमय करार के अधीन इस वर्ष लगभग 8,000 संयुक्त राज्य सरकारी प्रलेख प्राप्त हुए। रूसी और चीनी भाषा की लगभग 150 पुस्तकें पुस्तकालय में उपहार रूप से प्राप्त हुईं। इस वर्ष कई पुरानी पत्रिकाओं के बहुत से पुराने अंक भारतीय और विदेशी पत्रिकाओं की फ़ाइलों को पूरा करने के लिए मँगाए गए।

### संदर्भ और पुस्तकें देने की व्यवस्था

इस वर्ष पुस्तकालय में संदर्भ कार्य विशेष रूप से बढ़ गया है। लगभग 10,000 संदर्भ प्रश्न पूछे गए, जिनमें अनुसंधान सम्बन्धी संदर्भ प्रश्न और शीघ्र उत्तर दिए जाने वाले प्रश्न सम्मिलित थे। पुस्तकालय में भारत सरकार के लगभग सभी मंत्रालयों से प्रश्न आये और शिक्षा संस्थाओं तथा नयी दिल्ली में विदेशी सरकारों की एजेंसियों से भी बहुत से प्रश्न प्राप्त हुए। प्राचीन और दुर्लभ पुस्तकों, रिपोर्टों और भारत सरकार के अन्य प्रकाशनों को पुस्तकालय में पढ़ने के लिए नगर की शिक्षा और अन्य संस्थाओं के तथा कई बार दिल्ली से बाहर से आने वाले अनुसंधान कर्ताओं की संख्या भी तेज़ी से बढ़ती रही।

इस समय रजिस्टर्ड सदस्यों की संख्या 14,887 है। इस प्रकार पिछले वर्ष से 2,918 सदस्यों की वृद्धि हुई। कुल 97,080 पुस्तकें और अन्य प्रकाशन पढ़ने के लिए दिए गए। लगभग 500 व्यक्ति प्रति दिन पत्रिकाएँ, समाचार पत्र तथा संदर्भ पुस्तकें पढ़ने आते हैं।

### अन्य क्रियाकलाप

बहुत बड़ी संख्या में पुस्तकों को पुनर्वर्गीकृत किया गया और उनकी फिर से सूची बनाई गई। इस वर्ष 7,500 पुस्तकों की जिल्दें बँधवाई गयीं, इसमें पुरानी दुर्लभ और अप्राप्य पत्रिकाएँ थीं। पुस्तकों की वृद्धि की मासिक सूची नियमित रूप से निकलती है।

1958 के अक्टूबर मास में यह निश्चय किया गया कि केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय और केन्द्रीय शिक्षा पुस्तकालय का एकीकरण कर दिया जाए। इसके अनुसार शैक्षिक, प्रौढ़ साहित्य और बाल पुस्तकालय जैसे पृथक् एकांशों को एक ही नियंत्रण में लाने के लिए कई कदम उठाए जा चुके हैं। दोनों पुस्तकालयों में पहले पृथक् पृथक् किए जाने वाले कार्यों को अब केन्द्रित कर दिया गया है। परिणाम स्वरूप पहले से कम कर्मचारियों से काम चल रहा है और साथ ही अभ्यास में सुगठितता आ गई है। इस प्रकार बचे हुए कर्मचारियों का पुस्तकालय की संदर्भ सेवाओं के सुधार, सभी पुस्तकालय के पुस्तक भंडार के शीघ्र सत्यापन और सूचीकरण तथा वर्गीकरण में एकात्मकता लाने के कार्यों में उपयोग किया जा रहा है। एकीकरण प्रक्रिया हाल ही में अक्टूबर 1958 में शुरू हुई है, इसलिए केन्द्रीय शिक्षा पुस्तकालय के इस वर्ष के कार्यों की पृथक् रिपोर्ट दी जा रही है। 1959-60 के कार्यक्रम में सभी एकांशों का एकीकरण कार्य सम्मिलित है।

### 1959-60 का कार्यक्रम

- (1) सम्पूर्ण एकीकृत पुस्तकालय के पुस्तक भंडार का सत्यापन कार्य पूरा करना।
- (2) संगृहीत पुस्तकों का पुनर्वर्गीकरण और नए सूचीपत्र बनाने के कार्य को पूर्ण करना।
- (3) भारतीय विश्वविद्यालयों को अर्पित शिक्षा सम्बन्धी सभी थोसिसों की सम्पूर्ण तालिका निकालना।
- (4) भारतीय शिक्षा संस्थाओं की तथा अन्य पत्रिकाओं में प्रकाशित शिक्षा सम्बन्धी लेखों की मासिक तालिका बनाना।
- (5) बाल साहित्य सम्बन्धी हिन्दी की आधुनिक पुस्तकों की ग्रंथ सूची को पूरा करना।
- (6) भारतीय शिक्षा समस्याओं सम्बन्धी विदेशी शिक्षा पत्रिकाओं के लेखों के उद्धरणों को सम्मिलित करके भारतीय शिक्षा सारांशों के क्षेत्र को विस्तृत करना।
- (7) भारतीय शिक्षा सम्बन्धी आधुनिक समस्याओं पर ग्रन्थ सूचियाँ प्रकाशित करना।
- (8) समस्त भारतीय भाषाओं की उपयुक्त पुस्तकों को बाल पुस्तकालय के लिए प्राप्त करना और दिल्ली में रहने वाले भारत सरकार के सभी कर्मचारियों के बच्चों को पढ़ने और पुस्तकें लेने सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करना।

### केन्द्रीय शिक्षा पुस्तकालय

#### बजट

इस वर्ष के लिए कुल 95,000 रुपये की बजट व्यवस्था थी। इस राशि में से 80,000 रुपये पुस्तकें, पत्रिकाएँ और अन्य प्रकाशन खरीदने के लिए थे और 15,000 रुपये जिल्द बाँधने और साज सामान के लिए थे।

## प्राप्ति

पुस्तकालय में 6,641 पुस्तकें और 1,225 पुस्तिकाएँ बढ़ीं। 100 पत्रिकाएँ मँगवाई गईं और 220 पत्रिकाएँ भारतीय शिक्षा सारांश (Indian Education Abstracts) तथा शिक्षा त्रै मासिकी (The Education Quarterly) के बदले में प्राप्त हुईं।

## संदर्भ और पुस्तकें देने की व्यवस्था

पुस्तकालय ने 3,000 प्रश्नों के उत्तर देने के अतिरिक्त लगभग 100 ग्रंथ सूचियों और संदर्भ सूचियों का संकलन किया।

150 नये सदस्य शिक्षा पुस्तकालय में दर्ज हुए और 1331 नये सदस्य प्रौढ़ पुस्तकालय में दर्ज हुए। वर्ष में 6,023 पुस्तकें शिक्षा पुस्तकालय से तथा 94,464 पुस्तकें प्रौढ़ साहित्य अनुभाग से पढ़ने के लिए दी गयीं।

## अन्य क्रियाकलाप

भारतीय शिक्षा मारांश और समसामयिक शिक्षा साहित्य की टिप्पणियाँ (Current Education Literature Notes) नियमित रूप से निकलती रहीं। पुस्तकालय ने अपने भारत में शिक्षा अनुसंधान के रजिस्टर में भी प्रशंसनीय वृद्धि की है और समसामयिक शिक्षा साहित्य टिप्पणी में शिक्षा के छः भिन्न विषयों के प्रत्येक विषय की कई थीसिसों के सारांश प्रकाशित किए।

बाल अनुभाग ने नीचे लिखी प्रदर्शनियों में भाग लिया :—

1. समाज शिक्षा निदेशालय, राजस्थान सरकार, जयपुर, द्वारा संगठित जोधपुर साहित्य कार्यालय (Workshop) संस्था।
2. बाल पुस्तक न्यास, नयी दिल्ली, द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक प्रदर्शनी।

नीचे लिखी संस्थाओं को पुस्तकों के एकमुश्त ऋण दिए गए

1. राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा संस्थान (National Institute of Basic Education)
2. केन्द्रीय शिक्षा संस्थान (Central Institute of Education) हिन्दी की बाल पुस्तकों के मूल्यांकन करने के कार्यक्रम के अन्तर्गत हिन्दी की 150 किशोरों के लिए पुस्तकों का मूल्यांकन किया गया और उनकी सूची समसामयिक शिक्षा साहित्य टिप्पणी में प्रकाशित की गयी।

## शिक्षा सम्बन्धी सूचना

इस वर्ष भारत की शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में जनता द्वारा 1150 से अधिक प्रश्न पूछे गए और विभाग ने उनके उत्तर दिए। प्रश्न पूछने वालों में छात्र, अध्यापक, माता-पिता, शिक्षा संस्थाएँ, सरकारी निकाय, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएँ और विदेशी सरकारें भी सम्मिलित थीं।

भारत और दूसरे देशों में शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं के बारे में पूछताछ करने के लिए लगभग 2588 व्यक्ति सूचना अनुभाग पुस्तकालय में आए।

कुछ आवश्यक मद नीचे दिए जाते हैं जिनपर सूचना संकलित की गयी :—

1. पत्रकारिता, पुस्तकालय विज्ञान, समाज कार्य और श्रमिक सुधार, समाज विज्ञान और मनोविज्ञान, निजी अन्तर्राष्ट्रीय विधि, (Private International Law) व्यवस्थापन अध्ययन, (Management Studies) सांख्यिकी, पशु चिकित्सा विज्ञान, औषधि-विज्ञान और प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और भारत में पुरातत्व विज्ञान के उत्तर ग्रेजुएट पाठ्यक्रम के अध्ययन की सुविधाएँ।
2. सिविल, विद्युत, यांत्रिक, मेटलर्जिकल, रासायनिक, मोटर, सामुद्री टैंक्सटाइल और दूर-संचार इंजीनियरी इत्यादि में अध्ययन की भारत में सुविधाएँ।
3. उपचर्या पाठ्यक्रम के डिग्री स्नातकोत्तर सर्टिफिकेट-उत्तर और धात्री तथा स्वास्थ्य निरीक्षक के समेकित पाठ्यक्रम और सहायक नर्स दाई (धात्री) पाठ्यक्रम के अध्ययन की भारत में सुविधाएँ।
4. वनस्पति विज्ञान, वनकीट विज्ञान और छोटी लकड़ी तथा बन विज्ञान के तकनीकी और विस्तार पाठ्यक्रमों की सुविधाएँ।
5. प्राइवेट विद्यार्थी की हैसियत से भारतीय विश्वविद्यालयों की विभिन्न परीक्षाओं में बैठने की सुविधाएँ।
6. विदेशों में पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता देने वाली शिक्षा न्यासों की सूची।
7. यू० के० और यू० एस० ए० में शीशा औद्योगिकी, जापान में कागज औद्योगिकी, यू० एस० ए० और पश्चिम जर्मनी में वर्णक्रम विज्ञान, आस्ट्रेलिया में प्रशीतन और वातानुकूलन तथा मोटर इंजीनियरी और केनेडा में इंजीनियरी पाठ्यक्रमों में अध्ययन की सुविधाएँ।
8. यू० के० में लेखा विधि, लागत लेखा विधि, प्रबन्ध अध्ययन, जीवनांकी और कार्मिक प्रबन्ध के प्रशिक्षण अध्ययन की सुविधाएँ, यू० के० और यू० एस० ए० में पब्लिक (जन) और वाणिज्य प्रशासन, केनेडा में शारीरिक शिक्षा, वाणिज्य प्रशासन, वाणिज्य और विक्रय प्रबन्ध सम्बन्धी अध्ययन सुविधाएँ।
9. आस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, यू० के० और यू० एस० ए० में होटल व्यवस्था और केटरिंग के पाठ्यक्रम।
10. यू० के०, यू० एस० ए० और आस्ट्रेलिया में तम्बाकू सम्बन्धी अनुसंधान की सुविधाएँ।

नीचे लिखे विषयों पर संग्रह, संकलन और पुनरीक्षण सम्बन्धी कार्य हुआ है :—

- (1) (क) मिडिल, मैट्रिक और इन्टरमीडिएट परीक्षाओं में प्राइवेट विद्यार्थी की हैसियत से (ख) किसी अन्य विश्वविद्यालय की एम० ए० डिग्री प्राप्त विद्यार्थी को उसी विषय की किसी परीक्षा में बैठने की आज्ञा सम्बन्धी व्यवस्था यदि भारत में कहीं है ।
- (2) भारतीय विश्वविद्यालयों में विदेशी भाषाएँ सिखाने की सुविधाएँ ।
- (3) भारतीय विश्वविद्यालयों और सम्बद्ध कालेजों में एक सप्ताह से अधिक समय की छुट्टियाँ और अन्तरावकाश ।
- (4) अध्यापकों की व्यावसायिक संस्थाओं सम्बन्धी सूचना का संग्रह और भारतीय विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरो (आचार्यों) की सूची ।
- (5) मानव प्रेमी संस्थाएँ जो विद्यार्थियों को भारत और विदेश में अध्ययन के लिए धन देती हैं ।
- (6) भारतीय विश्वविद्यालयों में कालेज-स्तर की अध्यापक प्रशिक्षण सम्बन्धी तथा भारत में कृषि की सुविधाएँ ।
- (7) भारतीय विश्वविद्यालयों में हिन्दी और अन्य प्रादेशिक भाषाएँ शिक्षा माध्यम के रूप में ।
- (8) विदेशों में जाने वाले भारतीय विद्यार्थियों के लिए सामान्य सूचना ।
- (9) यू० के०, यू० एस० ए० और आस्ट्रेलिया में विमान इंजीनियरी, मोटर इंजीनियरी पढ़ाने की सुविधायें ।
- (10) यू० एस० ए०, पश्चिम जर्मनी और कनेडा में समुद्री जहाज़ निर्माण के उच्च अध्ययन की सुविधाएँ ।
- (11) भारतीय विश्वविद्यालयों के बी० बी० साइंस डिग्री वाले विद्यार्थियों को यू० के०, यू० एस० ए०, कनेडा, आस्ट्रेलिया और जर्मनी में एम० बी०, बी एस० या एम० डी० पाठ्यक्रमों के संक्षिप्त पाठ्यक्रम ।
- (12) बैल्जियम में शीशा औद्योगिकी और जापान में रेशम औद्योगिकी के अध्ययन की सुविधाएँ ।

### शिक्षा सम्बन्धी प्रकाशन

मंत्रालय का प्रकाशन अनुभाग "शिक्षा त्रैमासिकी" और "युवक" दो त्रैमासिक पत्रिकाओं के अतिरिक्त शिक्षा सम्बन्धी क्रियाकलापों की क्रिया-विधि, रिपोर्ट और शिक्षा विषय पर ब्रोशर, पुस्तिकाएँ और हस्त पुस्तकें भी प्रकाशित करता है ।

"युवक" (Youth) के प्रकाशन की योजना द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना में समाविष्ट है और 1958-59 के लिए बजट में इस पत्रिका के कागज़ और मुद्रण के मूल्यों के अतिरिक्त



खर्चों को पूरा करने के लिए 3000 रुपयों की व्यवस्था है। चालू वित्त वर्ष के बजट में “शिक्षा त्रैमासिकी और अन्य प्रकाशनों के कागज़ और मुद्रण के खर्च को छोड़कर अन्य व्ययों को पूरा करने के लिए 10,000 रुपये की व्यवस्था है। 1959-60 के लिए भी इसी व्यवस्था की आवृत्ति की गयी है।

मार्च, जून, सितम्बर और दिसम्बर में प्रकाशित होने वाली “शिक्षा त्रैमासिकी” मंत्रालय की सबसे अधिक महत्वपूर्ण पत्रिका, प्रकाशन के ग्यारहवें वर्ष में प्रविष्ट हुई है। 58 मार्च का अंक जो “विश्वविद्यालय सुधार” का विशेषांक था उसे स्वर्गीय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की स्मृति में श्रद्धांजलि के रूप में प्रकाशित किया गया। 1958 जून और सितम्बर के अंक क्रमशः “परीक्षा” और “भाषाशिक्षण” से सम्बन्धित थे और दिसम्बर का अंक “स्कूल सुधार” विषय का था।

युवक हित, शारीरिक शिक्षा, खेल कूद इत्यादि से सम्बन्धित “युवक” पत्रिका सितम्बर 1958 में प्रकाशन के द्वितीय वर्ष में प्रविष्ट हुई है और इसकी लोक-प्रियता देश के युवक छात्रों में विशेषकर बढ़ गयी है। इसका दिसम्बर 1958 का अंक समारोह विशेषांक था जिसमें अक्टूबर-नवम्बर 1958 में नई दिल्ली में हुए पाँचवें अन्तर्विश्वविद्यालय युवक समारोह सम्बन्धी लेख था।

जनवरी-मार्च 1958 की अवधि में निम्नलिखित प्रकाशन निकाले गये :—

- (1) माध्यमिक शिक्षा कमीशन की रिपोर्ट-चतुर्थ संस्करण
- (2) भारत में पाठ्य पुस्तक चयन क्रियाविधि
- (3) प्रकाशनों की तालिका (Catalogue)
- (4) द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना की शिक्षा योजनाओं के अन्तर्गत व्यय के सूचक पत्र (proforma)
- (5) यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय कमीशन के कार्य और कार्यक्रम की रिपोर्ट
- (6) हिन्दी का प्रसार और विकास-एक समीक्षा (1956-57)
- (7) श्रम और समाज सेवा योजनाएँ-1954-56
- (8) 1957-58 सारांश - अंग्रेजी
- (9) वार्षिक रिपोर्ट 1957-58-अंग्रेजी
- (10) टेकनीकल शिक्षा की अखिल भारतीय परिषद् की दसवीं बैठक की कार्यवाही
- (11) आधुनिक हिन्दी का मूल व्याकरण

- (12) अनुशासन सम्बन्धी पत्र (Letters on Discipline) पुनर्मुद्रण
- (13) युवक- मार्च, 1958
- (14) सारांश - 1957-58 हिन्दी
- (15) मानव विद्या के सलाहकार बोर्ड की पहली बैठक में श्री के० एल० श्रीमाली का उद्घाटन भाषण ।
- (16) भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख कमीशन के 33 वें अधिवेशन में श्री के० एल० श्रीमाली का सभापति पद से भाषण
- (17) हिन्दी के पारिभाषिक शब्दों की अनन्तिम सूची-प्राणी विज्ञान
- (18) हिन्दी के पारिभाषिक शब्दों की अनन्तिम सूची—शिक्षा मनोविज्ञान ।
- (19) हिन्दी के पारिभाषिक शब्दों की अनन्तिम सूची—विधि मनोविज्ञान
- (20) हिन्दी और दूसरी भारतीय भाषाओं के सामान्य शब्दों की सूची—हिन्दी-तेलुगु
- (21) हिन्दी पारिभाषिक शब्दों की सूची—डाक और तार

अप्रैल-दिसम्बर 1958 में प्रकाशित पुस्तकें:—

- (1) शिक्षा त्रैमासिकी—मार्च 1958
- (2) भारतीय शिक्षा पर विचार—ए० चक्रवर्ती
- (3) "सौ वर्ष" के० जी० सैयदैन का लारेंस स्कूल, लवडेल के शताब्दी समारोह पर स्मरणीय भाषण
- (4) उच्च शिक्षा की ग्रामीण संस्थाएँ
- (5) राज्य शिक्षा-मन्त्री सम्मेलन
- (6) बुनियादी स्कूलों के अध्यापकों के लिए हस्तपुस्तक-अंग्रेजी, पुनर्मुद्रण
- (7) वार्षिक रिपोर्ट 1957-58 हिन्दी
- (8) विश्वविद्यालयों और कालिजों में गृह विज्ञान
- (9) रोमन लिप्यन्तरण की प्रामाणिक पद्धति
- (10) शिक्षा की समीक्षा—1957-58
- (11) शिक्षा त्रैमासिकी—जून 1958
- (12) युवक (यूथ) जून 1958
- (13) सब के लिए स्कूल
- (14) हिन्दी का प्रचार और विकास-एक समीक्षा 1956-57 (हिन्दी)

- (15) मूल हिन्दी शब्दावली—500 शब्द
- (16) मूल हिन्दी शब्दावली—2000 शब्द
- (17) तीन साला डिग्री पाठ्यक्रम प्राक्कलन समिति की रिपोर्टें
- (18) ग्रामीण उच्च शिक्षा वार्षिक
- (19) पहली पंचवर्षीय आयोजना में भारत में बुनियादी शिक्षा
- (20) शिक्षा के केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड (1938-47) द्वारा नियुक्त समितियों की रिपोर्टें
- (21) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय जाँच समिति की रिपोर्टें
- (22) भोपाल में राष्ट्र भाषा प्रचार समिति के आठवें सम्मेलन में श्री के० एल० श्रीमाली का सभापति-भाषण ।
- (23) भारतीय विश्वविद्यालय प्रशासन
- (24) हिन्दी टाइपराइटर और टेलीप्रिन्टर समिति की रिपोर्टें भाग I
- (25) युवक (यूथ) सितम्बर, 1958
- (26) शिक्षा त्रैमासिकी, सितम्बर, 1958
- (27) शिक्षा पर विचार-महात्मा गाँधी
- (28) प्रारम्भिक शिक्षा की अखिल भारतीय परिषद् की रिपोर्टें
- (29) युवक—(यूथ) विज्ञापन फोल्डर
- (30) भारत 1958 प्रदर्शनी-अंग्रेजी फोल्डर
- (31) भारत 1958 प्रदर्शनी—हिन्दी फोल्डर
- (32) बुनियादी शिक्षा का द्वितीय राष्ट्रीय सेमिनार
- (33) संस्कृत कमीशन की रिपोर्टें
- (34) शिक्षा के केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की पन्चीसवीं बैठक की कार्यवाही
- (35) बुनियादी शिक्षा का सेमिनार (हिन्दी)
- (36) हिन्दी और दूसरी भारतीय भाषाओं की सामान्य शब्दों की द्विभाषी सूची-हिन्दी-गुजराती
- (37) हिन्दी और दूसरी भारतीय भाषाओं की सामान्य शब्दों की द्विभाषी सूची-हिन्दी-उड़िया
- (38) हिन्दी के पारिभाषिक शब्दों की अनन्तिम सूची-इतिहास (पूर्व-इतिहास)
- (39) हिन्दी के पारिभाषिक शब्दों की अनन्तिम सूची-अर्थशास्त्र (सामान्य बैंकिंग)

- (40) हिन्दी के पारिभाषिक शब्दों की अनन्तिम सूची—गणित IV (चलन कलन)
- (41) हिन्दी के पारिभाषिक शब्दों की अनन्तिम सूची-रक्षा VII
- (42) हिन्दी के पारिभाषिक शब्दों की सूची-सामान्य प्रशासन (पद संज्ञाएँ)
- (43) हिन्दी के पारिभाषिक शब्दों की सूची-परिवहन (पर्यटन)
- (44) हिन्दी के पारिभाषिक शब्दों की सूची-प्राणिविज्ञान
- (45) भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख कमीशन, त्रिवेन्द्रम के 34 वें सम्मेलन पर श्री० के० एल० श्रीमाली का सभापति-भाषण
- (46) युवक (यूथ) दिसम्बर, 1958
- (47) शिक्षा त्रैमासिकी, दिसम्बर, 1958

समीक्षाधीन अवधि में मंत्रालय के प्रकाशन प्रदर्शनार्थ 'भारत 1958 प्रदर्शनी' नई दिल्ली में रखे गये और विभिन्न बैठकों, सम्मेलनों, सेमिनारों इत्यादि में भी प्रदर्शित किए गये। इनमें कुछ महत्वपूर्ण स्थान ये हैं :—

- (1) यूनेस्को के लिए भारतीय राष्ट्रीय कमीशन के तीसरे सम्मेलन के अवसर पर फ़रवरी 1958 में विज्ञान भवन, नई दिल्ली में।
- (2) फ़रवरी 1958 को संसद भवन, नई दिल्ली में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की पच्चीसवीं बैठक में।
- (3) पठन सम्बन्धी राष्ट्रीय सेमिनार, मई 1958 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में।
- (4) अगस्त-सितम्बर 1958 में विज्ञान भवन नई दिल्ली में हुए "दक्षिण पूर्व एशिया में शैक्षिक सुधार सम्बन्धी यूनेस्को के प्रादेशिक सेमिनार में।
- (5) सितम्बर 1958 को आधारभूत शिक्षा सामुदायिक विकास के दृश्य शिक्षा सहायक साधनों के यूनेस्को के प्रादेशिक सेमिनार, नई दिल्ली में।

जनवरी-दिसम्बर 1958 के बीच की अवधि में मंत्रालय के अनियमित विक्रय डिपो में 8370 प्रकाशन बिके और कुल 8807 रुपये और 11 नए पैसे प्राप्त हुए।

## शिक्षा सम्बन्धी आँकड़े

### आँकड़े एकत्रित करना

नियमित और तदर्थ सांख्यिकी प्रकाशनों के लिए शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के आँकड़ों का वार्षिक संग्रह समीक्षाधीन अवधि में होता रहा। आँकड़ों को एकत्र करने के काम को

तेज़ करने के लिए तथा 1955-56 और 1956-57 वर्षों का सही दत्त प्राप्त करने के लिए दस राज्यों और दस विश्वविद्यालयों में कर्मचारी भेजे गए ताकि वे शिक्षा सम्बन्धी आँकड़ों की असंगतियों को दूर करने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों की सहायता करें।

### नौकरी के दौरान में शिक्षा सांख्यिकी के अल्पकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

राज्यों और विश्वविद्यालयों से शिक्षा सम्बन्धी जो आँकड़े प्राप्त होते हैं उनको अधिक विश्वसनीय और सामयिक बनाने के लिए राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों के लाभ के लिए क्रमशः सातवाँ और आठवाँ नौकरी के दौरान में शिक्षा सांख्यिकी के अल्पकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया। सातवाँ पाठ्यक्रम सात अप्रैल 1958 से प्रारम्भ हो कर पाँच सप्ताह तक चला जबकि आठवें पाठ्यक्रम की अवधि चार सप्ताह की थी। इन पाठ्यक्रमों में बारह राज्यों और तेईस विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों को भेजा गया। विश्वविद्यालयों के लिए नौकरी के दौरान में शिक्षा सांख्यिकी के अल्पकालीन नवें प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन अप्रैल-मई 1959 में करने का विचार है।

पब्लिक अनुदान शिक्षा के निदेशकों की 9 नवम्बर 1953 की अनौपचारिक बैठक में यह सिफ़ारिश की गयी कि भारत सरकार राज्य सरकारों को नौकरी के दौरान में सांख्यिकी शिक्षा के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन करने में सहायता दे। तदनुसार जम्मू और काश्मीर राज्य तथा आगरा, बिहार और दिल्ली विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम प्रचलित करने के लिए अधिकारियों को भेजा गया।

### भारत 1958 प्रदर्शनी

शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों, जैसे प्राथमिक, बुनियादी, माध्यमिक, विश्वविद्यालयी, टैकनीकल आदि में की गयी प्रगति को दिखलाने वाले 22 चार्ट बनाए गए और भारत 1958 प्रदर्शनी में प्रदर्शित किए गए।

### आँकड़ों के सम्बन्ध में पूछताछ

मंत्रालय का सांख्यिकी अनुभाग, पहले वर्षों की भाँति शिक्षा के आँकड़ों की सूचना देता रहा है। आयोजना कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन, राज्य सरकारों, विदेशी सरकारों, संसद, विभिन्न राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों तथा साधारण जनता को विविध विषयों की सूचना दी गयी। इस वर्ष आँकड़ों के सम्बन्ध में कुल 209 प्रश्न पूछे गए और विभाग ने उनका उत्तर दिया।

### सांख्यिकी प्रकाशन

1958 में नीचे लिखे प्रकाशन निकाले गए :—

- (1) भारत में शिक्षा 1955-56 खण्ड I
- (2) भारत में शिक्षा 1955-56 खण्ड II
- (3) पुनर्गठित राज्यों में शिक्षा 1955-56 सांख्यिकी सर्वेक्षण
- (4) उच्च शिक्षा संस्थाओं की निदेशिका, 1958

जनवरी—मार्च 1959 में नीचे लिखे प्रकाशन निकालने का विचार है :—

- (1) भारत में किशोर अपराधियों में मन्दित बालकों की रिपोर्ट 1955
- (2) राज्यों में शिक्षा—1955-57
- (3) विश्वविद्यालयों के आंकड़े—1956-57
- (4) भारत के विश्वविद्यालयों में शिक्षा 1954-56

आशा है कि अगले वर्ष नीचे लिखे प्रकाशन किए जाएँगे।

- (1) भारत में शिक्षा 1956-57 दो खण्ड
- (2) राज्यों में शिक्षा-सांख्यिकी सर्वेक्षण, 1957-58
- (3) भारत में शिक्षा, 1957-58 दो खण्ड
- (4) भारत के विश्वविद्यालयों में शिक्षा, 1956-57
- (5) भारत के विश्वविद्यालयों में शिक्षा, 1957-58
- (6) विश्वविद्यालयों के आंकड़े, 1957-58
- (7) उच्च शिक्षा की संस्थाओं की निर्देशिका, 1959
- (8) भारत में शिक्षा
- (9) भारत में शिक्षा की प्रगति, 1947-57 दस वार्षिक समीक्षा
- (10) भारत के पुस्तकालय, 1957

# भारत का राष्ट्रीय अभिलेख भवन

## बजट

1958-59 के वर्ष में इस विभाग और इसके प्रादेशिक कार्यालय भोपाल के लिए 14,86,000 रुपये की व्यवस्था की गई है। 1957-58 में 14,16,000 रुपये की व्यवस्था थी। 1959-60 के बजट अनुमान में 14,93,000 रुपये (आयोजना और आयोजना से इतर मद) की व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया गया है।

धन की किरायात के लिए कुछ पदों पर कर्मचारियों की नियुक्तियां नहीं की गईं और अन्य कई पद लौटा दिये गये हैं।

## प्राप्ति

इस वर्ष संरक्षण के लिए निम्नलिखित अभिलेख प्राप्त हुए :—सचिवालय से 862 फाइलें और छः जिल्दें, राजस्व संग्रहकर्ता (Collector of Customs) बड़ौदा की 137 फाइलें (1839-1932), विभिन्न राज्यों सम्बन्धी 160 प्रमाणीकृत बिल, इण्डिया हाउस लन्दन से रेलवे अभिलेखों (1848-1923) की 119 जिल्दें, महात्मागान्धी के 33 स्वाकित पत्र, मौलाना अबुल कलाम आजाद की आत्मकथा के दूसरे भाग की मूल टाइप लिपि और वित्त मंत्रालय से प्राप्त एलफ़िन्स्टन के विवरण की समकालीन हस्तलिपि जिसमें पेशवाओं के भूमि बन्दोबस्त का वर्णन है तथा 1796-1800 की अर्बि के आर्थिक मामलों सम्बन्धी दस पुराने प्रलेख।

विदेशों से अभिलेखों और ऐतिहासिक पाण्डुलिपियों की माइक्रो-प्रतिलिपियां मँगाने के कार्यक्रम की क्रियान्विति में मुद्रा-विनिमय की कठिनाइयों ने निरन्तर रुकावट डाली है। इस वर्ष प्राप्त हुए अभिलेखों में 17 वीं और 18 वीं शताब्दी के भारतीय इतिहास के कुछ पहलुओं से सम्बन्धित फ़ॉच प्रलेखों की माइक्रो प्रतियों की एक रील है जो बिबलीओथिक नेशनल पेरिस से प्राप्त हुई है। माइक्रो प्रतियों की एक रील न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी से प्राप्त हुई है जिसमें स्वर्गीय लाला लाजपतराय के कार्य और जीवन का चित्रण है। 142 फ़ारसी प्रलेख और पाण्डुलिपि निजी अधिकारियों से प्राप्त हुई हैं।

## प्राप्तियों की जाँच करना और विन्यास करना

नये प्राप्त अभिलेखों की जाँच करने तथा उनके विन्यास करने के कार्य में प्रगति हुई लगभग 52,000 फाइलों की जाँच करके उन्हें उपयुक्त सीरीज़ के साथ संकलित किया गया है। डेवी वर्गीकरण पद्धति के अनुसार मुद्रित मान चित्रों का विन्यास करना जारी रहा।

### अनुसंधान की सुविधाएँ

इस विभाग में प्राप्त अभिलेखों और प्रकाशित सामग्री का 122 अनुसंधानकर्ताओं ने उपयोग किया। अनुसंधानकर्ताओं को उनके प्रयोग के लिए 11045 उद्धरण पृष्ठ दिए गए। अनुसंधानकर्ताओं विशेषतः जो दफ्तर के समय में इस विभाग में नहीं आ सकते, काम करने की सुविधा के लिए सप्ताह दिनों में अनुसंधान कक्ष प्रातः 9 से सायं 8 तथा रविवारों को प्रातः 10 से सायं 5 बजे तक खुला रखा जाता रहा।

### अधिछात्रवृत्ति योजना

भारतीय राष्ट्रीय अभिलेख अनुसंधान अधिछात्रवृत्ति योजना का पुनरीक्षण किया गया और अधिछात्रवृत्ति का स्केल 150 रु० प्रतिमास से बढ़ाकर 200 रु० प्रति मास कर दिया गया। अखिल भारतीय प्रतियोगिता के आधार पर विश्वविद्यालयों से अधिछात्र निर्वाचित किए जाएँगे। अधिछात्र वृत्तियों की संख्या भी बढ़ाकर प्रतिवर्ष पाँच कर दी गई है।

### अभिलेख विज्ञान का प्रशिक्षण

सोलह विद्यार्थियों को तीन महीने के पाठ्यक्रम में और डिप्लोमा पाठ्यक्रम के 6 विद्यार्थियों को अभिलेखालय के परिरक्षण का प्रशिक्षण दिया गया। डिप्लोमा पाठ्यक्रम के दो प्रशिक्षणार्थियों को लिखित परीक्षण के आधार पर 125 रु० प्रति मास की दो छात्रवृत्तियाँ दी गईं।

प्रशिक्षण स्तर की उन्नति के लिए कोर्सों के पाठ्य विवरणों को संशोधित किया गया, यूरोप और अमेरिका के अभिलेखालय इतिहास पर व्याख्यान दिलाने का प्रबन्ध किया गया और विभिन्न अभिलेख-विषयों पर प्रशिक्षणार्थियों को भाषण देने के लिए विख्यात अभिलेख शास्त्रियों को निमंत्रित करने की भी व्यवस्था की गई।

### प्रदर्शनी

विभाग प्रवर अभिलेखों की स्थायी प्रदर्शनी की लगातार देखभाल करता रहा जिसमें भारत के आधुनिक युग के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित किया गया है। इस वर्ष 680 से अधिक परिदर्शक प्रदर्शनी देखने आए। गाँधी जी के दसवें मृत्यु दिवस के अवसर पर इस विभाग ने गाँधीय प्रलेखों की प्रदर्शनी का आयोजन, विज्ञान भवन, नई दिल्ली में किया। भारत के राष्ट्रीय अभिलेख भवन में प्रारिक्त प्रलेखों के अतिरिक्त प्रदर्शनी में साबरमती आश्रम स्मारक न्यास, गाँधी स्मारक निधि, रवीन्द्र सदन, शान्ति निकेतन और भारत के राष्ट्रपति से प्राप्त गाँधी जी के महत्वपूर्ण लेख भी सम्मिलित थे।

विभाग की परिरक्षा में रक्षित भारतीय नक़्शों के सर्वेक्षण के कुछ मनोरंजक मद्द भारत 1958 प्रदर्शनी में शिक्षा मंत्रालय के कक्ष के "भारत के राष्ट्रीय अभिलेखालय अनुभाग में तथा त्रिवेन्द्रम में भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख कमीशन के 34 वें अधिवेशन के अवसर पर प्रदर्शित किए गए।



### प्रकाशन

फोर्ट विलियम और इण्डिया हाउस के बीच जो पत्र व्यवहार हुआ, उसकी I जिल्द प्रकाशित की गई। XIII जिल्द का मूल भाग प्रस्तावना, टिप्पणियाँ और ग्रंथ सूची छप चुकी है और इसकी विषय सूची प्रेस के लिए तैयार हो चुकी है। IX जिल्द का भी काफी भाग प्रकाशित हो चुका था। इस सीरीज के XV जिल्द के मूल भाग का सम्पादन कार्य पूरा हो चुका है।

भारतीय अभिलेख संग्रहालय की X जिल्द 1956 के लिए प्रकाशित की गई और XI जिल्द प्रेस के लिए तैयार की गयी। 1860-1947 की अवधि के शिक्षा अभिलेखों के चुने हुए अंशों के प्रकाशन का कार्य विभाग ने अपने हाथ में लिया है। इस प्रयोजन के लिए स्थापित सलाहकार समिति ने पहली बैठक 24 जून 1958 को की और कई निदेश दिए। इसके अनुसार 1860-81 अवधि के काम को आरम्भ किया गया और सामग्री की सामान्य जाँच पूरी हो चुकी है। इसके अतिरिक्त 15,000 पृष्ठों की ध्यान पूर्वक जाँच की गई और समावेश के उपयुक्त प्रलेखों का चुनाव किया गया।

### फारसी के अभिलेख

फारसी पत्र व्यवहार के कैलेंडर (सूचक चार्ट) की X जिल्द का मूल भाग छप चुका है। इस सीरीज की XI जिल्द का कैलेंडर पूरा हो चुका है और XII जिल्द के कार्य में भी प्रगति हो रही है।

1817 के प्राप्त मूल फारसी पत्र, फारसी और उर्दू समाचार पत्रों "जामे-जहान-नुमा" (1841-45) मुलतानी अखबार (1841) "महे-आलम अफरोज, आइना-ए-सिकन्दर, दिल्ली-उर्दू-अखबार, मेहरी मुनीर और अखबार-ए-लुधियाना (1836-41) की हस्त सूचियों के बनाने का काम पूरा हो चुका है और "मिताहुज्ज-सफर" (1897-99) का कार्य हाथ में लिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त (1799-1805) और 1817-18 की हस्त सूचियों की तालिका भी तैयार की गई। इस विभाग के फारसी अभिलेखों में अंकित 2851 मोहरों के सूचीपत्र भी बनाए गए।

### परिरक्षण

विभाग का सामान्य मरम्मत और स्थापन कार्यक्रम चलता रहा। इसके अतिरिक्त 16 बाहरी एजेन्सियों और व्यक्तियों का काम भी किया गया। इनमें से श्री जवाहर लाल नेहरू की आत्मकथा की हस्तलिपि और जम्मू और काश्मीर की दो टूटी फूटी हस्तलिपियों के पुनर्स्थापन का काम भी था।

### टेकनीकल सेवा

यह विभाग व्यक्तियों और संस्थाओं को टेकनीकल सलाह देता रहा। मरम्मत के लिए अच्छी किस्म की विदेशी सामग्री के न मिलने के कारण विभाग की बढ़ी हुई

आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तथा आयात वस्तुओं का उपयुक्त एवज़ ढूँढने के लिए अनुसंधान प्रयोगशाला स्वदेशी सामग्री का परीक्षण करता रहा ।

### फ़ोटो प्रतिलिपिकरण

फ़ोटो प्रतिलिपिकरण की सेवाएँ भारत और विदेशों की कई संस्थाओं और विद्वानों को दी गईं । विभाग का सूक्ष्म फिल्मों बनाने का कार्यक्रम और रामपुर के रज़ा पुस्तकालय की नष्टप्राय और दुर्लभ हस्तलिपियों की मरम्मत और सूक्ष्म फिल्मों बनाने का काम निरन्तर चालू रहा । विभाग के चल सूक्ष्म फिल्म एकांश ने ब्रोच, अंकलेश्वर और अहमदाबाद का भ्रमण किया और निजी परिरक्षा से प्राप्त कुछ दुर्लभ प्रलेखों और हस्तलिपियों के लगभग 8000 चित्र लिए गए । पन्ना सम्बन्धी फ़ारसी और बुन्देलखण्डी भाषा के 177 प्रलेखों की भी सूक्ष्म फिल्मों बनाई गईं । यहाँ तैयार और बाहर से प्राप्त सूक्ष्म फिल्मों के संग्रह को वातानुकूलित स्थान में रखा गया । फ़ोटो प्रतिलिपिकरण की निर्धारित दरों को दोहराया गया ।

### भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख कमीशन

भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख कमीशन की अनुसंधान और प्रकाशन समिति की 27 वीं बैठक पहली सितम्बर 1958 को भारत के राष्ट्रीय अभिलेख भवन, नई दिल्ली में हुई । समिति द्वारा पास किए गए महत्वपूर्ण संस्थाओं में से कुछ नीचे दिये जाते हैं :—

(1) भारत के अभिलेखालय में ऐसे विषयों की सूची का प्रकाशन, जिन पर अनुसंधान किया जा सकता है और साथ ही तत्सम्बन्धी सामग्री की प्राप्यता सम्बन्धी सूचना प्रकाशित करना ।

(2) भारतीय राष्ट्रीय सेना के क्रियाकलाप सम्बन्धी सब सामग्री का भारत द्वारा संग्रह करना ।

(3) महत्वपूर्ण अप्राप्य प्रकाशनों का भारत के अभिलेख दफ्तरों द्वारा पुनः प्रकाशन ।

(4) राज्य सरकारों द्वारा 1917 से पूर्व के अभिलेखों के उद्धरणों को सदाशय विद्वानों को दिया जाना ।

अभिलेख शास्त्रियों की राष्ट्रीय समिति की नवीं बैठक 2 सितम्बर 1958 को नई दिल्ली, में हुई । समिति ने राज्य अभिलेख दफ्तरों के लाभ के लिए कई सिफ़ारिशें कीं ।

केरल सरकार के तत्वावधान में 30-31 दिसम्बर 1953 और पहली जनवरी 1957 के त्रिवेन्द्रम में भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख कमीशन का 34वाँ वार्षिक अधिवेशन हुआ ।

### हैदराबाद अभिलेख

हैदराबाद के पहले अभिलेख दफ्तर के पुराने मराठी और फ़ारसी अभिलेखों को

भारत सरकार द्वारा लिए जाने का और हैदराबाद में भारत के राष्ट्रीय अभिलेख भवन के शाखा दफ्तर खोलने का प्रश्न निश्चित हो चुका है और नया दफ्तर शीघ्र ही काम करना शुरू कर देगा।

### केन्द्रीय सरकारी अभिलेखों का प्रकाशन

अनुसंधान और प्रकाशन समिति ने मार्च में अपनी 26 वीं बैठक में एक उपसमिति की स्थापना भारत के राष्ट्रीय अभिलेख भवन के बीस वर्षीय प्रकाशन कार्यक्रम के पुनर्मुल्यान के लिए की, जिसका अनुमोदन भारत सरकार पहले ही कर चुकी थी। उपसमिति की पहली बैठक पहली सितम्बर 1958 को और दूसरी आठ दिसम्बर 1958 को हुई। इसने सिफारिश की कि भारत सरकार भारत के सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक इतिहास सम्बन्धी अभिलेखों के उद्धरणों का प्रकाशन करे। योजना के ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

### प्रलेख क्रय समिति

संसद की प्राक्कलन समिति की सिफारिश पर भारत सरकार ने अगस्त 1958 में एक प्रलेख क्रय समिति नियुक्त की, जो भारत के राष्ट्रीय अभिलेख भवन के अभिलेख निदेशक को निजी अधिकार में पड़े प्रलेखों और हस्तलिपियों के खरीदने के विषय में सलाह देगी। समिति के सदस्य हैं—

- |   |  |            |
|---|--|------------|
| 1 | संयुक्त शिक्षा सलाहकार,                | अध्यक्ष    |
| 4 | अभिलेख निदेशक और दो गैर सरकारी व्यक्ति | सदस्य      |
| 5 | अभिलेख संग्रहालय के उप निदेशक          | सदस्य सचिव |

### भारत का राष्ट्रीय अभिलेख संग्रहालय, प्रादेशिक दफ्तर, भोपाल

पुराने भोपाल राज्य के अभिलेखों को प्राप्त करने, उनकी जाँच, सूचीकरण, मरम्मत, पुनर्स्थापन सफाई और उन्हें अलमारियों में सिलसिलेवार रखने का काम जारी रहा।

### 1959-60 का कार्यक्रम

विभिन्न केन्द्रीय एजेंसियों में संगृहीत अभिलेखालय सम्बन्धी सूचना के संकलन पर ध्यान केन्द्रित करने का प्रस्ताव है और विदेशों से प्रलेखों की सूक्ष्म फिल्म प्रतियाँ प्राप्त करना, अभिलेखों की जाँच, विन्यास और सूची बनाने के कार्यक्रम को प्रोत्साहन दिया जायेगा। विदेशों से प्राप्त और 1959-60 में आने वाली सूक्ष्म फिल्म प्रतियों के अभिलेख की सूचियाँ तैयार करने का काम जारी रहेगा। अभिलेखों में अनुसंधान सम्बन्धी कार्य में अधिक सुविधाएँ देने का प्रयास किया जायेगा। भारत सरकार के विभिन्न विभागों और एजेंसियों के अभिलेखों का सर्वेक्षण, जाँच, विन्यास, सूचीकरण और संगठनात्मक-अध्ययन सम्बन्धी कार्य चालू रहेगा।

भारतीय ऐतिहासिक और फुटकर नकशों के सर्वेक्षण का पुनर्विन्यास किया जाएगा और तालिका सूचियों के अनुसार सूचक-कार्ड बनाए जायेंगे। इन नकशों का पुनर्नवीकरण सम्बन्धी काम भी होता रहेगा, अगर स्थान सम्बन्धी दशा में सुधार हुआ तो राजस्व, नकशों और आयोजना नकशों इत्यादि को भारत सर्वेक्षण, देहरादून से ले लिया जायगा। इस विभाग

के नक्शा सेवा की रिक्तियों को ढूँढा जायगा और उन्हें पूरा किया जायगा। यदि आवश्यक हुआ तो ऐतिहासिक नक्शों को विदेशों से मँगाने का प्रयत्न किया जायगा।

अभिलेख विज्ञान के प्रशिक्षण के कार्य में और सुधार किए जाएँगे।

इस समय भंडार-स्थान का अत्यन्त अभाव है और द्वितीय आयोजना की अवधि में और अधिक क्षेत्र की व्यवस्था करने का विचार है ताकि और अधिक अभिलेख जो विभिन्न एजेंसियों में पड़े हैं केन्द्रीय भंडार में रखे जाएँ और उनकी देख-भाल की जाए।

फोर्ट विलियम और इण्डिया हाउस के बीच पत्र-व्यवहार की I जिल्द बिक्री के लिए दी जायगी। इस सीरीज की IX जिल्द और XIII जिल्द का मुद्रण कार्य पूरा हो जायगा और VI जिल्द का काम आरम्भ कर दिया जाएगा।

IX और XV जिल्दें प्रेस को भेज दी जाएँगी।

“भारतीय अभिलेख संग्रहालय” की XI जिल्द प्रकाशित कर दी जाएगी और XII जिल्द प्रेस को भेजी जाएगी। भारत के राष्ट्रीय अभिलेख संग्रहालय की 1956 और 1957 की वार्षिक रिपोर्टें प्रकाशित कर दी जाएँगी और 1958 की रिपोर्ट का मसौदा प्रेस के लिए तैयार किया जाएगा।

1784 से बाद के विदेशी और राजनैतिक विभाग अभिलेखों के सूचक की तीसरी जिल्द का संकलन और एक सूचक को तैयार करने का कार्य आरम्भ किया जाएगा।

शिक्षा अभिलेखों के कुछ चयनीय अंशों और तत्सम्बन्धी जीवन-चरित और टोपोग्राफिकल टिप्पणियों की जो टाइपलिपियाँ तैयार की गईं उनका परीक्षण सम्बन्धी कार्य किया जाएगा। पहली जिल्द की प्रस्तावना जो अवैतनिक बाह्य सम्पादक द्वारा लिखी जानी है उसके पूरा होते ही यह जिल्द प्रेस को भेजी जाएगी और उसका सूचक भी तैयार कर लिया जाएगा। 1959-60 में 1882 से आगे के अभिलेखों का परीक्षण कार्य भी शुरू किया जावेगा।

फारसी पत्र-व्यवहार के कैलेंडर की X जिल्द का मुद्रण कार्य पूरा कर दिया जाएगा और जिल्द प्रकाशित कर दी जाएगी। इस सीरीज की XI जिल्द प्रेस को भेज दी जाएगी और XII जिल्द के संकलन का कार्य चालू रहेगा। 1801 से बाद के फारसी पत्र व्यवहार की प्रेस सूची का काम भी हाथ में लिया जाएगा। निजी अधिकार का हस्तलिपियों और प्रलेखों को प्राप्त करने का आन्दोलन चलता रहेगा और प्राप्त दुर्लभ हस्तलिपियों और प्रलेखों की सूक्ष्म फिल्में बनाने का काम भी होगा प्राप्त पाण्डुलिपियों और प्रलेखों के विन्यास का कार्य जारी रहेगा। 1800 ईसवी के मूल पत्रों में प्राप्त पूर्वी मोहरों की सूची तैयार करने का काम पूरा किया जाएगा।

अनुसंधान और प्रकाशन समिति की 26 वीं बैठक की सिफारिश पर यह विभाग अभिलेखों के राष्ट्रीय रजिस्टर के संकलन सम्बन्धी पद्धति संगत कार्यक्रम के उपक्रम करने का विचार कर रहा है। कुछ समय के लिए यह कार्यक्रम निजी परिरक्षा के अभिलेखों को प्राप्त करने तक ही सीमित रहेगा। इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकारों को सहायता अनुदान देने के लिए विभाग के 1959-60 के बजट में 42,000 रु० की व्यवस्था की गई है।

350

The University Library

ALLAHABAD.

B

163400

Accession No .....

Call No. ....

~~350~~  
46

#

350-H-28  
8

(Form No. 28 L 75,000-57)